

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Publications Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'C'
Acc. No.....62.....
Dated.....3.5.2007

(खण्ड 28 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-।

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-॥

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)
अंक 15, शुक्रवार, 16 मार्च, 2007/25 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280	1-66
अतारांकित प्रश्न संख्या 2510 से 2707	66-342
सभा पटल पर रखे गए पत्र	342-352
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	352
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
तेईसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन	352-353
याधिका का प्रस्तुतीकरण	353
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	353
(एक) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 12वें, 14वें, 15वें और 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री सुशील कुमार शिंदे	353-354
(दो) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 15-3-2007 को पुलिस बल पर हुए नक्सली हमले की घटना	
श्री शिवराज वि. पाटील	402-404
(तीन) पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम पुलिस थाना क्षेत्र में 14-3-2007 की घटनाएं	
श्री शिवराज वि. पाटील	404-412
(चार) वर्तमान रबी फसल के लिए गोहूँ उत्पादक किसानों के लिए बोनस की घोषणा	
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	412-413
सभा का कार्य	354-358
सामान्य बजट, 2007-08-सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08	
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2006-07	
श्री पी. यिदम्बरम	359-395

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007

श्री पी. चिदम्बरम	395
विचार करने के लिए प्रस्ताव	395
खण्ड 2 से 4 और 1	396
पारित करने के लिए प्रस्ताव	397

(दो) विनियोग विधेयक, 2007

श्री पी. चिदम्बरम	397
विचार करने के लिए प्रस्ताव	398
खण्ड 2, 3 और 1	398
पारित करने के लिए प्रस्ताव	398

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन

और

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007 का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

श्री पी. चिदम्बरम	399
विचार करने के लिए प्रस्ताव	400
खण्ड 2 से 4 और 1	400
पारित करने के लिए प्रस्ताव	400

राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन

और

राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2007 का निरनुमोदन
संबंधी सांविधिक संकल्प

श्री राम विलास पासवान	401
विचार करने के लिए प्रस्ताव	401
खण्ड 2 से 5 और 1	402
पारित करने के लिए प्रस्ताव	402

**नगर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन
के बारे में प्रस्ताव**

414

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना बनाने और लागू करने के बारे में संकल्प

श्री नवीन जिन्दल	415-421
श्री शैलेन्द्र कुमार	421-424
श्री हन्नान मोल्लाह	424-429
श्री सुकदेव पासवान	430-432
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	432-441
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	441-443
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	443-449
श्री कीरेन रिजीजू	449-456

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	457-458
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	458-464

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	465-466
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	465-468

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 16 मार्च, 2007/25 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं एक मामला उठाने की सूचना पहले ही दे चुका हूँ...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ में लगभग 50 पुलिसकर्मी मार दिए गए हैं...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न 261, श्री सज्जन कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न 262, एडवोकेट (श्रीमती) पी. सतीदेवी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में उन लोगों को मारा जा रहा है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: जिन लोगों पर छत्तीसगढ़ राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे मारे जा रहे हैं...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर

*261. श्री सज्जन कुमार:

श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों में बैंक संबंधी लेन-देन के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष काउंटर खोलने के संबंध में विशेष अनुबंध किए जाने के बावजूद भी कई बैंकों ने इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में बैंकों को निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के बैंकिंग लेन-देनों के लिए विशेष काउंटर स्थापित करने के लिए कोई विशेष मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय बैंक संघ ने पहले इस मामले की जांच की थी और यह पाया था कि इस विशेष सेवा को प्रदान करने में उम्र का सबूत, ऐसे ग्राहकों की पर्याप्त संख्या, अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता, अतिरिक्त कर्मचारी/फर्नीचर की लागत, कर्मचारियों की उपलब्धता आदि जैसे कई व्यावहारिक समस्याएं आएंगी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बैंक संघ ने यह निर्णय किया कि बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा या बचत बैंक शाखाओं में लाइन से अलग रहने और जहां कहीं व्यावहार्य हो फार्म भरने में सहायता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी जाए। इसके अतिरिक्त, बैंकों से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से पेंशन देते समय दक्षतापूर्ण काउंटर सेवा प्रदान करने में पर्याप्त ध्यान देने के लिए कहा गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

*262. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की एजेंसियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) जो एक केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी है, को विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के अंतरण के लिए अंतःराज्यीय एवं अंतःक्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के विकास तथा ग्रिड के सुदृढीकरण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तदनुसार विभिन्न लाभार्थियों को आवंटित विद्युत के अंतरण के लिए पी.जी.सी.आई.एल. ने एक्सट्रा हाई वोल्टेज (इ.एच.वी.) पारेषण प्रणाली विकसित की है। इसी तर्ज पर 11,500 मेगावाट विद्युत के अंतःक्षेत्रीय अंतरण की क्षमता वाला एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया गया है और इस अंतरण क्षमता को वर्ष 2007 में बढ़ाकर 18,400 मे.वा. तथा 11वीं योजना के अंत तक बढ़ाकर 37,000 मे.वा. से भी अधिक किए जाने की संकल्पना की गई है। 10वीं योजना के दौरान पूरी की गई अंतःराज्यीय पारेषण स्कीमों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के विकास की जिम्मेवारी संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों तथा वितरण लाइसेंसियों की होती है।

उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार ने दो स्कीमों, यथा शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) तथा वर्ष 2009 तक सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों

के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) शुरू की हैं। ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत 17033.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 571 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 31-12-2006 तक राज्यों को 6574.89 करोड़ रु. जारी किए गए तथा इसमें से काउन्टर पार्ट वित्तपोषण समेत 10139.24 करोड़ रु. का उपयोग हो चुका है। आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत 9-3-2007 तक 33,374 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त उद्यम तथा 100% निजी प्रतिभागिता माध्यम से पारेषण प्रणाली के विकास के लिए कार्यवाई शुरू कर दी है। इसके ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी दिशानिर्देश भी भारत सरकार ने जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति ने निजी प्रतिभागिता के लिए 14 पारेषण परियोजनाओं की पहचान की है। अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों तथा राज्य पारेषण यूटिलिटियों की है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत पारेषण एवं वितरण लाइसेंस वाले कार्य हैं और इन कार्यों के लिए लाइसेंस उचित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान में 16 निजी वितरण कंपनियां कार्य कर रही हैं। इन वितरण कंपनियों के ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं। राज्य में आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयन की एक शर्त फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति है ताकि वितरण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके। अब तक 39,000 से भी अधिक गांवों में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति की गई है।

विवरण-I

क्रम संख्या	स्कीम/पारेषण कार्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3

अतः क्षेत्र

1. तालधर-II पारेषण प्रणाली - अंतःक्षेत्रीय + दक्षिण क्षेत्र

2982

1. तालधर-कोलार एच.वी.डी.सी. बाई-पोल 2000 मेगा वाट

1	2	3
	2. द.क्षे. में संबद्ध 400 के.वी. सिस्टम	
2.	तुल्यकालिक कनेक्शन के लिए पू.क्षे.-प.क्षे. के बीच अंतःक्षेत्रीय लिंक	218
3.	पू.क्षे. + प.क्षे. कनेक्शन की क्षमता एवं स्थिरता में वृद्धि	128
	1. सिरिज कं. एंड टी.सी.एस.सी. पर राउरकेला-रायपुर 400 के.वी. डी/सी	
4.	पू.क्षे. + ऊ.क्षे. अतुल्यकालिक अंतःक्षेत्रीय पारेषण प्रणाली	593
	1. एच.डी.वी.सी. बैक-टू-बैक सबस्टेशन, सासाराम (नया)	
	2. बिहार शरीफ - सासाराम 400 के.वी. डी/सी	
	3. सासाराम-इलाहाबाद 400 के.वी. डी/सी लीलो सहित, सारनाथ	
	4. सासाराम में देहरी-करमनासा 132 के.वी. एस/सी लाइन लीलो	
5.	पू.क्षे. + द.क्षे. अंतःक्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि	665
	1. गजुवाका में दूसरी 500 मे.वा. एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक मॉडल	
	2. विजयवाडा-गजुवाका 400 के.वी. डी/सी	
	3. गजुवाका में सीरिज कंपो. में 300 के.वी. पू.क्षे. लाइन	
6.	ताला पारेषण प्रणाली (पीजी 872 करोड़ + जे.वी. 1612 करोड़)** **	2484
	1. ताला-सिलीगुड़ी 400 के.वी. 2 x डी/सी	
	2. सिलीगुड़ी-पूर्णिया-मुजफ्फरपुर 400 के.वी. डी/सी क्वाड	
	3. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 के.वी. डी/सी क्वाड टी.सी.एस.सी. के साथ	
	4. गोरखपुर-लखनऊ 400 के.वी. डी/सी	
	5. बरेली-मंडोला 400 के.वी. डी/सी	
	6. मुजफ्फरपुर, गोरखपुर तथा लखनऊ में 400 के.वी. के सबस्टेशन	
	7. गोरखपुर (पीजी)-गोरखपुर (यूपी) 400 के.वी. डी/सी	
	8. लखनऊ-उन्नाव के बीच 400 के.वी. डी/सी	
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
1.	सालाकाटी में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर	5
2.	अरुणाचल प्रदेश के लिए पारेषण प्रणाली	27
	1. रंगानदी-जीरो 132 के.वी. एस/सी	

1	2	3
	2. जीरो 132/33 के.वी. सबस्टेशन	
पूर्वी क्षेत्र		
1.	अतिरिक्त पारेषण कार्य पू.क्षे.	914
	1. पूर्णिया में 400 के.वी. बोंगईगांव-मालदा लीलो	
	2. सिलिगुड़ी में 400 के.वी. बोंगईगांव-मालदा लीलो	
	3. जैपोर-मेरामुंडाली 400 के.वी. एस/सी	
	4. बिहार पारेषण सुदृढीकरण प्रणाली	
	5. इन्द्रायती दूसरा आई.सी.टी.	
	6. जैपोर दूसरा आई.सी.टी.	
	7. पूर्णिया-डलखोला का लिलो 132 के.वी. एस/सी पूर्णिया (न्यू)	
	8. कहलगांव-बिहारशरीफ 400 के.वी. डी/सी	
	9. राऊरकेला-रायपुर में सिरीज कैपेसिटर 400 के.वी. डी/सी	
	10. गंगटोक एवं मेल्ली में रंगित-सिलीगुड़ी का लिलो 132 के.वी. एस/सी	
	11. बारीपदा में कोलाघाट-रंगाली का लिलो 400 के.वी. एस/सी लाईन	
	12. तालघेर-मेरामुंडाली 400 के.वी. डी/सी	
	13. जमशेदपुर-राऊरकेला 400 400 के.वी. एस/सी	
उत्तरी क्षेत्र		
1.	चमेरा-II एच.ई.पी. के लिए ए.टी.एस. (400 मे.वा.)	46
	1. चमेरा I-चमेरा-II 400 के.वी. एस/सी	
	2. चमेरा II-किशनपुर 400 के.वी. एस/सी	
2.	टिहरी एच.ई.पी. स्टेज-I के लिए ए.टी.एस. (4 x 250)	914
	1. टिहरी-मेरठ 765 के.वी. 2 x एस/सी (आरंभ में 400 के.वी. पर चालू) (दूसरी लाइन के कनेक्शन को छोड़कर सभी कार्य पूरे)	
	2. मेरठ-मंडोला 400 के.वी. डी/सी	
	3. मेरठ-मुजफ्फरनगर 400 के.वी. एस/सी	
	4. मेरठ 400/220 के.वी. 3 x 315 एम.वी.ए. एस/एस	
	5. मुजफ्फरनगर 400/220 के.वी. 3 x 315 एम.वी.ए. एस/एस	

1	2	3
3.	धीलीगंगा एच.ई.पी. के लिए ए.टी.एस. (4 x 70 मे.बा.)	186
	1. धीलीगंगा-बरेली (यू.पी.पी.सी.एल.) 400 के.वी. डी/सी (आरंभ में 220 के.वी. पर चालू)	
4.	दुलहस्ती एच.ई.पी. के लिए ए.टी.एस. (3 x 130 मे.बा.)	465
	1. दुलहस्ती-किशनपुर 400 के.वी. 2 x एस/सी	
	2. किशनपुर-बागूरा 400 के.वी. डी/सी	
	3. किशनपुर 400/200 के.वी. एस/एस (संवर्द्धन)	
5.	रिहंद एस.टी.पी.एस.-II के लिए ए.टी.एस. 2 x 500 मे.बा.)	896
	1. इलाहाबाद-मैनपुरी-बल्लभगढ़-400 के.वी. डी/सी	
	2. रिहंद-इलाहाबाद 400 के.वी. डी/सी	
	3. दादरी-पानीपत 400 के.वी. एस/सी दूसरा सर्किट	
	4. पटियाला-मलेरकोटला 400 के.वी. एस/सी	
	5. कैथल-डी/सी में नालागढ़-हिसार 400 के.वी. डी/सी एक सर्किट का लिलो	
	6. पटियाला-डी/सी में नालागढ़-हिसार डी/सी 400 के.वी. डी/सी एक सर्किट का लिलो	
	7. मैनपुर 400/220 के.वी. 630 एम.वी.ए. एस/एस	
	8. कैथल 400/220 के.वी. 630 एम.वी.ए. एस/एस	
	9. पटियाला 400/220 के.वी. 630 एम.वी.ए. एस/एस	
	10. अबदुल्लापुर 400/220 के.वी. 315 एम.वी.ए. एस/एस (संवर्द्धन)	
6.	नाथपा झाकरी एच.ई.पी. के लिए ए.टी.एस. (8 x 250 मे.बा.)	1453
	1. नाथपा झाकरी-अबदुल्लापुर डी/सी	
	2. अबदुल्लापुर-बवाना डी/सी	
	3. बवाना-भिवानी डी/सी	
	4. नाथपा झाकरी-नालागढ़ डी/सी	
	5. नालागढ़-हिसार डी/सी	
	6. हिसार-जयपुर एस/सी	
	7. हिसार (पी.जी.)-हिसार (बी.बी.एम.बी.) डी/सी	

1	2	3
8. हिसार एस/सी		
9. अबदुल्लापुर एस/एस		
10. बवाना एस/एस (संवर्द्धन)		
11. नालागढ़ एस/एस		
12. जालंधर-दसुइया डी/सी		
13. चमेरा-मोगा का लिलो डी/कैट जालंधर		
14. जालंधर एस/एस		
7. उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न प्रणाली सुदृढीकरण संबंधी कार्य		264
1. इलाहाबाद में इलाहाबाद एस/एस और कानपुर-इलाहाबाद का लिलो		
2. बल्लभगढ़ चौथा आई.सी.टी.		
3. बल्लभगढ़-कानपुर के लिए सीरिज कैपेसिटर		
4. बल्लभगढ़-कानपुर के लिए सीरिज कैपेसिटर-आर एण्ड डी		
5. भिवाडी में जयपुर-बल्लभगढ़ का लिलो और भिवाडी एस/एस		
6. मुरादनगर-पनकी के लिए सीरिज कैपेसिटर		
7. आगरा (पीजी)-आगरा (यू.पी.पी.सी.एल.)		
8. यू.पी. (यू.पी.पी.सी.एल.) में 220 के.वी. प्रणाली सुधार स्कीम		
पश्चिम क्षेत्र		
1. तारापुर विस्तार न्यूक्लीयर (2 x 500)		237
1. टी.ए.पी.पी. (विस्तार)-पाडघे 400 के.वी. डी/सी		
2. टी.ए.पी.पी. (विस्तार)-बोईसर 400 के.वी. डी/सी		
3. वापी (पीजी) में पाडघे-गंधार लिलो एस/सी लाइन 400 के.वी. डी/सी		
4. बोईसर में पाडघे-वापी (पीजी) लिलो एस/सी लाइन 400 के.वी. डी/सी		
5. टी.ए.पी.पी. (विस्तार)-बोईसर 220 के.वी. एस/सी (स्टार्ट अप पावर के लिए)		
6. बोईसर 400/220 के.वी. 3 x 315 एम.वी.ए. एस/एस		
7. वापी (पीजी) 400/220 के.वी. 2 x 315 एम.वी.ए. एस/एस		

1	2	3
2.	खांडवा उप-केन्द्र की स्थापना	110
1.	खांडवा में इटारसी-धुले 400 के.वी. डी/सी लाइन का दोनो सर्किट का लिलो	
2.	खांडवा 400/200 के.वी. 2 x 315 एम.वी.ए. एस/एस	
3.	कोल्हापुर-मपुसा 400 के.वी. डी/सी	129
1.	कोल्हापुर-मपुसा 400 के.वी. डी/सी	
4.	पूर्वी क्षेत्र से आयात हेतु पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण	249
1.	रायपुर-चंद्रपुर 400 के.वी. डी/सी लाइन (तीसरा और चौथा सर्किट)	
5.	1. भद्रावती-चंद्रपुर 400 के.वी. डी/सी (तीसरा और चौथा सर्किट)	33
दक्षिणी क्षेत्र		
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. चरण-II 4 x 500 मे.वा.	2982
1.	कोलार-हूडी 400 के.वी. डी/सी लाइन	
2.	कोलार-मद्रास 400 के.वी. एस/सी लाइन	
3.	कोलार-होसूर-सेलम 400 के.वी. एस/सी लाइन	
4.	सेलम-उदमलपेट, 400 के.वी. एस/सी लाइन	
5.	कोलार में कडप्पा-सोमनहल्ली का लीलो, 400 के.वी. डी/सी	
6.	होसूर 400/220 के.वी. एस/एस 630 एम.वी.ए.	
7.	सेलम, हूडी, उदमलपेट और मद्रास 400/220 के.वी. एस/एस विस्तार	
8.	कोलार-होसूर 400 के.वी. लाइन खंड को डी/सी बनाया जा रहा है।	
2.	रामागुंडम एस.टी.पी.एस. चरण-III 500 मेगावाट	295
1.	रामागुंडम-हैदराबाद 400 के.वी. डी/सी लाइन	
2.	हैदराबाद-कर्नूल-गूटी 400 के.वी. एस/सी लाइन	
3.	गूटी-नीलमंगला 400 के.वी. एस/सी लाइन	
4.	खम्माम-नागार्जुनसागर 400 के.वी. एस/सी लाइन	
5.	हैदराबाद-गूटी में 400 के.वी. के विस्तार खम्माम, नागार्जुनसागर, कर्नूल और नीलमंगला	

1	2	3
3.	नैबेली विस्तार (420 मेगावाट) ए.टी.एस.	12
	1. विद्युत केंद्र में एन.एल.सी.-त्रिची 400 के.वी. डी/सी लाइन का एकल सर्किल लीलो	
4.	कैगा (यूनिट सं. 3) पारेषण प्रणाली-प्रथम फेज (और+01 करोड़)	137
	1. कैगा-दावणगेरे डी/सी (400 के.वी. ऑपरेशन का उच्चीकरण)	
	2. कैगा-नरेन्द्रा 400 के.वी. डी/सी	
	3. नरेन्द्रा 400 के.वी./220 के.वी. एस/एस, 2 x 315 एम.वी.ए.	
5.	द.क्षे. में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-I	347
	1. विजयवाड़ा-नेल्लोर 400 के.वी. डी/सी लाइन	
	2. नेल्लोर-एस.बी. बुदूर 400 के.वी. डी/सी लाइन	
6.	द.क्षे. में 400 के.वी. लाइन पर क्रमिक क्षतिपूर्ति (नियत क्षतिपूर्ति)	56
	1. नागार्जुन सागर-कडप्पा 400 के.वी. डी/सी दोनों सर्किटों के कडप्पा छोर पर 40% सीरिज क्षतिपूर्ति	
	2. गूटी छोर पर 2 X एस/सी 400 के.वी. गूटी-नीलमंगला पर 40% सीरिज क्षतिपूर्ति	
7.	केरल को दूसरी फीड देने के लिए पारेषण प्रणाली	260
	1. मदुरई-तिरुवनंतपुरम 400 के.वी. डी/सी लाइन	
8.	द.क्षे. में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-II	45
	1. हिरियूर में दावणगेरे-हूडी 400 के.वी. डी/सी लाइन का लीलो।	
	2. हिरियूर 400/220 के.वी. एस/एस	
9.	द.क्षे. में प्रणाली सुदृढ़ीकरण - नीलमंगला मैसूर	153
	1. नीलमंगला-मैसूर 400 के.वी. डी/सी लाइन	
कुल पूर्ण स्कीमें		17285

विवरण-II

निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित/कार्यान्वयन के लिए
प्रस्तावित पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे

(क) संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजनाएं

(i) ताला जल विद्युत परियोजना, पूर्वी-उत्तरी इन्टरकनेक्टर

और उत्तर क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली से सम्बद्ध पारेषण लाइनें।

(ii) पार्वती-II (800 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना तथा कोलबांध (800 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना से सम्बद्ध पारेषण लाइनें।

(III) सूरत के समीप सुगन में विकसित की जा रही विद्युत उत्पादन परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली।

(IV) 1000 मेगावाट की करचम-वांगटू जल विद्युत परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली।

(V) सिक्किम में तीस्ता बेसिन परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली।

(VI) 1500 मेगावाट की विद्युत परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली।

(ख) 100% निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाएं

पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-II (डब्ल्यू.आर. एस.एस.एस.-II) (सेट बी. व सी)

विवरण-III

वर्तमान में कार्यरत निजी वितरण कम्पनियों की सूची

क्रम संख्या	वितरण कम्पनी का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कं. लि.	गुजरात
2.	सूरत इलेक्ट्रीसिटी कं. लि.	गुजरात
3.	कलकत्ता इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कं.	पश्चिम बंगाल
4.	दिसरगढ़ पावर कं. लि.	पश्चिम बंगाल
5.	नोयडा पावर कं. लि.	उत्तर प्रदेश
6.	नार्थ दिल्ली पावर लि.	दिल्ली
7.	बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लि.	दिल्ली
8.	बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लि.	दिल्ली
9.	रिलायंस एनर्जी लि. (तत्कालीन बी.एस.ई.एस. लि.)	महाराष्ट्र
10.	टाटा पावर कं. लि. (टी.पी.सी.)	महाराष्ट्र
11.	टोरेंट पावर लि.	महाराष्ट्र *
12.	साउदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी	उड़ीसा

1	2	3
13.	वेस्टर्न इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी	उड़ीसा
14.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी	उड़ीसा
15.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी	उड़ीसा
16.	टाटा टी लि.	केरल

* राज्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त वितरण यूटिलिटी के फ्रेन्चाइजी के रूप में प्रचालनगत।

[हिन्दी]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

*283. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

श्री बलपत सिंह गरस्ते:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार ने "भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उन्मुख होना" (ट्रांजिश्निंग टू रिन्यूएबल एनर्जी पथूवर) नामक योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन उपस्करों के संवर्धन और वितरण के लिए सरकार ने राज्य-वार क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ विभिन्न एन.जी.ओ. को बढ़ावा दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बिलास मुत्तेमवार): (क) इस मंत्रालय के अधिकांश कार्यक्रमों/स्कीमों के संबंध में योजना और वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। गत तीन वर्षों अर्थात्

2003-04 से 2005-06 के दौरान ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता संयोजन के संबंध में राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नवीन और अक्षय ऊर्जा द्वारा पारंपरिक ऊर्जा का अनुपूरण किया जा रहा है। ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता संयोजन हेतु 10वीं योजना के 3075 मेवा. के योजना लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 6500 मेवा. से अधिक हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार, 10वीं योजना के दौरान सभी स्रोतों से संयोजित क्षमता में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत का हिस्सा 10% के प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में 20% होने की संभावना है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है और इस संबंध में 11वीं योजना के लिए 14,000 मेवा. की अक्षय विद्युत क्षमता के संयोजन का प्रस्ताव किया गया है। इसके

अतिरिक्त, अन्य अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों द्वारा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनुपूरण किया जा रहा है।

(घ) चूंकि ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत मुख्यतया निजी निवेश जनित होती है, अतः सरकार की भूमिका मूलतः इसके विकास हेतु स्थितियों के सृजन तक सीमित है। इस संबंध में वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यहास, रियायती शुल्क और आयकर अवकाश शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में अक्षय विद्युत को अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है।

(ङ) और (च) गैर-सरकारी संगठन भी वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं जिनके संदर्भ में उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत क्षमता संयोजन के संबंध में राज्यवार उपलब्धियां

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23.20	28.50	119.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.93	0.00	0.00
3.	असम	0.11	0.00	0.00
4.	बिहार	5.50	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10.00	0.00	16.50
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	165.06	0.00
8.	हरियाणा	14.40	0.00	2.00
9.	हिमाचल प्रदेश	38.84	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	7.50	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	140.75	460.18	115.10
13.	केरल	12.60	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2.20	17.65	1.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	588.50	11.50
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	15.15	0.00	6.00
22.	राजस्थान	0.00	278.84	15.30
23.	सिक्किम	3.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1.30	1904.28	67.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3.60	0.00	75.00
27.	उत्तरांचल	10.85	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	6.02	0.00	0.00
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
30.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य	0.00	0.00	0.00
कुल		307.15	3443.00	428.60

एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

*264. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अन्तर्गत कतिपय राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) आबंटन आधारित कार्यक्रम है। एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए केन्द्र को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं हैं। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत रासाधन ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच 50:30:20 के अनुपात में वहन किए जाते हैं। पंचायतों के प्रत्येक स्तर द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत कार्य शुरू करने के लिए स्वतन्त्र रूप से एक वार्षिक कार्य योजना तैयार एवं मंजूर करनी होती है। ग्राम पंचायतों के मामले में ग्राम सभा और जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा मध्यवर्ती पंचायतों के

मामले में आम सभा वार्षिक कार्य योजना मंजूर करती है। पंचायतों के सभी तीन स्तरों की वार्षिक कार्य योजना को जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर तैयार किया जाना और प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। किसी कार्य को वार्षिक कार्य योजना तैयार होने पर ही शुरू किया जा सकता है।

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (13 मार्च, 2007 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार) के दौरान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत किया गया व्यय तथा खाद्यान्नों के उपयोग की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)	उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मी. टन में)
2003-04	595774.74	4193092
2004-05	608012.87	4788675
2005-06	705228.91	3476824
2006-07*	272105.62	900990

*टिप्पणी: 2006-07 में, 388 जिलों को हाल ही में एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत कवर किया गया है क्योंकि 200 जिलों में एस.जी.आर.वाई. कार्यक्रम को एन.आर.ई.जी.ए. में मिला दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान एस.जी.आर.वाई. का कार्य निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07*	
		नकद व्यय (लाख रु.)	उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मी. टन में)	नकद व्यय (लाख रु.)	उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मी. टन में)	नकद व्यय (लाख रु.)	उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मी. टन में)	नकद व्यय (लाख रु.)	उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा (मी. टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	33965.38	267189	31922.74	271656	37705.06	205743	7823.92	21151
2.	अरुणाचल प्रदेश	1257.74	0	685.09	0	675.52		817.25	
3.	असम	41422.14	311581	39533.75	428074	46499.28	197639	33672.91	171102
4.	बिहार	48593.41	246106	63479.62	416287	73195.24	360283	16788.48	62797
5.	छत्तीसगढ़	16805.85	140036	17757.39	209305	22093.18	125086	5120.51	14469
6.	गोवा	78.92	0	282.73	0	319.55		246.11	
7.	गुजरात	13596.10	158519	14856.35	170873	16887.56	69487	7408.36	22214
8.	हरियाणा	7442.93	53859	6794.28	60917	9531.74	52846	4785.65	24961
9.	हिमाचल प्रदेश	3256.44	27902	3683.45	26676	3587.90	23340	1912.00	7496
10.	जम्मू-कश्मीर	4195.30	32644	4197.50	31147	4570.88	24222	2317.04	8721
11.	झारखण्ड	40280.58	37882	39485.11	119713	52866.14		2828.65	
12.	कर्नाटक	24748.91	301220	26682.09	272479	30855.62	168126	11366.81	50330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	10065.14	60275	13565.39	97003	15532.67	81996	6912.52	3394
14.	मध्य प्रदेश	38744.86	274779	40023.35	428611	45496.35	313150	17261.59	73329
15.	महाराष्ट्र	47411.11	318947	49000.74	371540	53360.78	329788	24365.18	113842
16.	मणिपुर	1071.19	11437	2387.20		966.20	5202	0.00	
17.	मेघालय	2716.95	7903	3199.36	18016	3503.10	29585	1999.38	8525
18.	मिजोरम	801.68	7809	557.19	3283	988.29	4848	374.98	1738
19.	नागालैण्ड	1170.55	31333	1433.70	13135	1989.25	14580	495.87	
20.	उड़ीसा	38608.74	314781	36291.37	296486	35694.05	221354	8300.98	41838
21.	पंजाब	6055.59	46079	6215.06	65882	6246.18	40838	4504.53	13966
22.	राजस्थान	22075.62	226323	20437.32	175961	23423.21	119730	14608.59	55678
23.	सिक्किम	760.00	6221	771.95	6935	1076.58	5411	430.16	1978
24.	तमिलनाडु	33602.53	256038	30960.67	259706	35587.77	196369	20143.74	75837
25.	त्रिपुरा	5959.21	58743	5891.08	44260	6155.50	32769	2873.07	13604
26.	उत्तरांचल	7492.65	62418	8502.94	67759	9358.23	56889	4386.17	15500
27.	उत्तर प्रदेश	111863.13	665226	106468.40	712497	128965.23	466522	55969.47	27292
28.	पश्चिम बंगाल	31604.04	266470	32836.27	220069	27779.37	330453	14248.15	71119
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.77	351	65.35	309	88.03	0	14.06	0

30. दादर नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31. दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32. लक्षद्वीप	2.59	0	11.37	0	44.20	0	13.20	0
33. पाण्डिचेरी	101.69	1020	34.06	97	186.24	568	116.31	110
कुल	595774.74	4193092	608012.87	4788675	705228.91	3476824	272105.62	900990

टिप्पणी: 1. राज्य सरकार के अनुरोध पर, उसकी विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए, अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2005-06 तक केवल नकद आवंटन किया गया।

2. गोवा राज्य तथा दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध पर विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए, उन्हें केवल नकद आवंटन किया गया।

* 2006-07 में वर्तमान में 388 जिलों को एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत कवर किया गया है चूंकि 200 जिलों में एस.जी.आर.वाई. कार्यक्रम को एन.आर.ई.जी.ए. में मिला दिया गया है।

[अनुवाद]

**दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को
नियमित किया जाना**

*265. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित काफी संख्या में बैंक कर्मचारी 12 वर्षों से भी अधिक समय से दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2007 को उनमें से 3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों से अधिक समय से कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनकी सेवाएं नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नियमित किए जाने के लिए मानदण्ड क्या हैं तथा दैनिक वेतनभोगी के रूप में कितने समय की संतोषजनक सेवा करने के बाद उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाता है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसे अस्थायी/अंशकालिक कर्मचारी हैं, जो उनकी नामावली पर लम्बी समयावधि से हैं।

(ख) और (ग) यह सूचना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से एकत्र की जानी है। यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू है, ऐसे दैनिक वेतनभोगी/अनियत श्रमिक, जिसने अपनी सेवा के दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 240 दिन की लगातार सेवा (सेवा की खंडित अवधि सहित) की है, को नियमित करने पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय भू-अभिलेख विकास मिशन

*266. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय भू-अभिलेख विकास मिशन (एन.एल.आर.डी.एम.) गठित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय भू-अभिलेख विकास मिशन (एन.एल.आर.डी.एम.) स्थापित करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तदनुसार, कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान आवासीय इकाइयां

*267. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष कितनी आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है;

(ख) इस संबंध में वास्तविक तथा वित्तीय रूप में प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के लोगों को और अधिक आवास तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना के लिए शहरी आवास संबंधी कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 24.71 मिलियन रिहायशी यूनिटों की कमी है, जिसमें से 21.78 मिलियन यूनिटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) से संबंधित हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में निम्न आय श्रेणी (एल.आई.जी.) हेतु 2.89 मिलियन आवासीय यूनिटों की मांग है। आवास राज्य का विषय है और आवासीय स्टॉक सृजन में लक्ष्य व उपलब्धि राज्य सरकारों द्वारा किए प्रयासों पर निर्भर करेगी। केन्द्र सरकार ने शहरी अवस्थापना तथा आवास की समस्या के समाधान के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरंभ किया है। शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) संबंधी उप मिशन और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ शहरी गरीबी हेतु आवास मुहैया कराना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगी।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि इसके संघटक राज्य यथा हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों में प्लाट युक्त और प्लेट

युक्त रिहायशी विकास करके रिहायशी यूनिटों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आश्रय व सुविधाओं का विकास दिल्ली मास्टर प्लान द्वारा शासित होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में 7 फरवरी, 2007 को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 अधिसूचित किया गया था और इसमें एक सुनियोजित ढंग से आश्रय, भौतिक और सामाजिक अवस्थापना के विकास की परिकल्पना की गई है। दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में दिल्ली की अनुमानित आबादी 220 से 230 लाख के बीच होगी तथा आवासीय जरूरतों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त 24 लाख रिहायशी यूनिटों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें अतिरिक्त आबादी के लिए 20 लाख रिहायशी यूनिटें तथा करीब 4 लाख यूनिटों का बैकलॉग है, जिसमें एक लाख की निचल कमी तथा शेष जीर्ण-शीर्ण व कच्ची संरचनाओं को पुनः स्थापित करने के लिए है। दो कमरों अथवा कम कमरों के रूप में कुल अनुमानित आवासीय जरूरतों का 50-55% शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण के लिए है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सार्वजनिक, सहकारी तथा प्रायवेट सेक्टरों के मार्फत विभिन्न टाइप के मकान बनाने की परिकल्पना की गई है। सम्भवतः 40% आवासीय जरूरतों की पूर्ति दिल्ली के मौजूदा क्षेत्रों का पुनर्विकास/सुधार करके की जा सकती है और शेष 60% की पूर्ति नए क्षेत्रों को शहरी विस्तार के रूप में विकसित करके की जा सकती है। शहरी विस्तार क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष करीब 75,000 रिहायशी यूनिटें विकसित की जानी हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में आवासीय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए भूमि जुटाने तथा आवासीय विकास में प्रायवेट सेक्टर की भागीदारी का भी प्रस्ताव है।

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) का क्रियान्वयन

*268. श्री मनोरंजन अब्दुलः क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) संबंधी अपने स्वयं के दिशा-निर्देश बना रहे हैं तथा संबंधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों में ढील दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा

4(1) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजना बनानी होगी।

इस तरह बनाई गई राज्य योजनाओं की मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है ताकि अधिनियम के साथ उसकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

अधिनियम की अनुसूची I को हाल ही में यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि ऐसी प्रत्येक राज्य योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा और उसके बाद संबंधित राज्य का नाम होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

*269. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

श्री होलेन्द्र कुमार:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा किन-किन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन का समन्वयन और मॉनीटरिंग करने तथा भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित नीतियां विकसित करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) योजना बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने अपनी से शुरुआत से लेकर अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए दो क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की हैं। क्षेत्रीय योजना-2001 को 17-1-1989 को अधिसूचित किया गया तथा क्षेत्रीय योजना-2021 को 17-9-2005 को अधिसूचित किया गया था।

क्षेत्रीय योजना एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बोर्ड द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय योजनाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, में प्रवसन में कमी लाने तथा शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने के लिए नीतियां और कार्यनीतियां स्पष्ट की गई हैं। जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली, परीधीय एक्सप्रेस वे और क्षेत्र

में मेट्रो केन्द्रों के तीव्र विकास से संबंधित मुख्य प्रयासों में क्षेत्रीय योजना में दी गई नीतियों का पालन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भूमि विकास, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकास और ठोस कचरा प्रबंधन, विद्युत पारेषण और वितरण, परिवहन प्रणालियों के विकास तथा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक अवस्थापना के लिए ऋण सहायता भी मुहैया करा रहा है। बोर्ड ने 6870.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अवस्थापना परियोजनाएं अनुमोदित की हैं तथा जनवरी, 2007 तक 2319 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी की है।

राष्ट्रीय राजधानी में जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर 1981-91 में 51.45% से घटकर 1991-2001 में 47.02% हो गई है। उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवासन की दर भी 1981-91 में 48.25% से घटकर 1991-2001 में 45.00% हो गई है। हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में प्रवासन की दर 1981-91 में 11.51% से घटकर 1991-2001 में 7.87% हो गई है। राजस्थान से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवासन की दर भी 1981-91 में 6.00% से घटकर 1991-2001 में 4.06% हो गई है।

उपरोक्त विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका अदा की है।

[हिन्दी]

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

*270. श्री गणेश सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2007-08 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत और अधिक धनराशि आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। पेयजल आपूर्ति सरकार के प्रमुख भारत निर्माण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के लिए निधियों के कुल आबंटन में 25 प्रतिशत वृद्धि करके इसे वर्ष 2006-07 में 5200 करोड़ रुपये के परिष्य से वर्ष 2007-08 में 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) संसद द्वारा बजट के अनुमोदन के पश्चात अंतर-राज्य आबंटन मानदंड के अनुसार राज्य-वार आबंटन किया जाएगा और राज्यों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों का कार्यकरण

*271. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में रहे सहकारी बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में देश में चल रहे अधिकांश सहकारी बैंकों की स्थिति कमजोर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) देश में सहकारी बैंकों के कार्यकरण को सुधारने और उनकी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) 31 राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) में से 7 और 366 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) में से 131 सहकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के अंतर्गत निर्धारित एक लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करते रहे। जहां तक वर्ष 2006 में शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) का संबंध है, 716 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बैंक की श्रेणी में रखा गया है जो पर्यवेक्षी धिताओं से मुक्त हैं, 460 शहरी सहकारी बैंक को ग्रेड-II की श्रेणी में रखा गया है, 407 शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड-III की श्रेणी में रखा गया है और 270 शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड-IV की श्रेणी में रखा गया है। ग्रेड-III और IV वाले बैंकों को कमजोर और रुग्ण बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। पिछले तीन वर्ष और दो वर्ष के दौरान घाटा उठाने वाले क्रमशः डी.सी.सी.बी. और यू.सी.बी. की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एस.टी.सी.सी.एस.) के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया

गया है और क्रियान्वयन हेतु स्वीकार किए जाने हेतु उनके पास भेजा गया है। अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले कतिपय कानूनी और संस्थागत सुधारों के अध्यधीन संचित हानियों को समाप्त किया जाना शामिल है।

अब तक 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने इस पैकेज को क्रियान्वित करने पर अपनी सहमति से अवगत कराया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) की विशेष लेखा परीक्षा का कार्य 10 राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्रगति पर है जिन्होंने पैकेज के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली ने इस पैकेज पर अपनी सहमति दे दी है।

जहां तक शहरी सहकारी बैंकों का संबंध है आर.बी.आई. इस क्षेत्र को सुदृढ़ रूप से विकसित करने का प्रयास करती रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 2004-05 के वार्षिक नीति विवरण में यह निर्धारित करता है कि इस क्षेत्र को मजबूत, स्वस्थ और स्थिर बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढांचे के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंक संबंधी

व्यापक नीति लागू करने के पश्चात् ही नए लाइसेंस जारी किए जाने हैं।

विद्यमान कानूनी ढांचे के अधीन विनियामक समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। अब तक 8 राज्य सरकारों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। संभावित रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन और गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के निर्बाध निर्गम के लिए समयबद्ध कार्यवाई योजना की पहचान करने और उसे तैयार करने के लिए इन राज्यों में से प्रत्येक में एक शहरी सहकारी बैंक संबंधी कृतिक बल (टी.ए.एफ.सी.यू.बी.) गठित किया गया है।

राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से लागू गए विनियामक समन्वय को ध्यान में रखते हुए और टी.ए.एफ.यू.सी.बी. के सकारात्मक अनुभव के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में पंजीकृत तथा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को शाखा लाइसेंसिंग के मामले में कतिपय छूट की अनुमति देने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा में यह बताया गया था।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाले सहकारी बैंकों की संख्या

हानि उठाने वाले डी.सी.सी.बी. की कुल संख्या	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	12	5	1
बिहार	13	11	7
छत्तीसगढ़	7	1	—
गुजरात	4	3	4
हरियाणा	2	—	—
जम्मू-कश्मीर	3	3	3
झारखण्ड	6	5	3

1	2	3	4
कर्नाटक	10	7	7
केरल	2	1	1
मध्य प्रदेश	14	14	14
महाराष्ट्र	8	10	10
उड़ीसा	4	1	1
राजस्थान	3	2	1
तमिलनाडु	12	12	—
उत्तर प्रदेश	21	24	25
उत्तरांचल	—	—	1
पश्चिमी बंगाल	1	1	1

अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों को वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के तीनों वर्ष के दौरान हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त मणिपुर राज्य सहकारी बैंक को वर्ष 2002-03 और 2004-05 के दौरान भी हानि हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को वर्ष 2004-05 में हानि हुई थी।

हानियां उठाने वाले राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या	2004-05	2005-06
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	23	27
आसाम एवं अन्य एन.इ. राज्य	6	5
बिहार, झारखंड	0	0
गुजरात	91	68
जम्मू-कश्मीर	0	1
कर्नाटक	78	60

1	2	3
केरल	9	12
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	5	7
नई दिल्ली	2	1
महाराष्ट्र एवं गोवा	116	121
उड़ीसा	1	4
पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	3	2
राजस्थान	1	2
तमिलनाडु	8	17
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	8	8
पश्चिमी बंगाल	10	7

एन.बी.सी.सी. का कार्य-निष्पादन

*272. श्री सुदीप सिंह:

श्री किसानभाई बी. पटेल:

क्या राहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान एन.बी.सी.सी. के कार्य-निष्पादन का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो एन.बी.सी.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में एन.बी.सी.सी. द्वारा पूरी की गयी परियोजनाओं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय हुआ?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

एन.बी.सी.सी. के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2005-06 के लिए एन.बी.सी.सी. को "उत्कृष्ट" समझीता ज्ञापन रेटिंग दी गई है तथा इसे वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए समझीता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार (एम.ओ.यू. एक्सीलेंस अवार्ड) के लिए शीर्ष दस केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) में चुना गया है।

इसके अतिरिक्त एन.बी.सी.सी. ने 'सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में श्रेष्ठता तथा उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार-विशिष्ट सांस्थानिक (टर्नएराउंड) श्रेणी 2005-06' भी जीता है।

(ख) वर्ष: 2005-06 (रु. करोड़ में)

मानदण्ड (पैरामीटर)	लक्ष्य	उपलब्धि
टर्नओवर	720.00	1235.70
आर्डर बुकिंग	1800.00	2143.00
सकल मार्जिन	16.60	52.05
शुद्ध लाभ	4.62	28.03

(ग) और (घ) एन.बी.सी.सी. द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं (राज्यवार विशेषकर उड़ीसा) तथा पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के साथ-साथ किये गये व्यय के ब्योरे संलग्न विवरण-1 तथा 11 में हैं।

विवरण-1

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0 2006-07 में पूरी की गई मुख्य परियोजनाओं (5 करोड़ रुपये से अधिक) की सूची

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	आज की तिथि तक किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3
उड़ीसा		
1.	बहुमंजिला शॉपिंग काम्प्लेक्स, कटक	1008.00
नागालैण्ड		
1.	नागालैण्ड के पुंगलवा में सैनिक विद्यालय का निर्माण	1223.89
मणिपुर		
1.	इम्फाल में फ्लाई ओवर (महारानी पुल)	2074.98
त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा के रानिर बाजार में शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण	537.22

1	2	3
मिजोरम		
1.	मिजोरम के आइजवाल में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	675.42
2.	मिजोरम के आइजवाल में बस टर्मिनस का निर्माण	1471.94
तमिलनाडु		
1.	विवाहित वास परियोजना (एम.ए.पी.), सुलुर	1960.00
2.	ई.पी.एफ.ओ., तिरुनेलवेली	1250.00
महाराष्ट्र		
1.	पेटेंट कार्यालय, मुंबई	1250.00
2.	ओ.एन.जी.सी. धारावी, मुंबई	2858.00
राजस्थान		
1.	एम.ए.पी. नसीराबाद (आर्मी)	3022.00
2.	एम.ए.पी., जोधपुर (वायु सेना)	4315.00
3.	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना (एस.डब्ल्यू.एम.पी.), जोधपुर	1632.00
हरियाणा		
1.	एस.डब्ल्यू.एम.पी., सिरसा हरियाणा	886.00

विवरण-II

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.
2006-07 में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3
उड़ीसा		
1.	सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर (सी.टी.टी.सी.), भुवनेश्वर	273.46
2.	ई.एस.आई.सी. वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव (भुवनेश्वर, चौदाहर, बरांग, बारबिल, कॉंग्सवाल, राउरकेला, ब्रोजानगर, हीराकुंड, राजगंगपुर, जेकेपुर एवं बारडाल)	81.77

1	2	3
3.	ई.एस.आई.सी. विशेष मरम्मत, भुवनेश्वर	5.83
4.	ई.पी.एफ. विशेष मरम्मत, भुवनेश्वर एवं राउरकेला	4.97
सिक्किम		
1.	बलवाखानी, सिक्किम में पार्किंग सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	1489.00
2.	व्हाईट हाऊस से रानी पुल तक फुटपाथ का निर्माण	1248.48
त्रिपुरा		
1.	सोनीमूरा नगर पंचायत में न्यू मोटर स्टेण्ड के पास खाली कराये गये हाकरों के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	708.56
2.	अगरतला में बांस एवं केन विकास संस्थान का निर्माण	657.81
पश्चिमी बंगाल		
1.	ई.एस.आई.सी., कोलकाता	550.00
2.	फाल्टा	270.00
3.	बोस संस्थान, कोलकाता	100.00
4.	सी.टी.टी.सी., कोलकाता	50.00
झारखंड		
1.	जे.ए.पी., गरवा	840.00
2.	जे.पी.एच.सी., फेज-II	1433.00
उत्तर प्रदेश		
1.	रिहन्द सिविल कार्य	5813.30
2.	ऊँचाहार धिमनी	642.66
बिहार		
1.	बाढ़ साइट लेवलिंग कार्य	12100.00
मध्य प्रदेश		
1.	विध्याचल धिमनी कार्य	978.75
आन्ध्र प्रदेश		
1.	ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ. कुलिंग टावर, मडनूर	1940.00
महाराष्ट्र		
1.	पर्ली धिमनी कार्य	1064.00

जैव-प्रौद्योगिकी का संवर्धन

*273. श्री एन.एस.वी. चित्तनः

श्री असावुव्दीन ओवेसी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कृषि, स्वास्थ्य परिचर्या, उद्योग और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं तथा इस संबंध में और क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी हां, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1986 में हुई, इसका अधिदेश जैवप्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पशुपालन, पर्यावरणीय एवं जैवविविधता सुरक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग में संवर्धन करने के लिए है। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक उद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद भी अपने अनुपूरक प्रयास करते हैं। जैवप्रौद्योगिकी के संवर्धन, मानव संसाधन विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को शुरू किया गया है; उत्कृष्टता केंद्रों की संस्थापना और अद्यतन जैवप्रौद्योगिक सुविधाओं; अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन; और प्रौद्योगिकी विकास; विधि मान्यता, हस्तांतरण और वाणिज्यीकरण, अकादमी संबंधी संपर्कों के सुदृढीकरण के लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी, जैवप्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए भी उत्तरदायित्व लिया गया है।

विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियों और परियोजनाओं को जैवप्रौद्योगिकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक वेबसाइट www.dbtindia.nic.in पर उल्लिखित किया गया है। जैवप्रौद्योगिकी उद्योग विगत 5 वर्षों से वार्षिक रूप से लगभग 35-40% विकसित हो रहा है। जैवप्रौद्योगिक क्षेत्र, दक्ष मानव संसाधन, आधारिक संरचना एकस्व अधिकार, प्रकाशन और उत्पाद विकास के संदर्भ में संतुष्टिजनक रूप से विकसित भी हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों/विकसित प्रौद्योगिकी में शामिल हैं:- संचारिक रोगों के लिए टीके और निदानशास्त्र,

जैव-भेषज विज्ञान, अनुवांशिक रूप से आशोधित फसलें, जैविक कीट नाशक, जैविक उर्वरक, गन्ध, वृक्ष और काष्ठ जातियों की व्यापक पैमाने पर ऊतक संवर्धन उत्पत्ति प्रौद्योगिकी; पर्यावरणीय प्रदूषणों को हटाए जाने के लिए जैविक सुधार; जीन संग्रहण और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भंडार और पशुओं के विशिष्ट वर्ग के क्लोनों की उत्पत्ति के लिए प्रौद्योगिकी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं 74 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, विज्ञान निष्णात के लिए छात्रवृत्ति और पोस्टडॉक्टोरल विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, जीवन वृत्ति विकास के लिए पुरस्कारों के साथ-साथ राष्ट्रीय समुद्रपार (ओवरसीज) अल्पकालिक/दीर्घकालिक छात्रवृत्तियों के प्रोत्साहन दिए जाने सहित इस विभाग का मुख्य ध्यान मानव संसाधन विकास पर आकृष्ट करना है। आसियान (ए.एस.इ.ए.एन.), सार्क (एस.ए.ए.आर.सी.) और जी-15 देशों सहित बहुपक्षीय सहयोग के अतिरिक्त 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास का गठबंधन किया गया है। भारत में जैवप्रौद्योगिकी की संभावना की पूरी तरह से आवश्यकता समझने और विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक किए जाने के उद्देश्य से हाल ही में, एक राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति सभी संबंधित साझेदारों, मंत्रालयों/मानव संसाधन विकास में प्रमुख व्यापक स्तरीय विस्तार के लिए विभागों, औद्योगिक संवर्धन एवं विकास, प्रौद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रक अनुसंधान एवं विकास, जैवप्रौद्योगिकी के विशिष्ट पहचान किए गए क्षेत्रों में नवीन संस्थाओं की संस्थापना और विनियामक व्यवस्था की मुख्य धाराओं से परामर्श करने के उपरांत तैयार की गई है। कार्यनीति में परिकल्पित अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने के लिए पहले से ही प्रयास किए गए हैं।

अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन

*274. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भेषज और अन्य उद्योगों को अपना स्वयं का अनुसंधान और विकास कार्य करने हेतु दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न उद्योगों को उनके अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) प्रयासों हेतु आयकर छूट के रूप में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रोत्साहन नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भेज तथा अन्य उद्योगों को अपने यहां अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:

- (i) 1-4-1998 से अंतःस्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2कख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में किसी कम्पनी द्वारा किए गए व्यय (यह व्यय किसी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप का न हो) के 150% के बराबर राशि की भारित कटौती के रूप में इन हाउस अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन की अनुमति दी जाती है, यदि वह कम्पनी जैव-प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में अथवा किसी औषधि, भेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपकरण, रसायन अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या सामान के विनिर्माण या उत्पादन के कार्य में लगी हो। निम्नलिखित वस्तुएं या सामान अधिसूचित किए गए हैं:

- (क) हेलीकाप्टर या एयरक्राफ्ट का विनिर्माण या उत्पादन (अधिसूचना सं. 11112, दिनांक 27-10-1999);
- (ख) कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन (अधिसूचना सं. का.आ. 452(अ), दिनांक 8-2-2000); और
- (ग) आटोमोबाइल संघटक सहित आटो मोबाइल का विनिर्माण या उत्पादन (अधिसूचना सं. का.आ. 1021(अ), दिनांक 21-9-2004)।

धारा 35 (2क ख) का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि औषधि और भेज के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" के अन्तर्गत शामिल हैं:-

- (क) नैदानिक औषधि परीक्षण पर किया गया व्यय;
- (ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अन्तर्गत किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना; और
- (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पेटेंट के लिए आवेदन दायर करना।
- (ii) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (i) के अन्तर्गत, व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर विहित

या किया गया कोई व्यय (जो पूंजीगत व्यय के स्वरूप का न हो) कर निर्धारिती के व्यवसाय आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत है।

- (iii) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अन्तर्गत, किसी करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो) को अथवा किसी विश्वविद्यालय, कालेज, या अन्य संस्था (वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग के लिए) को संदत्त राशि के 125% की भारित कटौती दाता के मामले में उसके व्यवसाय आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत है, बशर्ते दान लेने वाला वैज्ञानिक अनुसंधान संघ या विश्वविद्यालय या कालेज या अन्य संस्था दिशानिर्देशों के अनुसरण में, ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन अनुमोदित हो जिन्हें विहित किया जा सकता है तथा ऐसा संघ, विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के जरिए इस रूप में विनिर्दिष्ट हो।

- (iv) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अन्तर्गत, सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने हेतु किसी विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था को संदत्त राशि के 125% की कटौती दाता के मामले में उसकी व्यवसाय आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत है, बशर्ते दान लेने वाला विश्वविद्यालय या कालेज या अन्य संस्था दिशानिर्देशों के अनुसरण में, ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन अनुमोदित हो जिन्हें विहित किया जा सकता है तथा ऐसा संघ, विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के जरिए इस रूप में विनिर्दिष्ट हो।

- (v) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अन्तर्गत, कर निर्धारिती द्वारा निष्पादित व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत स्वरूप का कोई व्यय (जो भूमि अधिग्रहण पर किया गया व्यय न हो) उसकी व्यवसाय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत है।

- (vi) धारा 35 की उपधारा (2कक) के अन्तर्गत, ऐसे मामलों में किसी कर निर्धारिती द्वारा संदत्त राशि का 125% उसकी कारोबार आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमत है जहां राशि का भुगतान किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को एक विशिष्ट निर्देश के साथ किया जाए कि राशि का

उपयोग विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा।

(vii) धारा 80छछ के अन्तर्गत, किसी कर निर्धारिणी द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो), या किसी विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य संस्था को संदत्त कोई राशि (वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग के लिए) कर निर्धारिणी की आय की गणना में कटीती के रूप में अनुमत है, यदि उसकी सकल कुल आय में "कारोबार या व्यवसाय" का "लाभ एवं अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत आय शामिल न हो।

(viii) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 (2) के अन्तर्गत, विहित शर्तों के पूरा होने पर किसी वस्तु या सामान के विनिर्माण या उत्पादन के कारोबार के प्रयोजनार्थ (1-4-1987 को या इसके बाद) अधिष्ठापित किसी नई मशीनरी या संयंत्र के लिखित मूल्य के 40% के अधिक प्रतिशत पर मूल्यहास अनुमत है, यदि ऐसी वस्तु या सामान -

(क) का विनिर्माण या उत्पादन किसी प्रौद्योगिकी (किसी प्रक्रिया सहित) या अन्य विकसित जानकारी द्वारा किया जाए; अथवा

(ख) ऐसी वस्तु या सामान हो जिसका अन्वेषण

सरकार के स्वामित्व वाले या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी प्रयोगशाला में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में अथवा इस प्रयोजनार्थ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में हुआ हो।

(ix) आयकर अधिनियम की धारा 10(21) के अन्तर्गत, धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की किसी आय पर ऐसे संघ की आय के प्रयोग तथा निवेश के ढंग एवं माध्यम के संबंध में कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

(x) धारा 80-झझ (8क), के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास करने वाली कम्पनी के मामले में लाभ तथा अभिलाभ की शत-प्रतिशत कटीती अनुमत है। यह कटीती प्रारंभिक कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ

होकर लगातार दस कर निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए अनुमत्य है, यदि कम्पनी

(क) भारत में पंजीकृत है;

(ख) का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और विकास है;

(ग) 31 मार्च, 2000 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2007 के पूर्व किसी समय विहित प्राधिकरण द्वारा कुछ समय के लिए अनुमोदित हो;

(घ) यथा विहित ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो।

(xi) अनुसंधान करने वाली कम्पनियां भी उसमें सूचीबद्ध शर्तों के पूरा करने पर धारा 10 (23ग) तथा धारा 11 और 12 के अन्तर्गत अपनी आय के छूट का दावा कर सकती हैं, यदि उनके कार्य कलाप धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए हैं।

(xii) अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकृत अनुसंधान और विकास स्कंध वाले आयातकों/विनिर्माताओं के लिए भेषज तथा जैव-प्रौद्योगिकी के विनिर्दिष्ट अनुसंधान तथा विकास उपष्कर पर 5% की रियायती दर/शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क प्रदान किया है। 101 मदों पर मौलिक सीमा शुल्क से पूरी छूट उपलब्ध है और 24 मदों पर 5% सीमा शुल्क की रियायती दर की अनुमति दी गई है (दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क, सूची 27क और 28)।

इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट सहित 5% का रियायती सीमा शुल्क सभी अनुसंधान संस्थाओं जिनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विकास विभाग में पंजीकृत भेषज क्षेत्र की वे संस्थाएं भी शामिल हैं, द्वारा विनिर्दिष्ट उपष्कर, सामग्री, सहायक सामग्री, पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं, आदि प्ररूप आदि के आयात के लिए प्रदान किया गया हो बशर्ते वे विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों (दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. 51/96-सीमा शुल्क)। ऐसी अनुसंधान संस्थाओं को विनिर्दिष्ट सामान पर उत्पाद शुल्क से भी पूरी छूट दी गई है (दिनांक 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 10/97-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

(xiii) निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की गई सभी कराधेय सेवाओं के लिए 1-4-2007 से सेवा कर से छूट प्रदान की गई है:-

(क) प्रौद्योगिकी कारोबार इंक्यूबेटर/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क।

(ख) इंक्यूबेटी जो टी.वी.आई./एस.टी.ई.पी. परिसर में स्थित है तथा जिनका वार्षिक व्यावसायिक कारोबार किसी वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक न हो, के लिए 3 वर्ष।

मानव सहभागियों पर हाल ही में विकसित औषधियों के परीक्षण एवं विश्लेषण के संबंध में नैदानिक अनुसंधान संगठनों को 1-3-2007 से सेवा कर से छूट प्रदान कर दी गई है।

(ख) विभिन्न उद्योगों को अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए आयकर छूट के संबंध में दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अन्तर्गत भारत कटीती के फलस्वरूप छोड़ दिया गया राजस्व निम्नवत् तैयार किया गया है जैसा कि "प्राप्ति बजट" में निर्दिष्ट किया गया है:

वित्त वर्ष	छोड़ा गया राजस्व (रुपए करोड़ में)
2004-05	2318
2005-06	2839
2006-07	4107

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत अनुमत प्रोत्साहनों के संबंध में छोड़े गए राजस्व का आकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2007 के लिए बजटीय प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रोत्साहन संबंधी उपबंधों खासकर धारा 35(2कख) के अन्तर्गत कटीती के संबंध में जो 31-3-2007 तक किए गए व्यय के संबंध में ही उपलब्ध है, की समीक्षा की गई थी। वित्त विधेयक 2007 में प्रस्ताव है कि 31-3-2012 तक किए गए व्यय के संबंध में यह कटीती प्रदान की जाए।

लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) को ऋण

*275. श्री जी.एम. सिद्दीक्वर:

श्री राजनरायन बुधोलिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की लघु एवं मझीले उद्योगों को ऋण सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान लघु एवं मझीले उद्योगों को ऋण देने हेतु राज्य-वार, बैंक-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितनी ऋण राशि संवितरित की गई;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऋण लघु उद्योगों को ऋण मुहैया कराती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आज की तिथि के अनुसार ऐसे उद्योगों पर राज्य-वार कितनी ऋण राशि बकाया है; और

(छ) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. धिवम्बरम): (क) से (ग) लघु और मझीले उद्योगों (एस.एम.ई.) को ऋण की मात्रा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को संसद में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से एस.एम.ई. के निधीयन हेतु अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से एस.एम.ई. क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। एस.एम.ई. क्षेत्र को दिए गए ऋणों के संबंध में 31 मार्च, 2006 और 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में बकाया राशि की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआती अवस्था में ऋणता का पता लगाने और संभावित रूप से अर्थक्षम पाए गए ऋण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए उपचारी उपाय करने के लिए समय-समय पर बैंकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। लघु उद्योग एककों के पुनर्वास संबंधी समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संयोजन में प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) का गठन किया गया है। बैंकों से सभी पात्र छोटे और मझीले उद्यमों के ऋणों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ऋण लघु उद्योग एककों जिनका पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, को बैंक के साथ अपनी देयराशियों का एकबारगी निपटान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर देयराशियों की वसूली के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऋण लघु उद्योगों के संबंध में 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बहियों में बकाया राशि की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

एस.एम.ई. क्षेत्र में दिए गए ऋण के संबंध में 31-3-2006 और 31-12-2006 की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में बकाया राशि की बैंक-वार स्थिति

(रुपए करोड़ में)

बैंकों के नाम	बकाया राशि	
	31-03-2006 की स्थिति	31-12-2006 की स्थिति
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	2765.44	3207.06
आन्ध्रा बैंक	2439.00	2835.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	6854.00	8012.00
बैंक ऑफ इंडिया	15777.00	18221.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1533.20	1845.66
केनरा बैंक	11619.00	13300.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5408.00	6299.00
कार्पोरेशन बैंक	2608.88	3030.16
देना बैंक	2388.17	2958.63
इंडियन बैंक	4358.33	5150.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	4677.00	5239.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	4178.29	4811.99
पंजाब नेशनल बैंक	11689.00	13410.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	1564.11	1711.09
सिंडिकेट बैंक	3053.00	3721.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6540.00	7811.09
यूको बैंक	2887.00	4007.25
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1562.24	1920.00
विजया बैंक	1439.33	1627.47

1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	42236.00	45797.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2398.11	2890.59
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3611.24	4250.31
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1350.33	1537.45
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1036.85	1217.31
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1746.00	2146.00
स्टेट बैंक ऑफ सीराष्ट्र	1489.65	1794.50
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2431.46	3272.30
आई.डी.बी.आई. बैंक	939.29	1437.07
कुल	150579.92	173459.93

विवरण-II

रुग्ण लघु उद्योग एककों के संबंध में 31-03-2006 की
स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बहियों
में बकाया राशि की राज्य-वार स्थिति
(रुपए करोड़ में)

राज्य	बकाया राशि
1	2
हरियाणा	45.08
हिमाचल प्रदेश	11.19
जम्मू-कश्मीर	21.60
पंजाब	144.44
राजस्थान	69.68
चण्डीगढ़	9.25
छत्तीसगढ़	123.12

1	2
दिल्ली	321.39
असम	50.58
मणिपुर	2.23
मेघालय	2.75
नागालैण्ड	2.33
त्रिपुरा	2.84
अरुणाचल प्रदेश	0.05
मिजोरम	0.36
सिक्किम	0.88
बिहार	74.47
झारखण्ड	46.68
उड़ीसा	346.46
पश्चिम बंगाल	377.28

1	2
अंडमान एवं निकोबार	0.50
मध्य प्रदेश	175.47
उत्तर प्रदेश	416.80
उत्तरांचल	42.03
गुजरात	420.37
महाराष्ट्र	630.63
दमन एवं दीव	0.77
गोवा	8.06
दादरा एवं नगर हवेली	2.22
आन्ध्र प्रदेश	213.77
कर्नाटक	252.91
केरल	282.66
तमिलनाडु	875.30
पांडिचेरी	6.98
कुल	4981.13

भारत में विदेशी बैंक

*276. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत में चल रहे कुछ विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों का स्थल पर और स्थलेतर सर्वेक्षण के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाता

है और अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। प्रत्येक बैंक के प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का पालन करें।

विदेशी बैंकों सहित सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्डों का अनुपालन करते रहे हैं। जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में उल्लंघन के मामले आते हैं, चूककर्ता बैंक के विरुद्ध उसके द्वारा तत्काल उपचारी कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में 01 जनवरी, 2006 से अब तक आए ऐसे दो मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो विदेशी बैंकों, अर्थात् सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर संदिग्ध लेन-देनों की निगरानी से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों/निदेशों/अनुदेशों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47क के अधीन "अपने ग्राहक को जाने मानदण्ड" की अनुपालना के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए का दण्ड लगाया है।

छोटे निवेशकों हेतु सुरक्षा उपाय

*277. श्री ए. साई प्रताप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों की अनेक जोखिमों से सुरक्षा के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों को बेईमान व्यक्तियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की स्थापना करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया है जिसका प्राथमिक अधिदेश प्रतिभूतियों में लघु निवेशकों सहित निवेशकों के हितों का संरक्षण करना है। इसने सभी प्रकार के मध्यवर्तियों एवं प्रतिभागियों को पंजीकृत एवं विनियमित करने तथा साथ ही बाजार में सुरक्षित लेनदेनों के लिए मानक तथा प्रणालियां निर्धारित करने हेतु सेबी को शक्तियां प्रदान की हैं। इसके अनुसरण में, सेबी ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसने बाजार मध्यवर्तियों को पंजीकृत करने तथा उनके आचरण एवं क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए विनियम बनाए हैं। इसने भीतरी कारोबार, घोखेपूर्ण तथा अनुचित प्रक्रियाओं, शेरों के पर्याप्त

अर्जन तथा अधिग्रहण से जुड़े विनियम बनाए हैं ताकि किसी भी प्रकार की बाजार हेराफेरी को रोका जा सके। इसने प्रतिभूतियों में निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए लोकपाल के कार्यालय की स्थापना हेतु व्यवस्था करने के लिए विनियम भी बनाए हैं। यह एक निवेशक शिकायत निवारण प्रक्रम का प्रचालन करता है। यह प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघनकर्ता निकायों/व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित प्रवर्तन कार्य करता है।

प्राधिकारियों का प्रयास रहा है कि वह निवेशकों को समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराए तथा उन्हें प्रोत्साहित करे कि वे उस सूचना का प्रयोग जानकारीपूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए करें। सेबी तथा बाजार भागीदार निवेशकों को प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय किए जाने वाले आवश्यक एहतियात के बारे में तथा अपनी शिकायतों का निवारण प्राप्त करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। प्राधिकारी बाजार को सुरक्षित बनाने के लिए बाजार अभिकल्प, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपायों में स्क्रीन आधारित कारोबार प्रणाली, प्रतिभूतियों का अमीतिकीकरण, टी+2 चल निपटान, समाशोधन गृहों के माध्यम से निपटान, उच्च कारपोरेट अभिशासन मानदंड, उन्नत जोखिम प्रबंधन तंत्र, संगत सूचना का प्रकटन, इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

*278. श्री वी.के. तुम्बर:

श्री हरिकेशल प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी बैंक भारतीय बैंकों की तुलना में भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी और भारतीय बैंकों द्वारा अर्जित लाभ और हानि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) इस समय देश में 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

(ख) से (ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान विदेशी बैंकों ने 3,069 करोड़ रुपए के निवल लाभ की सूचना दी, जबकि इसके मुकाबले भारतीय बैंकों द्वारा इसी अवधि के दौरान 21,524 करोड़ रुपए के निवल लाभ की सूचना दी गई थी। तथापि, जहां विदेशी बैंकों ने मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आस्तियों पर 1.52% का प्रतिफल दर्ज किया, वहीं मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल क्रमशः 0.97% और 0.82% था। विदेशी बैंकों को ब्याज के अधिक विस्तार, कुल आय में से ब्याज रहित आय के अपेक्षाकृत अधिक हिस्से और कम परिचालन खर्च के कारण अधिक लाभ हुआ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए में)

	निवल लाभ		
	2003-04	2004-05	2005-06
सरकारी क्षेत्र के बैंक*	16,546	15,442	16,539
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	3,481	3,534	4,985
उप-जोड़	20,027	18,976	21,524
विदेशी बैंक	2,243	1,982	3,069

*आई.डी.बी.आई. लि. शामिल है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा***279. श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण:****श्री प्रशान्त प्रधान:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रगति का योजना-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संलग्न सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों का ब्योरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं:-

- (i) 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.)।
- (ii) गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 1988-89 में कुटीर ज्योति।
- (iii) वर्ष 2000-01 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.)।
- (iv) वर्ष 2003-04 में त्वरित ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (ए.आर.ई.पी.)।
- (v) 2004-05 में एक लाख गांव एवं एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण।

सरकार ने इन स्कीमों की समीक्षा की तथा यह पाया कि:-

- (क) राज्य इन स्कीमों को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, जिनके पास या तो 100% ऋण घटक था या विद्युत वितरण के केवल एक घटक को ऋण प्रदान कर रहे थे।
- (ख) राज्य ग्राम विद्युतीकरण कार्य को करने के अनिच्छुक थे क्योंकि इन स्कीमों के अधीन विद्युत की लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे थे तथा ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में अनुदान/सहायता बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

(ग) निम्नलिखित के लिए वृहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अपेक्षित था।

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं का विकास।
- ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाओं की व्यवहार्यता में सुधार लाना।
- गरीबी-रेखा से नीचे के सभी परिवारों को शामिल करना।
- ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा।

(vi) तदनुसार अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई जिसमें प्रथम बार के लिए 90% परियोजना लागत की पूंजी सब्सिडी तथा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.), से 10% रियायती ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ग) वर्ष 2004-05 में एक लाख गांवों एवं एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण शुरू किया गया था जिसमें 40% पूंजी सब्सिडी एवं 60% ऋण की व्यवस्था थी। शुरू में यह स्कीम 4 राज्यों में कार्यान्वित की गई थी। तथापि बाद में इस स्कीम को 2005-06 में शुरू की गई एक अधिक वृहत स्कीम आर.जी.जी.वी.वाई. में मिला दिया गया। वर्ष 2004-05 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों को 11 लाख कनेक्शन जारी किए गए। आर.जी.जी.वी.वाई. के अधीन गत 2 वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश को छोड़कर आर.जी.जी.वी.वाई. के अधीन पूर्ण कार्य टर्नकी आधार पर कार्यान्वित किया जाता है जबकि आंध्र प्रदेश में आंशिक रूप से टर्नकी आधार पर किया जाता है। 13 राज्यों ने परियोजना प्रबंधन निपुणता का लाभ उठाने एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) पावरग्रिड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) एवं दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) को अपने राज्यों के 139 जिलों में आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयनाधीन का कार्य सौंपकर उनकी सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने घरेलू प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को ठेके प्रदान किए हैं।

विवरण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन राज्य-वार ग्राम विद्युतीकरण
(अप्रैल, 2005 से 9-3-2007 तक)

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकरण ग्रामीण आवासों की संख्या	इनमें से गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
1.	उत्तर प्रदेश	21685	195699	195354
2.	बिहार	8169	11055	3211
3.	पश्चिम बंगाल	1854	29218	21416
4.	राजस्थान	848	3669	1623
5.	उत्तराखंड	771	19696	19696
6.	कर्नाटक	47	158851	119315
7.	गुजरात	0	9302	9302
8.	आन्ध्र प्रदेश	0	226654	226654
कुल		33374	654144	596571

[अनुवाद]

पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए विदेशी संस्थागत निवेश

*280. श्री एन. जर्नादन रेड्डी:

श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास शेयर बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी.एन. रुट) के जरिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में भाग लेने की अनुमति दी

गई है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इस भागीदारी के लिए एक नीति बनायी है और निवेश के इस मार्ग को किसी संभव दुरुपयोग से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों/विषयों को ध्यान में रखते हुए, इस नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। इस समय, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोटों (पी.एन. रुटों) के माध्यम से निवेशों पर रोक लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

गैस पाइपलाइनों को 'अवसंरचना दर्जा' प्रदान करना

2510. श्री बालेस्वर यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे तथा सड़क की तरह गैस पाइपलाइनों को 'अवसंरचना दर्जा' प्रदान करने के संबंध में, अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कन):

(क) जी, हां।

(ख) वित्त विधेयक, 2007 में सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें ऐसे नेटवर्क का अभिन्न भाग होने के नाते पाइपलाइन एवं भण्डारण सुविधाएं शामिल हैं, को बिछाने एवं प्रचालन के कारोबार में व्यस्त किसी उपक्रम को दस वर्षीय कर लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, बशर्तें कतिपय शर्तें पूरी की जाती हों।

[हिन्दी]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत नगर

2511. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 की जनगणना के अनुसार देश की शहरी आबादी 28 प्रतिशत थी जिसके 2030 तक बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नगरों को योजनाबद्ध तरीके से सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों का चयन जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) जी, हां। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 28.53 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यह आबादी देश की कुल आबादी का 27.8% है जो वर्ष 2021 तक बढ़कर कुल आबादी का 40% तक हो सकती है।

(ख) भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया गया है जिसके दो उप-मिशन अर्थात् शहरी अवस्थापना एवं शासन के लिए उप-मिशन और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें हेतु उप-मिशन हैं। मिशन का उद्देश्य शहरी अवस्थापना/सेवा प्रदायगी तंत्र में कार्यकुशलता, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी पर विशेष ध्यान देते हुए सुधारों तथा चयनित शहरों के तेज गति से नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है।

(ग) जी, हां। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व वाले कुछ शहरों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत चुना गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेगा नगर तथा सुविधाएं

2512. श्री काशीराम राणा:

श्री जीवामाई ए. पटेल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद, वडोदरा तथा सूरत नगरों को मेगा नगर घोषित करने तथा तदनुकूली सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (ग) सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत 3 दिसम्बर, 2005 को आवास, जलापूर्ति, सफाई, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन आंतरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों का विकास इत्यादि सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं (पुराने) शहरी क्षेत्रों का विकास इत्यादि सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर जोर देते हुए 63 चुनिंदा शहरों में शहरी अवसंरचना और सेवाओं समेकित विकास पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद को मेगा शहरों/शहरी समूहों की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, वडोदरा और सूरत मिलियन प्लस शहरी समूहों की श्रेणी में आते हैं।

'ग्लोबल वार्मिंग' के प्रभाव का अध्ययन

2513. श्री जय प्रकाश (मोहनलालगंज): क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भविष्य में 'ग्लोबल वार्मिंग' के संभावी प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अध्ययन के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेश में भारतीय श्रमिकों को
अनिवासी भारतीय का दर्जा

2514. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय समुद्री जहाजों पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों को विदेशी जहाजों पर कार्यरत भारतीय व्यक्ति की तरह बराबरी का दर्जा देने तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें अनिवासी दर्जा देने की नीवहन उद्योग की मांग ठुकरा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मामले पर पुनर्विचार करने तथा मामले को सुलझा लेने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) बजट प्रक्रिया 2007 के दौरान आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवासी दर्जा की पात्रता के संबंध में भारतीय जहाजों पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों को विदेशी जहाजों पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बराबर समझे जाने के संबंध में जहाजरानी उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 की शर्तों के अनुसार भारतीय जहाजों पर कार्यरत भारतीय श्रमिक, विदेशी जहाजों पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों की तुलना में पहले से ही लाभ की स्थिति में हैं क्योंकि वे भारत में लम्बे समय तक रह सकते हैं एवं साथ ही साथ अनिवासी दर्जे के लिए भी पात्र होते हैं। तदनुसार जहाजरानी उद्योग की मांग पर और अधिक विचार करना लाभप्रद नहीं पाया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेंशनभोगियों की आयकर वापसी के मामले

2515. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकलन वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए दिल्ली तथा हरियाणा में आयकर अधिकारियों के पास कितने पेंशनभोगियों के आयकर वापसी के मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक निर्धारितियों को प्रतिदायों की वापसी कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) आयकर विभाग द्वारा पेंशनरों के लंबित प्रतिदाय मामलों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जन शक्ति की कमी के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है। कुछ मामलों में संदत्त अथवा काटे गए कर के सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है जिसके फलस्वरूप सत्यापन समाप्त होने तक प्रतिदाय को जारी करने में विलम्ब हो जाता है।

(ग) सामान्यतया विवरणियों के दाखिल होने के चार माह के भीतर विवरणियों पर कार्रवाई की जाती है तथा प्रतिदाय जारी किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में प्राप्त विवरणियों पर कार्रवाई करने की सांविधिक समय-सीमा क्रमशः 31-03-2007 एवं 31-03-2008 है।

[हिन्दी]

ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण

2516. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी ऋण राशि प्रदान की गई;

(ख) इन बैंकों द्वारा कितनी वसूली की गई;

(ग) क्या बैंकों ने किसानों को ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण किसानों द्वारा बोई गई रबी तथा खरीफ की फसल की गारंटी के आधार पर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी धीरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) ' , और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पूछे गए अनुसार आंकड़े नहीं रखते।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ट्रैक्टर ऋण

जोत के आकार, मृदा की गुणवत्ता, खेत पर उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं तथा किसानों की उनकी प्रत्याशित वार्षिक आय के आधार पर आंकी गई धुकीती क्षमता को ध्यान में रखते हुए देते हैं। ट्रैक्टर ऋण के लिए प्रतिभूति, बैंक ऋण में से सृजित आस्तियां अर्थात् ट्रैक्टर, ट्राली, अन्य कृषि उपस्कर, आदि हैं। ये ऋण रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों द्वारा उगाई गई फसल पर प्रभार लगाकर नहीं दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण

2517. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण करने के लिए झारखण्ड में कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ मिलेगा;

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इस संबंध में यदि कोई सफलता प्राप्त हुई है तो उसका ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) से (घ) जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है और इसीलिए तालाबों का निर्माण एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत एक अनुमेय कार्य है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट परियोजना के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। कार्य की मांग और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के अनुसार आवश्यकता के मद्देनजर जिले को निधियां रिलीज की जाती हैं। शुरू किए जाने वाले कार्य अधिनियम और परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय स्तर पर तय किए जाते हैं।

(ङ) झारखण्ड राज्य से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-07 में जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण से संबंधित 5405 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 10986 कार्य चल रहे हैं।

बिना बाबा के जमा

2518. श्री रघुवीर सिंह कौराल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को विभिन्न बैंकों में जमा अदावाकृत राशियों का जनहित में उपयोग करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फिल्म मेकरों का पैनल बनाना

2519. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2006 में फिल्म मेकरों के पैनल बनाने के लिए विज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से उनके नाम सहित कितने आवेदकों का चयन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2006 में विभिन्न वर्गों की श्रव्य और दृश्य सामग्री तैयार करने के लिए निर्माताओं का एक पैनल तैयार करने की दृष्टि से विज्ञापन दिया था।

(ख) चयन की प्रक्रिया चल रही है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव

2520. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आन्ध्र प्रदेश में निवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के सम्मुख कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश का तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन कुमार बंसल): (क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान (फरवरी, 2007 तक) 35,844.26 करोड़ रुपए की कुल राशि के 185 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव मंजूर किए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के ब्योरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के समक्ष 09-03-2007 तक 45 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें से 2 प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं जिनके ब्योरे संलग्न विवरण-11 में दिए गए हैं।

विवरण-1

आन्ध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के ब्योरे

क्रम सं.	वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1.	2004-05	34	193.86
2.	2005-06	25	371.82
3.	2006-07 (फरवरी, 2007 तक)	9	502.49

विवरण-11

आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित उन प्रस्तावों के ब्योरे जो लंबित हैं

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या एवं तिथि	आवेदक का नाम	कंपनी के कार्यकलाप
1.	37/एफसी/2007 दिनांक 14-02-2007	मैसर्स जी.वी.के. पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सिकंदराबाद	विद्युत परियोजना के प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवसाय
2.	51/एफसी/2007 दिनांक 22-02-2007	मैसर्स जी.वी.के. पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सिकंदराबाद	विद्युत परियोजना के प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवसाय

तमिलनाडु के लिए विश्व बैंक सहायता

2521. श्री एस.के. चारवेनचन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक तमिलनाडु चेन्नई नगर के लिए सड़क कार्य तथा फ्लाई ओवरों के निर्माण के लिए कोई सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस कार्य का राज्य के अन्य भागों में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जहां तक सड़क और शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संबंध है, तमिलनाडु राज्य में, निम्नलिखित दो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) तीसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना

इस परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डालर के

ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ करार पर 14-9-2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को समाप्त करने की तारीख 31-3-2011 हैं। इस परियोजना के तहत 31-1-2007 तक संघयी वितरण 34.162 मिलियन अमेरिकी डालर है। परियोजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

- संस्थागत विकास
- शहरी निवेश

शहरी निवेश घटक में यातायात और परिवहन उप परियोजनाओं के लिए चैनई महानगर विकास प्राधिकरण हेतु वित्तपोषण शामिल है।

(II) तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना

इस परियोजना के लिए 348 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ करार पर 28-8-2003 को हस्ताक्षर दिए गए थे। परियोजना को समाप्त करने की तारीख 31-3-2009 हैं। इस परियोजना के तहत 31-1-2007 तक संघयी वितरण 97.4 मिलियन अमेरिकी डालर है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार लाना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

- 750 कि.मी. राज्य राजमार्ग हेतु सड़क उन्नयन घटक।

- 2000 कि.मी. राज्य सड़कों के लिए सड़क अनुरक्षण और सुरक्षा कार्य घटक।
- संस्थागत सुदृढीकरण और नीति विकास।

ओसीनोग्राफी की संस्थाएं

2522. श्री रनेन बर्मन: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार ओसीनोग्राफी पर कार्यरत संस्थाओं/महाविद्यालयों का ब्योरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल की समुद्रतटीय सीमा की लंबाई कितनी है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) इस समय देश में कार्यरत ऐसी अनेक संस्थाएं/कॉलेज हैं जिन्हें समुद्र विज्ञानी अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों में कार्यरत ऐसी संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है; यह सूची ब्योरेवार हैं परन्तु संपूर्ण नहीं है:

संस्था/विश्वविद्यालय/संगठन	राज्य
समुद्र और समुद्री जीव विज्ञान केन्द्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पोर्टब्लेयर राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्टब्लेयर	अण्डमान और निकोबार
आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम,	आंध्र प्रदेश
राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद #	
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, विशाखापटनम, भारतीय-भू-विज्ञान सर्वेक्षण, विशाखापटनम	अरुणाचल प्रदेश
	असम
	बिहार

संस्था/विश्वविद्यालय/संगठन	राज्य
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
	छत्तीसगढ़
	दादरा तथा नगर हवेली
	दमन और दीव
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	
भारत मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली #	
भूकंप जोखिम और मूल्यांकन केन्द्र, दिल्ली #	
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	गोवा
राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा #	
दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत महाराजा शिवाजी राव विश्वविद्यालय,	गुजरात
बडोदरा, गुजरात मरुस्थल पारितंत्र संस्थान, भुज, केन्द्रीय नमक और समुद्री	
रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	
	हरियाणा
	हिमाचल प्रदेश
	जम्मू और कश्मीर
	झारखंड
कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़, मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	कर्नाटक
केन्द्रीय समुद्र मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, मंगलौर	
कर्नाटक पशु चिकित्सालय, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मंगलौर	
एस.डी.एम., कालेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, धारवाड़	
भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण, मंगलौर	

(ख) पश्चिमी बंगाल की तटरेखा 157.5 लाइन किमी. लंबी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विधान चन्द्र कृषि

विद्यापीठ, मोहनपुर, कोलकाता; बोस संस्थान, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता; केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता तथा समुद्री अन्वेषण संस्थान, कोलकाता जैसे संस्थानों को पहले से सहायता प्रदान की जा रही है। एक

समर्पित समुद्र एवं वायुमंडलीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सैल वर्ष 1997 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर में काम कर रहा है।

मंत्रालय ने XIवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), चेन्नै का एक विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

जिला प्रयोगशालाओं को स्थापित करना

2523. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार से नेशनल एक्स्टेंडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन.ए.बी.एल.) से मान्यताप्राप्त दस जिला प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर के लिए मेगा नगर परियोजना

2524. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस प्रकार सरकार आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बंगलौर के लिए मेगा परियोजना हेतु धनराशि जारी करने की प्रतिबद्धता पूरी करेगी;

(ख) क्या सरकार का विचार मेगा नगरों को धनराशि जारी करने में हुए विलंब के कारण अतिरिक्त बढ़ी हुई लागत का वहन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान बंगलौर के लिए मेगा सिटी परियोजना हेतु धनराशि जारी करने की प्रतिबद्धतायें पूर्णरूपेण सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक हड़ताल

2525. श्री के.सी. पल्लानी शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न बैंक यूनियनों ने जल्द ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित हड़ताल के प्रभाव का आकलन किया है तथा इससे जनसामान्य को कितनी परेशानी होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उन्हें बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच से उनकी मांगों - (i) पेंशन के लिए दूसरा विकल्प, (ii) अनुकम्पा योजना बहाल करने, और (iii) बैंकिंग सेवाओं की आऊटसोर्सिंग रोकने के समर्थन में 28 मार्च, 2007 से 30 मार्च, 2007 तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर तथा 3 मई, 2007 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के उनके इरादे के संबंध में नोटिस मिला है।

(ग) जी, नहीं। हड़ताल के कारण होने वाली असुविधा, घाटा तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लेन-देन में क्षरण का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) कर्मचारियों से समझौता वार्ता करने के लिए बैंकों और भारतीय बैंक संघ स्तर के एक समझौते मंच के अलावा, सरकार में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) भी एक सांविधिक निकाय है।

[हिन्दी]

चंबल नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित करना

2526. श्री अशोक अर्गल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी पर एक पनबिजली परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पर कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार सिंघे): (क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में चंबल नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वितीय सहायता के मानदंड

2527. श्री कैलाश बैठा: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार/नगर निगम ने केन्द्र सरकार/हुडको को गृह निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) मुजफ्फरपुर जिले से कांती कस्बे के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3.20 करोड़ रु. की लागत की एक परियोजना है।

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय स्वीकृति समिति द्वारा 2.56 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश मंजूर किया गया है।

[अनुवाद]

ग्राम सभा की भूमि का कब्जा

2528. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री कब्जे के वारंट का निष्पादन और ग्राम सभा के अंतर्गत कृषि भूमि के बारे में 1-3-2005, 10-05-2005 तथा 24-8-2005 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3828, 177 तथा 6594 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा लेने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक जानकारी एकत्र कर ली जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) से प्राप्त सूचना के संबंध में और स्पष्टीकरण/ब्योरे मांगे गए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी प्रबंधन केंद्र

2529. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव-प्रौद्योगिकी प्रबंधन केंद्र तथा जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थानों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जैवप्रौद्योगिकी विभाग का "जैवप्रौद्योगिकी प्रबंधन केंद्र और जैवप्रौद्योगिकी उद्योग" को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी, विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजनाओं में निम्नलिखित संस्थापित करने के प्रस्तावों को प्रस्तावित किया है:-

(i) **जैवप्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन केंद्र की संस्थापना** जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीटी) और देश में विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाए जाने के लिए एक प्रमुख अभिकरण स्वरूप कार्य करेगा। इसकी गतिविधियों में प्रक्रमण और प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन किया जाना; आई.पी.आर. सुविधाकरण और रक्षण; प्रौद्योगिकी का विपणन; प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में क्षमता निर्माण कार्यक्रम; भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठनों की स्थानान्तरीय (नयाधार) प्रवर्तनीय क्षमता तथा देश में आगामी भावी प्रौद्योगिकीय और आर्थिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिक अनुसंधान में शामिल विश्वविद्यालयों को शामिल करना होगा।

(ii) **जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं विकास सहायता परिषद् (बी.आई.आर.ए.सी.)** जो लघु एवं मझोले उद्यमों (एस.एम.ई.एस.) की नई चुनौतियों को पूरा करने की सहायता में सहायक सिद्ध होगा जिन नई चुनौतियों का सामना विकासशील

प्रौद्योगिकियों की मान्यता प्रदान करने तथा विनिर्माण प्रक्रमणों और सेवाओं में करना होता है। बी.आई.आर.ए.ए.सी. लघु एवं मझौले उद्यमों (एस.एम.ई.एस.) की पहुँच प्रमुख संसाधनों, नई प्रौद्योगिकी, परीक्षणों और विधिमान्य सुविधाओं तथा उचित समय पर वित्तीय सहायता में विशेष रूप से अभिकल्पित सहायता प्रदान करने के लिए सेवाओं की श्रेणी प्रस्तावित करेगा।

उपरोक्त दोनों गतिविधियों को 11वीं योजना के प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने पर निर्भर करते हुए वर्ष 2007-2012 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

व्यय में मितव्ययिता

2530. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने हाल में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को व्यय में मितव्ययिता के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई मंत्रालयों/विभागों ने परिपत्र के पैरा 1 के मद छ पर कोई कार्रवाई नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में मितव्ययिता उपायों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) जी, हां। वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय में अधिकतम मितव्ययिता अपनाने की आवश्यकता पर समय-समय पर बल देता रहा है। सरकार का यह अनवरत प्रयास रहा है कि लिए गए ऋणों को चुकाने (डेफ्ट सविसिंग); बाह्य और आंतरिक सुरक्षा; जरूरतमंद क्षेत्रों को सब्सिडी, वेतन एवं पेंशन आदि संबंधी अपरिहार्य वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करते समय गैर-विकासात्मक व्यय को काबू में रखा जाए। इसे विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया गया है। विभिन्न मामलों में छूट के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर प्रत्येक मामले पर गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर विचार किया जाता है। "पैरा 1 की मद जी" का संदर्भ स्पष्ट नहीं है।

सिक्कों को गलाया जाना

2531. श्रीमती मनोरमा माधवराज:

श्री किसनभाई बी. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिक्कों को गलाए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी प्रवृत्ति के लिए कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे सिक्कों को प्रतिस्थापित करने का है जिनका धातु मूल्य उनके करेंसी मूल्य से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) सरकार का विचार देश में ऐसे सिक्कों को कब तक प्रतिस्थापित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सिक्कों को गलाने की कुछ घटना, समाचार पत्रों में प्रतिवेदित की गई हैं और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ध्यान में आई हैं। सिक्कों को गलाने का कारण, गत दो वर्षों के दौरान धातु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होना है।

(घ) जी, हां। 2 रुपए और 5 रुपए के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी करके 2 रुपए और 5 रुपए के क्यूपरो निकल के सिक्के हटाए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) 2 रुपए और 5 रुपए क्यूपरो निकल के सिक्के जिनकी लागत अंकित मूल्य से बढ़ गई है, का आगे उत्पादन वर्ष 2006-07 के दौरान रोक दिया गया है। 2 रुपए और 5 रुपए के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी करके उनको हटाया जा रहा है। 2 रुपए का-फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का पहले से ही परिचालन में है। 5 रुपए का-फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का वर्ष 2007-08 के दौरान परिचालन में आ जाने की आशा है।

आई.पी.ओ. के लिए ग्रेडिंग प्रणाली

2532. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आई.पी.ओ.) के लिए ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने की योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई मूल्यांकन संस्था गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को कब तक लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा वैकल्पिक आधार पर आई.पी.ओ. के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली पुरःस्थापित की गई है।

(ख) जी, नहीं। ग्रेडिंग सेबी (क्रेडिट दर-निर्धारण एजेंसियां) विनियमन, 1999 के अधीन सेबी में पंजीकृत क्रेडिट दर-निर्धारण एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

(ग) और (घ) जहां निर्गमकर्ता कंपनी ने आई.पी.ओ. ग्रेडिंग का विकल्प चुना है वहां आई.पी.ओ. ग्रेडों के प्रकटन की व्यवस्था करने के लिए 24 अप्रैल, 2006 को सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों में आशोधन किया गया था।

प्राकृतिक गैस के लिए भुगतान

2533. श्री आनंदराव बिठोबा अडसूल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एन.टी.पी.सी.) ने अपने विद्युत संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज "बे ऑफ बंगाल गैस फील्ड" के लिए अधिक राशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) एन.टी.पी.सी. ने कवास और गांधार में अपने विद्युत संयंत्र के विस्तार के लिए एल.एन.जी./प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित की है। इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) को न्यूनतम स्वीकार्य बोलीदाता के रूप में पाया गया है।

एन.टी.पी.सी. ने कवास और गांधार में अपने विद्युत संयंत्र विस्तार हेतु गैस की आपूर्ति हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) को एक आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया था, जिसे उन्होंने विधिवत स्वीकार कर लिया था। तथापि, आर.आई.एल. ने अभी तक गैस विक्रय एवं क्रय करार हस्ताक्षरित नहीं किया है। मामला निर्णयाधीन है और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ख़ोत पर कर कटौती

2534. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन नियोजकों पर कोई शास्ति विनिर्दिष्ट की गई है जो अपने कर्मचारियों के वेतन से ख़ोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) एकत्र करने में असफल रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के नोटिस में यह आया है कि कुछ नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से टी.डी.एस. एकत्र तथा जमा नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 221 के साथ पठित आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 201 के अंतर्गत नियोजक द्वारा काटे न गए कर के बराबर राशि का अर्धदंड प्रभाय है। इसके अलावा, कर की राशि जिसकी कटौती नियोजक नहीं कर सका, के बराबर अर्धदंड अधिनियम की धारा 271 ग के प्रावधानों के अंतर्गत भी प्रभाय है।

(ग) उपर्युक्त बैंग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भित प्रश्न नहीं उत्तर।

(घ) और (ड) स्रोत पर कर की कटौती न कर पाने अथवा काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा न कराने संबंधी मामलों का क्षेत्रीय यूनिटों के स्तर पर पता लगाया जाता है और उनकी जांच की जाती है। ऐसे मामलों का ब्योरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है तथा पूरे देश में फैली क्षेत्र यूनिटों से इन्हें प्राप्त करने में काफी समय एवं प्रयास की जरूरत होगी जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सकता।

(च) आयकर विभाग स्रोत पर कर कटौती संबंधी प्रश्नों के ज़ारे में नियोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है तथा उपर्युक्त मामलों में ब्याज एवं अर्थदंड भी लग रहा है ताकि कानून के प्रबंधनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

ऋण संस्थाओं के बकाए

2535. श्री अमिताभ नन्दी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी ऋण संस्थाओं यथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों के मध्य भारी बकाया राशियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले चार वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अतिदेय अर्थात् सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) निम्नलिखित हैं:-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(करोड़ रुपए में)

समाप्त अवधि	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियां (%)
मार्च, 2003	3199.75	14.44

1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सकल अनुपयोज्य आस्तियां	3
मार्च, 2004	3298.65	12.83
मार्च, 2005	2804.35	8.53
मार्च, 2006	2890.47	7.28

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

समाप्त अवधि	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियां (%)
मार्च, 2003	68717	8.8
मार्च, 2004	64785	7.2
मार्च, 2005	59373	5.2
मार्च, 2006	51815	3.3

(ग) (i) यह प्रस्ताव है कि वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर भी लागू किया जाए।

(ii) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय बैंकों) से कहा गया है कि उन ऋणों के लिए एकबारगी निपटान की सरलीकृत व्यवस्था का प्रावधान करें, जिनमें मूल राशि 25000 रुपए या उससे कम हो और जो दिनांक 30-9-2005 की तिथि के अनुसार अक्षिप्त बकाए वाली आस्तियां बन गए हों।

(iii) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सहज दिए गए ऋणों के मामले में बैंक राज्य स्तरीय बैंक समिति (एस.एस.बी.सी.) द्वारा विकसित किए जाने वाले राज्य विशेष के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए पृथक् मार्गनिर्देश बना सकते हैं।

असम विधानमंडल के द्वितीय सदन का सृजन

2536. श्री अनवर हुसैन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने विभिन्न जातीय समूहों की पहचान के संरक्षण के लिए असम में विधानमंडल के द्वितीय सदन के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका सृजन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) असम राज्य ने, तारीख 29 नवंबर, 2005 को असम की विधान सभा में पारित संकल्प द्वारा अपने विधान मंडल में विधायी परिषद् के सृजन के लिए प्रस्ताव किया है। असम सरकार से 27 अक्टूबर, 2006 को यह अनुरोध किया गया था कि वह इस विषय में अपने विचार और ऐसे स्थानीय निकायों की विशिष्टियां प्रस्तुत करे जो प्रस्तावित विधायी परिषद् के घटक होंगे। केंद्रीय सरकार को अभी तक असम सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, इस संबंध में कोई समय-सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं है।

अवयस्कों के खाते को रखना

2537. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड ने निक्षेपागार भागीदारों को अवयस्कों के खाते मात्र एकल नाम से रखने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड ने सूचित किया है कि इसने अपने निक्षेपागार भागीदारों को अवयस्क खाता किसी एक जन्मत: अभिभावक या किसी न्यायालय नियुक्त अभिभावक के संरक्षण में खोलने की सलाह दी है। इसने निक्षेपागार भागीदारों को सलाह दी है कि वे अवयस्कों की ओर से संयुक्त खाते (संयुक्त धारक के रूप में कोई तीसरा व्यक्ति संरक्षक के रूप में) न खोलें। इसने ऐसा संरक्षण एवं प्रतिपाद्य अधिनियम में यथानिर्धारित संरक्षण एवं अवयस्क के बीच न्यासीय संबंध, तथा

अन्यथा खोलते जाने पर खाता प्रचालित करने में संबद्ध कठिनाईयों के मद्देनजर किया है।

सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में विनिवेश

2538. प्रो. एम. रामदास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में विनिवेश की योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों के विलय की बैकल्पिक योजना पर भी विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) बीमा कंपनियों में विनिवेश कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष

2539. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने उड़ीसा विकास परियोजना के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य में ऐसी परियोजनाओं से अभी तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इस सहायता की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। "उड़ीसा जन-जातीय अधिकारिता और जीवन-

यापन कार्यक्रम", पर अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ 20 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए, 18 दिसम्बर, 2002 को हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम निर्धन लोगों की क्षमता निर्माण और उनके संस्थानों पर केन्द्रित है ताकि कमजोर वर्ग अपना विकास करने हेतु योजना बना सके तथा व्यवस्था कर सके और बेहतर हकदारी के लिए वार्ता कर सके। कार्यक्रम के पूरा होने पर लगभग 75,000 परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है।

(घ) आई.एफ.ए.डी. ऋण की वापस अदायगी 40 वर्षों की अवधि में की जानी है जिसमें 10 वर्षों की रियायत अवधि शामिल है। बकाया ऋण पर 0.75% प्रतिवर्ष सेवा प्रभार लगाया जाता है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट

2540. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में "भारत की जल आपूर्ति एवं स्वच्छता" के संबंध में कोई प्रारूप रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) विश्व बैंक ने "भारत-जल आपूर्ति और स्वच्छता - आधारभूत सुविधा और सेवा के अंतर को दूर करना" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

(ख) की गई सिफारिशें विश्वसनीयता को बेहतर बनाने, वित्तीय और पर्यावरणीय स्थायित्व हासिल करने, जल और स्वच्छता सेवा प्राप्त करने में समर्थ बनाने और प्रमुख स्टेकहोल्डरों में क्षमता निर्माण विकास करने से संबंधित हैं।

(ग) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को

वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण के घटकों में से एक है जिसमें सभी बसावटों में स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। सेवाओं की पहुंच और सुपूर्दगी को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के लिए क्षेत्रगत आबंटनों को बढ़ाया गया है।

आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों

2541. श्री राम कृपाल यादव:

श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 में ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए एक पृथक विंडो खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो 2006-07 के दौरान इसके अंतर्गत आबंटित एवं उपयोग की गई राशि तथा ग्रामीण सड़कों के संबंध में हासिल उपलब्धियों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2007-2008 के लिए आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए आबंटित धनराशि तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रस्तावित उपलब्धियों का राज्यवार ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत नाबार्ड ने 4000 करोड़ रु. मंजूर किए हैं। तथापि, इस मंजूरी आदेश के तहत धनराशि अभी निकाली जा सकती है जब 18-12-2006 को लोकसभा में पेश किया गया केन्द्रीय सड़क कोष (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित हो जाए और उसे प्रभावी बना दिया जाए।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान, भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 4500 करोड़ रु. उपलब्ध होंगे। वर्ष 2007-08 के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए भारत निर्माण लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	नया संपर्क		सड़क उन्नयन कार्य लंबाई (कि.मी.)
		बनाई जाने वाली सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	बसावटें (संख्या में) जिन्हें जोड़ा जाता है	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	2258.652
2.	अरुणाचल प्रदेश	646.875	67	0
3.	असम	3889.845	2701	2269.808
4.	बिहार	6121.425	3214	3510.638
5.	छत्तीसगढ़	6450.644	2007	3240.418
6.	गोवा	0	0	190.114
7.	गुजरात	438.675	251	1557.971
8.	हरियाणा	0	0	1146.789
9.	हिमाचल प्रदेश	638.542	166	1694.268
10.	जम्मू-कश्मीर	1781.869	593	920.91
11.	झारखण्ड	1812.298	901	2123.494
12.	कर्नाटक	0	0	2573.529
13.	केरल	0	0	524.109
14.	मध्य प्रदेश	8326.848	2399	6614.379
15.	महाराष्ट्र	0	0	4334.365
16.	मणिपुर	464.286	48	0
17.	मेघालय	140.091	31	587.583
18.	मिजोरम	277.884	39	257.998
19.	नागालैण्ड	109.507	10	246.914
20.	उड़ीसा	2524.021	1087	4663.144

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	0	0	1483.051
22.	राजस्थान	3554.217	1225	4653.74
23.	सिक्किम	108.043	31	137.795
24.	तमिलनाडु	0	0	2824.427
25.	त्रिपुरा	354.701	248	383.838
26.	उत्तर प्रदेश	2059.213	1323	6956.031
27.	उत्तरांचल	1025.641	257	1283.354
28.	पश्चिम बंगाल	3265.307	3473	2878.965
कुल		43989.932	20071	59316.284

[हिन्दी]

स्वजलधारा के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग

2542. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जारी स्वजलधारा के लिए एमपीलैड्स निधि से राशि व्यय करने की अनुमति प्रदान की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके और

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) जी, नहीं।

(ख) स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों और स्वजलधारा योजना के दिशानिर्देशों में किसी भी केन्द्रीय/राज्य योजना के लिए सामुदायिक अंशदान के रूप में एमपीलैड्स निधियों के उपयोग का निषेध है।

[अनुवाद]

पंजाब का ऋण बोझ

2543. श्री सुखदेव सिंह ठीठसा:

डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार पंजाब द्वारा ब्याज सहित कितना ऋण केन्द्र सरकार को देय है; और

(ख) 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत कुल कितने ऋण की अदला-बदली की गई है तथा कितनी राहत दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रबुध कुमार बंसल): (क) 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार पंजाब सरकार पर वित्त मंत्रालय का बकाया ऋण 9381 करोड़ रुपये है जिसमें आतंकवाद के दौरान आस्थगित विशेष आवधिक ऋणों के रूप में 3772 करोड़ रुपये तथा उस पर ब्याज के रूप में 2339 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पंजाब को दी गई राहत निम्नवत है:-

	(करोड़ रुपये में)
(i) मूल राशि की कम पुनर्दायगी	351.48
(ii) ब्याज राहत	523.18
कुल	874.66

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य को 766.95 करोड़ रुपये की ऋण मापी का लाभ भी मिल सकता है, बशर्ते कि यह (राज्य) 2008-09 तक राजस्व घाटे को शून्य तथा राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुपात को

3 प्रतिशत तक नीचे लै आए। इसके अलावा, भारत सरकार ने पंजाब सरकार के आतंकवाद के समय के दौरान आतंकवादियों का सामने करने के लिए 3772 करोड़ रुपए के विशेष आयधिक आणो तथा उस पर संचित ब्याज को माफ करने की स्वीकृति भी दे दी है।

दिल्ली मेट्रो रेल के तकनीकी स्टॉफ

2544. श्री जुएल ओराम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) के तकनीकी स्टॉफ अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या दिल्ली में मेट्रो रेल के प्रचालन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय साकुर):

(क) जी, नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि तकनीकी श्रेणियों में नौकरी छोड़ने की दर सामान्य है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

टी.बी. चैनलों को अभियुक्त द्वारा

दिए गए साक्षात्कार

2545. श्री मिलिंद देवरा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि टी.बी. चैनलों को अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्षात्कार को विचारण न्यायालय साक्ष्य मान सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इससे किस प्रकार निपटा जाएगा यदि अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त अपने बयान को बदलता है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) साजिद बेग आसिफ बेग मिर्जा बनाम गुजरात राज्य, विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) 130/2007 में उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 22 जनवरी, 2007 के आदेश में यह संप्रेक्षण किया कि अभियुक्त द्वारा मीडिया के व्यक्तियों के समक्ष दिए गए किसी बयान, यदि

कोई हो, की संगतता और ग्राह्यता के संबंध में विचारण के उचित प्रक्रम पर विचार किया जाएगा।

(ख) यदि विषय समीक्षाधीन है।

"वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम" के अंतर्गत

वित्तीय सहायता

2546. डॉ. वल्लभभाई कयोरिया:

श्रीमती जयाबहन बी. ठाकरा:

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडगुल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार ने "वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम" के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। गुजरात सरकार ने गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड (जी.आई.डी.बी.)/अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (ए.यू.डी.ए.), के माध्यम से अर्थ क्षमता संबंधी अंतर वित्तपोषण "वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम" के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुदान के लिए अनुदान किया था।

(ख) निम्नलिखित की चार लेन का बनाने के लिए गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे: (i) हस्तोल-गोधरा शामला जी रोड (ii) राजकोट-जामनगर-वाडीनार रोड (iii) अहमदाबाद वीरमगाम-मालिया रोड और केमबे की खाड़ी में रो-रो फेरी सेवा का विकास। अहमदाबाद शहर के चारों ओर सरदार पटेल रिंग रोड को चार लेन का बनाने के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) सभी पांच प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त संस्थान द्वारा विचार किया गया था और निम्नलिखित परियोजनाओं को चार लेन का बनाने के लिए "सैद्धांतिक रूप में" अनुमोदन दे दिया गया था: (i) हस्तोल-गोधरा शामलाजी रोड (ii) राजकोट-जामनगर-वाडीनार रोड और (iii) अहमदाबाद-वीरमगाम-मालिया रोड केमबे की खाड़ी में रो-रो फेरी सेवा और अहमदाबाद शहर के चारों ओर सरदार पटेल रिंग रोड को चार लेन का बनाने की परियोजनाओं को इस स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

2547. श्री रामदास आठवले:

श्री अजीत जोगी:

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों/सहायता राशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी सहायता के उपयोग और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु कोई संत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से स्वीकृत परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (घ) किसी परियोजना के लिए स्वीकृत विदेशी सहायता का उपयोग करना, एक सतत् प्रक्रिया है जो इसकी कार्यान्वयन अवधि तक फैली होती है। परिणामस्वरूप किसी भी समय कुछ अप्रयुक्त राशि रह जाएगी। इन राशियों का परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ उपयोग किया जाएगा। सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं: विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के बजटों में व्यापक प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता के प्रवाह का अमध्यस्थीकरण, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना मानीटरिंग यूनिटों का सुदृढीकरण, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति और परियोजनाओं आदि की नियमित रूप से समीक्षा।

विवरण

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

विकास भागीदार	परियोजना	करार की तारीख	शामिल कुल ऋण राशि	संचयी संवितरण (31 जनवरी, 2007 तक)
1	2	3	4	5
विश्व बैंक	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	30-09-2003	181.0	102.981
विश्व बैंक	उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	16-10-2006	120.0	0.00
विश्व बैंक	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	26-02-2007	154.0	0.00
विश्व बैंक	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	18-02-2005	39.50	18.980

1	2	3	4	5
विश्व बैंक	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	02-05-2006	216	10.540
विश्व बैंक	तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	14-09-2005	300	34.162
एशियाई विकास बैंक	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति और पर्यावरणीय सुधार	9-3-2005	181.00	2.860
एशियाई विकास बैंक	जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना की पुनस्थापना के लिए बहु-क्षेत्र परियोजना	17-3-2005	250.00	9.480
एशियाई विकास बैंक	सुनामी आपातक सहायता (क्षेत्र) परियोजना	12-5-2005	200	22.23
एशियाई विकास बैंक	केरल चिरस्थायी शहरी विकास परियोजना	8-12-2006	221.2	0.00

विमान कम्पनियों के पास बकाया कर/शुल्क

2548. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रत्येक विमान कंपनी से वसूले गए शुल्कों/करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विमान कम्पनियों के पास कतिपय शुल्क/कर बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक के पास बकाया धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन शुल्कों/करों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र संबंधी अधिकार प्राप्त समिति

2549. श्री हरिभाऊ राठीक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श के लिए एक मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का प्रस्ताव है।

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत रोजगार

2550. श्री पी. करुणाकरन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना की शुरुआत के समय से इसके अंतर्गत रोजगार प्राप्त अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की राज्यवार और लिंगवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त समूहों के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न्यूनतम मजदूरी के रूप में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के संबंध में ग्रामीण, आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित आंकड़ों की मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं द्वारा उपयोग किए गए श्रमदिवसों की संख्या संबंधी ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मजदूरी का भुगतान

किया जाता है। मंत्रालय द्वारा व्यक्ति-वार मजदूरी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार श्रव्य-दृश्य और मुद्रित सामग्री आधारित प्रचार अभियानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्यों को ग्राम सभाओं का विशेष आयोजन करने की सलाह दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के बीच एन.आर.ई.जी.ए. के बारे में जागरूकता में तेजी आ रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	लाख श्रमदिवसों में सृजित रोजगार (वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग मास तक संघीय)				
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	महिलाओं द्वारा किए कार्य के दिवस
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	154.78	63.2	285.34	503.32	264.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	4.53	0	4.53	1.36
3.	असम	32.1	199.48	170.22	401.8	116.17
4.	बिहार	138.86	4.61	153.76	297.24	50.54
5.	छत्तीसगढ़	47.92	233.19	186.79	467.9	172.81
6.	गुजरात	5.02	39.63	23.23	67.89	35.33
7.	हरियाणा	10.45	0	6.9	17.35	4.91
8.	हिमाचल प्रदेश	5.17	4.14	8.03	17.34	1.76
9.	जम्मू-कश्मीर	0.63	1.59	7.42	9.65	0.01
10.	झारखण्ड	74.17	124.32	109.65	308.14	106.83
11.	कर्नाटक	54.28	34.23	74.9	163.41	84.28
12.	केरल	1.03	0.79	5.58	7.41	3.92
13.	मध्य प्रदेश	266.66	769.92	554.15	1590.73	688.04

1	2	3	4	5	6	7
14. महाराष्ट्र	102.54	72.88	229.09	137.79		
15. मणिपुर	0	8.26	0	8.26	3.31	
16. मेघालय	0	1.62	0	1.62	असुचित	
17. मिजोरम	0	2.37	0	2.37	0.78	
18. नागालैण्ड	0	11.82	0	11.82	3.54	
19. उड़ीसा	122.51	248.03	136.1	506.64	186.58	
20. गुजरात	8.15	0	2.93	11.08	3.82	
21. राजस्थान	121.84	522.39	161.98	806.21	516.87	
22. सिक्किम	0.02	1.96	0.03	2.01	0.36	
23. तमिलनाडु	66.41	2.4	60.32	129.13	62.26	
24. त्रिपुरा	7.76	27.81	10.01	45.58	34.34	
25. उत्तर प्रदेश	351.21	20.37	246.06	617.64	98.67	
26. उत्तरांचल	16.55	0.39	19.52	26.46	7.47	
27. पश्चिम बंगाल	86.86	38.1	156.02	280.98	45.04	
कुल	1616.07	2467.69	2451.82	6535.6	2610.74	

महाराष्ट्र के लिए कुल राशि 1616.07, गुजरात के लिए 2467.69, उत्तर प्रदेश के लिए 2451.82, उत्तरांचल के लिए 6535.6, पश्चिम बंगाल के लिए 2610.74।

“टिप्पणी: 2 जनवरी, तक राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया विवरण।”

यह राशि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राशि है।

यदि हम यह देखें कि केरल में जल संकट का स्तर कितना है, तो हमें यह पता चलता है कि कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है।

अंतर्गत परियोजनाएं

2551. श्री पन्नियन रविन्द्रन: क्या शहरी विकास मंत्रालय में

बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार को स्वयंसेवक शहरी नदीकरण

मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत अब तक 8 परियोजनाएं

प्रस्तुत की हैं। इनमें से दो परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय

संस्वीकृति और निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) द्वारा 28929

लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें स्वीकार्य केन्द्रीय अंश

14464.58 लाख रुपये है। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न

विवरण में दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन

परियोजनाओं की लागत कितनी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को इस परियोजना

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1.	केरल	कोचीन	जल आपूर्ति	कोच्चि भाग-1 के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	28100.00
2.	केरल	कोचीन	ठोस कचरा प्रबंधन	कोच्चि के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	16800.00
3.	केरल	कोचीन	जल निकास/वर्षा जल नालियां	कोच्चि के मध्य क्षेत्र की सतही जल निकास प्रणाली का उन्नयन	1145.00
4.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति का सुधार	8955.00
5.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	सीवरेज	तिरुवनन्तपुरम नगर निगम के लिए सीवरेज स्कीमों का सुधार	43500.00
6.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	ठोस कचरा प्रबंधन	वर्षा जल ठोस कचरा प्रबंधन	2626.99
7.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	जल निकास/वर्षा जल नालियां	जल निकास, बाढ़ नियंत्रण, इनलैण्ड वाटर, परिवहन, पर्यावरण फेज-1	7189.25
8.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	शहरी नवीकरण	पनगोडे में मछली के थोक बाजार का आधुनिकीकरण	685.00
कुल (लाख रुपए में)					108801.24

ग्रामीण विद्युतीकरण

2552. श्री हितेन बर्मन:

श्री प्रभुनाथ सिंह:

श्री सुब्रत बोस:

श्री चन्द्रभान सिंह:

श्री कैलाश बैठा:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से जनजातीय गांवों और वन क्षेत्रों सहित दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों के विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं तथा इनमें से कितने स्वीकृति हेतु अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बिलास मुसेमवार): (क) से (ग) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आर.वी.ई.) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से विधिवत रूप से पहचान किए गए दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियां, जिनमें जनजातीय गांवों के साथ-साथ वन क्षेत्रों में स्थित गांव शामिल हो सकते हैं, के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रस्तावों के सभी

मामलों में पूर्ण होने और आर.वी.ई. कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप होने पर उन्हें बजट प्रावधानों के अध्यक्षीन मंजूरी दी जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त और मंजूर किए गए ऐसे प्रस्तावों के राज्यवार ब्योरा विवरण-1 में दिए गए हैं। इस समय मंत्रालय में कोई भी पात्र प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान आर.वी.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्योरा विवरण-11 में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

वर्ष 2006-07 के दौरान गांवों/बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए प्राप्त तथा मंजूर किए गए प्रस्तावों के राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव (गांवों/बस्तियों की संख्या)	मंजूर किए गए प्रस्ताव (गांवों/बस्तियों की संख्या)
1.	असम	429	429
2.	छत्तीसगढ़	43	43
3.	हरियाणा	149	149
4.	झारखण्ड	108	108
5.	मध्य प्रदेश	100	100
6.	महाराष्ट्र	94	94
7.	मणिपुर	14	14
8.	मेघालय	70	70
9.	नागालैण्ड	3	3
10.	उड़ीसा	197	197
11.	राजस्थान	73	73
12.	उत्तरांचल	119	119

विवरण-11

वर्ष 2006-07 के दौरान आर.वी.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्यवार विवरण (दिनांक 12-3-2007 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (रुपये)
1.	असम	1,45,43,500/-
2.	मणिपुर	5,35,59,290/-
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,56,28,700/-
4.	मेघालय	85,72,166/-
5.	त्रिपुरा	3,52,07,326/-
6.	पश्चिम बंगाल	13,66,26,057/-
7.	हरियाणा	64,09,770/-
8.	उत्तरांचल	3,46,63,655/-
9.	केरल	1,61,000/-
10.	मध्य प्रदेश	1,27,21,650/-
11.	महाराष्ट्र	1,26,86,400/-
12.	नागालैण्ड	17,34,000/-
13.	उड़ीसा	4,46,27,000/-
14.	छत्तीसगढ़	3,63,00,000/-
15.	झारखण्ड	2,62,00,000/-

बस रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना

2553. श्री श्रीनिवास दावासाहेब पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांसपोर्ट (बी.आर.टी.) परियोजना, एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में पुणे नगर निगम में क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के विरुद्ध पुणे के नागरिकों द्वारा किया जा रहा व्यापक विरोध सरकार की जानकारी में आया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन से पहले इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) और (ख) जी, हां। बस त्वरित परिवहन (बी.आर.टी.) का कार्यान्वयन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत 62.32 करोड़ रु. की संक्षीकृति राशि से एक प्रयोगिक परियोजना के रूप में किया जा रहा है। इसकी कुल लम्बाई 13.6 कि.मी. है जिसमें तीन मुख्य बस टर्मिनल "कटराज-स्वर्गेट-हदपसार" आपस में जुड़े हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ के साथ विज्ञान और अनुसंधान कार्यक्रम

2554. श्री मित्रसेन यादव: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने विज्ञान और अनुसंधान कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भारत को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने उक्त विज्ञान और अनुसंधान कार्यक्रम का कोई प्रारूप भारत सरकार के पास भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) यूरोपीय संघ ने 53.2 बिलियन यूरो बजट के साथ अपना अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास हेतु सातवां रूपरेखा कार्यक्रम (एफ.पी. 7 2007-2013) आरम्भ किया है। भारत, गैर-यूरोपीय संघ सहभागी देशों में से एक करारकर्ता देश के रूप में है जहां से अलग-अलग अनुसंधान एंटीटीज की पहचान, चयन तथा यूरोपीय वैज्ञानिकों द्वारा परियोजना भागीदार के रूप में उन्हें शामिल किया जा सकता है।

7-8 फरवरी, 2007 को दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के पश्चात जारी नई दिल्ली बिज्ञप्ति में आपसी हित के कार्यनीतिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के क्षेत्र में प्रस्तावों के लिए संयुक्त अथवा समन्वित अपेक्षाओं के संभावित लाभों पर बल दिया गया है जिसमें दोनों पक्षों के सन्तुलित आपसी हितों के लिए एक भागीदारी मॉडल पर भारत और यूरोपीय संघ में अनुसंधान समुदायों के लिए समान रूप से उपलब्ध संसाधनों का सह-निवेश शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेल्लारी ताप विद्युत परियोजना

2555. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को बेल्लारी ताप विद्युत परियोजना को मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा दिए जाने हेतु कर्नाटक सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य में बेल्लारी थर्मल विद्युत स्टेशन को बृहत विद्युत परियोजना स्तर प्रदान करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया था। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, बृहत विद्युत परियोजना स्तर वर्तमान में 1000 मेगावाट और अधिक की क्षमता वाली नई थर्मल विद्युत परियोजनाओं को ही उपलब्ध है। बेल्लारी थर्मल विद्युत स्टेशन का निष्पादन स्टेज-I में 500 मेगावाट क्षमता हेतु किया जा रहा था और स्टेज-II में अतिरिक्त 500 मेगावाट क्षमता तक इसको विस्तारित करने का प्रस्ताव था। चूंकि, बेल्लारी थर्मल विद्युत परियोजना बृहत विद्युत स्तर प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है इसलिए इसे बृहत स्तर प्रदान नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

होटलों तथा रिसोर्टों द्वारा कर अपबन्धन

2556. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पांच सितारा होटलों तथा रिसोर्टों द्वारा विलासिता कर तथा सेवा करों का भुगतान करने में घोर अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विभिन्न कर न्यायाधिकरणों में विलासिता कर से संबंधित कितने मामले दायर किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 के फलस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा विलासिता कर लगाया जाता है। विलासिता कर, राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा प्रशस्तित किया जाता है। यदि होटलों तथा रिजोर्टों द्वारा विलासिता कर भुगतान करने में अनियमितताएं की जाती हैं तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है। जहां तक सेवा कर अपव्ययन का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल.आई.सी. पॉलिसी धारकों को
मेच्योरिटी पर भुगतान

2557. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के उन पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है जिनको पॉलिसी की मेच्योरिटी के पश्चात् भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) उन पॉलिसियों का ब्योरा क्या है और पांच वर्ष से अधिक अवधि से निष्क्रिय पड़े खातों में क्षेत्र-वार कितनी धनराशि जमा है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना दावे वाली धनराशि का उपयोग निर्धन लोगों के कल्याण एवं उनके विकास संबंधी कार्यक्रमों पर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार, परिपक्व दावों के संबंध में बकाया पॉलिसियों की संख्या 11746 थी।

(ख) एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि पांच वर्षों के लिए बकाया परिपक्व दावों के संबंध में आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विस्तीर्ण वर्ष के अंत में बकाया दावों का अगले वर्ष में भुगतान किया जाता है या पुनरंकन किया जाता है अथवा बकाया है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पत्राचार के रूप में तथा क्षेत्रीय कार्मिकों आदि के माध्यम से बकाया दावों को निपटाने के लिए ठोस अनुबर्ती कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 के अनुसार, निगम एकल निधि बनाए रखता है तथा कोई बिना दावे वाली राशि उस निधि का भाग है, इस प्रकार की अतिरिक्त निधि का 95% एल.आई.सी. पॉलिसी धारकों के लिए आबंटित की जाती है अथवा आरक्षित की जाती है तथा शेष राशि निगम की देयताओं को पूरा करने के बाद केन्द्रीय सरकार को दी जाती है।

[अनुरोध]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास

2558. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आवासों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों को वहनीय कीमत पर आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से आबंटन हेतु कम मूल्य निर्धारित करने को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवासों का निर्माण करने के अपने प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकारों के बढ़ते हुए मूल्यों से सरकार चिन्तित है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 तैयार कर रही

है जिसका लक्ष्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर/निम्न आय वर्गों तथा अन्य वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है। यह नीति आवास एवं अवस्थापना की मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करेगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने दिनांक 3-12-2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), जिसका उद्देश्य 63 नगरों में शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना है, और मिशन में शामिल न होने वाले नगरों के लिए समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत नगर विकास योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) मांग आधारित है, अतः मकानों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जा सकते। यह राज्य/स्थानीय निकाय अंश तथा लाभार्थी अंशदान रिलीज करने और सुधारों की प्रगति पर निर्भर है।

[हिन्दी]

दूरसंचार कंपनियों से सेवा कर संग्रहण

2559. श्री सुरज सिंह:

श्री अजीत जोगी:

श्री उदय सिंह:

श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ दूरसंचार कंपनियां सेवा कर का अपवर्धन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र में समग्र वृद्धि के बावजूद इस क्षेत्र से सेवा कर संग्रहण में वृद्धि कम हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) कानून की विद्यमान प्रणाली में खामियों को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। समेकित सूचना शीघ्र ही समा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु वित्त

2560. श्री मधु गौड़ यास्वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु वित्त में किस प्रकार के बैंक संलग्न हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लघु ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि संचितरित की गई है;

(ग) पुनर्भुगतान की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) लघु ऋण की वसूली में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/क्या सहायता प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने, देश में बैंकों द्वारा व्यष्टि वित्त प्रदान करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट मॉडल निर्धारित नहीं किया है। हालांकि व्यष्टि वित्त के लिए बैंकों द्वारा विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं, स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.)-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम देश में प्रमुख व्यष्टि वित्त कार्यक्रम बन कर उभरा है। इस मॉडल को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वयन हेतु अपनाया गया है।

(ख) एस.एच.जी.-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, 22.38 लाख एस.एच.जी. को बैंकों से सहलग्न किया गया है, जिसमें 11,397.50 करोड़ रुपए की कुल ऋण उपलब्धता शामिल है। गत तीन वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के तहत संचित बैंक ऋण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित एस.एच.जी. का कुल संचित (आंकड़े लाख रुपये में)	संचितरित बैंक ऋण की संचित राशि (करोड़ रुपए में)
2003-04	10.79	3,904
2004-05	16.18	6,898
2005-06	22.39	11,398

(ग) और (घ) स्वयंसहायता समूह अपने सदस्यों से ऋण

की वसूली करते हैं और बैंकों को पुनर्मुग्तान करते हैं। बैंकों द्वारा एस.एच.जी. को दिए जाने वाले ऋण की वसूली दर, समूहों के परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के कारण संतोषजनक बताई जाती है।

राष्ट्रमंडल खेल हेतु स्टेडियम

2501. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हाल में राष्ट्रमंडल खेलों हेतु दिल्ली के प्रमुख स्टेडियम की कायाकल्प करने के लिए ब्लूप्रिंट का खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इसको पूरा करने हेतु क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):
(क) के.तो.नि.वि. ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए एक कायाकल्प योजना तैयार की है।

(ख) इस अवस्था में इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ग) खेल होने से पूर्व कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव

2502. श्री पुन्नु लाल मोहले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कतिपय राज्यों ने केन्द्र सरकार से कमजोर वर्गों हेतु आवासीय इकाइयों का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) सतत् रूप से चलने वाला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत देश भर के (दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के अलावा) बी.पी.एल. परिवारों को आवासीय इकाई के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन मकानों की कमी तथा गरीबी अनुपात को उचित वेटेज देते हुए पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में किसी राज्य से किसी विशेष अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निधियों के आबंटन तथा मकानों के निर्माण का राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन तथा बनाए गए मकानों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (अनंतिम)	
		केंद्रीय आबंटन	बनाए गए मकानों की सं.	केंद्रीय आबंटन	बनाए गए मकानों की सं.	केंद्रीय आबंटन	बनाए गए मकानों की सं.	केंद्रीय आबंटन	बनाए गए मकानों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	13669.37	105295	17981.83	126039	24399.42	132521	25939.14	84192
2.	अरुणाचल प्रदेश	627.75	6646	825.98	4162	949.43	5327	1018.68	3399
3.	असम	14124.59	78752	18584.99	129495	20994.23	104353	22525.46	77490
4.	बिहार	37131.83	183792	48846.34	252026	72020.72	331651	76565.57	256182
5.	छत्तीसगढ़	2337.51	18302	3074.96	20134	3773.17	28578	4011.28	2466
6.	गोवा	88.32	233	116.18	428	150.28	615	159.77	818
7.	गुजरात	3928.46	31189	5167.82	33654	11966.03	65602	12721.14	30970
8.	हरियाणा	1328.34	9175	1747.40	8845	1680.04	9743	1786.06	3326
9.	हिमाचल प्रदेश	587.66	3841	773.08	4749	592.56	3031	629.95	1038
10.	जम्मू-कश्मीर	702.96	8412	924.74	7252	1840.52	8231	1956.67	6029
11.	झारखण्ड	10909.67	60290	14351.50	66081	6423.93	75403	6829.31	37171
12.	कर्नाटक	7070.71	49833	9301.41	50707	9400.43	58944	9993.64	36128
13.	केरल	4381.56	39825	5763.87	39831	5227.51	36413	5557.39	16679
14.	मध्य प्रदेश	8157.24	65768	10730.71	75385	7504.14	59420	7977.69	25390

(रु. लाख में)

15. महाराष्ट्र	12545.56	103135	16503.47	105449	14714.56	94274	15643.12	35433
16. मणिपुर	748.47	1868	984.83	5820	824.15	4962	884.26	0
17. मेघालय	994.44	6465	1308.47	4665	1435.38	6678	1540.07	1475
18. मिजोरम	238.73	2202	314.12	2052	305.89	2182	328.20	1175
19. नागालैण्ड	641.95	5966	844.67	5099	949.84	7949	1019.11	6046
20. उड़ीसा	11004.35	154205	14476.04	89891	14149.75	87070	15042.66	36655
21. पंजाब	879.95	6050	1157.56	4460	2077.71	7868	2208.83	4095
22. राजस्थान	3706.70	41888	4876.10	31070	6013.11	38471	6392.56	8606
23. सिक्किम	172.10	2041	226.45	1584	181.66	1296	194.91	911
24. तमिलनाडु	6864.39	57069	9030.00	58887	9788.97	66434	10385.44	2275
25. त्रिपुरा	1451.97	15003	1910.49	12132	1849.42	11902	1984.31	3456
26. उत्तर प्रदेश	25028.00	190950	32923.88	199096	32348.75	185541	34390.12	120905
27. उत्तरांचल	2599.55	21666	3419.68	26376	1621.77	21722	1724.11	11359
28. पश्चिम बंगाल	14752.84	90601	19407.12	155598	19518.40	99259	20750.10	87164
29. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	166.27	671	218.73	337	309.46	90	328.99	50
30. दादरा व नगर हवेली	87.26	14	114.78	108	51.56	101	54.82	44
31. दमन व दीव	36.12	7	47.51	9	23.07	6	24.52	1
32. लक्षद्वीप	2.83	14	3.72	16	20.00	48	21.26	77
33. पांडिचेरी	82.55	264	108.59	88	154.14	238	163.86	214
कुल	187050.00	1361230	246067.00	1521305	273240.00	1551923	290753.00	901219

आयकर अपवंचन संबंधी सूचना

2563. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयकर अपवंचन के संबंध में प्राप्त सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभागीय कर्मचारियों की साठ-गांठ से हो रहे कर अपवंचन के मुखबिरों को कोई पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आयकर अपवंचन में संलिप्त आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से कर अपवंचन के बारे में सूचना प्राप्त होती है। सरकार ऐसी सूचना के ब्यौरों का केन्द्रीय डाटाबेस नहीं रखती है।

(ख) और (ग) सरकार इस प्रयोजन के लिए निर्मित पुरस्कार दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित मामलों में मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करती है। दिशानिर्देश में ऐसे पुरस्कार की स्वीकृति के लिए आधार विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें सृजित अतिरिक्त राजस्व शामिल है जो मुखबिर द्वारा दी गई विशेष सूचना से संबंधित होता है। ऐसे पुरस्कार को प्रदान करने का निर्णय समितियों द्वारा लिया जाता है जिसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ऐसे निर्णय लेने में विभागीय कर्मचारियों के साथ मुखबिरों की मिली-भगत का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में पता लगाए गए कर अपवंचन के संबंध में केन्द्रीय डाटाबेस नहीं रखती है। जब कभी कर अपवंचन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है तो कानून के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों में विनिवेश

2564. श्री समिक लाहिरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन.

पावर ग्रिड कारपोरेशन एवं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में अपने शेयरों का विनिवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) से (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रत्येक ने अपनी निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 10% इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश का प्रस्ताव किया है। सरकार ने 08 फरवरी, 2007 को यह निर्णय लिया है कि वह पृष्ठारोहन (पिग्गी-बैक) के माध्यम से अपनी शेयरधारिता में से क्रमशः 10%, 5% तथा 5% शेयरधारिता की 'बिक्री की पेशकश' करेगी। इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को राष्ट्रीय निवेश कोष (एन.आई.एफ.) में जमा कराया जाएगा। कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य उपक्रमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

शिक्षा ऋण

2565. श्रीमती जयाप्रवा:

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

श्री के.एस. राव:

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, बैंक-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित शिक्षा ऋण की धनराशि कितनी है;

(ख) शिक्षा ऋण के चुककर्ताओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण को संस्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या छात्रों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु रिकल डेवलपमेंट बैंक/एजुकेशन बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शिक्षा ऋण से संबंधित राज्य-वार आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गत तीन वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत बकाया कुल शिक्षा ऋण का ब्योरा विवरण-1 में दिया गया है। सरकारी

क्षेत्र के बैंकों के गत तीन वर्ष के दौरान बकाया शिक्षा ऋण का बैंक-वार ब्योरा विवरण-11 में उपलब्ध है।

(ख) चूंकि शिक्षा ऋण के बहुत बड़े अंश की वसूलियां चुकोती हेतु अभी देय नहीं हुई हैं, अतः चुककर्ताओं की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(ग) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) द्वारा परिचालित की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना, 2004 में शिक्षा ऋण मंजूर करने के लिए बैंकों को व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं। योजना आई.बी.ए. की वेबसाइट www.iba.org.in पर उपलब्ध है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्य-वार बकाया शिक्षा ऋण

(हजार रुपये)

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
संख्या				
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	790875	1205843	2113724
2.	हिमाचल प्रदेश	147294	254752	484087
3.	जम्मू-कश्मीर	142178	224534	405444
4.	पंजाब	1016059	1699436	2789284
5.	राजस्थान	895560	1279185	2248852
6.	छत्तीसगढ़	236626	436805	785807
7.	दिल्ली	2121913	3382972	4603495
8.	असम	166670	243790	465220
9.	मणिपुर	9307	23690	63000
10.	मेघालय	25557	36065	53392
11.	नागालैण्ड	491	5930	9860
12.	त्रिपुरा	10726	37707	34049

1	2	3	4	5
13.	अरुणाचल प्रदेश	10157	2618	5971
14.	मिजोरम	8606	10659	21106
15.	सिक्किम	4928	39441	25423
16.	बिहार	695009	931302	1722950
17.	झारखण्ड	400933	735264	1404471
18.	उड़ीसा	647104	1180071	2396694
19.	पश्चिम बंगाल	1390760	2081355	3742342
20.	अंडमान एवं निकोबार	4091	6476	16999
21.	मध्य प्रदेश	1592994	2385941	4553364
22.	छत्तीसगढ़	321204	365084	743886
23.	उत्तर प्रदेश	2632056	3326970	6116626
24.	उत्तरांचल	323792	535292	986830
25.	गुजरात	1424956	3696349	4008291
26.	महाराष्ट्र	4386413	5763658	10352276
27.	दमन एवं दीव	677	2364	4420
28.	गोवा	109147	189445	290093
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0	1478	7315
30.	आन्ध्र प्रदेश	8807087	13523213	20142524
31.	कर्नाटक	4030333	5518371	8894022
32.	केरल	4694537	7570622	13716568
33.	तमिलनाडु	6770263	10014120	18589892
34.	पाण्डिचेरी	109458	232358	394927
35.	लक्षद्वीप	7205	163	649
कुल		43933966	66943323	112193853

विवरण-॥

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्यवार कुल बकाया शिक्षा ऋण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बैंकों के नाम	कुल बकाया शिक्षा ऋण		
		31-03-2004	31-03-2005	31-03-2006
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1062.63	1594.09	2356.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	28.65	48.54	74.22
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	155.33	223.92	270.01
4.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	49.98	78.87	123.67
5.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	30.86	45.10	54.57
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	39.90	55.86	92.89
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	22.13	34.29	51.50
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	199.59	336.27	540.57
9.	इलाहाबाद बैंक	80.63	111.05	208.35
10.	आन्ध्रा बैंक	390.92	510.81	677.44
11.	बैंक ऑफ इंडिया	172.00	291.23	467.00
12.	बैंक ऑफ बड़ौदा	201.83	280.64	436.06
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	56.52	67.51	105.46
14.	केनरा बैंक	554.53	719.42	955.00
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	111.97	181.28	257.10
16.	कारपोरेशन बैंक	58.86	101.17	156.93
17.	देना बैंक	30.99	56.63	104.93
18.	इंडियन बैंक	83.39	161.66	375.86
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	249.25	317.88	417.01

1	2	3	4	5
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	154.21	209.48	286.94
21.	पंजाब नेशनल बैंक	369.72	483.49	676.27
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	30.49	47.46	69.79
23.	सिंडीकेट बैंक	141.07	261.12	399.89
24.	यूको बैंक	42.74	98.47	156.00
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	144.73	230.95	346.17
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	27.40	77.88	152.46
27.	विजया बैंक	59.74	88.09	139.40
कुल		4550.06	6713.16	9951.49

**प्राकृतिक आपदा एवं पुनर्वास हेतु
विश्व बैंक से ऋण**

2566. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत प्राकृतिक आपदा एवं पुनर्वास हेतु विश्व बैंक ऋण/सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त ऋण के अन्तर्गत पूरा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और पुनर्वास के लिए भारत, विश्व बैंक ऋण/सहायता का सबसे बड़ा प्राप्त-कर्ता नहीं रहा है। अक्टूबर-दिसम्बर, 2005 में भूकंप राहत और पुनर्वास के लिए पाकिस्तान को विश्व बैंक से 870 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दी गई थी। मई, 2005 में सुनामी पुनर्वास के लिए भारत को विश्व बैंक से 528.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई थी।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किए गए कार्यों में पुनर्निर्माण और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, चक्रवात आश्रयों

की मरम्मत गलियों में प्रकाश व्यवस्था, आंतरिक सड़कें, नालियाँ आदि जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

शहरों में कचरा प्रबंधन

2567. श्री कैलाश मेघवाल:

श्रीमती प्रिया वसत:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शहरों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कचरा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति की योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जी हां। नगरपालिका कचरा निपटान सहित कचरा प्रबंध राज्य का विषय है अतः देश के शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त कचरा निपटान सुविधाएँ मुहैया कराना राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई जा रही कचरा निपटान प्रणालियों की खराब स्थिति को देखते हुए तथा शहरी स्थानीय निकायों को वैज्ञानिक व

स्वास्थ्यकर ढंग से कचरा निपटान हेतु तकनीकी व वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनका विवरण ब्योरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "नगरपालिका कचरा (प्रबंध एवं निपटान) नियम, 2000" अधिसूचित किए गए हैं जिनमें नगरपालिका कचरा के समुचित व वैज्ञानिक ढंग से निपटान के लिए राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों जिला प्रशासनों तथा शहरी विकास विभाग के लिए विशेष दिशानिर्देश दिए गए हैं।
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कचरा निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए मई, 2000 में नगरपालिका कचरा प्रबंध संबंधी नियम पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस नियम पुस्तिका में कचरा निपटान योजनाओं की आयोजना, डिजाइनिंग, निष्पादन तथा परिचालन एवं रखरखाव के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/विधि दी गई है। इसमें नगरपालिका कचरे को संसाधित करने, शोधन तथा निपटान व संसाधन वसूली (कम्पोस्ट/ऊर्जा) के लिए व्यापक दिशानिर्देश भी दिए गए हैं।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित श्रेणी-1 नगरों के लिए कचरा निपटान संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1999 में पांच वर्ष की अवधि के लिए एक "कचरा निपटान संबंधी प्रौद्योगिकी परामर्शी दल" का गठन किया गया और बाद में जनवरी, 2002 में समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जिसे मंत्रालय ने मई, 2005 में प्रकाशित करवाया।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2003 में एक कार्यदल का गठन किया गया जो कृषि, उद्यानकृषि, बागानों, वन्य क्षेत्रों में रसायनिक उर्वरकों के साथ-साथ सिटी कम्पोस्ट का प्रयोग करते हुए "समन्वित पादप पोषण प्रबंध" को बढ़ावा देने के लिए नीति, योजना तथा कार्य योजना तैयार करेगा और सभी शहरी स्थानीय निकायों और उनके कम्पोस्ट संयंत्रों के 50 कि.मी. के दायरे में सिटी कम्पोस्ट के लिए बाजार

मांग और सप्लाई तंत्र का गठन करेगा। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के निर्देशों के साथ इसे सितंबर, 2006 में स्वीकार कर लिया।

- मंत्रालय ने 2001 की जनगणना के अनुसार सभी "423 श्रेणी-1 नगरों व अन्य राज्य राजधानियों में नगरपालिका कचरा प्रबंध" संबंधी योजना तैयार की जिसके लिए 12वें वित्त आयोग से अनुदान मांगा गया। 12वें वित्त आयोग ने देश के सभी श्रेणी-1 नगरों में समुचित कचरा निपटान की व्यवस्था के लिए 2005-06 के दौरान 2500 करोड़ रु. प्रदान किए हैं जिसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 तक 5 वर्ष की अवधि में किया जाएगा।
- मंत्रालय ने दो कार्यक्रम यथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) तथा छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य देश के सभी शहरी क्षेत्रों में सुधारों से जुड़ी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिसमें कचरा निपटान परियोजनाएं भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के अन्तर्गत राज्यों से सुझाव

2568. श्री बसुदेव आचार्य: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के पश्चात् कोई फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) और (ख) राज्यों ने निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए हैं।

(i) प्रशासनिक व्यय में वृद्धि।

(ii) नये काम शुरू करने के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या में कटौती।

(iii) अनुमेय कार्यों की सूची का विस्तार।

(ग) (i) मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक व्यय को कुल लागत के 2% से बढ़ाकर 4% करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

(ii) नया काम शुरू करने के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या को 50 से कम करके 10 कर दिया गया है।

(iii) अधिनियम में अनुमेय कार्यों के रूप में "अन्य कार्यों" की अधिसूचना का प्रावधान। मंत्रालय की प्राथमिकता ग्रामीण जीवन-यापन के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए जल संरक्षण, भूमि विकास, वनरोपण के संबंध में।

मेजिया ताप विद्युत परियोजना

2569. श्री सुनिल खा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत केंद्र ने कोल

हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स (सी.एच.पी.) के रख-रखाव का ठेका कलकत्ता इंडस्ट्रियल सप्लाय कारपोरेशन एवं एस्सार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निवेदित बोली का मूल्य पिछले वर्ष से तीन गुना अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां। दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) ने मेजिया ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सी.एच.पी.) के अनुरक्षण हेतु एवं अतिरिक्त कार्यों के लिए मेसर्स सी.आई.एस.ई. - एस्सार इंजीनियरिंग - कंसोर्टियम को आदेश दिया है।

(ख) मेसर्स सी.आई.एस.ई.-एस्सार को सौंपे गए वर्तमान कार्य क्षेत्र और पिछली संविदा का ब्योरा निम्नानुसार है:-

कार्य क्षेत्र	कार्य का विवरण	पिछली संविदा	विद्यमान संविदा
भाग-क	(i) रेलवे तथा कोलियरी के साथ संपर्क	असमाहित	समाहित
	(ii) रेलवे साइडिंग तथा लोडिंग जगहों पर भरे जाने वाले कोयले का पर्यवेक्षण	असमाहित	समाहित
	(iii) एम.टी.पी.एस. छोर पर कोयला रेक्स का अनलोडिंग	समाहित (एक स्ट्रीम प्रचालन से)	समाहित (दो स्ट्रीम प्रचालन के साथ)
भाग-ख	सी.एच.पी. के लिए अनिवार्य कार्य		
	(क) यांत्रिकीय अनुरक्षण	समाहित (एक स्ट्रीम प्रचालन से)	समाहित (दो स्ट्रीम प्रचालन से)
	(ख) विद्युतीय अनुरक्षण (सी एंड आई) सहित प्रणालियां	समाहित (एक स्ट्रीम प्रचालन से)	समाहित (दो स्ट्रीम प्रचालन से)
	(ग) रेल पथों, पैडल फीडरों, ट्रिपर कार एवं आर.एच.-I रखरखाव सहित सहायक प्रणालियों के साथ स्टेकर-सह-रिकलेमर्स का ओ एंड एम।	समाहित (एक स्ट्रीम प्रचालन से)	समाहित (दो स्ट्रीम प्रचालन से)
	अतिरिक्त अनिवार्य कार्य		
	(i) कन्वेयर बेल्ट का प्रतिस्थापन।	समाहित	समाहित
	(ii) तेल रेक्स को खाली करना।	समाहित	समाहित

दो संविदाओं के बीच कार्य क्षेत्र में उपर्युक्त भिन्नताओं के अतिरिक्त, रेलवे का विलम्बित भार भी विलम्बित अनलोडिंग के कारण ठेकेदार के खाते में पिछली संविदा के असमान वर्तमान संविदा में हस्तांतरित किया गया।

इसके अतिरिक्त, रैकों की अनलोडिंग और डबल स्ट्रीम आपरेशन की अतिरिक्त कवरेज के साथ कोयला हैंडलिंग प्लांट की ए.एम.सी. और 120 रैकों में कवर किए जाने हेतु लगभग 4.0 लाख एम.टी./माह नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती के साथ स्टैंड-बाय प्रणाली जबकि पूर्व संविदा में औसत आधार पर प्रतिमाह 85 रैक प्राप्त किए गए।

(ग) और (घ) संविदा का वर्तमान मूल्य पिछली संविदा से 2.6 गुना अधिक है किन्तु दोनों संविदाओं का मूल्य उपर्युक्त (ख) के उत्तर में यथावर्णित अतिरिक्त कार्य क्षेत्र के कारण तुलनीय नहीं है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक एवं आई.डी.ए. से ऋण

2570. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक एवं इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (आई.डी.ए.) से ऋण लेने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक एवं

आई.डी.ए. से सरकार ने ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की है; और

(ग) इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं और विश्व बैंक और आई.डी.ए. को भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन कुमार बंसल): (क) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) से ऋण लेने वालों में भारत का तृतीय स्थान है और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) से ऋण लेने वालों में प्रथम स्थान है। विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए ये दो तरीके (विंडो) हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ की वचनबद्धता निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वित्तीय वर्ष	आई.बी.आर.डी. वचनबद्धता	आई.डी.ए. वचनबद्धता
2005-06	1241.00	645.00
2006-07 (28-2-07 तक)	885.00	1565.80

(ग) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता की मानक शर्तें और देय ब्याज दर निम्नानुसार है:

	आई.बी.आर.डी.	आई.डी.ए.
वापसी अदायगी अवधि	20 वर्ष, 5 वर्ष की रियायत अवधि के साथ	35 वर्ष 10 वर्ष की रियायती अवधि के साथ
ब्याज दर	6 माह का लिबोर जमा परिवर्तनीय विस्तार सहित, पर आधारित है	शून्य 0.75% का सेवा प्रभार

[अनुवाद]

गैर-जीवन बीमा कंपनियों हेतु लक्ष्य

2571. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण सामाजिक दायित्वों हेतु

निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से प्रीमियम सृजित करने के लिए गैर-जीवन बीमा कंपनियों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी एवं

निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में कुल कितनी धनराशि सृजित की गई है;

(घ) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण प्रीमियम लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में गैर-जीवन बीमा कंपनियों के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या कितनी है;

(च) लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(छ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्तमान वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रतिबद्धता में आई कमी को पूरा किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि आई.आर.डी.ए. (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियमावली, 2002 की शर्तों के अनुसार, गैर-जीवन बीमा कंपनियों का ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में दायित्वों का अनुपालन अपेक्षित है, जो इस प्रकार है:

इस वर्ष में की गई कुल प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम आय का

(i) प्रथम वित्तीय वर्ष में दो प्रतिशत;

(ii) द्वितीय वित्तीय वर्ष में तीन प्रतिशत; और

(iii) उसके बाद पांच प्रतिशत

और सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए हामीदार किए गए कारोबार की मात्रा वर्ष 2001-02 में किए गए हामीदार से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि वह बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम की निगरानी नहीं करता है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों से प्रीमियम के प्रतिशत से संबंधित आंकड़े आई.आर.डी.ए. द्वारा एकत्र किए जाते हैं।

(घ) जी, हां। ग्रामीण दायित्वों के अंतर्गत प्रीमियम की समीक्षा आई.आर.डी.ए. द्वारा मासिक आधार पर की जाती है।

(ङ) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के दायित्वों का वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में अनुपालन किया है और लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

आई.आई.बी.आई. कोलकाता को बंद किया जाना

2572. श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई.आई.बी.आई.), कोलकाता को बंद करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई.) को संचयी हानि हुई है, जिससे कंपनी की पूंजी और संसाधनों का क्षरण हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि आई.आई.बी.आई. को बंद किया जाना ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप, आई.आई.बी.आई. के लिए अपने परिचालन जारी रखना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पृथ्वी विज्ञान में प्रगति

2573. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हाल ही में जुलाई 2006 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नया मंत्रालय है। वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भूकंपविज्ञान पर एकीकृत रूप से कार्य करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्य रेंज तथा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, भारत उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा भूकंप

जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ई.आर.ई.सी.) का तत्कालीन महासागर विकास मंत्रालय में विलय कर नया मंत्रालय बनाया गया। इस समय, मंत्रालय के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2574. श्री संतोष गंगवार: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत तथा बदायूं जैसे जिलों को मुकदमा करने वालों की सुविधा हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के क्षेत्राधिकार के तहत लाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की अधिकारिता में परिवर्तन के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों

2575. श्री अजीत जोगी:

श्री एम. राज मोहन रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों का रिकार्ड रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो छोटी की ऐसी 20 कंपनियों का ब्योरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध होने के बाद अथवा अपनी जमा राशि लिए बिना गायब हो गई कंपनियों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। सूचीयन करार के तहत सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा यथाप्रस्तुत संगत अभिलेखों का अनुरक्षण एक्सचेंजों द्वारा किया जाता है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में उनके निवल लाभों के साथ 20 शीर्ष कंपनियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

दर्जा	कंपनी का नाम	29 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण	निम्न को समाप्त तिमाही के लिए निवल लाभ			
			31 मार्च, 2006	30 जून, 2006	30 सितम्बर, 2006	31 दिसम्बर, 2006
1	2	3	4	5	6	7
1.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	186360	3086	4119	4174	4668
2.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	176996	2502	2547	2709	2799
3.	इन्फोसीस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	124596	664	805	896	958
4.	टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड	119586	750	797	931	951
5.	भारती एयरटेल लिमिटेड	119422	511	814	888	1044

1	2	3	4	5	6	7
6.	एन.टी.पी.सी. लिमिटेड	112551	1566	1553	1474	2103
7.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	96434	15	9	497	771
8.	विप्रो लिमिटेड	87141	658	619	665	739
9.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड	79702	790	620	755	910
10.	आई.टी.सी. लिमिटेड	66201	568	652	680	717
11.	भारतीय स्टेट बैंक	65556	853	799	1185	1065
12.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	56279	868	237	360	668
13.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	52572	4031	1781	3050	1059
14.	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड	47755	443	381	521	511
15.	आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड	40681	427	297	368	356
16.	लार्सन एंड टोबो लिमिटेड	40567	467	157	201	344
17.	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	37548	360	194	254	176
18.	यूनिटेक लिमिटेड	37354	35	74	100	452
19.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	36781	1103	1386	1443	1471
20.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड*	34918	—	—	—	1335

*हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को 21 नवम्बर, 2006 से एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया।

(ग) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध की गई सभी कंपनियों का कारोबार एक्सचेंजों में किया जा रहा है और वे अपने अनुपालन दायर कर रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के बैंक

2576. श्री एन.एन. कृष्ण दास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के कतिपय बैंकों ने हाल ही में ऋण ब्याज दर बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में निजी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कोई संतंत्र उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की बैंचमार्क मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बैंक का नाम	बी.पी.एल.आर.		लागू किए जाने की तारीख
	पहले	अब	
फेडरल बैंक लि.	12.50	13.25	20-02-2007
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि.	13.75	14.75	09-02-2007
एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.	13.00	14.00	10-02-2007
कोटक महेंद्रा बैंक	15.00	16.00	07-02-2007
यू.टी.आई. लि.	13.50	14.00	06-02-2007
सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब	13.50	14.50	01-03-2007

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, बैंकों का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, बैंकिंग क्षेत्र का सुचारु एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ उपाय/मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं, जैसे: अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) के लिए प्रावधान एवं वर्गीकरण करना, पूंजी पर्याप्तता मानदंड, ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए मार्गनिर्देश, बैंकिंग ओम्बड्समैन और साथ ही भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) स्थापित करना, बैंक-प्रभारों में पारदर्शिता संबंधी मार्गनिर्देश, आदि। प्रत्येक बैंक के प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्थल पर और स्थलेतर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के जरिए पर्यवेक्षण किया जाता है और स्थल पर निरीक्षणों के बाद अनुवर्तन की व्यवस्था के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

जल संकट संबंधी पार्थसारथी समिति

2577. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जल संकट संबंधी पार्थसारथी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशों की गई हैं;

(घ) क्या रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) की सहायता से जल संकट से निजात पाना संभव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सभी सिफारिशों को पूर्णतः लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) से (ग) जी, हां। वाटरशेड कार्यक्रमों संबंधी पार्थसारथी समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को 31-03-2006 को प्रस्तुत की है। समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) समिति ने वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों को विकसित करने के कार्य को 15 वर्षों की समयावधि में पूरा करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय वाटरशेड कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का अधिक निवेश किए जाने का सुझाव दिया है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) में भी मुख्यतः भूमि तथा जल संरक्षण हेतु वाटरशेड संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं, अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि कुल वार्षिक निवेश आवश्यकता के 50 प्रतिशत भाग को एन.आर.ई.जी.एस. के बजट से अनुपूरक सहायता राशि के रूप में पूरा किया जाना चाहिए।

(च) पार्थसारथी समिति की सिफारिशों का मंत्रालय द्वारा गहराई से विश्लेषण किया गया है। सरकार ने वाटरशेड कार्यक्रम को नीतिगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) को स्थापित किया है। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समान मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट तैयार करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

- (i) भविष्य में खाद्यान्नों तथा जल सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक परिष्कृत, अधिक गहन तथा संशोधित वाटरशेड विकास कार्यक्रम पर अधिक जोर देते हुए वर्षासिंचित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
- (ii) वाटरशेड कार्यक्रम में अधिक निवेश करना तथा इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ समेकित करना।
- (iii) मुख्यतया केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी वाटरशेड कार्यक्रमों को एक मिशन पद्धति में कार्यान्वित करने की दृष्टि से इनके एक निकाय के अंतर्गत प्रबंधन हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण (एन.ए.एस.डी.ओ.आर.ए.) को अर्द्ध-स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में स्थापित करना।
- (iv) कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन में पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत विकास के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण (एन.ए.एस.डी.ओ.आर.ए.) के समनुरूप संस्थागत संरचनाएं स्थापित करना और गांव स्तर पर वाटरशेड कार्यक्रम का निष्पादन और कार्यान्वयन ग्राम पंचायत (जी.पी.) की स्थायी समिति के रूप में ग्राम वाटरशेड समिति (वी.डब्ल्यू.सी.) के द्वारा किया जाए।
- (v) परियोजना की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया जा सकता है तथा इसे तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है - प्रारंभिक चरण 2 वर्षों की अवधि का होगा, संसाधन संवर्द्धन तथा संस्था निर्माण का दूसरा चरण 4 वर्षों का होगा तथा सतत आजीविका तथा उत्पादन संवृद्धि का तीसरा चरण 2 वर्षों की अवधि का होगा।

- (vi) प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 1500 रुपये का मानदण्ड रखा जाए।
- (vii) कार्यक्रम की सामाजिक, वास्तविक तथा वित्तीय लेखापरीक्षा किए जाने हेतु एन.ए.एस.डी.ओ.आर.ए. के अंतर्गत एक पृथक निगरानी एजेंसी होना।
- (viii) भूमिहीनों और दलितों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समानता और सार्वजनिक भूमि से प्राप्त होने वाले लाभों को उन्हें पहुंचाना सुनिश्चित करना तथा उत्पादों के कारगर रूप से विपणन के लिए उन्हें स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और संघों के रूप में संगठित करना।
- (ix) उद्देश्यों की प्राथमिकता स्पष्टतः निर्धारित करना - धारे तथा ईंधन सहित पेयजल और सुरक्षित सिंचाई को प्रथम स्थान पर रखा जाए।
- (x) मांग को कम करने तथा अन्य उपयोगों को विनियमित करने के लिए वाटरशेड कार्यक्रम में स्थायी तौर पर शुष्क भूमि कृषि प्रक्रियाओं के पैकेज को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- (xi) पशुधन प्रबंधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, मत्स्य पालन तथा अन्य भूमि आधारित कार्यकलापों को वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में अवश्य ही एकीकृत किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मूल्यवर्धित कर

2578. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यवर्धित कर तम्बाकू तथा इससे बने उत्पादों पर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी पर लगाए जा रहे मूल्यवर्धित कर की दरों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान किसानों तथा तम्बाकू एवं सम्बद्ध उद्योगों में लगे कामगारों के लाभार्थ कोई कर सम्बंधित कल्याणकारी उपाय लागू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) और (ख) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के तहत इस समय तम्बाकू और इससे बने उत्पाद बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (अ.उ.शु.) के उदग्रहण के अध्याधीन हैं। संविधान का (राजस्व का वितरण) आदेश सं. 5, 2005 जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय करों के आवंटन को विनियमित करता है में एक परन्तुक निहित है कि यदि कोई राज्य एक वर्ष में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कोई कर या शुल्क लगाता है तो केन्द्रीय करों की प्राप्ति से उस वर्ष उस राज्य को कोई हिस्सा देय नहीं होगा। इसे देखते हुए, राज्य सामान्यतः तम्बाकू और इससे बने उत्पादों पर वेट नहीं लगाते यद्यपि भारत के संविधान की राज्यसूची की प्रविष्टि 54वीं के अन्तर्गत ऐसे कर लगाने की शक्तियाँ उनके पास हैं।

(ग) से (ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर लगाता है और उसकी आय को बीड़ी संस्थापनों में लगे कामगारों के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों के लिए उपयोग किया जाता है। किए जा रहे कल्याण उपायों में बीड़ी कामगार को मकान के निर्माण के लिए 40,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराना, चार अस्पतालों को चलाना, हृदय रोग, शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों के मामलों में व्यय की प्रतिपूर्ति, बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, बीड़ी कामगार की बेटियों की शादी के लिए सहायता उपलब्ध करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि

2579. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उपग्रह चित्रों से एकत्र की गई सूचनाओं तथा उन्हें भूगोलीय सूचना प्रणाली मॉडल के आधार पर एकीकृत करने के लिए पश्चिम मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बढ़ते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र की समस्या से निपटने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सन्बंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**स्वयं सहायता समूहों के लिए
बचत एवं ऋण योजना**

2580. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने डाक विभाग के सहयोग से देश के कुछ जिलों में स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के लिए बचत एवं ऋण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का देश के अन्य जिलों में विस्तार करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। नाबार्ड ने वर्ष 2003 में तमिलनाडु परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल को 34 लाख रु. की परिक्रामी निधि सहायता (आर.एफ.ए.) मंजूर की थी, ताकि तमिलनाडु के चुनिंदा डाकघरों के जरिए कांचीपुरम एवं पुडुकोट्टई जिलों में 200 स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया जा सके। हालांकि स्व-सहायता समूहों को 9% वार्षिक ब्याज-दर पर ऋण दिए जाते हैं, तथापि डाकघरों को लिए गए ब्याज में से 3% का ब्याज मार्जिन रखने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, स्व-सहायता समूहों से लिए गए वास्तविक ब्याज की राशि नाबार्ड और डाकघर के बीच 2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी।

ग्राम स्तर पर अभिज्ञात किए गए डाकघर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रवर्तित स्व-सहायता समूहों के नाम में बचत खाते खोलने की व्यवस्था करेंगे। स्व-सहायता समूह की बचत राशि को, मंजूर किए गए ऋण की प्रतिभूति के भाग के रूप में डाकघरों द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए।

डाकघर में बचत खाता रखने वाले स्व-सहायता समूह, जो स्व-सहायता समूह के गठन और उसकी बचत की शुरुआत के बाद उनकी पहली बैठक की तारीख से 6 माह पुराने हों, ऋण के लिए पात्र होंगे।

डाकघरों द्वारा स्व-सहायता समूहों को केवल मीयादी ऋण दिए जाने हैं, जिनकी चुकोती की अवधि दो वर्ष होगी।

(ग) और (घ) यह परियोजना तमिलनाडु के कुछ चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को मार्च 2010 तक समाप्त किया जाना है और अनुभव के आधार पर अगली कार्यवाई/देश के अन्य भागों में इसी तरह की योजना चलाने पर विचार किया जाएगा।

डी.टी.ए.टी. के अंतर्गत कर अपवंचन

2581. श्री उदय सिंह:

श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के ध्यान में आए डबल टैक्सेशन अवोइडेंस ट्रीटीज (डी.टी.ए.टी.) के उल्लंघन से कर अपवंचन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय का विचार कर भुगतान से बचने के लिए डी.टी.ए.टी. का उपयोग करने वालों के लिए मानदण्ड कठोर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय का विचार डी.टी.ए.टी. में खामियों को दूर करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि के प्रावधानों का लाभ लेने के प्रयासों की घटनाएं संघ सरकार के ध्यान में आई हैं जिनमें स्थायी संस्थापन का अस्तित्व, आय की विशिष्टीकरण आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

(ख) और (ग) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के माध्यम से वित्त मंत्रालय ऐसे मामलों की निरंतर जांच एवं निर्धारण कर रहा है तथा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि के साथ पठित घरेलू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) और (ड) वित्त मंत्रालय आवश्यकतानुसार संविदाकारी राज्यों के परामर्श से विद्यमान कर संधियों की समीक्षा करता है तथा उनमें संशोधन करता है।

अनुचित कर अवकाश तथा वित्तीय प्रोत्साहन

2582. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें तीव्र विकास हेतु अपनी निविदाओं में औद्योगिक परियोजनाओं हेतु अनुचित कर अवकाश तथा वित्तीय प्रोत्साहन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा ऐसी प्रथाएं वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले आदेशों के विपरीत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) अनिवार्य कर अवकाश उपलब्ध कराने की अनुचित प्रक्रिया में संलिप्त कुछ राज्य सरकारों के बारे में कोई सूचना नहीं है। वास्तव में राज्य के वित्त मंत्रियों की स्थाई समिति ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि दिनांक 1 जनवरी, 2000 के बाद किसी भी उद्योग को प्रोत्साहन से संबंधित कोई नया बिक्री कर नहीं दिया जाना चाहिए और उस समय मौजूद प्रोत्साहनों को उनकी पात्रता की अवधि तक जारी रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य मूल्य वर्धित कर की रूप रेखा को अन्तिम देने वाली राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) ने यह भी निर्णय लिया है कि औद्योगिक प्रोत्साहनों संबंधी कोई भी नया मूल्य वर्धित कर नहीं दिया जाना चाहिए और मूल्यवर्धित कर की शृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के बाद पहले से मौजूद प्रोत्साहन योजनाएं राज्यों द्वारा जारी रखी जा सकती हैं। स्थायी समिति/अधिकार प्राप्त समिति के इन निर्णयों को सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जा रहा है और इन्हें संबंधित राज्यों के मूल्य वर्धित कर कानूनों में सम्यक् रूप से शामिल किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

केताओं से रखरखाव प्रभार

2583. सरदार सुखदेव सिंह लिखा:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री नकुल दास राई:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिस्वरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आर्बटित प्लॉटों पर वाणिज्यिक भवनों

के निर्माण से संबंधित सुपर एरिया (ऑफ कारपेट एरिया) की प्रतिशतता के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाएं क्या हैं;

(ग) क्या सुपर एरिया वास्तविक कारपेट एरिया के सौ प्रतिशत से अधिक हो सकता है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का इन प्लॉटों पर बनाई गई दुकानों तथा कार्यालयों के क्रेताओं से रखरखाव प्रभार के रूप में बिल्डरों द्वारा अतिरिक्त बिल भेजने के संबंध में कोई नियंत्रण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वे वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए प्लॉटों में केवल कुल निर्मित क्षेत्र निर्धारित करते हैं। इसमें चलने फिरने वाला क्षेत्र, दीवारें, सेवाएं जैसे शौचालय तथा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र शामिल है। न्यूनतम तथा अधिकतम सुपर क्षेत्र की कोई सीमा नियत नहीं की जाती है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि सुपर क्षेत्र और वास्तविक कारपेट क्षेत्र की प्रतिशतता चलने-फिरने वाले क्षेत्र और अन्य सेवाओं पर निर्भर है। यदि काफी चौड़े गलियारे और अन्य सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराए जाते हैं, तो सुपर क्षेत्र भी बढ़ेगा।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि डी.डी.ए. द्वारा नीलामी किए गए प्लॉटों का आंतरिक रखरखाव दुकानों के खरीदारों और प्लॉटों की नीलामी के पश्चात् प्लॉटों के खरीदार के बीच आंतरिक व्यवस्था है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि जारी न किया जाना

2584. प्रो. रासा सिंह राबत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कतिपय धनराशि अभी भी जारी करना शेष है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि राज्यों द्वारा बारम्बार अनुरोध करने के बाद भी जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निधियों की रिलीज संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

न्यायालय भवनों का निर्माण

2585. श्री अनंत कुमार: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान जिला तथा सत्र न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का ब्योरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बेंकटपति):

(क) वर्ष 2005 के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय से न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों के संनिर्माण हेतु एक दस वर्षीय भावी योजना प्राप्त हुई थी।

(ख) वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों के संनिर्माण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों को कोई निधिजा जारी नहीं की गई थी, क्योंकि न्याय विभाग की योजना स्कीम को पुनः पूर्विकता आधारित बनाया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम के अधीन कर्नाटक सरकार को 2.00 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है।

[हिन्दी]

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त
कार्यों हेतु धनराशि का आबंटन

2586. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

श्री राकेश सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों में बड़ी संख्या में जिले कम वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत नए स्रोतों के निर्माण तथा अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा धनराशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) से (ग) पेयजल राज्य का विषय है तथा ग्रामीण बसावटों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह विभाग केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करता है। तथापि, राज्य सरकारें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, अत्यधिक सूखे, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी. की 5% निधियां अलग से रखी जाती हैं। यह राशि प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. दिशानिर्देशों के आधार पर रिलीज की जाती है।

[अनुवाद]

जेंडर बजटिंग

2587. डा. टोकचोम मैन्था:

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकंदर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या जेंडर बजटिंग से संबंधित कुछ गलतियों को प्रकाश में लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) क्या जेंडर बजटिंग की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (छ) महिलाओं के लिए बजटीय व्यवस्था संबंधी प्रकोष्ठ (जेंडर बजटिंग सेल) 50 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए गए हैं जिनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन योजनाओं के जो पूरी तरह से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहचान की गई महिलाओं के हित के लिए हैं, बजट प्रावधानों का ब्योरा व्यय बजट खण्ड 1, 2007-08 के विवरण सं. 20 में दिया गया है।

जेंडर बजटिंग एक विकासात्मक क्षेत्र है जहां आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हुए बजटीय संसाधनों के प्रवाह और उनकी क्षमता का अधिक यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि महिलाओं की विकास संबंधी जरूरतों का समाधान किया जा सके। वर्ष 2007-08 के बजट प्रलेखों में प्रस्तुत जेंडर बजटिंग संबंधी विवरण इन प्रयासों का परिणाम है।

जेंडर बजटिंग की स्थापना जेंडर बजटिंग को मानिटर करने और जेंडर संवेदी कार्यक्रम/योजनाएं तैयार, उनका उचित रूप से कार्यान्वयन और विश्लेषण करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली प्रदान करने के प्रति किया गया प्रयास है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ
1	2
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग

1	2
2.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
3.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
4.	नागरिक विमानन विभाग
5.	कोयला विभाग
6.	वाणिज्य विभाग
7.	संस्कृति मंत्रालय
8.	उपभोक्ता मामले विभाग
9.	पूर्वोत्तर विकास विभाग
10.	पेय जलापूर्ति विभाग
11.	विदेश मंत्रालय
12.	बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
13.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
14.	परिवार कल्याण विभाग
15.	उर्वरक विभाग
16.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
17.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
18.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
19.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
20.	भारी उद्योग विभाग
21.	स्वास्थ्य विभाग
22.	गृह मंत्रालय
23.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
24.	विधि कार्य विभाग
25.	विधायी विभाग
26.	खान विभाग
27.	गैर-पारम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

1	2
28.	महासागर विकास विभाग
29.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
30.	पंचायती राज मंत्रालय
31.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय
32.	डाक विभाग
33.	विद्युत मंत्रालय
34.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
36.	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
37.	लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
39.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
40.	नीवहन विभाग
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
42.	दूरसंचार विभाग
43.	कपड़ा मंत्रालय
44.	पर्यटन मंत्रालय
45.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
46.	शहरी विकास विभाग
47.	शहरी रोजगार एवं निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय
48.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
49.	जल संसाधन मंत्रालय
50.	युवा एवं खेल मंत्रालय

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं

2588. श्री निखिल कुमार:

श्री जुएल ओराम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल इनवॉयरमेंट फैसिलिटी ने भारत में अपनी तरह के प्रथम कोल फायर्ड जेनरेशन रिहैबिलिटेशन पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सह-वित्तपोषण हेतु अनुदान की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कुछ अन्य कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक से 136 मिलियन अमरीकी डॉलर का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आई.बी.आर.डी.) ऋण और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (जी.ई.एफ.) से 60 मिलियन अमरीकी डॉलर अनुदान के मिश्रण से भारत में कोयला से चलने वाले संयंत्रों की पुनर्स्थापना (रिहैबिलिटेशन) आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना के अंतर्गत पुनर्स्थापना (रिहैबिलिटेशन) हेतु कोयले से चलने वाले निम्नलिखित ताप विद्युत यूनिटों को प्रस्तावित किया गया है:-

(i) उत्तर प्रदेश में पनकी पावर स्टेशन (2 x 210 मे.वा.)

(ii) डी.वी.सी. का दुर्गापुर पावर स्टेशन (1 x 210 मे.वा.)

(iii) झारखंड में पतरातु (2 x 110 मे.वा.)

(iv) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि., प. बंगाल (1 x 110 मे.वा.)

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी कोयला आधारित परियोजनाओं की स्थापना कर रहे हैं।

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत महिला लाभार्थी

2589. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत महिलाओं द्वारा उपयोग किए गए श्रम दिवसों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ब्योरा संलग्न में दिया गया है।

(ख) से (घ) अधिनियम की अनुसूची-II की धारा 6 में प्रावधान है कि महिलाओं को प्राथमिकता इस तरह दी जाएगी कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी वे महिलाएं होंगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जिन्होंने कार्य के लिए अनुरोध किया है। अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 34 में यह प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक रोजगार के मामले में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। महिलाओं द्वारा उपयोग किए गए श्रम दिवस की संख्या (जनवरी, 2007 तक) 2610.74 लाख है। राज्यों को कार्य समय और गति अध्ययन शुरू करने की सलाह दी गई है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत रोजगार सृजन

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं द्वारा किए गए कार्य के दिवस (लाख श्रम दिवस)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	264.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.36
3.	असम	116.17
4.	बिहार	50.54
5.	छत्तीसगढ़	172.31
6.	गुजरात	35.33
7.	हरियाणा	4.91

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1.76
9.	जम्मू-कश्मीर	0.01
10.	झारखण्ड	106.83
11.	कर्नाटक	84.28
12.	केरल	3.92
13.	मध्य प्रदेश	688.04
14.	महाराष्ट्र	137.79
15.	मणिपुर	3.31
16.	मेघालय	एन.आर.
17.	मिजोरम	0.78
18.	नागालैण्ड	3.54
19.	उड़ीसा	166.58
20.	पंजाब	3.82
21.	राजस्थान	516.87
22.	सिक्किम	0.36
23.	तमिलनाडु	62.26
24.	त्रिपुरा	34.34
25.	उत्तर प्रदेश	98.67
26.	उत्तरांचल	7.47
27.	पश्चिम बंगाल	45.04
कुल		2610.74

नोट: विवरण राज्य सरकारों से जनवरी, 2007 तक की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया।

हिन्दू विवाह अधिनियम

2590. श्री अधीर चौधरी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबों को कानूनी सहायता

2591. श्री मनसुखभाई डी. बसावा:

डा. के.एस. मनोज:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गरीबों तथा विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या उन सभी राज्यों ने धनराशि का उचित उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना हेतु मानदंडों में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) गरीबों और विचाराधीन कैदियों को प्रभावी रूप से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति):

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 14 के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को निधियों का आबंटन किया जाता है और वह आगे उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों/स्कीमों के, जिनके अंतर्गत निर्धनों और विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता भी है, कार्यान्वयन हेतु उपयोग किए जाने के लिए निधियों का आबंटन करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 में से प्रत्येक के दौरान राज्यवार आबंटित रकम को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(ग) और 4(झ) के अधीन निधियों का उपयोग और विधिक सहायता कार्यक्रमों की मानीटरी और मूल्यांकन केन्द्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) के कृत्य हैं, जिसने यह सूचना दी है कि राज्यों ने उचित रूप से निधियों का उपयोग किया है।

(घ) और (ङ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कमजोर वर्गों के व्यक्ति, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य, मानवों में दुर्घ्यापार का शिकार कोई व्यक्ति या संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट कोई भिखारी, कोई स्त्री, बालक, मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति और औद्योगिक कर्मकार आदि निःशुल्क विधिक सहायता और सहयोग के लिए हकदार हैं। जहां तक व्यक्तियों के अन्य वर्गों का संबंध है, प्रारंभ में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 9,000/-रुपए से अधिक नहीं थी, उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र था। उच्चतम

न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में, पूर्व में यह सीमा 12,000/- रुपए पर नियत की गई थी और अब इस आय सीमा को केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाकर 50,000/- रुपए कर दिया गया है। जहां तक उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों का संबंध है, 29-02-2004 और 01-03-2004 को कोलकाता में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चौथी वार्षिक बैठक में यह विनिश्चय किया गया है कि विधिक सेवा अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 12(ज) के निबंधनों के अनुसार आय सीमा को बढ़ाकर 50,000/- रुपए किया जाए।

(घ) नालसा ने विचारणाधीन कैदियों को, जो संसाधनों की कमी या अन्य निःशक्तताओं के मद्दे अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में असहाय महसूस करते हैं और अपनी प्रतिरक्षा के लिए काउंसेल नियोजित नहीं कर सकते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सहायता काउंसेल स्कीम आरंभ की है। अब, प्रत्येक मजिस्ट्रीयल न्यायालय के साथ विधिक सहायता काउंसेल सहबद्ध किए गए हैं जो ऐसे व्यक्तियों को, जो काउंसेल नियुक्त करने में असमर्थ हैं, उस प्रक्रम से जब उसे पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, सहायता उपलब्ध कराते हैं और उसकी प्रतिरक्षा करते हैं।

विवरण

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आबंटित रकम के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2003-04 (रुपए में)	2004-05 (रुपए में)	2005-06 (रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2609633	2500000	2500000
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	747244	400000
3.	असम	2094216	1000000	1500000
4.	बिहार	494924	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	1429987	शून्य	1500000
6.	गोवा	शून्य	655000	शून्य

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	3000000	1500000	3000000
8.	हरियाणा	528500	500000	1750000
9.	हिमाचल प्रदेश	600000	1216199	1000000
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	600000
11.	झारखण्ड	546148	शून्य	1500000
12.	कर्नाटक	शून्य	1285361	1500000
13.	केरल	3700000	5584000	6500000
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	499900	800000
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	2750000
16.	मणिपुर	शून्य	150000	300000
17.	मेघालय	शून्य	237522	शून्य
18.	मिजोरम	500000	350000	562000
19.	नागालैण्ड	शून्य	200000	665000
20.	उड़ीसा	1300000	700000	1500000
21.	पंजाब	1528500	1500000	1300000
22.	राजस्थान	5200000	2000000	1500000
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	246215
24.	तमिलनाडु	426842	1000000	2000000
25.	त्रिपुरा	1200000	1215000	2200000
26.	उत्तर प्रदेश	500000	1417000	3735000
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	2166990
28.	पश्चिमी बंगाल	4261855	2700000	3850000
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
30.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	528500	500000	शून्य
31.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	200000

1	2	3	4	5
32.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	660000	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	1000000	500000	500000
कुल योग		32109105	27957226	46025205

धान के पुआल से विद्युत

2592. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में धान के पुआल से विद्युत उत्पादन हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा धान के पुआल से विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में अब तक राज्य-वार ऐसे कितने संयंत्रों की स्थापना की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तैमवार): (क) और (ख) देश में धान उत्पादक क्षेत्रों में धान के पुआल से विद्युत उत्पादन हेतु अलग से कोई कार्य योजना नहीं है। तथापि, विभिन्न प्रकार की बायोमास सामग्रियों नामतः धान के पुआल, चावल-भूसी, नारियल भूसी, मूंगफली के छिलके, कपास के डंठल, लकड़ी के बुरादे, सरसों के डंठल, प्रोसोपिसजुलीफ्लोरा, खोई और इनके मिश्रम आदि का उपयोग करने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में धान के पुआल और खोई सह-उत्पादन सहित बायोमास आधारित 700 मेगावाट की ग्रीड-सम्बद्ध विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। धान उत्पादक क्षेत्रों सहित बायोमास से विद्युत के उत्पादन हेतु अब तक 1101 मेगावाट की संचयी क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 11वीं योजना अवधि के लिए

1700 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के संयोजन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें 500 मेगावाट की बायोमास विद्युत परियोजनाएं और 1200 मेगावाट की खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार द्वारा धान के पुआल सहित बायोमास से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सब्सिडी और त्वरित मूल्यहास, करों और शुल्कों से राहत, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक बायोमास विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग और खरीद-वापसी के लिए संभाव्यता वाले राज्यों में नीतियां प्रारंभ की गई हैं।

(ङ) ऐसी परियोजनाओं की संख्या और संस्थापित क्षमता के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बायोमास विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और संस्थापित क्षमता (31-12-2006 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	52	301.25
2.	छत्तीसगढ़	11	88.50

1	2	3	4
3.	गुजरात	1	0.50
4.	हरियाणा	2	6.00
5.	कर्नाटक	27	254.28
6.	मध्य प्रदेश	1	1.00
7.	महाराष्ट्र	14	62.00
8.	पंजाब	4	28.00
9.	राजस्थान	3	23.30
10.	तमिलनाडु	22	215.50
11.	उत्तर प्रदेश	13	121.50
कुल		150	1101.83

शहरी रोजगार

2593. श्रीमती कल्पना नरेश नरहिरे: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास शहरी रोजगार से संबंधित लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं किस तारीख से लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ शासित सरकारों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर चलाई जा रही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय धनराशि रिलीज की जाती है। एस.जे.एस.आर.वाई. का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धनों को लघु उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना और उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में शहरी निर्धनों के श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना है। एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत वित्त वर्ष के प्रारंभ में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके राज्य/संघ शासित प्रदेश में शहरी

गरीबी के अनुपात में अंतरिम आधार पर केन्द्रीय धनराशि नियत की जाती है और बाद में यह धनराशि पहले दी गई केन्द्रीय धनराशि के लिए प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों और विगत में दिए गए समान राज्य अंशदान के आधार पर किरतों में दी जाती है। अंतरिम नियतन के अलावा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राज्य में योजना की वास्तविक व वित्तीय प्रगति और उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त धनराशि भी दी जाती है। एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से शहरी रोजगार के लिए प्रस्ताव नहीं प्राप्त होते और केवल अतिरिक्त धनराशि, यदि आवश्यक हो, के लिए मांग प्राप्त होती है अतः शहरी रोजगार से संबंधित परियोजनाओं के लंबित रहने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कारण हानि

2594. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) को प्रदान की गई शुल्क रियायत के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या इस दुरुपयोग को समाप्त करने/घटाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को सीमा शुल्क की रियायतों का दुरुपयोग किये जाने का पता चला है। गत पांच वर्षों के लिए ब्योरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
2002-03	12	7.66

1	2	3
2003-04	28	117.17
2004-05	23	14.67
2005-06	9	4.16
2006-07 (फरवरी, 2007 तक)	8	0.28

(ग) दुरुपयोग का पता चलने के उपरान्त जांच की कार्रवाई की जाती है जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने/मामलों के न्यायनिर्णयन की अर्द्ध-न्यायिक कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त मामलों में अब तक 1.50 करोड़ रु. की राशि वसूली जा चुकी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विशेष आर्थिक जोन यूनितें वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होते हैं, की निगरानी में कार्य करती हैं, जो डी.टी.ए. से आयातित अथवा प्रापण किए गए माल के उपयोग की निगरानी और विशेष आर्थिक जोनों में इकाइयों के कार्य-निष्पादन की जांच करते हैं।

सीमा-शुल्क अधिकारी विशेष आर्थिक जोनों में माल के आने और जाने को नियंत्रित करते हैं। वे विशेष आर्थिक जोन में माल के मूल्यांकन/वर्गीकरण और उपलब्ध रियायतों की भी जांच करते हैं। उपर्युक्त के अलावा राजस्व आसूचना निदेशालय विशेष सूचना/आसूचना के किसी दुरुपयोग का पता लगाने के लिए अनुपूरक प्रयास भी करता है। इसके अलावा केन्द्रीय प्राप्ति या लेखा परीक्षा डाटा नियमित लेखा परीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की गई है। ऐसे दुरुपयोग को होने का पता लगाने के लिए विकास आयुक्त और सीमा शुल्क द्वारा विशेष आर्थिक जोन में यूनितों की संयुक्त निगरानी के लिए भी एक तंत्र है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण

2595. डा. के.एस. मनोज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरों का चयन कर लिया है जहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

(जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत अवसंरचना का उन्नयन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ शहर-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण ले रही है; और

(ङ) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक से लिए गए ऋण का ब्योरा क्या है तथा इसकी शर्तें क्या-क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) और (ख) जी हां। 63 चुनिंदा शहरों में अवस्थापना का सुधार करने, उन्नत सेवाएं प्रदान करने तथा शासन के लिए सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने हेतु दिनांक 3-12-2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया था। शहरों की सूची संलग्न विवरण में है। छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) नामक अन्य स्कीम भी साथ ही साथ आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत शामिल सभी अन्य कस्बों व शहरों में शहरी अवस्थापना में सुधार करना, शहरी गरीबों को सेवाओं सहित उन्नत सेवा प्रदान करना तथा उन्नत शहरी शासन प्रदान करना है।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एक मांग मूलक स्कीम है। कोई शहर-वार धनराशि आवंटित नहीं की गई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	शहर का नाम
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
	विशाखापटनम

राज्य का नाम	शहर का नाम	राज्य का नाम	शहर का नाम
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर		जबलपुर
असम	गुवाहाटी		उज्जैन
बिहार	बोध गया	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई
	पटना		नागपुर
चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़		नांदेड़
छत्तीसगढ़	रायपुर		नासिक
दिल्ली	दिल्ली		पुणे
गोवा	पणजी	मणिपुर	इम्फाल
गुजरात	अहमदाबाद	मेघालय	शिलांग
	राजकोट	मिजोरम	आयजवाल
	सूरत	नागालैंड	कोहिमा
	वडोदरा	उड़ीसा	भुवनेश्वर
हरियाणा	फरीदाबाद		पुरी
हिमाचल प्रदेश	शिमला	पांडिचेरी	पांडिचेरी
जम्मू-कश्मीर	जम्मू	पंजाब	अमृतसर
	श्रीनगर		लुधियाना
झारखंड	धनबाद	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर
	जमशेदपुर		जयपुर
	रांची	सिक्किम	गंगटोक
कर्नाटक	बंगलौर	तमिलनाडु	चेन्नई
	मैसूर		कोयम्बटूर
केरल	कोच्चि		मदुरै
	तिरुवनन्दपुरम	त्रिपुरा	अगरतला
मध्य प्रदेश	भोपाल	उत्तर प्रदेश	आगरा
	इंदौर		इलाहाबाद

राज्य का नाम	शहर का नाम
उत्तरांचल	कानपुर
	लखनऊ
	मथुरा
	मेरठ
	वाराणसी
	देहरादून
पश्चिम बंगाल	हरिद्वार
	नैनीताल
	आसनसोल
	कोलकाता

माशेलकर समिति

2596. श्री के.सी. पत्सानी शास्त्री: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के सभी प्रमुख संस्थाओं में क्रेच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के अन्तर्गत 90 दिनों से 10

वर्षों तक की आयु वाले बच्चों के लिए क्रेच अथवा दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र मुहैया करने की स्कीमें हैं। सरकार ने विज्ञान में महिलाओं के लिए एक कार्यदल की भी स्थापना की है जो संस्थानों में, जहां महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं, क्रेच और दिन में देखभाल सुविधाओं को मुहैया कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है।

(ग) सरकार द्वारा श्री आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता वाली किसी समिति का गठन नहीं किया गया है जो महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के सभी बड़े संस्थानों में क्रेच स्थापित किये जाने के लिए हो।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बायो-डीजल संयंत्र

2597. श्री एम. शिवन्ना: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे.एस.एस. एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी (जे.एस.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, बंगलोर) द्वारा कुछ निजी कंपनियों के सहयोग से बायो-डीजल संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे बायो-डीजल संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेनवार): (क) और (ख) जे.एस.एस. एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बंगलोर ने सूचना दी है कि जे.एस.एस. एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मैसर्स मलनाद एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, सिमोगा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत बायो-डीजल संयंत्र का विकास किया है। इस बायो-डीजल संयंत्र की क्षमता 1 टन तिलहन (ऑयल सीड) प्रतिदिन और 250 लीटर प्रतिदिन बायो-डीजल की है।

(ग) से (च) जे.एस.एस. एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आगे यह सूचना दी है कि इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना

के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में ऐसे चार संयंत्रों की स्थापना का प्रायोजन किया है।

मानेसर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

2598. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मानेसर (गुड़गांव) में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग संबंधी परिषद् द्वारा 19-09-1998 को गठित प्रशासन और विधिक सरलीकरण संबंधी विशेष विषय समूह की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान

2599. श्री एन. अप्पाधुरई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों से अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि बैंक में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के बदले अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त राशि का भुगतान करने की योजना 4 अगस्त, 2005 से शुरू की गई थी। जिन दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदनपत्र 4 अगस्त 2005 की स्थिति के अनुसार लम्बित थे, उन्हें सलाह दी गई थी कि नई योजना के तहत आवेदन करें।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सफाई योजना

2600. श्री अनन्त नायक: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों के लोगों को मूलभूत सफाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की शुरुआत दिसंबर, 2005 में शहरी गरीबों को जल और सफाई सहित बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) उपमिशन में 63 चिन्हित शहरों को शामिल किया गया है। एकीकृत आवासीय और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) में मिशन से भिन्न शहरों में स्लम उन्मयन का कार्य शामिल है। केन्द्र और राज्यों के बीच धनराशि के बंटवारे का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शहरों की श्रेणी	बी.एस.यू.पी. परियोजनाएं		आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाएं	
	केन्द्रीय अंश अनुदान	राज्य/यू.एल.बी/पैरास्टेटल/लामार्थी	केन्द्रीय अंश अनुदान	राज्य/यू.एल.बी/पैरास्टेटल/लामार्थी
1	2	3	4	5
घस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	50%	50%	-	-

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर/ विशेष श्रेणी राज्य	90%	10%	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%	80%	20%

सेवा-कर

2601. श्री एम.पी. बीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सेवाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा सेवा-कर लिया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): संसद को भारत के संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत सेवाओं पर कर लगाने संबंधी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। वर्तमान में, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) में विनिर्दिष्ट 99 सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है।

राज्य वित्त निगम

2602. श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य वित्त निगम (एस.एफ.सी.) घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जी.पी. गुप्ता समिति रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य वित्त निगमों का पुनर्गठन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान असम (1789 लाख रुपए), हिमाचल प्रदेश (460 लाख रुपए), जम्मू एवं कश्मीर (172 लाख रुपए), केरल (193 लाख रुपए), मध्य प्रदेश (514 लाख रुपए), महाराष्ट्र (613 लाख रुपए) और पंजाब (669 लाख रुपए) राज्यों में राज्य वित्तीय निगमों को हानियां हुई हैं। इस वर्ष के लिए बिहार और गुजरात राज्य वित्तीय निगमों की वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा, शीर्ष प्रबंधन में बारंबार होने वाले परिवर्तन, प्रबंधन के द्वितीय स्तर का अभाव, स्टाफ की अधिकता, कम वसूली, कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात, बढ़ती हुई अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.), निधियों की अधिक लागत, आदि राज्य वित्तीय निगमों को हानियां होने के मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों को सम्मिलित करते हुए 11 राज्य वित्तीय निगमों के साथ त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य वित्तीय निगमों की समग्र स्थिति और कार्यकरण में सुधार किया जा सके। भारतीय लघु उद्योग विकास राज्य वित्तीय निगमों को उनके अधिक लागत वाले पुनर्वित्त का पहले मुगतान करने की अनुमति देने के अलावा उन्हें रियायती ब्याज दरों पर सहायता और आवश्यकता पर आधारित पुनर्निर्धारण/राहत पैकेज प्रदान कर रहा है। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार राज्य वित्तीय निगमों के शेयरधारक नहीं हैं, इसलिए भारत सरकार के लिए राज्य वित्तीय निगमों में निधियों का निवेश करना संभव नहीं है, जैसा कि जी.पी. गुप्ता समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए बीमा योजना

2603. श्री अद्यलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश बर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री गणेश सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण परिवारों के लाभ हेतु तैयार की गई इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामान्य बीमा कंपनियों से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-बीमित उत्पादों को बढ़ावा देने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और विकलांगता बीमा संरक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों के परामर्श से, वर्ष 2007-08 में एक नई बीमा योजना "आम आदमी बीमा योजना" कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, परिवार के मुखिया या परिवार के एक अर्जक सदस्य को, प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति 200 रु. के प्रीमियम की अदायगी पर बीमित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने 50% प्रीमियम को वहन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पुनः तैयार की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.), बी.पी.एल. परिवारों के लिए वर्ष 2004-05 में, एक व्यक्ति के लिए, 5 सदस्यों के परिवार के लिए और 7 सदस्यों के परिवार के लिए, क्रमशः 200 रु., 300 रु. और 400 रु. की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता सहित 365 रु., 548 रु. और 730 रु. के प्रीमियम पर शुरू की गई थी। यह योजना बी.पी.एल. परिवारों को फ्लोटर आधार पर 30,000/- तक के अस्पताल का खर्च प्रदान करती है। परिवार के अर्जक मुखिया की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 25,000/- रु. की बीमा सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा, परिवार के अर्जक मुखिया को अस्पताल में भर्ती होने की अवधि में 50 रु. की प्रतिदिन दर से अधिकतम 15 दिन तक देय हैं।

इसके अतिरिक्त, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा जारी व्यक्ति बीमा विनियमावली, 2005 के अध्यक्षीन बीमा कंपनियां, कम आय वाले समूहों को लक्ष्य करके, कम बीमित राशि सहित (न्यूनतम 5000 रु. तथा अधिकतम 30,000 रु.) विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) यू.एच.आई.एस. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में की गई प्रगति इस प्रकार है:-

वर्ष	बीमित किए गए परिवार	बीमित किए गए व्यक्ति
2004-05	65,718	1,82,641
2005-06	76,605	2,47,801
2006-07 (जनवरी, 07 तक)	83,950	4,01,099

कर्नाटक में अध्ययन केन्द्र

2604. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी अवसंरचना में सुधार को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में एक शहरी अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजना हेतु "शहरी कोष" शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

करों में संग्रहण पर खर्च

2605. श्री वलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान करों के संग्रहण पर वर्ष-वार तुलनात्मक रूप से कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या करों के संग्रहण पर होने वाले खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा करों के संग्रहण पर आने वाली लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कन):

(क) गत तीन वर्षों के दौरान करों के संग्रहण पर किया गया तुलनात्मक व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	किया गया व्यय (रु. करोड़ में)	
	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2003-04	1050.26	1201.04
2004-05	1138.05	1272.27
2005-06	1193.95	1360.71

(ख) और (ग) जी हां, वेतन इत्यादि के लिए भुगतान में वृद्धि और अन्य व्यय घटकों पर मुद्रा स्फीति के प्रभाव के कारण करों के संग्रहण पर व्यय बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन और सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय में वृद्धि के कारण भी यह बढ़ गया है।

(घ) यद्यपि, कर संग्रहण के सम्बन्ध में व्यय बढ़ता जा रहा है, व्यय की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित संग्रहण की लागत लगातार कम होती जा रही है।

[हिन्दी]

"बेसिल-II" मानदंडों का क्रियान्वयन

2606. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत विदेशी बैंकों और विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों में "बेसिल-II" मानदंडों के क्रियान्वयन को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ताकि उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा बासेल-II मानदंडों को अपनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसने सभी बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए 31 मार्च, 2007 को निर्धारित तारीख का संकेत दिया था। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को उपयुक्त प्रणाली को लागू करने के लिए कुछ और समय देने का निर्णय लिया गया है ताकि बासेल-II मानदंड के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंक एवं भारत के बाहर भारतीय बैंकों को 31 मार्च, 2008 से बासेल-II मानदंडों के तहत ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण एवं परिचालन जोखिम के लिए आधार संकेतक दृष्टिकोण को अपनाना है। अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 31 मार्च, 2009 तक बासेल-II मानदंडों के तहत इन दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों के
बैंकों का कार्यकरण

2607. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

श्रीमती रुपाताई डी. पाटील:

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कार्यकरण में अनेक खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर भिन्न-भिन्न ब्याज दरें लगाई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण में सुधार करने और ब्याज दरों को समान बनाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं अथवा कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में अधिक वित्त निवेश एवं वित्तीय सेवाएं बढ़ाने और साथ ही इस क्षेत्र के लिए निगरानी-योग्य कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना संबंधी समिति (सी.एफ.एस.पी.) बनाई थी।

समिति ने पाया कि बैंकिंग एवं वित्तीय विकास में बाधा डालने वाले मुख्य कारण हैं:- क्षेत्र की स्थलावृत्ति, जनसंख्या का छितरा हुआ होना, परिवहन, दूरसंचार एवं विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं में अवरोध, व्यवसायीकरण स्तर का कम होना, उद्यम वृत्ति का अभाव, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को पट्टे पर देने की प्रणाली, विकास संबंधी कार्यनीति का ऋणों के बजाए अनुदानों पर आधारित होना, बैंक शाखाओं का छोटा नेटवर्क, स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप सरल उपभोक्ता अनुकूल एवं लचीले वित्तीय उत्पादों का अभाव तथा ऋण वसूली अनुभव का अछा न होना आदि।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर, 1991 से 2 लाख रु. से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है। बैंकों द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण बैंचमार्क मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) तथा विस्तारित दिशानिर्देशों के अध्यधीन अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं किया जाता है। अपने ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधान संबंधी विनियामक अपेक्षा/

पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए एक न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अपनी बी.पी.एल.आर. निर्धारित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बी.पी.एल.आर. में वास्तविक लागत वास्तव में प्रतिबिम्बित हो। अतः अलग-अलग बैंक उधारकर्ता विशेष से ली जाने वाली ब्याज दरों का निर्धारण अपनी बी.पी.एल.आर. तथा विस्तारित दिशानिर्देशों के अधीन करते हैं। तथापि, यह निर्धारित किया गया है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण बी.पी.एल.आर. से अधिक नहीं होंगे अलग-अलग बैंक अमुक उधारकर्ता विशेष से ली जाने वाली ब्याज दरों का निर्धारण अपनी बी.पी.एल.आर. तथा विस्तारित दिशानिर्देशों के अधीन करते हैं, अतः एक बैंक से दूसरे बैंक की ब्याज दरों में अंतर हो सकता है।

(ड) और (घ) पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र आयोजना संबंधी समिति (सी.एफ.एस.पी.) ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने, निवेश का अनुकूल परिवेश सृजित करने, विकास के लिए नीतिगत लाभ के कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने और एक अनुकूल ऋण संस्कृति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था।

बैंकों के लिए समिति की सिफारिशों में उनकी पहुँच बढ़ाने तथा अधिक वित्तीय अंतर्वेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

समिति ने अधिक वित्तीय अंतर्वेशन हेतु एन.ई.आर. के कम सेवा वाले उन क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं एवं करेंसी चेस्ट (तिजोरी) खोलने जहां सम्भाव्यता उपलब्ध है, और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के भी सुझाव दिए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और गरीबी उपशमन

2608. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकास का लाभ सभी नागरिकों तक नहीं पहुँच रहा है;

(ख) क्या सरकार के लक्ष्यानुसार देश में गरीबी और बेरोजगारी में कमी नहीं आई है;

(ग) क्या ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर एक बिंदु पर आकर ठहर गई है;

(घ) क्या इसके कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश के 25 करोड़ नागरिक प्रतिदिन केवल 12 रुपए पर जीवित रहते हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (छ) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी विशाल प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय गरीबी की स्थिति का आकलन करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर, जैसाकि ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण में बताया गया है, 2004-05 में यूनिफार्म रिकॉल पीरियड का उपयोग करते हुए निर्धनता का अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 27.8 प्रतिशत आंका गया है और यह 1993-94 के लिए आकलित 36 प्रतिशत के निर्धनता आकलन की दृष्टि से अतुल्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा दैनिक स्थिति आधार पर रोजगार में प्रगति 1999-2000 से लेकर 2004-05 तक प्रति वर्ष 2.01 प्रतिशत आंकी गई है। जहां तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का संबंध है, ये 1999-2000 में 251.15 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 277.46 मिलियन हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर के अनुसार देश में 29.13 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 7.13 प्रतिशत शहरी जनता का प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 12 रुपए से कम है।

(ज) मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए मंत्रालय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 चुने हुए जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य एक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक है, कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन सुरक्षा बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2007-08 से इस अधिनियम का देश के 130 और जिलों में विस्तार किया जाना है और एस.जी.आर.वाई. को इन जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया

जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख बल ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने और उन्हें ऋण और सब्सिडी के मिश्रण से सहायता देकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जैसे मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों से भी अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण रोजगार सृजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 31443.62 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की तुलना में वर्ष 2007-08 के लिए 41060 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए 4500 करोड़ रुपये ई.आई.बी.आर. शामिल हैं जिसका अर्थ यह है कि देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

[अनुवाद]

मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए धनराशि में वृद्धि करना

2609. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार मरुस्थलीय जिलों के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसमें कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. कार्यक्रमों को वर्ष 1994 में हनुमंत राव समिति द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रम को सामान्यतया गैर-डी.पी.ए.पी. और गैर-डी.डी.पी. क्षेत्रों में

कार्यान्वित किया जाता है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य डी.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के मांग आधारित कार्यक्रम होने के कारण, निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य को गत 3 वर्षों के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या तथा केन्द्रीय भाग की जारी की गई निधियों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
---------	------	---------------------------------	-----------------------------------

डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम

1.	2003-04	296	14.84
2.	2004-05	303	34.86
3.	2005-06	310	44.49
4.	2006-07	436	36.83

आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रम

1.	2003-04	9	9.49
2.	2004-05	10	16.60
3.	2005-06	14	20.52
4.	2006-07	31	20.10

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

2610. श्री एस.के. खारवेनखन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों और ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण और इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्योरा क्या है;

(ग) सभी शाखाओं में यह सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कारबार को शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत करने के केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के निदेश के आधार पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कारबार के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इंटरनेट आधारित सेवा (अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग) बैंकों द्वारा अपने ग्राहक वर्ग की अपेक्षाओं तथा अपनी कारबार नीतियों के आधार पर दी गई एक सुविधा है। हालांकि सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे स्थायी विद्युत आपूर्ति का अभाव, पट्टे (लीज) पर लाइनों तथा अन्य प्रकार के सम्पर्क हेतु सेवा प्रदाताओं की अनुपलब्धता, की कमी कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु मुख्य बाधाएं रही हैं। तथापि, सभी बैंकों ने आगामी एक से चार वर्षों में विभिन्न चरणों में पूरी तरह से सी.बी.एस. अपनाने की अपनी योजना बनाई है।

दिल्ली में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियां

2611. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्यर समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 133 सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सम्पत्तियों को वक्फ बोर्डों को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बताया है कि सच्यर समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध कब्जे में 114 वक्फ संपत्तियां होने की सूचना दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इनमें से अधिकांश संपत्तियां तत्कालीन दिल्ली सुधार न्यास (डी.आई.टी.) ने ली थीं। इन संपत्तियों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सर्वेक्षण/फील्ड जांच शुरू की है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के निष्कर्ष/दावों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अनुसंधान संबंधी ठेके

2612. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंसलटेंटों, गैर-सरकारी संगठनों, अकादमिक और अनुसंधान संगठनों इत्यादि को दिए गए अनुसंधान संबंधी ठेकों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे अनुसंधान संबंधी ठेकों की जानकारी मंत्रालय के वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए लेकिन यह जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन अनुसंधान संबंधी ठेकों के विषयों का निर्णय करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) अनुसंधान संबंधी ठेके देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

मूल्यवर्द्धित कर

2613. श्री के.सी. पल्लानी शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्यवर्द्धित कर (वैट) को लागू किए जाने के पश्चात् अभी तक राज्य-वार कितना राजस्व संग्रहीत किया गया है; और

(ख) मूल्यवर्द्धित कर (वैट) के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसे प्रत्येक राज्य को संवितरित मुआवजे का ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए अर्न्तम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर) वैट का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों का कुल कर राजस्व का ब्योरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) 12 मार्च, 2007 तक वेट के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 8 राज्यों को 5,702.28 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई। राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

आन्ध्र प्रदेश (404.06 करोड़ रु.),
 बिहार (272.98 करोड़ रु.),
 कर्नाटक (1,664.28 करोड़ रु.),
 केरल (692.70 करोड़ रु.),
 महाराष्ट्र (2,374.61 करोड़ रु.),
 सिक्किम (5.87 करोड़ रु.),
 त्रिपुरा (8.93 करोड़ रु.) और
 पश्चिम बंगाल (278.85 करोड़ रु.)

विवरण

वेट के कार्यान्वयन करने वाले राज्यों का कर राजस्व

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	कर राजस्व	
		2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12569.91	10969.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.50	31.78
3.	असम	1823.02	1393.39
4.	बिहार	2387.49	1755.53
5.	चण्डीगढ़	401.60	345.87
6.	छत्तीसगढ़	—	1387.20
7.	दादरा व नगर हवेली	121.76	97.86
8.	दमन एवं दीव	116.85	75.69
9.	दिल्ली	5686.02	4804.11
10.	गोवा	669.83	567.43

1	2	3	4
11.	गुजरात	—	8251.95
12.	हरियाणा	4400.85	3957.37
13.	हिमाचल प्रदेश	646.10	608.89
14.	जम्मू-कश्मीर	740.19	635.79
15.	झारखण्ड	—	1289.21
16.	कर्नाटक	8078.93	7368.07
17.	केरल	6937.24	5956.87
18.	मध्य प्रदेश	—	3117.38
19.	महाराष्ट्र	18669.55	16525.45
20.	मणिपुर	51.35	39.05
21.	मेघालय	145.43	114.13
22.	मिजोरम	41.16	31.75
23.	नागालैण्ड	82.08	47.79
24.	उड़ीसा	2541.09	1997.09
25.	पंजाब	4281.28	3692.46
26.	राजस्थान	—	4407.44
27.	सिक्किम	48.33	29.00
28.	त्रिपुरा	196.61	146.06
29.	उत्तरांचल	916.35	876.62
30.	पश्चिम बंगाल	5406.35	4184.22
31.	तमिलनाडु	—	11857.56
कुल योग		76993.87	96562.76

टिप्पणी: 1. वर्ष 2005-06 के दौरान, 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वेट कार्यान्वित किया गया था। अतः आंकड़े 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए हैं।

2. वर्ष 2005-07 के दौरान 6 और राज्यों ने वेट कार्यान्वित कर दिया है। अतः आंकड़े 31 राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए हैं।

अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग

2614. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंटार्कटिका में कम्प्रेस्ड स्नो के 2300 फीट नीचे पानी की झील का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग और पूरे विश्व पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। अंटार्कटिका में कार्यरत विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक हिम परत के नीचे अब तक 145 से भी अधिक उप हिमनद झीलों का पता लगाया है। अधिकांश झीलें 3000-4000 मी. मोटी हिम परत के नीचे मौजूद हैं। लगभग 4000 मी. मोटी हिम परत के नीचे मौजूद सबसे बड़ी उप-हिमनद झील 'वोस्टॉक' लगभग 14,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली हुई है।

(ग) और (घ) वैश्विक गर्मी तथा जलवायु परिवर्तन वायुमंडलीय विज्ञान की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों का एक प्रमुख हिस्सा है। वैश्विक गर्मी में ग्रीन हाउस गैसों के महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.) दिल्ली के वैज्ञानिक वर्ष 2001 से भारतीय अनुसंधान आधार मैत्री पर अंटार्कटिका में कार्बनडाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बनमोनो आक्साइड तथा जल वाष्प के स्तरों का मानीटरन कर रहे हैं, जबकि ओजोन परत पर अध्ययन भी 1990 के मध्य से किए जा रहे हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) विभाग के वैज्ञानिक 1983 से मैत्री के निकट पश्चिमी श्रीमाधर रेंज में महाद्वीपीय हिम सीमा का मानीटरन कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में बर्फ लगभग 7 मी. प्रति दशक की दर से पीछे सरक गई है। हाल ही में राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री

अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा ने अंटार्कटिका से प्राप्त उथले हिम क्रोडों का प्रयोग करके पहले के जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करने के लिए एक हिम क्रोड प्रयोगशाला स्थापित की है। अंटार्कटिका में अन्य देशों द्वारा किए गए नये गहरे हिम क्रोड अध्ययन के साथ इन अध्ययनों से पृथ्वी पर पहले के जलवायु परिवर्तनों को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिल रही है और इनसे प्राप्त डाटा भावी जलवायु स्थितियों का पूर्वानुमान करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ङ) अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुसंधानों सहित वायुमंडलीय विज्ञान पर दीर्घावधि अनुसंधान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते रहेंगे। हम अंटार्कटिका में किए जा रहे अनुसंधान को पूरा करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ अनुसंधान शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं। भारत, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष (आई.पी.वाई.) 2007-08 में भी भाग ले रहा है, जो जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक स्तर का वैश्विक वैज्ञानिक सहयोगी प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष के दौरान, जन-जागरूकता कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई है ताकि ध्रुवीय विज्ञान और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों की प्रासंगिकता को प्रकाश में लाया जा सके।

उत्तरी ध्रुव में जलवायु परिवर्तन

2615. श्री सुप्रीव सिंह:

श्री किसनभाई बी. पटेल:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी ध्रुव में जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुसंधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुसंधान पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में नार्वे के साथ किए गए सहयोग के करार का ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय अंटार्कटिका और समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.) गोवा, के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष (आई.पी.वाई.) के साथ पड़ने वाले वर्ष

2007 से आरम्भ होने वाली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान समुद्री हिम और समुद्र विज्ञान सहित वायुमण्डलीय विज्ञान, अंतरिक्ष मौसम, हिमनद विज्ञान के क्षेत्रों में प्रस्तावित है। इसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और संबद्ध क्षेत्रों का अध्ययन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने xiवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'आर्कटिक के लिए अभियान' नामक एक नई अनुसंधान स्कीम का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए 1.00 करोड़ रु. की टोकन धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

(घ) स्वालबर्ड क्षेत्र जहां नाई-एलसुंड में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा विद्यमान है, में अनुसंधान करने के लिए नार्वेवाई ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान के साथ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कार्यप्रणालियां तैयार की जा रही हैं।

मधुमेह और कैंसर की दवाई

2616. श्री किसनभाई बी. पटेल: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तट पर पाए जाने वाली कच्छ वनस्पति के पौधे से मधुमेह-कैंसर की दवाई विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दवाई को विकसित करने के लिए अभी तक आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल शिबल): (क) और (ख) जी, हां। अण्डमान और निकोबार तट सहित भारतीय जल क्षेत्र से संकलित समुद्री जीवाश्मों (वनस्पति और प्राणी) के जैव सक्रिय यौगिक का दोहन करने में लगे हुए वैज्ञानिक विभिन्न बीमारियों के लिए दवा विकसित करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया में, अंडमान और निकोबार तटों में कच्छ वनस्पति पौधे में मधुमेह

रोधी की संभावना पाई गई है। एक यौगिक (सी.डी.आर.-134डी 123) उत्पाद विकास चरण तक पहुंच गया है। इस यौगिक के चरण-1 के नैदानिक परीक्षण में एकल खुराक और बहु खुराक अध्ययन शामिल हैं। चरण-1 के एकल खुराक का नैदानिक परीक्षण 31 स्वयं सेवकों को मुंह से दवाई देकर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सभी स्वयं सेवकों ने दवा को भली भांति ले लिया है और कोई अतिरिक्त कुप्रभाव नहीं दिखाई दिया है। इस यौगिक का बहु-खुराक परीक्षण आरम्भ करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, दो और यौगिक [(i) सी.डी.आर.-134 एफ 194 और (ii) सी.डी.आर.-267-एफ 018] जिनमें हाईपरग्लिसेमिक रोधी और हाईपर-लिपिडेमिक रोधी के दोहरे गुण हैं, औषधि विकास के उन्नत चरणों में हैं। जानवरों (चूहों और बंदर) में उनकी क्षमता और सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया है और अन्वेषणात्मक के नई औषधियों (आई.एन.डी.) को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक की स्वीकृति मांगी गई है ताकि नैदानिक परीक्षण आरम्भ किए जा सकें।

हाल ही में, मंत्रालय ने कार्यक्रम से जुड़े कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की और कैंसर उपचार, अनुसंधान और जानकारी संबंधी उन्नत केन्द्र, मुंबई को प्रेरित किया जो समुद्री जीवों से कैंसर रोधी औषधि विकसित करने के लिए एक नया भागीदार केन्द्र है।

(ग) जी, हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय "समुद्र से संभाव्य औषधियों के विकास" कार्यक्रम के तहत भारतीय जलक्षेत्रों से समुद्री जीवों से उपचारी सिद्धांतों/औषधियों के विकास में अध्ययन करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) इस समय मंत्रालय, विश्वविद्यालयों सहित 7 प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं, अर्थात्, (i) केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, (ii) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा, (iii) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै, (iv) भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, (v) आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम, (vi) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर और (vii) कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता की सक्रिय भागीदारी से केन्द्रीय दवा अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.), लखनऊ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। 1996-97 से, मंत्रालय ने समुद्र से औषधि कार्यक्रम के लिए भागीदार संगठनों के माध्यम से 30-90 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले 29.70 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की है।

[हिन्दी]

**दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में
सम्पत्ति का मूल्य**

2617. श्री सज्जन कुमार:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

श्री अवतार सिंह भड़ाना:

श्री रामजीलाल सुमन:

डा. राजेश मिश्रा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सम्पत्ति का मूल्य मध्य वर्ग की पहुँच से बाहर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समस्या बेईमान लोगों, गिरोहों और सट्टेबाजों द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कमी से पैदा हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (ग) यह बताया गया है कि गत दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास, मांग की तुलना में कम आपूर्ति, आवास ऋण की सुलभता, आवासीय परियोजनाओं का आसान वित्तपोषण, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान का बेहतर सम्पर्क जैसे अवस्थापना सुधारों, आगामी राष्ट्रमंडल खेल आदि सहित विभिन्न कारकों के कारण दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार दिल्ली/अन्य क्षेत्रों में भूमि की कीमतों को विनियमित/नियंत्रित नहीं करती है। सम्पत्ति की कीमतों का निर्धारण आमतौर पर बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

**न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक
सुविधाओं का विकास**

2618. श्रीमती पी. सती देवी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को उक्त प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बेंकटपति):

(क) न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है (केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर निधियों का अंशभाजन)। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किसी वर्ष के बजट प्रावधान से राज्यवार आबंटन, राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के भीतर स्थित न्यायालयों की संख्या के प्रतिनिर्देश से योजना आयोग द्वारा अधिकथित सूत्र के आधार पर किया जाता है। किसी राज्य को किसी वर्ष में निधियों का जारी किया जाना, उस राज्य द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है।

(ख) और (ग) न्याय विभाग ने यह प्रस्ताव किया है कि ग्यारहवीं योजना में उच्चतर व्यय के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन को जारी रखा जाए। योजना आयोग को केंद्रीय सहायता के रूप में 1500.00 करोड़ रुपए की रकम का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

2619. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की मंजूरी मिलने के बावजूद कुछ जल विद्युत परियोजनाएं केंद्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरील कुमार शिंदे): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तथा संघ सरकार के पास अनुमोदन हेतु लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं के विलम्ब के कारणों और इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए उठाए गए कदम सहित ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत और संघ सरकार के निवेश अनुमोदन हेतु
प्रतीक्षित केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	योजना/राज्य के नाम	अधिस्थापित क्षमता (मेगा वाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)/ मूल्यस्तर	सी.ई.ए. स्वीकृति की तारीख	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	किशनगंगा, जम्मू-कश्मीर	330	2,624.36 6/2005	31-8-2005	निवेश मंजूरी प्रक्रिया प्रगति में हैं।
2.	पकालडुल जम्मू-कश्मीर	1,000	5,088.88 7/2005	3-10-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रतीक्षा है। किश्तवार हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क में आने वाली वन भूमि का अनारक्षण ही मुख्य बाधा है।
3.	लता तपोवन, उत्तराखण्ड	171	792.00 10/2005	8-2-2006	वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। एन.टी.पी.सी. के बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है।
4.	विष्णुगाड पिपलकोटी, उत्तराखण्ड	444	2,091.45 3/2006	21-9-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
5.	कोटलीभेल स्टेज-1ए, उत्तराखण्ड	195	1,095.77 12/2005	3-10-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
6.	कोटलीभेल स्टेज-1बी,	320	1,806.43	31-10-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
7.	कोटलीभेल स्टेज-2, उत्तराखण्ड	530	2,535.86 3/2006	30-11-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
8.	तुवाई, मिजोरम	210	1,258.84 जे.बी.आई.सी. ऋण से 1.3% की ब्याज दर सहित 70:30 के ऋण:इक्विटी अनुपात के साथ पूर्णता लागत	28-5-2004	परियोजना वाणिज्यिक रूप से गैर-व्यवहार्य थी। राज्य सरकार ने अपने 12% निःशुल्क विद्युत के हिस्से को छोड़ने या 35 वर्षों की अवधि के लिए अनुसूचित निःशुल्क विद्युत वितरण को पुनर्गठित करने के लिए सहमति नहीं जताई। मिजोरम सरकार के अनुरोध पर परियोजना को विकास के लिए राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
9.	तिपाईमुख, मणिपुर	1,500	5,163.86 12/2002	2-7-2003	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
10.	लोकतक डी/एस, मणिपुर	66	866.77 10/2006	15-11-2006	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। एन.एच.पी.सी. और मणिपुर सरकार के बीच स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया जाना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास

2620. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

श्री अघलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री एस.के. खारवेनधनः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन से संबंधित सरकार की योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं के अभीष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पूरे बजटीय आबंटनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम का प्रारूप दस्तावेज तैयार करने के लिए किसी समिति के गठन की कोई योजना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) महोदय, सरकार ने वर्ष 2000

के दौरान विश्वविद्यालयों और संबंधित शैक्षिक संस्थानों के विभागों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए अवसरचना और सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक नई स्कीम "विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसरचना के उन्नयन हेतु निधि (फिस्ट)" आरंभ की है। इस कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के वार्षिक निवेश के साथ लगभग 250 विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में अब तक 950 से अधिक विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विभागों को सहायता प्रदान की गयी है। इस स्कीम ने विभिन्न विभागों में शोध प्रयासों में संवृद्धि करने, नयी प्रतिभा को आकर्षित करने में शक्ति प्रदान की है। विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा स्कीम के तहत अनुसंधान और विकास सुविधाओं में वृद्धि हेतु 95 प्रतिशत से भी अधिक निधियों का उपयोग किया गया है।

(छ) और (ज) जी, नहीं। सरकार की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

2621. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौरानवेवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में अनुसंधान और विकास के मानकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महोदय, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के

94वें सत्र में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया वे निम्नानुसार हैं:-

- (i) ऊर्जा सुरक्षा
- (ii) जल संसाधन
- (iii) पृथ्वी - महासागर - वातावरण अन्योन्यक्रिया, जलवायु परिवर्तन, मानसून पूर्वानुमान
- (iv) महासागरीय संसाधन
- (v) प्राकृतिक आपदाएं
- (vi) मानव जनित आपदाएं, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी मामले
- (vii) शिक्षा और विज्ञान
- (viii) विज्ञान और उद्योग सहक्रिया
- (ix) पृथ्वी गृह के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग
- (x) नैनो प्रौद्योगिकी
- (xi) कृषि
- (xii) प्राकृतिक संसाधनों में टकराव प्रबंधन
- (xiii) चिकित्सा विज्ञान: बीमारियों में मुक्त रेडिकल्स और एंटी आक्सीडेंट की भूमिका
- (xiv) पोषण और स्वास्थ्य
- (xv) पृथ्वी ग्रह के रहस्य
- (xvi) 21वीं सदी में भूगर्भ विज्ञान (विचार-विमर्श सत्र)
- (xvii) भारत में पृथ्वी विज्ञान शिक्षा: अवसर एवं चुनौतियां (विचार-विमर्श सत्र)
- (xviii) पृथ्वी ग्रह अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष: भारतीय पहल (विचार-विमर्श सत्र)
- (xix) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी (विचार-विमर्श सत्र)

(ख) भारत सरकार ने अपनी ओर से विश्वविद्यालयों तथा अन्य उत्कृष्टता के वैज्ञानिक संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के पुनरोद्धार और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक विभागों के योजना आबंटन को 9वीं योजना में लगभग 12,000

करोड़ रु. से दुगुना कर 10वीं योजना में लगभग 25000 करोड़ रु. कर दिया गया है और 11वीं योजना में इसमें और वृद्धि लाने की योजना है। डी.एस.टी. का अनुसंधान अवसंरचना कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशाला अवसंरचना को स्तरोन्नत करने की ओर लक्षित कार्यक्रम है। उभर रहे और अग्रणी क्षेत्रों में कई संस्थानों, उत्कृष्टता के केन्द्रों और सुविधाओं की भी स्थापना की गई है; उदाहरण के लिए, मस्तिष्क अनुसंधान, सागरीय जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल और ऊतक इंजीनियरी, साफ्ट कम्प्यूटिंग, जल संसाधन विकास, नैनो फासफोर्स, प्रदर्शन प्रौद्योगिकी, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी, परातीव्र प्रक्रियाएं, प्रोटीन अनुसंधान आदि क्षेत्रों में। अभी हाल ही में, कोलकाता, पुणे और चंडीगढ़ में तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर.) की स्थापना की गई है जिनके द्वारा अग्रणी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान का संचालन करने के अतिरिक्त एक बहुविषयात्मक और अकादमिक रूप से नमनीय तथा अनुसंधानोन्मुखी माहौल में एम.एस.सी. कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास अब विद्यालय स्तर से लेकर सभी आयु वर्गों की मानवशक्ति के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और अनुसंधान सहयोग संबंधी योजनाएं हैं।

स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एल.आई.सी.

2622. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्वास्थ्य बीमा कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश करने से भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्वास्थ्य बीमा कारोबार के क्षेत्र में अभी प्रवेश नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एल.आई.सी. ने इस बात से इन्कार किया है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश करने से उसके कारोबार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए यह सूचित किया गया है कि निजी कंपनियों के

प्रवेश से पहले पॉलिसियों में 8.32% और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में 22.07% की दर से औसत वृद्धि हो रही थी, जबकि, इस क्षेत्र के खुलने से, पॉलिसी में 11.43% और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में 41.07% की औसत दर से वृद्धि हुई है।

दिल्ली में मलिन बस्तियों का विकास

2623. श्री किन्जरपुर येरननायडु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी भवन निर्माताओं को दिल्ली की मलिन बस्तियों के विकास कार्य में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पालन की जा रही नीति के अनुसार, दिल्ली में स्लम/झुग्गी वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बसाने का कार्य मुख्यतः दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी विंग द्वारा किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि के अपेक्षित होने पर इस नीति के अनुसार अपनी भूमि पर से स्लम/झुग्गी वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता रहा है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में यह संकल्पना की गयी है कि पुनर्वास, चाहे वह स्व-स्थाने उन्नयन हो या पुनर्स्थापन हो, मुख्यतः साझे क्षेत्रों एवं सुविधाओं वाले लगभग 25 वर्ग मीटर के निर्मित आवास पर आधारित होना चाहिए। यथा संभव निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा निवेश से ऐसे वास विकसित करने के लिए एक संसाधन के रूप में भूमि की संकल्पना को अपनाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के उपक्रमों पर बकाया देयराशि

2624. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की देयराशि राज्य सरकार के कुछेक उन चूककर्ता उपक्रमों पर बकाया है, जिन्होंने राज्य सरकार गारंटी पर ऋण लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) चूककर्ता उपक्रमों से देयराशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा जारी की गई राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा बांडों में निवेश करते हैं और राज्य सरकारों की गारंटी के साथ या उसके बिना सरकारी उपक्रमों/निगमित निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को उधार देते हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा ब्याज और/या मूलधन का भुगतान न किए जाने, निबंधनों एवं शर्तों का एकपक्षीय पुनर्निर्धारण किए जाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान आकृष्ट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में अपनी हैसियत से, उनके बाजार उधार कार्यक्रमों की विश्वसनीयता पर ऐसी कार्रवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करके ऐसे भुदों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाता है।

(ग) बैंकों ने राज्य सरकारों की चूककर्ता संस्थाओं से अपनी देयराशियों की वसूली के लिए अपनी वसूली संबंधी नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कदम उठाए हैं, जिसमें ऋणों का पुनर्निर्धारण, देयराशियों के एकबारगी निपटान, न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करने, आदि का प्रावधान है।

विद्युत पारेषण तथा वितरण में निजी क्षेत्र

2625. श्री के.एस. राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विद्युत पारेषण परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मानकीकरण करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल्स गठित करने और निजी क्षेत्र की आशंकाओं को दूर करने तथा विद्युत क्षेत्र में अधिक निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से निजी डेवलेपर्स को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से पारेषण परियोजनाएं सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत पारेषण तथा वितरण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरील कुमार शिंदे): (क) से (ग) भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने तथा पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति ने टैरिफ

आधारित बोली हेतु 14 अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं को धिन्हित किया है। भारत सरकार द्वारा धिन्हित की गयी इन 14 अंतर्राज्यीय परियोजनाओं की सूची निम्नवत है:-

क्रम सं. पारेषण परियोजना का नाम

1. उत्तर करनपुरा (1980 मेगावाट) के लिए निकासी प्रणाली
2. तालचेर संवर्धन प्रणाली
3. मैथन आर.बी. (1000 मेगावाट) के लिए निकासी प्रणाली
4. उत्तर क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर/पूर्वी क्षेत्र अधिशेष के आयात को सुगम बनाने हेतु योजना
5. द.क्षे.-प.क्षे. सिन्क्रोनोस इंटर-कनेक्टर
6. कवास-नवसारी 400 के.वी. डी/सी
7. नवसारी-मुंबई नया स्थल 400 के.वी. डी/सी
8. बाढ़-II (1320 मेगावाट) के लिए निकासी प्रणाली
9. नबीनगर (1000 मेगावाट) के लिए निकासी प्रणाली
10. 11वीं योजना में दारीपल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट (3200 मेगावाट), 800 मेगावाट के लिए निकासी प्रणाली
11. कोडरमा (500 मेगावाट) के लिए निकासी प्रणाली
12. मेजिया विस्तार 1000 मेगावाट के लिए निकासी प्रणाली
13. 11वीं योजना में लारा इंटीग्रेटेड परियोजना (4000 मेगावाट) 800 मेगावाट के लिए निकासी प्रणाली
14. सिन्हाद्री विस्तार (1000 मेगावाट) हेतु निकासी प्रणाली

इन 14 परियोजनाओं में से उन 4 परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं, जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) द्वारा अधिनिगमित स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा शुरू की जा रही हैं।

पी.एफ.सी. द्वारा परियोजना

1. मैथन आर.बी. (1000 मेगावाट), कोडरमा (1000

मेगावाट) तथा बोकारो विस्तार (500 मेगावाट) हेतु निकासी प्रणाली।

2. उत्तरी क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र के आयात को सुगम बनाने हेतु योजना।

आर.ई.सी. द्वारा परियोजना

1. नॉर्थ करनपुरा (1980 मेगावाट) हेतु निकासी प्रणाली।
2. तालेचर संवर्धन प्रणाली।

अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली एवं वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों/राज्य यूटिलिटियों की है।

[हिन्दी]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

2626. श्री वी.के. तुम्बर:

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) सरकारी आवासों का समुचित रूप से रखरखाव नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (ग) सम्पूर्ण भारत के सभी फील्ड कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एकाएक गायब होने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

2627. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां पंजीकृत हैं और कितनी कार्य कर रही हैं;

(ख) कितनी कंपनियां लोगों के जमा धन को लेकर एकाएक गायब हो गयी हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी कंपनियों का पता लगाया गया है और कितने लोगों को अपना धन वापिस मिल गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 28 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है:

सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कंपनियां	405
जमा राशि स्वीकार न करने वाली कंपनियां	12629
कुल	13034

(ख) जनता से धनराशि लेने के बाद 442 कंपनियों के गायब होने की जानकारी है।

(ग) जब कभी किसी कंपनी की अचानक गायब होने वाली कंपनी के रूप में पहचान की जाती है तो मामला संबंधित राज्य सरकार के आर्थिक अपराध स्कन्ध को भेज दिया जाता है। राज्य की पुलिस मामले की जांच करती है और भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दंड की कार्रवाई सहित उपयुक्त समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई करती है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा, मांगी गई अनुसार सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को लाभ

2628. श्री पी. करुणाकरन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके अनुबंध में यह शर्त रखी गयी है कि उक्त योजना के अन्तर्गत निधियों का कतिपय न्यूनतम हिस्सा अनुसूचित जातियों (एससीज) और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) के परिवारों के लाभ के लिए उपयोग किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी धीरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान और तत्पश्चात् इंदिरा आवास योजना के कुल लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अलग-अलग राज्यवार अनुपात कितना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि वित्तीय वर्ष में कुल आई.ए.वाई. आबंटन का कम से कम 60% भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों के लिए आवासीय ईकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग की गई निधियों तथा बनाए गए आवासों के धीरों को अलग-अलग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियों के उपयोग तथा निर्मित आवासों का राज्यवार ब्योरा

(लाख रु. में)

क्र. राज्य/संघ राज्य सं. क्षेत्र का नाम		2005-06							2006-07						
		निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई निधियां				निम्नलिखित के लिए निर्मित आवास			निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई निधियां				निम्नलिखित के लिए निर्मित आवास		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	आन्ध्र प्रदेश	13641.63	4774.43	18416.06	56536	19239	75775	7259.49	2680.23	9939.72	36253	16402	52655		
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1189.94	1189.94	0	5327	5327	0.00	812.22	812.22	0	3399	3399		
3.	असम	5141.89	8537.69	13679.58	23324	36722	60046	5995.15	9318.27	15313.42	17272	27715	44987		
4.	बिहार	47048.84	2065.54	49114.38	178659	8043	186702	45365.70	2979.49	48345.19	141287	10814	152101		
5.	छत्तीसगढ़	1035.85	2260.25	3296.10	5162	12568	17730	602.08	1165.69	1767.77	570	1019	1589		
6.	गोवा	3.42	23.61	27.03	10	50	60	3.68	20.95	24.63	37	186	223		
7.	गुजरात	3443.56	6275.63	9719.19	13302	28469	41771	1789.95	3637.39	5427.34	5501	13883	19384		
8.	हरियाणा	1537.81	0.00	1537.81	6090	0	6090	741.68	0.00	741.68	2012	0	2012		
9.	हिमाचल प्रदेश	402.29	58.00	460.29	1523	224	1747	259.01	35.00	294.01	455	96	551		

10. जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
11. झारखण्ड	3370.23	5588.05	8958.28	18619	33805	52424	2093.09	3959.38	6052.47	8887	17493	26380	
12. कर्नाटक	5404.22	2200.67	7604.89	24621	9158	33779	3783.14	1569.08	5352.22	14473	6073	20546	
13. केरल	3954.30	385.24	4339.54	18817	1981	20798	2335.52	184.56	2520.08	8997	677	9674	
14. मध्य प्रदेश	3278.24	4317.62	7595.86	17727	22522	40249	2549.29	3135.63	5684.92	6973	9980	16953	
15. महाराष्ट्र	8061.82	6104.72	14166.54	31793	25880	57673	4643.91	3615.69	8259.60	10292	11797	22089	
16. मणिपुर	14.27	980.54	994.81	60	4429	4489	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
17. मेघालय	42.88	1497.12	1540.00	222	6305	6527	0.00	524.81	524.81	0	1475	1475	
18. मिजोरम	0.00	482.43	482.43	0	2182	2182	0.00	260.74	260.74	0	1175	1175	
19. नागालैण्ड	0.00	1188.07	1188.07	0	7949	7949	0.00	1024.78	1024.78	0	6046	6046	
20. उड़ीसा	8377.00	5460.61	13837.61	32083	21770	53853	3558.50	3042.05	6600.55	12687	11081	23788	
21. पंजाब	1456.11	0.00	1456.11	6730	0	6730	1077.99	0.00	1077.99	3300	0	3300	
22. राजस्थान	4021.30	1663.66	5684.96	17609	7733	25342	1850.54	909.61	2760.15	3160	2563	5723	
23. सिक्किम	50.31	79.25	129.56	230	388	618	54.19	79.15	133.34	174	291	465	
24. तमिलनाडु	10629.01	512.09	11141.10	39032	1384	40416	5171.73	154.78	5326.51	1420	52	1472	
25. त्रिपुरा	560.09	1100.09	1660.18	2392	5183	7575	299.76	591.05	890.81	711	1590	2301	
26. उत्तर प्रदेश	26899.10	76.12	26975.22	112072	452	112524	19505.90	82.12	19588.02	72968	346	73314	
27. उत्तरांचल	1291.54	298.10	1589.84	6931	1875	8806	630.68	158.91	789.59	3112	783	3895	
28. पश्चिम बंगाल	10089.57	3100.95	13190.52	47277	14852	62129	9364.63	2855.41	12220.04	41407	13186	54593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंड़मान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	61.85	61.85	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	9.01	9.01	0	101	101	0.00	7.27	7.27	0	44	44
31.	दमन व दीव	0.00	0.47	0.47	0	5	5	0.01	0.04	0.05	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0.00	18.55	18.55	0	48	48	0.00	24.96	24.96	0	77	77
33.	पांडिचेरी	21.61	0.00	21.61	76	0	76	11.27	0.00	11.27	57	0	57
कुल		159776.89	60310.30	220087.19	660897	278644	939541	118946.89	42829.26	161776.15	392005	158243	550248

तिरुवनन्तपुरम में पर्यावास केन्द्र

2629. श्री पन्थियन रवीन्द्रन: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुवनन्तपुरम में बनाए जाने वाले प्रस्तावित पर्यावास केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना को शुरू किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) तिरुवनन्तपुरम पर्यावरण केन्द्र के निष्पादन के लिए नई संयुक्त उद्यम कंपनी के आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको) तथा केरल राज्य आवास बोर्ड (के.एस.एच.बी.) द्वारा समान इक्विटी भागीदारी के लिए अब अनुमोदन दे दिया गया है।

फ्लाई ऐश का निर्यात

2630. श्री हितेन बर्बन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत स्टेशन से निकलने वाली कोयले की फ्लोटिंग फ्लाई ऐश (लिविड ऐश) के निर्यात की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के कुछेक विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का निर्यात कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि जुटाई गई; और

(घ) उनमें से प्रत्येक द्वारा कुल कितनी मात्रा में फ्लाई ऐश का निर्यात किया गया और उन संगठनों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान फ्लाई ऐश का निर्यात किया गया?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) कतिपय एजेंसियां फ्लोटिंग फ्लाई ऐश (लिविड ऐश) के संग्रह में संलग्न हैं। फिर भी, एन.टी.पी.सी. के विद्युत स्टेशन से फ्लोटिंग फ्लाई ऐश की मांग नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

2631. श्री हरिकेवल प्रसाव:

श्री धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में राज्यवार और परियोजनावार कितना विदेशी निवेश हुआ है; और

(ख) उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में निवेश किया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग (डी.आई.पी.पी.), जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव करता है, के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 2003 से दिसंबर, 2006 अवधि में विद्युत क्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश के राज्यवार ब्यौरे विवरण-1 के रूप में संलग्न है। चूंकि अब स्थतः आर.बी.आई. माध्यम से 100% एफ.डी.आई. की अनुमति प्राप्त है, अतः निवेश ब्यौरा परियोजना-वार उपलब्ध नहीं है।

(ख) औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे विवरण-2 के रूप में दिए गए हैं।

विवरण-1

विद्युत क्षेत्र में अप्रैल, 2003 से दिसंबर, 2006 के दौरान विदेशी निवेश का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-दिसंबर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.47	1.40	100.56	223.53	325.95

1	2	3	4	5	6	7
2.	गुजरात	0.00	100.00	3.41	0.03	103.44
3.	कर्नाटक	1.35	75.21	21.32	23.17	121.05
4.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	0.00	8.23	0.00	0.00	8.23
5.	महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दमन व दीव	0.08	24.76	31.24	22.40	78.48
6.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20
7.	तमिलनाडु, पांडिचेरी	56.45	1.00	0.62	3.57	61.64
8.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	20.18	0.00	20.18
9.	चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश	0.00	4.81	2.69	0.00	7.50
10.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	9.37	0.30	125.08	269.97	404.71
11.	गोवा	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
12.	राज्य अंकित नहीं	74.31	25.01	46.97	29.98	176.27
कुल योग		142.01	240.71	352.08	609.86	1,344.66

टिप्पणी: (i) इसमें केवल इक्विटी पूंजी घटक शामिल हैं।

(ii) क्षेत्रवार एफ.डी.आई. आर.बी.आई. मुंबई द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार क्षेत्रवार रूप से वर्गीकृत है।

(iii) इसमें मीजूदा शेयरों के अर्जन के जरिए प्राप्ति शामिल है। इसके लिए आर.बी.आई. क्षेत्रवार सूचना नहीं देता है।

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग, एस.आई.ए. (एफ.डी.आई. डाटा सेल)

विवरण-II

ये विदेशी कंपनियां जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 के दौरान निवेश किया

1	2	3	4
1.	जियोम सिग्राम	आस्ट्रेलिया	यू.एस.जी. एनर्जी प्रा. लि.
2.	जियोम सिग्राम	आस्ट्रेलिया	यू.एस.जी. एनर्जी प्रा. लि.

1	2	3	4
3.	एनटेक एनवायरमेंट	आस्ट्रिया	एशिया बायो एनर्जी इंडिया लि.
4.	एलिन मोटोरेन जी.एम.बी.एच.	आस्ट्रिया	सुजलोन जेनरेटर्स प्रा. लि.
5.	एलिन ई.बी.जी. मोटोरेन जी.एम.बी.एच.	आस्ट्रिया	सुजलोन जेनरेटर्स प्रा. लि.
6.	मिस तरुण चानना	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
7.	कनेशिया पावर कारपोरेशन, कनाडा	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
8.	अशोक डिल्लन	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
9.	कनेशिया पावर कारपोरेशन	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
10.	श्री अशोक डिल्लन	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
11.	तरुण चानना	कनाडा	कनेशिया पावर सर्विस प्रा. लि.
12.	जांग जू जियांग	चीन	फोटोन एनर्जी सिस्टम लि.
13.	सीकेडी ब्लांस्को स्टोरजिनी	चेक रिपब्लिक	सीकेडी हाइड्रो पावर प्रा. लि.
14.	सान ए.पी.एस.	डेनमार्क	इंडियन एनर्जी प्रा. लि.
15.	सान ए.पी.एस.	डेनमार्क	इंडिया एनर्जी प्रा. लि.
16.	इंडस्ट्रलाइजेशन कंटीज	डेनमार्क	इंडिया एनर्जी प्रा. लि.
17.	अलस्टॉम पावर कन्वर्जन होल्डिंग	फ्रांस	अलस्टॉम पावर कन्वर्जन इंडिया प्रा. लि.
18.	अलस्टॉम पावर कन्वर्जन	फ्रांस	अलस्टॉम पावर कन्वर्जन इंडिया प्रा. लि.
19.	ब्लिट्ज स्ट्रोम जी.एम.बी.एच.	जर्मनी	मै. टाइटेन एनर्जी सिस्टम लि.
20.	डी.ई.जी.-डच इन्वेस्टिशन यू.एन.डी.एन. एंटविकल	जर्मनी	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
21.	वी.एच.एच.एशियन ऑसलैंड बेतिली	जर्मनी	वोइथ सीमेंस हाइड्रो प्रा. लि.
22.	एनरकॉन जी.एम.बी.एच.	जर्मनी	एनरकोन विंड फार्मस् (राजस्थान) प्रा. लि.
23.	डी.ई.जी.-डच इन्वेस्टिशन यू.एन.डी.एन.ई.एन.टी.डब्ल्यू. एम.बी.एच.	जर्मनी	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
24.	सीमेंस एजी	जर्मनी	टोरेंट पावर सर्विसेज प्रा. लि.
25.	लोम्बार्डिनी एस.आर.आई.ए. सोशियो यूनिको	इटली	लोम्बार्डिनी (ई.) प्रा. लि.
26.		जापान	भारत ई.पी.डी.सी. एनर्जी प्रा.लि.

1	2	3	4
27.		जापान	भारत ई.पी.डी.सी. एनर्जी प्रा.लि.
28.	सुमितोमो इलेक्ट्रिक हार्डमेटल कारपोरेशन	जापान	मदरसन टेक्नो टूल्स प्रा. लि.
29.	एम.आर. डेविड एस.सी.ओ.एफ.	जापान	इंटेली पावर सिस्टम प्रा. लि.
30.	हुंडई इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन दक्षिण कोरिया	कोरिया (दक्षिण)	हुंडई यूनिटेक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लि.
31.		मॉरीशस	मदुरई पावर कारपोरेशन प्रा. लि.
32.	ब्राम्पटन इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	ऑरो एनर्जी लि.
33.	कोवांटा फोर लि.	मॉरीशस	ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया प्रा. लि.
34.	ब्राम्पटन इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	सुप्रीम रिन्यूबल एनर्जी लि.
35.	इमसी इंक (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	मै. गौतम पावर लि.
36.	मै. लिक्विडिटी लि.	मॉरीशस	हिमालियन ग्रीन प्रा. लि.
37.	मै. एनर्जी होल्डिंग लि.	मॉरीशस	हिमालियन ग्रीन प्रा. लि.
38.	इंडियन क्लीन एनर्जी	मॉरीशस	अम्बूतीर्था पावर प्रा. लि.
39.		मॉरीशस	अबान पावर कंपनी
40.	सिनर्जी हाइड्रो एशिया	मॉरीशस	सिनर्जी हाइड्रो इंडिया प्रा. लि.
41.	सिल्वर स्टील लि.	मॉरीशस	जे.एस.डब्ल्यू. पावर्स लि.
42.	इंडियन क्लीन एनर्जी लि.	मॉरीशस	अम्बूतीर्था पावर प्रा.लि.
43.	स्टैम्प प्लास्ट लि.	मॉरीशस	कोल्टा हाइड्रो पावर लि.
44.	हेक्साग्राम इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	मॉरीशस	जे.एस.डब्ल्यू. पावर्स लि.
45.	स्टैम्प प्लास्ट लि.	मॉरीशस	कोल्टा हाइड्रो पावर लि.
46.	एल.बी. इंडिया होल्डिंग मॉरीशस लि.	मॉरीशस	के.एस.के. इलेक्ट्रिसिटी फाइनेंसिंग इंडिया प्रा.लि.
47.		मॉरीशस	मंगलीर पावर कंपनी
48.	टेनजेंट होल्डिंग लि.	मॉरीशस	अतरिया हाइडल पावर लि.
49.	डफरको कोक इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	यूरो कोक एंड एनर्जी (प्रा.) लि.
50.	टिवनस्टार पावर प्रा. लि.	मॉरीशस	अगारल गैल्वेनाइजिंग प्रा. लि.

1	2	3	4
51.		मॉरीशस	अबान पावर कंपनी लि., जनप्रिय क्रेस्ट II 3पी
52.	इमसी इंप्रा (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	मै. गीतमी पावर लि.
53.	31 पावर प्रोजेक्ट्स (मॉरीशस)	मॉरीशस	मै. विजय इलेक्ट्रिकल्स लि.
54.	वेरियम एफ.आर.आई.एस.	मॉरीशस	जी.वी.के. पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
55.	डॉडसन लिंडब्लॉम हाइड्रो पावर	मॉरीशस	डॉडसन लिंडब्लॉम हाइड्रो पावर प्रा.लि.
56.	न्यूकॉन एनर्जी ग्रुप	मॉरीशस	गीतमी पावर लिमिटेड प्रा. लि.
57.	इमसी इंप्रा (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	अल्फा ट्रांसफार्मर्स लि.
58.	स्ट्रेटजिक वेंचर्स फंड (मॉरीशस लि.)	मॉरीशस	कोवांटा मयुरई ऑपरेटिंग प्रा. लि.
59.	कोवांटा फाइव लि.	मॉरीशस	गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
60.	रास लि.	मॉरीशस	डॉडसन लिंडब्लॉम हाइड्रो पावर प्रा. लि.
61.	डॉडसन लिंडब्लॉम हाइड्रो पावर	मॉरीशस	लेनको हाइड्रो पावर वेंचर्स प्रा. लि.
62.	गोल्डस्टोन सात्युशंस लि.	मॉरीशस	
63.	कोवांटा वन लि.	मॉरीशस	कोवांटा मयुरई ऑपरेटिंग प्रा. लि.
64.	चाइना लाईट (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	मंगलीर पावर कंपनी
65.	स्टैनप्लास्ट लि.	मॉरीशस	कोटला हाइड्रो पावर लि.
66.	पिन रिज इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	आर्यन कोल बेफिकेशन्स प्रा. लि.
67.	इंडिया क्लीन एनर्जी लि.	मॉरीशस	अम्बुतीर्या पावर प्रा. लि.
68.	कैटरपिलर पावर वेंचर्स इंट.	मॉरीशस	सूर्यचक्र पावर कारपोरेशन लि.
69.	इंडिया क्लीन एनर्जी लि.	मॉरीशस	अम्बुतीर्या पावर प्रा. लि.
70.	थर्ड मिलेनियम इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
71.	थर्ड मिलेनियम इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
72.	सेंचुरी इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
73.	मै. इमसी इंप्रा (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	मै. गीतमी पावर प्रा. लि.
74.	ट्रांसोकोनिक प्रोजेक्ट्स	मॉरीशस	जी.वी.के. पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
75.	न्यूकॉन एनर्जी ग्रुप	मॉरीशस	हासन बॉयोमास पावर कंपनी प्रा. लि.

1	2	3	4
76.	मै. इमसी इन्फ्रा (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	गीतमी पावर प्रा. लि.
77.	एल.बी. (I) होल्डिंग मॉरीशस II लि.	मॉरीशस	मरुधर पावर प्रा. लि.
78.	एल.बी. (II) होल्डिंग मॉरीशस II लि.	मॉरीशस	मरुधर पावर प्रा. लि.
79.	इंडिया क्लीन एनर्जी लि.	मॉरीशस	अम्बूतीर्या पावर प्रा. लि.
80.	डफरको कोक इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरीशस	यूरो कोक एंड एनर्जी प्रा. लि.
81.	आइलैंड पावर वेंचर्स लि.	मॉरीशस	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.
82.	अमिताव रॉय	सिंगापुर	पुष्पित स्टील प्रा. लि.
83.	एच. एंड एच. ग्लोबल सिलेक्शन इंडिया प्रा. लि.	सिंगापुर	यूनिवर्सल पावर ट्रांसफार्मर (प्रा.) लि.
84.	विन्नो पावर कारपोरेशन लि.	सिंगापुर	विन्नो पावर ट्रांसफार्मर (प्रा.) लि.
85.	जूरोंग इंजीनियरिंग लि.	सिंगापुर	जीविधा इंजीनियरिंग प्रा. लि.
86.	इंस्टॉलेशनस इनवेंसा	स्पेन	इनवेंसा भारत प्रा. लि.
87.	इंस्टॉलेशनस इनवेंसा	स्पेन	इनवेंसा भारत प्रा. लि.
88.	गोरान फजरसन	स्वीडन	फोटोन एनर्जी सिस्टम लि.
89.	डासा एजी	स्विटजरलैंड	नेटप्रो रिन्यूबल एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि.
90.		स्विटजरलैंड	चंबल पावर्स लि.
91.	इनफोमाइल इनटेल एफ.जेड.सी.	यू.ए.ई.	के.वी.के बॉयो एनर्जी प्रा. लि.
92.	अमीना बैगम	यू.ए.ई.	ओ.पी.जी. एनर्जी प्रा. लि.
93.	इमेज सिक्योरिटीज (एफ.जेड.सी.)	यू.ए.ई.	पतिकारी पावर प्रा. लि.
94.	प्रयांक शाह	यू.ए.ई.	विनर्जी इनटरनेशनल प्रा. लि.
95.	श्री प्रयांक शाह	यू.ए.ई.	विनर्जी इनटरनेशनल प्रा. लि.
96.	कोसी मैथ्यू	यू.ए.ई.	पुष्पित स्टील प्रा. लि.
97.	डिफरेंट्स एन.आर.आई.	यू.के.	सुजलोन एनर्जी प्रा. लि.
98.	मि. रिचर्ड जे. मैडिसन	यू.के.	गोवा इंडस्ट्रीज एनर्जी प्रा. लि.
99.	सुश्री कैथनी मैडिसन	यू.के.	गोवा इंडस्ट्रीज एनर्जी प्रा. लि.
100.	बिम्बी ट्रांसमिशन लि.	यू.के.	राठी टर्बोरो फ्लेक्स प्रा. लि.

1	2	3	4
101.	एवनडील होल्डिंग प्रा. लि.	यू.के.	वीवी सर्वोटेक प्रा. लि.
102.	डेनिस विल्सन	यू.के.	विल्सन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रा. लि.
103.	कोलिन विल्सन	यू.के.	विल्सन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रा. लि.
104.	साइमन विल्सन	यू.के.	विल्सन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रा. लि.
105.	इरिका विल्सन	यू.के.	विल्सन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रा. लि.
106.	टी. सत्यसाई किरण	यू.के.	पी.आई. एनर्जी कंसल्टिंग प्रा. लि.
107.	बी. श्रीवाणी	यू.के.	शारदाम्बिका पावर प्रा. लि.
108.	पी. श्रीकांता	यू.के.	शारदाम्बिका पावर प्रा. लि.
109.	एरी ग्लिक्मैन	यू.एस.ए.	एस.ई.पी. एनर्जी प्रा. लि.
110.	गैरी सिगल	यू.एस.ए.	एस.ई.पी. एनर्जी प्रा. लि.
111.	महिन्दर कुमार मल्होत्रा	यू.एस.ए.	हयात कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
112.	सिटीकोरप इंटेल्, फाइनेंस	यू.एस.ए.	सुरलोन एनर्जी लि.
113.		यू.एस.ए.	एसेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट लि.
114.	सिटिक्रोप इंटेल्, फाइनेंस कारपोरेट	यू.एस.ए.	मोन्नेट पावर लि.
115.	इंदुकरी लक्ष्मी नरसिम्हा राज	यू.एस.ए.	कोप्पल ग्रीन पावर लि.
116.	इंदुकरी लक्ष्मी नरसिम्हा राज	यू.एस.ए.	कोप्पल ग्रीन पावर लि.
117.	एंथोनी डी दिनापोली	यू.एस.ए.	हेमावसी पावर एंड लाइट प्रा. लि.
118.	फिरबलॉग होल्डिंग कं.	यू.एस.ए.	डाटाजेन पावर सिस्टम प्रा. लि.
119.	अशोक एस डामरे एवं माया ए डामरे	यू.एस.ए.	हासन बायोमास पावर कंपनी
120.	सोलर डेवलपमेंट फाउंडेशन	यू.एस.ए.	फोकस इंडिया सोलर प्रा. लि.
121.	पजानी सुंदरम	यू.एस.ए.	वेक्टर पावर लि.
122.	कोडाली प्रवीण एवं श्रीमती शालिनी पोटलुरी	यू.एस.ए.	वाई.एस. राव इंजीनियर्स प्रा. लि.
123.	श्री राजेश्वर चोपड़ा	यू.एस.ए.	श्याम इंडस पावर सोल्यूशन प्रा. लि.

1	2	3	4
124.	श्री एंथोनी डी. दिनापोली	यू.एस.ए.	हेमावती पावर एंड लाइट प्रा. लि.
125.	नेटलिंग्स इंक	यू.एस.ए.	साई सप्लाय पावर प्रा. लि.
126.	विक्रम सुंका बल्ली	यू.एस.ए.	स्वाति पावर इंजीनियरिंग लि.
127.	नरेश नागपाल	यू.एस.ए.	एम. पावर इनर्जी इंडिया प्रा. लि.
128.	श्री राजेश्वर चोपड़ा	यू.एस.ए.	श्याम इंडस पावर सोल्यूशन प्रा. लि.
129.	एन.आर.आई.एस.	यू.एस.ए.	जी.वी.के. पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
130.	यू. जयराम धिगरूपति	यू.एस.ए.	क्रिडेंस पावर प्रोजेक्ट्स लि.
131.	जगदीश गांटी	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
132.	डा. जट्याराम धिगरूपति	यू.एस.ए.	क्रिडेंस पावर प्रोजेक्ट्स लि.
133.	टेकमैन इंक	यू.एस.ए.	साई स्पूथि पावर प्रा. लि.
134.	फांगा इन्वेस्टमेंट लि.	यू.एस.ए.	भदवा श्री स्टील एंड पावर लि.
135.	श्री जार्ज पी. सकेल्लेस	यू.एस.ए.	इंटरनेशनल पावर कारपोरेशन लि.
136.	लॉयल स्पेंसर	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
137.	योर्लेड गवलर	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
138.	संजीव बल्लीवार	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
139.	श्रीनिवास रिपाला	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
140.	स्वामीनाथन कांडुरु	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
141.	आदिनाशायण मल्ला	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
142.	काजिर वोहरा एवं अनिसा एम रंगवाला	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
143.	वीर भद्रम दंतुरथी एवं विजया बी. पेरवे	यू.एस.ए.	वरम वायोइनर्जी प्रा. लि.
144.	अम्बा कारपो.	संशल्स	अम्बुतीर्थ पावर प्रा. लि.
145.	पावर टेक्निक इंटल लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	स्वीचगीयर कंट्रोल टेक्निक प्रा. लि.
146.	जी.पी.सी. मारीशस एल.एल.सी.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	एच.ई.जी. लि.
147.	ओडियन लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	जी.एम.आर. पावर कारपोरेशन

1	2	3	4
148.	रन्डिल धीरू (मलेशिया) सन बी.एच.डी.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	धीरू पावर ग्रीन प्रा. लि.
149.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
150.	जेनेरेशियन इलिशिया इंटरनेशनल एस.एल.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	जेनेरेशियोन पोइसा इंडिया प्रा. लि.
151.	क्लार्क इनर्जी यू.के. लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	क्लार्क इनर्जी (I) प्रा. लि.
152.	कोवांटा वन लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोवान्टा मदुरई ऑपरेटिंग प्रा. लि.
153.	रेन कम्पोजिटिज (यू.एस.ए.) ईक	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	रेन कलसाइनिंग लि.
154.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
155.	ओडियन लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	जी.एम.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
156.	कोडक लि. यू.एन.के.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
157.	परम टेक्नोलॉजिज	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	वेबेल-एस.एल.-इनर्जी सिस्टम लि.
158.	ए.वी.टी.एस.ई.जी. होल्डिंग बेटेलगंस् जी.एम.बी.एच.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	ए.वी.के.-एस.ई.जी. (इंडिया) पावर लि.
159.	गीतांजलि रमेश शिवदसानी	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	सन एन सैंड होटल प्रा. लि.
160.	वेबरो पावर पी.टी.ई. लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	विब्रो पावर जेनेरर्स आई.पी. लि.
161.	डोडसाल मारिशस लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	डोडसाल प्रा. लि.
162.	स्मेक इंटरनेशनल पी.टी.वाई. लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	टी.टी. इनर्जी प्रा. लि.
163.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.

1	2	3	4
164.	2725 एन.आर.आई.एस.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.
165.	अरेवा टी एंड डी होल्डिंग्स एस.ए.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	अल्सटॉम प्रोजेक्ट्स (I) लि.
166.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
167.	हंस ओट्टो उडो बेयन ऐज ए नामिनी ऑफ	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	एम.टी.यू. डेट्रायट डीजल इंडिया प्रा. लि.
168.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
169.	वैथ सीमेंस हाइड्रो क्राफ्ट एस. जी.एम.बी.एच. एंड कं.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	वैथ सीमेंस हाइड्रो प्रा. लि.
170.	स्मोक ऑपरेशनस पी.टी.वाई. लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	हिमालयन ग्रीन इनर्जी प्रा. लि.
171.	कोडक लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	कोडक इंडिया लि.
172.	स्मोक इंटरनेशनल पी.टी.वाई. लि.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	आई.टी. इनर्जी प्रा. लि.
173.	अरेवा एंड डी. एस.ए.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	अल्सटॉम लि.
174.	492 एन.आर.आई.	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि.
175.	एस्सियोना इनर्जी	मार्ग-हिस्सेदारी का अधिग्रहण	एशियोन विंड इनर्जी प्रा. लि.

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर वाणिज्यिक
स्थलों की पेशकश

2632. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री
यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) ने
विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर वाणिज्यिक स्थलों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे स्थलों को आबंटित करने के मानदंड क्या हैं; और

(घ) ऐसे वाणिज्यिक स्थलों के आबंटन के पश्चात्
डी.एम.आर.सी. को उनसे अर्जित राजस्व का ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) लि. ने यह

सूचित किया है कि अधिकांश मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो स्टेशनों के भीतर दैनिक यात्रियों से संबंधित सामानों के लिए विक्रेताओं को वाणिज्यिक स्थानों का लाइसेंस दिया जाता है।

(ग) सामान्यतया समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बाद प्रतियोगात्मक बोलियों के माध्यम से स्थानों का लाइसेंस दिया जाता है। जहां बड़ी संख्या में स्थान उपलब्ध हैं किन्तु उनकी मांग कम है जैसा कि पुलबंगरा स्टेशन, वहां आस-पास के स्टेशनों में प्राप्त मीजूदा दरों के आधार पर किराया नियत किया जाता है तथा "वाक इन" आधार पर आबंटन किया जाता है।

(घ) डी.एम.आर.सी. द्वारा आबंटन किए जाने से लेकर अब तक विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर वाणिज्यिक स्थलों से अर्जित कुल राजस्व 107.38 करोड़ रुपए है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

2633. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत निर्माण के अन्तर्गत अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के विकास, आवासों के निर्माण और पेयजल की आपूर्ति पर अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 'भारत निर्माण' के तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण आवासों तथा पेयजल आपूर्ति पर वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 (फरवरी, 2007 तक) के दौरान खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

ग्रामीण सड़कें	9447.25 करोड़ रु.
ग्रामीण आवास	6330.97 करोड़ रु.
पेयजल आपूर्ति	10535.38 करोड़ रु.

ग्रामीण आवास तथा पेयजल आपूर्ति पर किए गए व्यय में राज्य हिस्सा भी शामिल है, जबकि ग्रामीण सड़कें 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। हालांकि इन कार्यक्रमों के तहत निधियां विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से खर्च/उपयोग की जाती हैं तथापि, संबंधित कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट भारत निर्माण के उपर्युक्त तीन घटकों की परियोजनाएं/योजनाएं तैयार करने में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) का सक्रिय योगदान रहता है जैसे कि आवास के आबंटन के लिए बी.पी.एल. परिवार का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता

है, ग्रामीण सड़कों के लिए योजना तैयार करने में पंचायती राज संस्थाएं सक्रिय योगदान देती हैं। इसी प्रकार, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल स्रोत के स्थान का चयन करने, इसके परिचालन एवं रख-रखाव आदि का कार्य पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

2634. श्री मित्रसेन यादव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. ने देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ संयंत्रों की स्थापना के लिए किन स्थलों का चयन किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) एन.टी.पी.सी. लि. नामिकीय विद्युत उत्पादन में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है। वर्ष 2002-2017 की अवधि में एन.टी.पी.सी. की कॉरपोरेट योजना के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के रूप में 2000 मेगा वाट क्षमता बनाने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने परमाणु विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

वर्तमान में पहली नामिकीय परियोजना स्थापित करने के लिए इष्टतम प्रौद्योगिकी विकल्प का चयन एवं संभावित स्थलों की पहचान जारी है।

[अनुवाद]

आर.बी.आई. का नगद आरक्षण अनुपात

2635. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:

श्री कैलाश मेघवाल:

श्री रघुवीर सिंह कीशाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए नगद आरक्षण अनुपात (सी.आर.आर.) बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपाय से मुद्रास्फीति पर रोक लगने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इससे मुद्रास्फीति पर किस प्रकार रोक लगने की संभावना है; और

(ङ) क्या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संबंध में आर.बी.आई. और भारत सरकार की नीतियों में कोई अंतर है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने तथा वर्तमान नकदी शतों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एस.सी.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.), अनुसूचित सहकारी बैंकों एवं अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को उनकी निवल मांग एवं समय देयताओं (एन.डी.टी.एल.) को दो स्तरों पर 0.50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया था जो 17 फरवरी, 2007 एवं 3 मार्च, 2007 के पखवाड़े से शुरू होकर 5.50% से क्रमशः 5.75% एवं 6.00% बढ़ गया। सी.आर.आर. में उपर्युक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों की लगभग 14,000 करोड़ रुपए राशि के संसाधन को खपाये जाने की आशा थी। इस उपाय से एक हद तक स्फीतिकारक दबाव को नियंत्रित किए जाने की संभावना है जो मौद्रिक स्थितियों के लिए उत्तरदायी है।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

जिला सतर्कता और निगरानी समितियों के खिलाफ शिकायतें

2636. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् सरकार को कुछेक जनप्रतिनिधियों से जिला सतर्कता और निगरानी समितियों के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) जी, हां। जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों की कार्य प्रणाली के संबंध में देश के विभिन्न भागों, मुख्यतः आंध्र-प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा प. बंगाल आदि से संसद सदस्यों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में उठाये गए मुख्य मुद्दे जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें न बुलाया जाना, अनुस्मारकों के बावजूद बैठक बुलाने में देरी, बैठक से जिला समाहर्ता की अनुपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति में सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना, संसद सदस्यों से परामर्श किए बिना बैठक की तारीखें निर्धारित करना, सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की तारीख तय करने से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी न देना, उनके अनुरोध के बावजूद बैठक स्थगित न करना, पर्याप्त सूचना के बिना बैठक आयोजित करना, बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव और बैठक में भाग लेने के लिए अथवा फील्ड दौरे करने के लिए वाहन उपलब्ध न कराना आदि हैं। जिला प्राधिकारी अपनी शिकायतों के बारे में अपनी समस्याओं और उनमें से कुछ भारत सरकार के समक्ष अनुदेशों के लिए लाते रहे हैं।

मंत्रालय राज्य सरकारें और जिला प्रशासन के साथ अनेक समस्याएं उठाता आ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला स्तरीय इन सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और इनमें से अधिकांश शिकायतों को तुरन्त कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। अधिकांश मामलों में उनके द्वारा ऐसी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से दिशा-निर्देश, स्पष्टीकरण और अनुमोदन लेना पड़ता है और मंत्रालय में इनकी जांच की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में, कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज को एक वर्ष में राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की कम से कम एक बैठक के आयोजन के साथ जोड़ दिया गया है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक हो, इसे सुविधाजनक बनाने और सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष बैठकों के आयोजन के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियों के दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया गया है।

फेरा मामलों में अभियोग चलाना

2837. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री उदय सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फरवरी, 2007 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के संबंध में दर्ज किए गये, अभियोग चलाए गए, दोषसिद्ध हुए और लंबित पड़े मामलों का ब्योरा क्या है;

(ख) एक वर्ष, तीन वर्ष तथा तीन वर्ष से ज्यादा समय से लंबित मामलों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मामलों की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन का न तो कोई नया मामला दर्ज किया गया और न ही कोई मुकदमा चलाया गया। गत तीन वर्षों के दौरान दोषसिद्धि में परिणत हुए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	धारा 56 के अन्तर्गत	धारा 57 के अन्तर्गत	कुल
2004	33	51	84
2005	31	39	70
2006	24	16	40
28-2-07 तक	7	5	12
जोड़	95	111	206

एक वर्ष से अथवा तीन वर्षों से अभियोजन का कोई मामला लंबित नहीं है। तथापि, अभियोजन के 4469 मामले तीन वर्षों

से अधिक समय से लंबित हैं। वर्ष 2004 से 28-2-2007 तक अभियोजन के लंबित 4469 मामलों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	धारा 56 के अन्तर्गत	धारा 57 के अन्तर्गत	कुल
2004	2082	2832	4914
2005	2046	2660	4706
2006	1993	2532	4525
2007 28-2-2007 तक	1984	2485	4469

(ग) और (घ) मामलों की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(च) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकारी वकीलों को जानकारी देना, मामलों की प्रगति की निगरानी करना, दस्तावेजों और गवाहों को यथासमय प्रस्तुत करने आदि जैसे उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं।

नैनो ट्यूब द्वारा विद्युत उत्पादन

2838. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर के वैज्ञानिकों ने पाया है कि नैनो ट्यूब पर पानी डालने से विद्युत का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस तकनीक से विद्युत उत्पादन संभव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस तकनीक पर अनुसंधान और विकास करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विज्ञान संस्थान और रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बंगलौर में एकल दीवार वाले कार्बन नैनो ट्यूब बंडलों पर जल जैसे द्रव का

प्रवाह, प्रवाह की दिशा के साथ-साथ निर्देश में एक विद्युतीय संकेत (वोल्टेज/प्रवाह) उत्पन्न करने संबंधी खोज की है। विद्युत संकेत एक विस्तृत क्षेत्र के ऊपर प्रवाह गति में लघुगणकीय के रूप में होना पाया गया है। प्रवाह का चुंबकत्व विद्युत संकेत को उत्पन्न करता है जो द्रव की आयनिक चालकता और ध्रुवीय प्रकृति पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) आविष्कार की अब तक दी गयी सूचना से केवल इस नये प्रभाव का अस्तित्व स्थापित होता है।

(ङ) और (च) बंगलीर में वैज्ञानिक इस नये प्रभाव पर और आगे अध्ययन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

2039. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी.) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) की धीमी प्रगति तथा कुछेक राज्यों में इनके अंतर्गत धनराशि उपयोग न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में धनराशि की

उपलब्धता और निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की उपयोगिता का राज्यवार ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) से (ग) पेयजल तथा स्वच्छता राज्य का विषय है तथा ग्रामीण बसावटों को पेयजल तथा स्वच्छता उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) तथा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत निधियों का आबंटन केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कतिपय दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग-जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है तथा इसमें राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके तथा राज्य अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें करके इसकी नियमित निगरानी की जाती है।

(घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में और तेजी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है। 2004-05 तथा 2005-06 में दी गई पुरस्कार राशि के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 2006-07 में अभी तक कोई पुरस्कार राशि नहीं दी गई है।

विवरण

निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) के राज्य-वार ब्योरे

(लाख रु. में)

क्र. सं.	2004-05			2005-06			
	संख्या			संख्या			
	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	राशि	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश				10		22.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम				1		4.00
3.	बिहार				4		16.00
4.	गुजरात	1		2.00	4		8.00
5.	केरल	1		4.00	6		24.00
6.	मध्य प्रदेश				1		2.00
7.	महाराष्ट्र	13		26.00	380	1	770.00
8.	उड़ीसा				8		26.00
9.	तमिलनाडु	12	1	48.00	119		294.00
10.	त्रिपुरा	1		2.00	36		76.00
11.	उत्तर प्रदेश				40		86.00
12.	प. बंगाल	10	1	48.00	126	8	600.00
13.	छत्तीसगढ़				12		26.00
14.	उत्तराखंड				13		26.00
15.	अन्य संस्था (4)						2.00
कुल		38	2	130.00	760	9	1,982.00

[हिन्दी]

जोधपुर में कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

2640. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान को जोधपुर शहर में कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने एम.सी.ए.-21 नामक एक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसके अन्तर्गत कम्पनियां

और व्यावसायिक अपनी सुविधानुसार एम.सी.ए.-21 पोर्टल का प्रयोग करके अपने कार्यालय या घर से किसी भी समय तथा किसी भी स्थान से सभी दस्तावेज ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। जैसा कि, कम्पनी रजिस्ट्रारों के साथ व्यापारिक लेन-देन करने में भौगोलिक दूरियां कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। इन सब बातों के होते हुए भी, राजस्थान राज्य के लिए जयपुर में सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यालय है तथा कार्यों को मैन्युअल पद्धति से ई-गवर्नेंस पद्धति में अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जोधपुर में एम.सी.ए.-21 ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत एक सुविधा केन्द्र (आर.एफ.ओ.) स्थापित किया गया है, जहां पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को निःशुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। यह आर.एफ.ओ. 3 वर्षों की अवधि के लिए चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त, कुल 27 प्रमाणित फाइलिंग केन्द्र (सी.एफ.सीज) जिनका व्यावसायिकों द्वारा प्रबंधन और संचालन किया जाता है, को भी राजस्थान

राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया है। देश भर में पणधारकों द्वारा औसतन लगभग 80% दस्तावेज सुविधा केन्द्रों या सी.एफ.सीज से कोई सुविधा प्राप्त किए बिना एम.सी.ए.-21 पोर्टल का प्रयोग करके दायर किए जाते हैं। इस तरह, जोधपुर शहर में कम्पनी रजिस्ट्रार का कोई नया कार्यालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को धनराशि का आबंटन

2641. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) फरवरी, 2007 तक आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या 12वें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य को प्रदान किए जाने वाले अनुदानों के संबंध में अपनी सिफारिशें भेज दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को जारी करने हेतु क्या शर्तें लगाई गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2000-05 तक की अवधि हेतु 924.90 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें से 760.24 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं एवं 164.66 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 2000-05 के दौरान, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को 848.88 करोड़ रुपए के स्थानीय निकाय अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं के लिए 684.22 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 164.66 करोड़ रुपए) इस शर्त के तहत जारी किए थे कि अनुदानों को जारी करने से संबंधित शर्तों को पूरा किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि तक उपयोग की गति को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) से (घ) जी, हां। बारहवें वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। बारहवें वित्त आयोग ने 2000-05 अवधि हेतु आंध्र प्रदेश के लिए 1961.00 करोड़ रुपए के स्थानीय निकाय अनुदान (पंचायती राज संस्थाओं हेतु 1587.00 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों हेतु 374.00 करोड़ रुपए) की सिफारिश की है। अब तक, आंध्र प्रदेश को 2005-06 में 354.80 करोड़ रुपए का (पंचायती राज संस्थाओं के लिए 317.40 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 37.40 करोड़ रुपए) तथा 2006-07 के दौरान 233.50 करोड़ रुपए का स्थानीय निकाय अनुदान (पी.आर.आई. हेतु 158.70 करोड़ रुपए और यू.एल.बी. हेतु 874.80 करोड़ रुपए) इस शर्त के अधीन जारी किया गया है कि विवरण में यथालिखित स्थानीय निकाय अनुदानों के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में दर्शाई गई सूचनाओं/शर्तों की प्राप्ति/पूर्ति कर दी जाएगी।

विवरण

बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के उपयोग के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

1. बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 8.19 में सूचीबद्ध सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को अपनाने के लिए राज्यों द्वारा उन पर विचार किया जाना चाहिए जिससे पंचायतों के संसाधनों को बेहतर बनाया जा सके।
2. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेने तथा उनके रख-रखाव और नवीकरण के साथ-साथ उनकी प्रचालन एवं रख-रखाव लागत हेतु अनुदानों का उपयोग करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं को आवर्ती लागत के कम से कम 50 प्रतिशत भाग की वसूली प्रयोक्ता प्रभागों के रूप में कर लेनी चाहिए।
3. पंचायतों को आबंटित किए गए अनुदानों में, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणाली की प्रचालन एवं रख-रखाव लागत पर होने वाले व्यय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें पंचायतें इन योजनाओं का उत्तरदायित्व लेकर उनका परिचालन कर सकेंगी।
4. शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्रत्येक राज्य को प्रदत्त सहायता-अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत भाग सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन संबंधी योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं को ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, वियोजन तथा उनकी दुलाई पर ध्यान देना चाहिए। इन क्रिया-कलापों से संबंधित लागत को अनुदान राशियों से पूरा किया जा सकता है।

5. अधिकांश राज्यों के पास स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति से संबंधित विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं होती। आंकड़ों से संबंधित आधार तथा लेखों के अनुरक्षण के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी। राज्यों को इस विषय पर प्रत्येक स्थानीय निकाय की जरूरतों का मूल्यांकन करना चाहिए तथा वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए कुल आबंटित अनुदान में से तदनुसार धनराशि निर्धारित करनी चाहिए।
6. संविधान में दी गई परिभाषा के अनुसार परिभाषित पंचायतें तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जब उनका गठन अनुच्छेद 243 बी और 243 सी के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार किया गया हो। अतः संविधान के भाग IX के तहत कवरित ऐसे किसी भी राज्य को अनुदान नहीं दिया जाएगा जहां संविधान के प्रावधानों के अनुसार घयनित पंचायतें न होने की अवधि के लिए इन पंचायतों के गठन के लिए चुनाव न कराए गए हों।
7. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक किस्त जारी करने से पहले, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार दो चरणों में अर्थात् एक निधियों के आबंटन पर और दूसरी निधियों के जारी करने पर ब्यौरे प्रस्तुत करेगी। तथापि, किसी राज्य को 2005-06 के लिए पहली छमाही किस्त केवल तभी जारी की जाएगी जब उस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को इन निधियों को आबंटन के ब्यौरे प्राप्त हो जाएंगे। बाद की सभी किस्तें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को पिछली किस्त में जारी निधियों का प्रमाण-पत्र तथा अनुवर्ती किस्त के लिए निधियों के आबंटन की सूचना से संबंधित ब्यौरों के दोनों सेट प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाएंगी। वर्ष 2005-06 की पहली किस्त के लिए केवल जिला स्तर पर आबंटन की सूचना राज्य द्वारा ही भेजी जाएगी। अनुवर्ती निर्मुक्तियों के लिए प्रत्येक पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को आबंटन का विघटन तीन स्तरों में किया जाएगा।

8. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक किस्त जारी करने के 15 दिन के भीतर, राज्य वित्त सचिव को अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित होगा कि भारत सरकार से राज्य को प्राप्त हुई स्थानीय अनुदान राशि तथा प्राप्ति की तारीख और पी.आर.आई.(ज) एवं यू.एल.बी.(ज) को जारी अनुदानों की राशि एवं तारीखें प्रमाणित कर दी गई हैं।

9. ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की स्कीमों पर यू.एल.बी. तथा जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी स्कीमों पर पी.आर.आई. द्वारा खर्च किए गए अनुदानों की प्रतिशतता का प्रमाण-पत्र राज्य वित्त सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष देना अपेक्षित होगा। राज्यों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे जलापूर्ति स्कीमों पर पी.आर.आई. द्वारा वसूली योग्य ओ. एंड एम. आवर्ती लागत के ब्यौरे दें।
10. 15 दिन की निर्धारित अवधि के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के अंतरण करने में यदि कोई विलम्ब होता है, तो राज्य सरकार अनुदान के ऐसे विलम्बित अंतरण के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की दर की समान दर पर ब्याज की राशि पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानीय निकाय को अंतरित करेगी।
11. भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जलापूर्ति और सफाई-व्यवस्था की स्कीमों पर पूरी तरह उपयोग में न लाई गई राशि रोक लेगी। रोकई गई राशि की प्रतिपूर्ति बाद में इस पुष्टि के बाद की जाएगी कि कम खर्च की गई राशि की क्षतिपूर्ति अनुवर्ती अवधि में कर दी गई है।
12. भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय निकाय के अनुदानों की निर्मुक्ति और उपयोग की लेखापरीक्षा करा लेंगे।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले

2642. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति):

(क) जी हां। विधि आयोग ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में "जनहित प्रकटन (सूचना देने वालों की संरक्षा) विधेयक" के अधिनियमन की सिफारिश की है।

(ख) यह विधेयक इस समय मंत्रियों के समूहों के विचाराधीन है। तथापि, सरकार ने "आवाज उठाने वाला (जनहित प्रकटन) संकल्प, 2004" जारी किया है।

राजस्व संग्रहण

2843. श्री अनंत कुमार:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का कितना संग्रहण किया गया और इस संबंध में लक्ष्य क्या थे;

(ख) क्या किसी राज्य, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य से किसी शीर्ष के अंतर्गत संग्रहण में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी का कोई मामला लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इससे संबद्ध धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) से (ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए लक्ष्यों के आवंटन हेतु क्षेत्राधिकारिक इकाई मुख्य आयुक्तालय हैं न कि राज्य। तदनुसार लक्ष्यों और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों से संग्रहण और किसी राज्य विशेषकर कर्नाटक राज्य से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत संग्रहण में किसी कमी से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (च) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अपीलें आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के मुख्य आयुक्तों द्वारा संस्तुत/दायर की जाती हैं, जिनका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्यों के यथायोग्य नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में विभिन्न

न्यायालयों के समक्ष लम्बित मुकदमों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

2844. श्री कृष्ण मुरारी मोघे: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 की जनगणना पर आधारित बीस हजार की जनसंख्या की सीमा को बढ़ा कर पचास हजार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (ग) जी, नहीं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2005 में शुरू की गई छोटे एवं मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी.), जिसका उद्देश्य 5098 छोटे व मझोले कस्बों व शहरों (2001 की जनगणना के अनुसार) में जल आपूर्ति सहित शहरी अवस्थापना में सुधार करना है, में शामिल कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नदीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शामिल शहरों को छोड़कर यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत 10 लाख तक की आबादी वाले सभी शहर योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

जाली करेंसी

2845. श्री निखिल कुमार:

श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में एक जाली करेंसी ऑपरेशन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जाली करेंसी का उद्गम स्थल श्रीलंका तथा पाकिस्तान में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ध्यौरा क्या है; और

(ङ) जाली करेंसी के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) राजस्व आसूचना निदेशालय ने पाकिस्तान और श्रीलंका से भारत में तस्करी किए गए नकली नोटों सहित नकली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी के अनेक मामले दर्ज किए हैं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों का ध्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश में नकली मुद्रा की तस्करी और चलन को रोकने और निष्फल करने के प्रयासों के प्रति सचेत और सतर्क है।

विवरण

वर्ष	मामलों की सं.	नकली मुद्रा का मूल्य (लाख रु. में)	गिरफ्तार व्यक्तियों की सं.	नकली मुद्रा का उद्गम स्थल
2004-2005	3	47.22	7	1.24 लाख रु. बांग्लादेश उद्गम के और 45.98 लाख रु. पाकिस्तान उद्गम के
2005-2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2006-2007 (फरवरी, 07 तक)	9	156.93	18	85.70 लाख रु. दुबई उद्गम के 40.15 लाख रु. श्रीलंका उद्गम के, 1.09 लाख रु. बांग्लादेश उद्गम के, 29.99 लाख रु. पाकिस्तान उद्गम के

रासायनिक कीटनाशक

2646. श्री कैलश मेघवाल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रासायनिक कीटनाशकों के जैव अवक्रमणीय विकल्पों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने संबंधी परियोजनाओं से जुड़ी सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक एवं अकादमिक संस्थाओं का ध्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा रासायनिक कीटनाशकों के पर्यावरण अनुकूल जैव अवक्रमणीय विकल्पों के उत्पादन तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव-अवक्रमणीय के विकास तथा उत्पादन में विभिन्न सरकारी अभिकरण, अनुसंधान संस्थान और अन्य संगठन सक्रिय रूप से जुड़े हैं और इसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत सरकार ने अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल जैव-अवक्रमणीय अभिकर्मकों के उत्पादन तथा संवर्धन के लिए संघठित प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय जैवनियंत्रण अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क कार्यक्रम जैव अवक्रमणीय कीटनाशकों के माध्यम से कीट रोगों के नियंत्रण संबंधी अध्ययन के लिए वर्ष 1989 में शुरू किया गया था। 200 से अधिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवक्रमणीय सक्षम जैव-अभिकर्ताओं के उत्पादन तथा बेहतर रूप से तैयार किए जाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई तथा वाणिज्यीकरण हेतु उद्योगों को हस्तांतरित की गई हैं। सघन संवर्धन कार्यक्रम भी समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.), समेकित पोषक-तत्त्व प्रबंधन तकनीकें अपनाने के लिए शुरू किए गए हैं तथा किसानों में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से पूरे देश में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न विस्तृत गतिविधियों का आयोजन किया गया और व्यापक स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया है। प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए अनेक केंद्रों की पहचान की गई है और

व्यापक स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं सहित किसान समुदायों के बीच प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए विभिन्न विस्तृत गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इन प्रयासों सहित निम्नलिखित के संदर्भ में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है (1) विभिन्न अभ्यर्थी जैव-अभिकर्ताओं का मानकीकृत, लागत प्रभावी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, व्यापक स्तर पर उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास (2) विभिन्न आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों में विभिन्न पारस्थितिकी के अंतर्गत जैव-नियंत्रण अभिकर्ताओं/जैव-कीटनाशकों की फील्ड कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता का प्रदर्शन; (3) (क) वित्तीय लाभ; (ख) उपज संवृद्धि; (ग) कीटनाशक उपभोग में कमी के संदर्भ में लागत लाभ अनुपात निकालते हुए समेकित कीट प्रबंधन (आई.एम.पी.) परीक्षणों में आर्थिक लाभ को आभास करते हुए (4) किसान समुदाय और अंतिम प्रयोगकर्ताओं के बीच जैव-नियंत्रण आधारित समेकित कीट प्रबंधन (आई.एम.पी.) प्रौद्योगिकी के बारे में सामान्य जागरूकता का सृजन करना। सफलतापूर्वक परीक्षणों का प्रदर्शन विभिन्न राज्यों में कृषि के राज्य विभाग द्वारा अनुशंसा स्वरूप पराकाष्ठा पर पहुंच गया है।

विवरण

I. सरकारी अभिकरण:

- (i) कृषि मंत्रालय,
- (ii) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार,
- (iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार,
- (iv) वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली,
- (v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली,
- (vi) भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे,
- (vii) एम.पी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल-462004 (मध्य प्रदेश) इत्यादि

II. वैज्ञानिक संस्थान: जैव-निम्नीकरणीय अभिकारकों के विकास एवं उत्पाद में सक्रिय रूप से व्यस्त प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान निम्न रूप में व्यक्त किए जाते हैं:-

1. नागार्जुन कृषि अनुसंधान एवं विकास संस्थान प्लॉट नं. 61, दूसरा तल, नागार्जुन हिल्स पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082
2. दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, हैबीटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

3. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012
4. भारतीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हस्सीगुडा, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007
6. मदुरै एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मदुरै-625104
7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टीकल्चरल रिसर्च, हसारघाटा लेक पोस्ट, बंगलौर-560089
8. सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल स्टेशन, कयानगुलाम, कृष्णापुरम-690533 (केरल)
9. नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226 001
10. कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
11. दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, हैबीटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
12. रफी अहमद किदवाई कृषि विज्ञान संस्थान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202 002
13. हिमालय जैवसंस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, पो.बा. नं. 6, पालमपुर-176 061, हिमाचल प्रदेश
14. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, पो.बा. 1701 मरिकुन्नु, कालीकट-673012 (केरल)
15. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, पो.आ. सं. 2, शंकर नगर, नागपुर-440 010
16. इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) इलाहाबाद-211007
17. भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर, नडिया, पो.ओ.बा. नं. 5002, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
18. वानिकी अनुसंधान संस्थान, पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
19. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंद्री-533180

20. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्ज एंड रिसर्च, कानपुर-208024
21. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, 20-ए अम्बेडकर रोड, पो.बा. नं. 11 पुणे-411001
22. इंडियन कार्डामम रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पाईसिज बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) माइलादुमपाडा, कैलासनाडु पो.आ. इदुकी जिला 685553 (केरल)
23. गन्ना उत्पादन संस्थान, कोयम्बतूर (तमिलनाडु)-641007
24. नेशनल कैमिकल लेबोरेटरी, होमी भाभा रोड, पुणे-411008
25. रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहाट-785006 (असम)
26. बायोवेद रिसर्च कम्यूनिकेशन सेंटर, 103/42, मोती लाल नेहरू रोड (प्रयाग स्टेशन के पास) इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश)
27. नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रोऑर्गनिज्म, विलेज-कुसमीर, पो.बा. सं. 6, कैथोली, मऊ नाथ भंजन, जिला मऊ-275101 (उत्तर प्रदेश)
28. चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद-500007
29. रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, कैनाल रोड, जम्मू तवी-180001
30. प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, पा.बा. नं. 2491, एच.ए. फार्म पोस्ट, बेलारी रोड, हेबल, बंगलूर-560024, कर्नाटक
31. राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, जगति, तिरुवंत-पुरम-695014 केरल
32. इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आई.सी.जी.ई.बी.), पो.ओ. बाक्स 10504, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
33. इन्सेक्ट बायोपेस्टीसाइड रिसर्च सेंटर, 30, प्रकाश नगर, मॉडल टाऊन, जालंधर-144003 (पंजाब)
34. नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, बालानगर, हैदराबाद-500037

35. विहल मलाया साइंटिफिक रिसर्च फाऊंडेशन, पा.बा. नं. 406 के.आर. रोड, बंगलूर-560004
36. आस्थागिरी हर्बल रिसर्च फाऊंडेशन, 14/1, ॥ मेन रोड, जया नगर, तंबारम सैनटोरियम, चेन्नई-600047
37. मैसूर विश्वविद्यालय, मंसागंगोत्री, मैसूर-570006
38. सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बतूर (तमिलनाडु) 641007
39. नेशनल रिसर्च सेंटर फार वीड साईस, 215, रवीन्द्र नगर अधरताल, जबलपुर-482004 (मध्य प्रदेश)

III. अकादमिक संस्थान इत्यादि: जैव-निम्नीकरणीय अभिकारकों के विकास एवं उत्पाद में सक्रिय रूप से व्यस्त प्रमुख अकादमिक संस्थान निम्न रूप में व्यक्त किए जाते हैं:-

1. नॉर्थ महाराष्ट्रा यूनीवर्सिटी, पा.बा. नं. 80, उमाविनगर, जलगांव-425001 (महाराष्ट्र)
2. कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमेनिटिज, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004 (पंजाब)
3. अचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कालेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500 030 (आन्ध्र प्रदेश)
4. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, पारमनी-431 402 (महाराष्ट्र)
5. गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर-263 145 (उत्तराखंड)
6. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 001 (मध्य प्रदेश)
7. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-313 001 (राजस्थान)
8. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.के.वी.के., विश्वविद्यालय, बंगलूर-560 085 (कर्नाटक)
9. रीजनल एग्रीकल्चरल अनुसंधान स्टेशन, अचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, एल.ए.एम., गुन्नदूर-522 034 (आन्ध्र प्रदेश)
10. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004 (पंजाब)
11. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषिनगर, धारवाड़-580 005 (कर्नाटक)

12. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 003 (उड़ीसा)
13. पुना विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे-411 007 (महाराष्ट्र)
14. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर-641 003 (तमिलनाडु)
15. एस.पी.आई.सी. बायोप्रोसेस लेबोरेटरी, अन्ना विश्वविद्यालय, तारामणि-600 113 (तमिलनाडु)
16. यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007 (आन्ध्र प्रदेश)
17. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्या नगर-388 120 (गुजरात)
18. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785 013 (असम)
19. सेंट जेवियर कालेज, प्लायनकोट्टई-672 002 (तमिलनाडु)
20. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कालापैट, पांडिचेरी-605 014
21. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 (उत्तर प्रदेश)
22. मद्रास विश्वविद्यालय, गिंडी कैम्पस, चेन्नई-600 025 (तमिलनाडु)
23. बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, नदिया-741 252, वेस्ट बंगाल (कोलकाता)
24. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 009 (उत्तर प्रदेश)
25. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 046 (आन्ध्र प्रदेश)
26. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413 722 जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)
27. केरल विश्वविद्यालय, करियावटोम-695581

28. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176 002 (हिमाचल प्रदेश)
29. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल-795 003
30. लोयोला कॉलेज, चेन्नई-600 034
31. डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला-444 104 नागपुर (महाराष्ट्र)
32. केरल कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी कालेज, वेलानीकारा, त्रिशूर-680 656 (केरल)

एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाएं

2647. श्री जुएल ओराम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने देश के दूर-दराज के गांवों में कोई विद्युत उत्पादन तथा वितरण परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसी परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने अपने उत्पादन स्टेशनों के आस-पास विकेंद्रित उत्पादन एवं वितरण प्रबंधन (डी.जी.डी.एम.) की आजमाइशी परियोजनाएं शुरू कर दी है।

(ख) अभी तक 6 डी.जी.डी.एम. परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं जिनका विवरण निम्न है:-

गांव में वितरित उत्पादन (डीजी) परियोजना	क्षमता एवं प्रौद्योगिकी	राज्य
1	2	3
जामरा	10 कि.वा. बायोमास (काष्ठीय)	छत्तीसगढ़

1	2	3
जराहा-चेतवा	10 कि.वा. सौर फोटो वोल्टाइक (एस.पी.वी.)	उत्तर प्रदेश
भाओगढ़	10 कि.वा. वायोमास (काष्ठीय)	राजस्थान
बगाडरा	20 कि.वा. वायोमास (काष्ठीय)	छत्तीसगढ़
खिरती	20 कि.वा. वायोमास (काष्ठीय)	छत्तीसगढ़
उचलेंगा	20 कि.वा. वायोमास (काष्ठीय)	छत्तीसगढ़

(ग) से (ङ) अभी तक अनुमोदित और चालू परियोजनाएं प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। उड़ीसा सहित अन्य कोई परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं।

एस.बी.आई. में पेंशन में बढ़ोत्तरी

2648. श्री एम. अप्पादुरई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) ने हाल ही में अपने पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परिवारों की पारिवारिक पेंशन न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं, जिनमें रोजी-रोटी कमाने वाला नहीं रहा है; और

(घ) इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन और अधिकारी/कर्मचारी संघों के बीच दिनांक 9-4-2006 को हुए करार के अनुसार, 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हुए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों की पेंशन दिनांक 01-11-2002 से प्रभावी वेतनमानों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

(i) 21,040/- रुपए तक पेंशनयोग्य वेतन वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 50% + व्यावसायिक योग्यता वेतन (पी.क्यू.पी.), यदि कोई हो;

(ii) उपर्युक्त (i) से अधिक पेंशनयोग्य वेतन वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए न्यूनतम 10,520/- रुपए के अध्वधीन पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 40% + आधा व्यावसायिक योग्यता वेतन, यदि कोई हो।

दिनांक 01-11-2002 से 30-04-2005 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए लोगों की पेंशन भी दिनांक 01-05-2005 से उपर्युक्त आधार पर संशोधित की जाएगी, लेकिन पेंशन के ऐसे पुनर्निर्धारण की वजह से पेंशन एवं पेंशन के संराशीकृत मूल्य की कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ग) और (घ) यह करार का भाग नहीं था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अध्ययन

2649. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने हाल ही में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ग) इस अध्ययन के निष्कर्षों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसे शहरों का ब्यौरा क्या है जहां घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण की प्रणाली चल रही है;

(ङ) सभी शहरों में ऐसी प्रणाली न होने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे और क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कौशल
विकास हेतु प्रशिक्षण**

2050. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) द्वारा कौशल विकास के लिए दिया गया प्रशिक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण में क्या खामियां पाई गईं; और

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए स्वरोजगारियों के कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। साधारणतः एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 10 प्रतिशत आबंटन स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न निगरानी तंत्रों के माध्यम से एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन अध्ययन करता है और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है। कुछ मूल्यांकन अध्ययनों में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक कौशल, जिनमें संचार, नेतृत्व, निर्णय लेने, विवाद समाधान, लैंगिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं, देने के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल को फिर से बनाने की आवश्यकता जैसी कमियां बताई गई हैं। जब कभी भी ऐसी कमियों की जानकारी पाई जाती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय तत्काल उपचारी कार्रवाई करता है।

(ग) राज्य सरकारों को एस.जी.एस.वाई. के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण शुरू करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कौशल उन्नयन होना चाहिए ताकि जिले में संभाव्य क्षेत्रों के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा चिन्हित क्रियाकलापों में स्वरोजगार सुनिश्चित किया जा सके। स्वरोजगारियों के उपयुक्त कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए संशोधित प्रशिक्षण मोड्यूल बनाए गए हैं।

इस्लामिक बैंक

2051. डा. बल्लभभाई कधीरिया:

श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मलेशिया तथा सऊदी अरब की तरह इस्लामिक बैंक स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बैंक की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई समिति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारत में इस्लामिक बैंक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, यदि इस क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा को पूरा करने के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/अनुबंनियां इस्लामिक बैंकिंग उत्पाद प्रदान करती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) सामर्थ्यकारी अपेक्षाओं को देख रहा है।

ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क

2052. श्री अघलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञान में महिला प्रैक्टिशनरों के हितों की रक्षा की जा सके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थानीय संसाधनों पर आधारित आय सृजन के कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है;

(घ) इससे ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलेंगे;

(ङ) क्या सभी राज्यों में ऐसे पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित आय सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु स्थापना की गई है। महिला प्रौद्योगिकी पार्क का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुसार सिद्ध प्रौद्योगिकियों के प्रलेखन, विकास और हस्तांतरण के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करना है। महिला प्रौद्योगिकी पार्कों द्वारा महिला प्रौद्योगिकी नवोन्मेषकों की भागीदारी में वृद्धि को सुगमकृत करना और एक व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमियों के रूप में विकसित करने के लिए महिलाओं को संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना है। कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, इस प्रकार हैं - फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, बायोमास अनुप्रयोग, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, पशु पालन और चारा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित आजीविका का सृजन आदि।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा इन पार्कों की स्थापना विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के विशिष्ट अनुरोध पर तथा इन एजेंसियों की सक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर की गई है। जब कभी भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के और अधिक पार्कों की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है।

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

2653. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में

अनेक राज्य सरकारों द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी. आर.वाई.) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है तथा केन्द्र सरकार को धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें भी मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या योजना के कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) चूंकि एस.जी.आर.वाई. के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एस.जी.आर.वाई. के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, इसलिए एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें केन्द्र में संकलित नहीं की जाती। जब कभी भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की जानकारी में कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों और खाद्यान्नों के दुरुपयोग/अनियमितता की कोई शिकायत आती है तो संबंधित राज्य सरकार को उसकी जांच करने और कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ग) और (घ) एस.जी.आर.वाई. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जिला और मध्यवर्ती पंचायतें अपनी वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को नियुक्त कर सकती हैं। केन्द्र में ऐसा कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(ङ) पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक काम के लिए ग्रामीणों की निगरानी समिति के गठन को अनिवार्य बना दिया गया है। शुरू किए गए कार्य की प्रगति और उसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए पांच से नौ सदस्यों की एक ऐसी समिति बनानी होती है, जिसमें सदस्यों का नामांकन सामाजिक कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त सिविल, रक्षा और निजी क्षेत्र के अधिकारियों, अध्यापकों जैसे सेवानिवृत्त अन्य कर्मचारियों, सुशिक्षित व्यक्तियों में से किया जाता है और एक अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला प्रतिनिधि होती है। कार्य के पूरा होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति की अंतिम रिपोर्ट लगानी होती है और इसे ग्राम

सभा की बैठक में विचारार्थ रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्र स्तर के निगरानीकर्ता को प्राप्त शिकायत की जांच करने और विस्तृत निष्कर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकार को राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

[हिन्दी]

अग्रिम कर

2654. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवासीय तथा वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण से जुड़े बिल्डरों/विकासकर्ताओं/निर्माण कंपनियों से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अग्रिम कर की कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों/फर्मों द्वारा कुल कितना कर जमा करवाया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों ने करों के भुगतान में अनियमितताएं बरती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई पेंशन योजना

2655. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई पेंशन योजना के विस्तृत दिशानिर्देश तथा कार्य प्रणाली क्या है;

(ख) क्या 2004 के बाद तदर्थ/अवकाश रिक्तियों पर 2004 के बाद नियमित किए गए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की पिछली तिथि से वेतन लाभ मिलते हैं जबकि उन्हें उसी तिथि से नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य लाभ नहीं दिए जाते;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) पेंशन योजना के चयन के मामले में ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) इस मामले में विसंगतियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01-01-2004 से अनिवार्य है। नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) स्वेच्छिक आधार पर स्वनियोजित व्यवसायिकों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी।

तदर्थ/अवकाश रिक्तियों पर भर्ती किए गए कर्मचारी, जिन्हें वर्ष 2004 के पश्चात नियमित किया गया है, एन.पी.एस. की परिधि के अंतर्गत आएंगे।

तथापि, वे सभी कर्मचारी जो दिनांक 31-12-2003 को अथवा इसके पहले केन्द्र सरकार की सेवा में आए हैं और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित किए जाते थे, यदि ऐसे कर्मचारी दिनांक 01-01-2004 को अथवा इसके पश्चात् अन्य मंत्रालय अथवा केन्द्र सरकार के विभाग में नई नियुक्ति प्राप्त करने हेतु तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं, तो वे समान पेंशन योजना द्वारा शासित किए जाते रहेंगे।

कार्मिक संबंधी मुद्दों जैसे पेंशन इत्यादि के लिए पात्रता सेवाएं आदि के नियमों को तैयार करने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है।

देश में आवासीय इकाइयां

2656. श्री एस.के. खारवेनधन: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से शहरों में आवासीय इकाइयों की स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी आवास और गरीबी उपशमन संबंधी कार्यदल ने मकानों की कमी का आकलन करने के लिए एक तकनीकी समूह का गठन किया है। इस तकनीकी समूह की रिपोर्ट के आधार पर

वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार, मकानों की कमी संबंधी धीरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार मकानों की कमी

(मिलियन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मकानों की कमी
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1.95
अरुणाचल प्रदेश	0.02
असम	0.31
बिहार	0.59
छत्तीसगढ़	0.36
गोवा	0.07
गुजरात	1.66
हरियाणा	0.52
हिमाचल प्रदेश	0.06
जम्मू-कश्मीर	0.18
झारखण्ड	0.47
कर्नाटक	1.63
केरल	0.76
मध्य प्रदेश	1.29
महाराष्ट्र	3.72
मणिपुर	0.05
मेघालय	0.04
मिजोरम	0.04
नागालैण्ड	0.03
उड़ीसा	0.50
पंजाब	0.69

1	2
राजस्थान	1.00
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	2.82
त्रिपुरा	0.06
उत्तरांचल	0.18
उत्तर प्रदेश	2.38
पश्चिम बंगाल	2.04
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01
चण्डीगढ़	0.08
दादर व नगर हवेली	0.01
दमन व दीव	0.01
दिल्ली	1.13
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.06
अखिल भारत	24.71

[हिन्दी]

कम लागत वाली समेकित स्वच्छता योजना

2857. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कम लागत वाली समेकित स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) अब तक राज्य/संघ क्षेत्र-वार कितने कस्बों/शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी स्वच्छता इकाइयों का निर्माण किया गया?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
(कुमारी सैलजा): (क) जी. हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत जारी की गई सब्सिडी इस प्रकार है:-

2003-04	-	4.80 करोड़ रुपये
2004-05	-	20.00 करोड़ रुपये
2005-06	-	2.00 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) विवरण के अनुसार।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत निर्माण की गई सफाई इकाईयों की संख्या	अब तक शामिल किए कस्बों/शहरों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	133167	115
महाराष्ट्र	7254	181
मध्य प्रदेश	31445	289
मणिपुर	1126	12
उड़ीसा	9	63
राजस्थान	118563	159
तमिलनाडु	613	89
त्रिपुरा	5776	12
उत्तर प्रदेश	63300	74
पश्चिम बंगाल	32024	114
छत्तीसगढ़	9430	72
उत्तरांचल	3654	52

विद्युत खपत

2858. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

श्री के.एस. राव:

श्री जी.एम. सिद्दीक्वर:

श्री रामदास आठवले:

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री पी.एस. गढ़वी:

श्री टेक लाल महतो:

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

श्री ब्रजेश पाठक:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री शिशुपाल एन. पटले:

श्री मो. ताहिर:

श्री देविदास पिंगले:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है तथा अन्य विकसित और विकासशील देशों के साथ इसकी तुलना में स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह अन्य देशों की तुलना में काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरील कुमार शिंदे): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के लिए भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत 612.5 कि.वा. घं. थी वर्ष 2004 के दौरान कुछेक विकसित और विकासशील देशों की वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत नीचे दी गई है:-

देश का नाम	विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत (कि.वा. घं. में)
1	2
आस्ट्रेलिया	11126
फ्रांस	7689
जर्मनी	7030
जापान	8076

1	2
रूस	5642
युनाइटेड किंगडम	6206
संयुक्त राज्य अमेरिका	13338
ब्राजील	1955
अर्जेंटीना	2301
मेक्सिको	1804
मलेशिया	3166
पाकिस्तान	425
फिलीपिन्स	597
श्रीलंका	345
थाईलैंड	1865

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित मुख्य वैश्विक ऊर्जा आंकड़े (2008)

(ग) सरकार द्वारा विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

अल्पावधिक

- (i) कोयला स्टेशनों के उन्नत पी.एल.एफ. को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश के सभी प्रमुख कोयला संयंत्रों में कोयला उत्पादन, परिवहन व भंडारण की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है। घरेलू कोयले के उत्पादन में बाधाओं का सामना करने की दृष्टि से कोयले का आयात।
- (ii) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।
- (iii) गैस आधारित स्टेशनों की उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग।
- (iv) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण एवं विस्तार।
- (v) अन्तःराज्य तथा अन्तर क्षेत्रीय पारेषण को सुदृढ बनाकर उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग।

- (vi) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।
- (vii) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।
- (viii) नदीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाकर "उत्कृष्टता में भागीदारी" (पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस) कार्यक्रम की शुरुआत।
- (ix) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नदीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

दीर्घकालिक

- (i) उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग और अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।
- (ii) जल विद्युत क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए 50,000 मेगावाट क्षमता की पहल की गई है।
- (iii) 1,00,000 मेगावाट से अधिक थर्मल क्षमता के लिए स्थलों की पहचान।
- (iv) पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने इस तरह के प्रयास किए हैं ताकि निधियों के अभाव में अच्छी परियोजनाएं बाधित न हों।
- (v) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की कड़ी निगरानी की जा रही है।
- (vi) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।
- (vii) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

इसके अतिरिक्त, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई है जिसका उद्देश्य सन् 2009 तक समस्त देश में सभी गांवों को विद्युतीकृत करना है।

[अनुवाद]

शेयरों का अर्जन

2059. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की नियंत्रक हिस्सेदारी के सरकार द्वारा प्रस्तावित अर्जन से संबंधित शेयरों के बाजार मूल्य, संबंधित बैंकों की व्यवहार्यता और सुचारु कार्यकरण के किस प्रकार से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा हिस्सेदारी का अर्जन किस ब्याज दर पर किया जाएगा; और

(ग) इन बैंकों के सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकिंग क्षेत्र-सुधार समिति (नरसिम्हम समिति-II) की सिफारिशों पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को भारत सरकार को अंतरित करने का निर्णय इन संस्थाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को सरकार को अंतरित किए जाने से शेयरों के मूल्य और इन संस्थाओं की अर्थक्षमता और कार्यनिष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ख) चूंकि नकदी भुगतान के बदले भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता सरकार को अंतरित की जानी है, इसलिए ब्याज दर का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) आमतौर पर बैंकिंग क्षेत्र में और विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में सुचारु और कुशल कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, अर्थात् अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान एवं वर्गीकरण संबंधी मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों, ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी मार्गनिर्देशों, बैंकिंग ओमबड्समैन के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना, बैंकों के प्रभार में पारदर्शिता संबंधी मार्गनिर्देश, आदि को मजबूती प्रदान करने संबंधी उपाय/मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को त्वरित और दक्षतापूर्ण निर्णय लेने में समर्थ बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाने में समर्थ बनाने के लिए बैंक के बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 22-02-2005 में

स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की। विभिन्न कार्यनिष्पादन पैरामीटरों के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जमा किए गए "वार्षिक लक्ष्यों के बारे में आशय विवरण" के आधार पर उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए सरकार ने एक तंत्र भी स्थापित किया है। शीघ्रतापूर्वक अपनी वेयरशिओं की वसूली में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने तथा अनुपयोज्य आस्तियों की नई अनुवृद्धि रोकने में सहायता करने के लिए ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है।

पोस्ट की खेती

2060. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अफीम प्रसंस्करण का कार्य निजी कंपनियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पोस्ट की खेती के क्षेत्र को कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) जी, हां।

(ख) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 को संशोधित किया गया है ताकि लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी अफीम एवं अल्कालायड कारखानों से भिन्न व्यक्तियों और कंपनियों को विनिर्दिष्ट अफीम अल्कालायड/एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के विनिर्माण की अनुमति दी जा सके। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रयोजन के लिए दो भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना सार्वजनिक हित में है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र की रुचि रखने वाली और पात्र भारतीय औषधीय कंपनियां को जिनका गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 50 करोड़ रु. का वार्षिक कारोबार रहा हो; जिसका कानून की अनुपालना का अच्छा रिकार्ड रहा हो, और जो स्वापक सामग्री के किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता/क्रेता का विपणन एजेंट न हो, उनसे आवेदन आमंत्रित किया गया है।

निजी क्षेत्र में अफीम अल्कालायड/एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के विनिर्माण की अनुमति देने के कारण निम्नलिखित हैं:

- (i) कच्ची अफीम के घरेलू वैध खपत को बढ़ाना जिससे सरकारी अफीम और अल्कालायड निर्माणशाला, नीमच और गाजीपुर में पड़े अफीम के विशाल स्टॉक को समाप्त/कम किया जा सके;
- (ii) कोडेन फास्फेट/अफीम अल्कालायड/और एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के देशज विनिर्माण को बढ़ाना ताकि इन संघटकों की वर्तमान कमी और बढ़ती हुई भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके;
- (iii) मुख्य कारखाना नियंत्रक द्वारा किये जाने वाले कोडेन फास्फेट और अन्य अल्कालायडों के आयातों की आवश्यकता को धीरे-धीरे कम करना;

(iv) अफीम अल्कालायडों/एक्टिव फार्मास्यूटिकल संघटकों के निर्यात के मार्ग खोलना;

(v) अफीम की सतत परम्परागत खेती के माध्यम से अफीम के कृषकों की आजीविका की रक्षा करना; और

(vi) हमारे अफीम के कृषकों का उनकी उपज के लिए अधिक लाभकारी मूल्य के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना।

(ग) जी, हां।

(घ) गत तीन फसल वर्षों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टुकड़ों में लाइसेंस शुदा किसानों द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देख-रेख में की जाने वाली पोस्त की खेती के क्षेत्र का ब्योरा (की गई खेती हेक्टेयर में) निम्नानुसार है:

राज्य	फसल वर्ष 2003-04	फसल वर्ष 2004-05	फसल वर्ष 2005-06 (अनंतिम)
मध्य प्रदेश	8565	3876	3500
राजस्थान	8461	3918	3411
उत्तर प्रदेश	1565	39	65
योग	18,591	7,833	6,976

[हिन्दी]

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां

2681. श्री वी.के. दुम्मर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार आयकर और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा आय के उनके ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां जमा करने पर नजर रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार और कर अपव्ययन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) और (ख) आयकर एवं उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनानुपातिक परिसम्पत्तियां जमा करने पर निगरानी मुख्यतः केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा की जाती है जिसको ऐसी जांच करने के अधिकार प्राप्त हैं। ये विभाग उनके द्वारा दायर की गई आई.पी.आर. (अचल सम्पत्ति विवरणियों) की संवीक्षा के माध्यम से अपने अधिकारियों की परिसम्पत्तियों की निगरानी करते हैं। आधरण नियमावली, 1964 के उल्लंघन के मामले में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

तथापि, अनानुपातिक परिसम्पत्तियां जमा करने के संदिग्ध मामले जांच हेतु के.अ.ब्यूरो का प्रेषित किए जाते हैं; के.अ. ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर इसके बाद अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) (i) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क में विभाग कथित भ्रष्टाचार के पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2003-04	153
2004-05	117
2005-06	98

(ii) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग में कथित भ्रष्टाचार के पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2004	45
2005	70
2006	62

ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आयकर के कथित अपवर्धन के पंजीकृत मामलों का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है और बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के.आ. ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। की गई कार्रवाई में (i) विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन के लिए दी गई संस्वीकृति के आधार पर कानूनी न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी पर मुकदमा अथवा (ii) सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी को आरोप ज्ञापन जारी करने के माध्यम से नियमित विभागीय कार्रवाई शामिल है। उपरोक्तानुसार कार्रवाई आरम्भ करते समय के.स. आयोग की सलाह को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे जनता और अधिकारियों के बीच संपर्क को कम करना, प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण और पारदर्शिता, नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, संबेदनशील पदों पर

संदिग्ध सत्य निष्ठा वाले अधिकारियों की तैनाती न करना इत्यादि।

अनधिकृत समृद्ध कालोनियां

2662. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री हरिकेशल प्रसाद:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत समृद्ध कालोनियों संबंधी माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):
(क) जी, हां।

(ख) समिति ने समृद्ध लोगों के निवास वाली अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की आवश्यकता/व्यवहार्यता के बारे में विभिन्न सिफारिशें तथा साथ ही इसके लिए मानदंड, निबंधन व शर्तों और पद्धतियों के संबंध में सुझाव दिए हैं। समिति द्वारा अनधिकृत विकास की जांच करने के लिए सुझाव और टिप्पणियां भी दी गई हैं।

(ग) सिफारिशों पर अंतर-विभागीय परामर्श शुरू कर दिया गया है तथा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2663. श्री पन्थियन रबीन्द्रन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श

से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। यद्यपि, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है किंतु उसने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजा है और न ही आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कोई आश्वासन दिया है।

समुद्र में अनन्वेषित खनिज

2864. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंद महासागर में कन्याकुमारी के अनन्वेषित समुद्र तल दक्षिण जिसमें मूल्यवान खनिज हैं, का पता लगाया है जैसाकि दिनांक 16 दिसंबर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस क्षेत्र का अन्वेषण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में कितना खर्च आने की संभावना है और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस क्षेत्र का अन्वेषण कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। 1980 के दशक के प्रारंभ में मध्य हिंद महासागर बेसिन (सी.आई.ओ.बी.) में कन्याकुमारी के दक्षिण में एक अनन्वेषित समुद्री संस्तर देखा गया था। भारत के अन्वेषण संबंधी प्रयासों की सराहना करते हुए 17 अगस्त, 1987 को भारत को प्रथम अग्रणी निवेशक का दर्जा प्रदान किया गया था तथा समुद्री संस्तर में पड़ी बहुधात्विक-पिण्डिकाओं के अन्वेषण और विकासात्मक कार्यकलाप करने के लिए 1,50,000 वर्ग किमी. का क्षेत्र आबंटित किया गया। व्यापक अन्वेषणात्मक सर्वेक्षणों के आधार पर भारत ने सी.आई.ओ.बी. में 75,000 वर्ग किमी. क्षेत्र रख लिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। एक पंजीकृत अग्रणी निवेशक के रूप में भारत सरकार इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप कर रही है। इनमें सर्वेक्षण और अन्वेषण, पर्यावरणीय प्रभाव

मूल्यांकन अध्ययन, खनन कार्यकलापों का विकास और पिण्डिकाओं से धातु निकालने के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास करना, शामिल है।

इस मंत्रालय ने इस समयावधि में धातुओं (तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज) के निष्कर्षण के लिए भारतीय समुद्र स्थल से 250 टन पिण्डिकाएं एकत्र की हैं। इस स्तर पर अभी तक गहरे समुद्र संस्तर से धातु निकालना किफायती नहीं पाया गया है। अभी तक गहरे समुद्र संस्तर से व्यावसायिक स्तर पर धातु निकालने की कोई योजना नहीं है। परंतु पिण्डिकाओं के खनन हेतु प्रौद्योगिकी विकास का कार्य कई चरणों में किया जा रहा है।

विकास के प्रथम चरण के रूप में मंत्रालय की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), चेन्नै, ने एक प्रोटोटाइप उथला संस्तर खनन प्रणाली का डिजाइन तैयार कर विकसित किया है, जो 500 मीटर तक गहराई में कार्य करने में सक्षम है। वर्ष 2006 के दौरान गोवा के पास अरब सागर में 451 मीटर की गहराई पर इस प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। कलेक्टर और क्रशर सहित एक एकीकृत खनन माड्यूल विकसित करने का कार्य चल रहा है। 6 किमी. तक के गहरे जल में कार्य करने में सक्षम सुदूर प्रचालित पनडुब्बीनुमा यंत्र (रोसब-6000), का विकास एन.आई. ओ.टी. और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ओशियोनोलाजीकल इंजीनियरिंग (ई.डी.बी.ओ.ई.) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। रोसब-6000 का समुद्र में चरण-बद्ध ढंग से परीक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

2865. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो उन जिलों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जहां कम्प्यूटरीकरण अब तक पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) शेष जिलों का राज्यवार कम्प्यूटरीकरण कब तक किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु):

(क) और (ख) जी, हां। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। इस समय, यह योजना देश के 582 जिलों को शामिल करते हुए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों को दिखाने वाला एक विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) योजना की प्रगति की समीक्षा इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले राजस्व मंत्रियों/

राजस्व सचिवों के सम्मेलनों में की जाती है, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि सभी जिलों में इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना देश में 593 जिलों में से 582 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। शेष रहे मेघालय राज्य (7 जिले) तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (2 जिले), दीव और लक्षद्वीप (प्रत्येक का एक एक जिला) के संघ राज्य क्षेत्रों से आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने तथा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना को शुरू करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना के अंतर्गत शामिल जिलों/तहसीलों तथा प्राप्त की गई उपलब्धि को दिखाने वाला एक विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण
(सी.एल.आर.) के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश		531.50	506.45	844.00
2.	अरुणाचल प्रदेश				
3.	असम			542.50	
4.	बिहार		100.00	264.46	
5.	गुजरात	372.50	495.00		556.00
6.	गोवा				
7.	हरियाणा			843.76	
8.	हिमाचल प्रदेश	81.40	438.00	326.00	
9.	जम्मू-कश्मीर				1542.00
10.	कर्नाटक	389.50	497.40		920.10

1	2	3	4	5	6
11.	केरल			305.90	
12.	मध्य प्रदेश	542.50	286.30	388.00	
13.	महाराष्ट्र	826.54	296.00	787.60	
14.	मणिपुर			88.35	
15.	मेघालय				
16.	मिजोरम	20.00		127.00	
17.	नागालैण्ड		15.00	20.00	
18.	उड़ीसा	277.00	230.00	599.40	93.22
19.	पंजाब				
20.	राजस्थान			1332.20	414.00
21.	सिक्किम	82.70		10.00	
22.	तमिलनाडु	406.50	605.20	200.21	666.65
23.	त्रिपुरा		148.00		118.70
24.	उत्तर प्रदेश			1561.99	
25.	पश्चिम बंगाल		355.00	870.20	
26.	छत्तीसगढ़		164.00	459.60	
27.	झारखण्ड	547.20			656.00
28.	उत्तरांचल		400.60	653.44	820.51
29.	दादर व नगर हवेली				
30.	दिल्ली				
31.	पांडिचेरी	31.35		37.00	
32.	चंडीगढ़				
33.	दमन व दीव				25.00
योग		3577.19	4562.00	9924.06	6656.18

विवरण-II

सी.एल.आर. कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए जिले, तहसीलें तथा उप-प्रभाग और पूरा किया गया कार्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की कुल सं.	शामिल किए गए जिले	जिला आंकड़ा केन्द्र	जिला मुख्यालयों पर निगरानी प्रकोष्ठ	उप-प्रभागों की कुल सं.	शामिल किए गए उप-प्रभागों की सं.	तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों की कुल सं.	स्वीकृत की गई तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों की सं.	उन तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए हैं	पूर्णतया प्रचालित तहसील केन्द्र (अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओ. आर.) के मांग आधारित वितरण के रूप में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	23	1	79	79	308 तहसील	308	308	308
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	14					149 सर्किल			
3.	असम	23	23		1		12	155 सर्किल	83		
4.	बिहार	37	37			101		515 अंचल			
5.	गुजरात	25	25	25	1	54	35	226 तालुक	226	226	226
6.	गोवा	1	1					11 तालुक	11	11	11
7.	हरियाणा	19	19	20	1	47	47	112 तहसील	115	67	7
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12	1	51	51	110 तहसील	110	107	76

9. जम्मू-कश्मीर

14 14

59 तहसील

59

10. झारखण्ड

22 22

210 अंचल

210

11. कर्नाटक

27 27

177 तालुक

177

12. केरल

14 14

63 तालुक

63

13. मध्य प्रदेश

45 45

273 तहसील

273

14. महाराष्ट्र

35 35

358 तालुक

358

15. मणिपुर

9 8

5 78 सर्किल

5

16. मेघालय

7 7

32 ब्लॉक

17. बिजौरम

9 9

23 सब-डिवीजन

23

18. नागालैण्ड

8 8

93 सर्किल

19. उड़ीसा

30 30

171 तहसील

171

20. पंजाब

17 17

72 तहसील

72

21. राजस्थान

32 32

246 तहसील

246

22. सिक्किम

4 4

9 सब-डिवीजन

9

23. तमिलनाडु

29 29

206 तालुक

206

24. त्रिपुरा

4 4

38 सी.डी. ब्लॉक

37

25. उत्तर प्रदेश

70 70

305 तहसील

305

26. उत्तरांचल

13 13

84 तहसील

84

27. पश्चिम बंगाल

18 18

341 ब्लॉक

341

28. छत्तीसगढ़

16 16

98 तहसील

98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	दादर व नगर हवेली	1	1					1 तालुक			
30.	दिल्ली	9	9					27 तहसील		5	5
31.	पाण्डिचेरी	1	1	2	1			8 तालुक	8	5	5
32.	चण्डीगढ़	1	1					1 तहसील			
33.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1						7 तहसील			
34.	दमन व दीव	2	1			-		2 तालुक	1		
35.	लक्षद्वीप	1						4 सब-डिवीजन			
योग		593	582	365	16	1250	1019	4572	3527	3324	2877

[अनुवाद]

मॉरीशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**2006. श्री असादुद्दीन ओवेसी:****श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:****श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा मॉरीशस दोहरा कराधान परिवर्जन संधि किए जाने के बाद से मॉरीशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि आई है;

(ख) क्या भारत-मॉरीशस दोहरा कराधान परिवर्जन संधि के कारण राजस्व की हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत-मॉरीशस दोहरी कराधान परिवर्जन संधि से संबंधित संयुक्त कार्यदल ने इस मुद्दे पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं; और

(छ) और आगे हानि न हो, इसके लिए इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) भारत एवं मॉरीशस के मध्य दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय को दिनांक 06-12-1983 को अधिसूचित किया गया था। अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 2006 की अवधि तक मॉरीशस के माध्यम से होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विवरण उपलब्ध हैं। अगस्त, 1991 से मॉरीशस के माध्यम से होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वर्षवार राशि निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (राशि करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	1991-92 (अगस्त-मार्च)	0.00
2.	1992-93	0.00

1	2	3
3.	1993-94	48.75
4.	1994-95	617.68
5.	1995-96	1,697.06
6.	1996-97	2,990.93
7.	1997-98	3,289.42
8.	1998-99	2,257.94
9.	1999-00	2,370.39
10.	2000-01	4,111.30
11.	2001-02	10,062.82
12.	2002-03	3,765.74
13.	2003-04	2,608.68
14.	2004-05	5,141.36
15.	2005-06	11,441.07
16.	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)	19,250.19

(ख) और (ग) भारत एवं मॉरीशस के मध्य दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के कारण हुई राजस्व हानि की वास्तविक राशि का आकलन नहीं किया जा सकता।

(घ) जी, हां।

(ङ) संयुक्त कार्यदल की निम्नानुसार चार बैठकें हुई हैं-

(i) 5 एवं 6 अक्टूबर, 2006

(ii) 8 से 11 नवम्बर, 2006

(iii) 28 से 29 दिसम्बर, 2006

(iv) 11 से 12 जनवरी, 2007

संयुक्त कार्यदल की सभी चर्चाओं में भारतीय पक्ष ने दोनों देशों के मध्य संधि के दुरुपयोग के मामले पर बार-बार अपनी गहरी चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

(च) संयुक्त कार्यदल के माध्यम से भारत की चिन्ताओं को दूर करने के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान का पता लगाने के

लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है एवं उन पर मॉरीशस की सरकार के साथ चर्चा की जा रही है।

(छ) चूंकि मॉरीशस सरकार की सहमति के बिना अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता, अतः निश्चित समय सीमा दे पाना सम्भव नहीं है।

कापार्ट के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

2667. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन योजनाओं का ब्योरा क्या है जिनके अंतर्गत लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) सहायता प्राप्त करता है;

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कापार्ट द्वारा प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा प्राप्त सभी परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कापार्ट द्वारा लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) इस समय निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रही है:

- (1) जन सहयोग (पी.सी.)
- (2) लाभार्थी संगठन (ओ.बी.)
- (3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आर्टस)
- (4) विकलांगता।

(ख) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इन दो वर्षों के दौरान कापार्ट मुख्यालय तथा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, धारवाड़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ तथा पटना में स्थित इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालयों को कुल 5811 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 461 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है तथा 2997 परियोजनाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप न होने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज तथा अव्यवहार्य परियोजनाओं के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। शेष 2353

परियोजना प्रस्ताव कार्रवाई के विभिन्न चरणों अर्थात् जांच, वित्तपोषण पूर्व आकलन तथा अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतीक्षा में हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्राप्त तथा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या का राज्यवार विवरण

वर्ष 2005-06

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	381	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	—
3.	असम	47	6
4.	बिहार	110	6
5.	छत्तीसगढ़	10	5
6.	चण्डीगढ़	1	—
7.	दादर व नगर हवेली	—	—
8.	दमन व दीव	—	—
9.	दिल्ली	13	—
10.	गोवा	—	—
11.	गुजरात	92	18
12.	हरियाणा	111	7
13.	हिमाचल प्रदेश	36	1
14.	जम्मू-कश्मीर	33	3
15.	झारखण्ड	26	1
16.	कर्नाटक	86	17
17.	केरल	92	15
18.	लक्षद्वीप	—	—

1	2	3	4
19. मध्य प्रदेश		83	3
20. महाराष्ट्र		69	6
21. मणिपुर		146	3
22. मेघालय		7	—
23. मिजोरम		5	1
24. नागालैण्ड		51	3
25. उड़ीसा		70	3
26. राजस्थान		109	12
27. पंजाब		20	2
28. पाण्डिचेरी		—	—
29. तमिलनाडु		215	2
30. त्रिपुरा		57	5
31. सिक्किम		2	1
32. उत्तर प्रदेश		415	12
33. उत्तरांचल		63	10
34. पश्चिम बंगाल		77	2
कुल		2433	165

2006-07 (13-3-2007 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	506	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	—
3.	असम	91	3
4.	बिहार	357	5

1	2	3	4
5. छत्तीसगढ़		32	15
6. चण्डीगढ़		—	—
7. दादर व नगर हवेली		—	—
8. दमन व दीव		—	—
9. दिल्ली		11	—
10. गोवा		—	—
11. गुजरात		79	13
12. हरियाणा		164	7
13. हिमाचल प्रदेश		36	4
14. जम्मू-कश्मीर		28	2
15. झारखण्ड		81	31
16. कर्नाटक		207	37
17. केरल		99	1
18. लक्षद्वीप		—	—
19. मध्य प्रदेश		85	5
20. महाराष्ट्र		82	39
21. मणिपुर		118	2
22. मेघालय		4	—
23. मिजोरम		4	—
24. नागालैण्ड		24	4
25. उड़ीसा		211	36
26. राजस्थान		140	23
27. पंजाब		33	1
28. पाण्डिचेरी		1	1
29. तमिलनाडु		101	13
30. त्रिपुरा		5	—

1	2	3	4
31. सिक्किम		5	3
32. उत्तर प्रदेश		560	7
33. उत्तरांचल		66	4
34. पश्चिम बंगाल		244	7
कुल		3378	296

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध निर्माण**2668. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:****श्री हरिसिंह चावड़ा:**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में स्वास्थ्य, जल विद्युत आपूर्ति और भवन निर्माण उपनियमों से संबंधित मानदंडों की पूर्ण अवहेलना करके अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में रहन-सहन के स्तर में सुधार करने हेतु इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) दिल्ली नगर निगम ने इस बार से इंकार किया है कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि जब कभी अवैध निर्माण का पता चलता है, कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी बताया है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है।

(ख) रिहायशी और वाणिज्यिक स्थान की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में रिहायशी विकास के लिए उदार मानदंडों तथा आवश्यक प्रभारों के भुगतान के अध्यक्षीन व्यवसायिक सड़कों तथा मिश्रित उपयोग वाली सड़कों को अधिसूचित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार एकत्रित धनराशि का उपयोग उस क्षेत्र में अवस्थापना बढ़ाने के लिए किया जायेगा। पर्याप्त सामाजिक एवं भौतिक

अवस्थापना के साथ नियोजित एवं गैर-नियोजित दोनों प्रकार के क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए प्रावधान भी किये गये हैं।

[अनुवाद]

समेकित स्वच्छता योजना

2669. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समेकित निम्न लागत स्वच्छता योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत के शहरों को मलिन-बस्ती रहित बनाने के लिए सरकार के लक्ष्यों का ब्योरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्कीम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकिकृत कम लागत सफाई स्कीम के दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) चूंकि स्लम राज्यों का विषय है, इसलिए भारत सरकार द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

अचल संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग

2670. श्री एल. राजगोपाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण हेतु सरकार द्वारा तैयार व्यापक योजना क्या है;

(ख) क्या सरकार अचल सम्पत्तियों की डिजिटल मैपिंग भी करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित योजना भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की मीजुदा योजनाओं का स्थान लेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):
(क) से (ग) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.)

तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) की योजनाओं को भारत सरकार द्वारा 1980 के दशक के उत्तरार्ध से पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। सी.एल.आर. की योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा मानचित्रों के अंकीकरण हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर. की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व प्रशासन तथा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संगठनों को सुदृढ़ बनाने, सर्वेक्षण संकाय करने, भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, आधुनिक सर्वेक्षण उपस्कर क्रय करने, राजस्व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने आदि के लिए राज्यों को 50% केन्द्रीय सहायता तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इन योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की गई है तथा कई राज्यों जैसे कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल आदि ने अधिकारों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा अपनी भूमि राजस्व प्रशासन व्यवस्था में काफी अधिक प्रगति की है। कई अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा, इन योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार करने तथा भू-कर अभिलेखों तथा अन्य भूमि संबंधी आंकड़ों को अंकीकृत करने हेतु एक विस्तृत पद्धति को अपनाने तथा इसे मूल जी.आई.एस. के साथ तथा सम्पत्ति पंजीकरण के कम्प्यूटरीकरण के साथ एकीकृत करने, राजस्व तथा पंजीकरण कार्यालयों के बीच अंतः सम्बद्धता स्थापित करने, नामांतरण नोटिसों के स्वतः जारी होने तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय भूमि डाटा बैंक सृजित किए जाने की गुंजाइश है। इस पद्धति को देश के विभिन्न भागों में कुछ चयनित जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा सकता है और एक विस्तृत योजना तैयार की जा सकती है। तथापि, ऐसी किसी पद्धति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन दोनों मौजूदा योजनाओं के स्थान पर नई विस्तृत योजना प्रतिस्थापित करने को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आयकर प्रतिदाय

2671. श्री बाळिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आयकर प्रतिदायों का कार्य संभालने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयकर प्रतिदायों का कार्य संभालने के लिए उन्हें नियुक्त करने हेतु अन्य बैंकों से बोलियां आमंत्रित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनी बोलियां प्रस्तुत करने वाले बैंकों का राज्यवार ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) और (ख) जी हां, दिल्ली एवं पटना में प्रतिदाय बैंक की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत आयकर विवरणी को संसाधित करने के पश्चात् आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक को भेजे जाते हैं। आंकड़ों के प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक प्रतिदाय बैंकों को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देता है अथवा प्रतिदायों के इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से भेज देता है।

(ग) और (घ) इस स्थिति में यह एक प्रायोगिक स्कीम है जिसे आयकर विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लागू किया जा रहा है। तदनुसार, आयकर प्रतिदायों के मामलों को निबटाने के लिए उनकी नियुक्ति हेतु अन्य बैंकों से कोई भी बोलियां आमन्त्रित नहीं की गई हैं।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

2672. श्री अनंत कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार कर्नाटक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से अपनी विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करने और बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों का पुनरुत्थान करने के लिए और वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कर्नाटक सरकार को वित्त मंत्रालय, द्वारा जारी केन्द्रीय सहायता निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06
1. योजना सहायता	2104.37	2292.66	1455.78
2. गैर-योजना अनुदान	524.27	459.11	645.87
3. केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	3244.73	3878.44	4213.42
4. लघु बचत ऋण	2733.05	4266.19	4327.25
जोड़	8606.42	10896.40	10642.32

(ख) से (घ) वर्ष 2005 में भीषण बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनरुद्धार के लिए निधियों की दीर्घावधि आवश्यकताओं

हेतु कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मांगी गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	राज्य सरकार की परियोजना आवश्यकता
1.	सड़कों एवं पुलों की पुनःस्थापना	1070.82
2.	सिंचाई कार्य की बहाली	167.84
3.	भवनों की मरम्मत	55.80
4.	इलेक्ट्रिकल कार्य का पुनर्निर्माण	41.16
5.	जल-आपूर्ति एवं स्वच्छता का पुनःशुरुकरण	112.58
जोड़		1448.20

वर्ष 2005 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी समिति (आई.एम.सी.) का गठन किया गया है। निधियों को ध्यान में रखकर कर्नाटक सरकार का एक प्रस्ताव अंतर्मंत्रालयी समिति (आई.एम.सी.) के विचाराधीन है।

सिम्हाद्री विद्युत परियोजना का विस्तार

2673. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन, विशाखापटनम का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्टेशन की नई इकाई कब तक कार्यशील होने की संभावना है और इससे कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी, हां। एन.टी.पी.सी. अपनी वर्तमान सिम्हाद्री थर्मल विद्युत परियोजना (सिम्हाद्री टी.पी.पी. 2x500 मेगावाट) चरण-II में 1000 मेगावाट क्षमता को जोड़कर इसकी क्षमता विस्तार का प्रस्ताव रखती है।

सिम्हाद्री टी.पी.पी. चरण-II (2x500 मेगावाट) हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट को 4844.40 करोड़ रुपये (2006 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर) की परियोजना की अनुमानित लागत के साथ

अंतिम रूप दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति सहित विभिन्न निवेश बातचीत तथा स्वीकृतियां प्रक्रिया में हैं।

समयबद्ध स्वीकृतियों/अनुमोदनों के अधीन परियोजना की 500 मेगावाट की दोनों यूनिटों को 11वीं योजनावधि में चालू किया जाना परिकल्पित है। कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सी.ओ.डी.) के पश्चात् सिम्हाद्री घरण-II 2x500 मेगावाट में अतिरिक्त औसतन दैनिक विद्युत उत्पादन 80% संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) पर 19.2 मेगा यूनिट (मि.यू.) तथा 90% पी.एल.एफ. पर 21.6 मि.यू. होगा।

[हिन्दी]

भुखमरी से हुई मौतें

2674. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भुखमरी और निर्धनता बड़े पैमाने पर व्याप्त है जहां सूखे की वजह से लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं है और वे भूख से मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इन मौतों का ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में सड़कों के निर्माण, टैंकों की खुदाई, जल संकर्म आदि के लिए कुछ योजनाओं को मंजूरी देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) अब तक देश में किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ने भूख से मृत्यु हो जाने की किसी भी घटना की जानकारी नहीं दी है।

(ग) देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले, गरीबी रेखा से ऊपर बसर करने वाले लोगों और अंत्योदय अन्न योजना और निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त दर पर खाद्यान्न आर्बटित कर रही है:

- (1) मध्याह्न भोजन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित)
- (2) गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम और तरुण युवतियों के लिए पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित)
- (3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और एस.जी.आर.वाई. का विशेष घटक (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित)
- (4) अन्नपूर्णा योजना
- (5) ग्राम अनाज बैंक योजना

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना एवं सुविधाओं के सृजन के लिए अनेक ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित करता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जाता है और ग्रामीण सड़क, तालाब और जल संबंधी कार्य सहित परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़कों का निर्माण कर ग्रामीण सड़क संपर्क सुविधा मुहैया करायी जाती है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण गरीबों को मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। उसी तरह समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाकर जीवन-यापन सुरक्षा में वृद्धि करना है।

[अनुवाद]

राजस्व लेखों में अधिशेष

2675. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से अधिकतर राज्य अपने संकलित राजस्व लेखों में अधिशेष दर्शा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्व लेखों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बहुत से राज्यों ने अपने राजस्व लेखों में राजस्व अधिशेष को दर्शाया है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए ऐसे राज्यों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए किए गए प्रयास निम्न हैं:-

(i) प्रत्यक्ष करों के अधिकतम संग्रहण के लिए संघ सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. एक कार्यबल द्वारा बकायों की रिकवरी की मॉनिटरिंग करना।
2. राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शीर्षस्थ करदाताओं द्वारा अगिर्म कर अदायगियों की मॉनिटरिंग करना।
3. टी.डी.एस. प्रावधानों के उल्लंघन/नजरअंदाजी के नए क्षेत्रों की पहचान करना तथा टी.डी.एस. की उचित कटौती एवं जमा के लिए कार्रवाई करना।
4. वास्तविक वित्तीय संकेतकों और उचित जोखिम मूल्यांकन पर आधारित छानबीन के अंतर्गत मामलों का चुनाव करना।
5. सूचना को जोड़ने (लिंकिंग) तथा भारी लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए राजस्व विभाग की कार्य-

करण प्रक्रियाओं एवं आंकड़ा संबंधी आधार सूचना का कम्प्यूटरीकरण करना।

6. आय की रिटर्न के साथ वार्षिक सूचना रिटर्न के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों की क्रॉस चेकिंग तथा उपयुक्त मामलों में नोटिस जारी करना।
7. छिपे हुए धन का पता लगाने और टी.डी.एस. के अनुपालन के लिए उच्च स्तर पर सर्वे करना।
8. विलासिता की वस्तुओं की खरीद के आंकड़े संकलित करना और उचित मामलों में नोटिस जारी करना।
9. कर नियमों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों में अभियान चलाना।

(ii) अपने कर राजस्वों में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कर सुधार उपायों में पहले लागू बिक्री कर-प्रणाली के स्थान पर राज्य स्तरीय मूल्य-वर्धित कर-प्रणाली (वेट) को कार्यान्वित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा है। वेट अप्रत्यक्ष कराधान की सबसे अधिक कारगर प्रणाली है जिसने राज्यों के कर राजस्वों को बहुत अच्छा और लचीला आधार मुहैया कराया है। वेट को कार्यान्वित करने वाले राज्यों ने राजस्व निष्पादन और कर राजस्वों में पर्याप्त सुधार दर्शाए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व अधिशेष दर्शाने वाले राज्य

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06 आर.ई.
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	+184	-8	+222
2.	बिहार	-1107	+1076	-153
3.	छत्तीसगढ़	-641	+146	+782
4.	जम्मू-कश्मीर	+1910	+1577	+1816

1	2	3	4	5
5.	झारखण्ड	+142	-1111	-1553
6.	कर्नाटक	-525	+1638	+1187
7.	मध्य प्रदेश	-4476	+1717	-25
8.	मणिपुर	-44	+92	+482
9.	मेघालय	+85	-50	+131
10.	मिजोरम	+83	+107	+182
11.	नागालैण्ड	+547	+155	+461
12.	सिक्किम	+160	+169	+199
13.	त्रिपुरा	+106	+394	+515

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशन जिसे राज्य वित्त पोषण कहा जाता है, बजट 2005-06 और 2006-07 के बजट का अध्ययन।

- धिन्ह राजस्व घाटा और + धिन्ह राजस्व अधिशेष अभिप्रेत है।

- आर.ई. संशोधित अनुमान दर्शाता है।

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2676. श्री सुप्रीव सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.आर.सी.) ने कुछ पड़ोसी देशों के साथ यहां पर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो निबन्धन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्रियान्वित की जाने वाली प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) एन.एच.आर.सी. द्वारा अब तक विदेशों में स्थापित किए गए विद्युत संयंत्रों का ब्योरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु किसी पड़ोसी देश के साथ अभी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, एन.एच.पी.सी. ने भूटान में मांडेकछू जल विद्युत परियोजना (672 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु ऊर्जा विभाग, भूटान की शाही सरकार के साथ दिनांक 29-9-2006 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) एन.एच.पी.सी. द्वारा टर्न-की/जमा आधार पर देश के बाहर अब तक निष्पादित विद्युत संयंत्रों के ब्योरे निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	परियोजना	देश	क्षमता (मे.वा.)	पूरा होने का वर्ष
1.	देवीघाट	नेपाल	14.1	1984
2.	कुरिछू	भूटान	60	2002

[हिन्दी]

आई.ए.वाई. के दायरे में गरीबों को लाना

2677. श्री बी.के. दुम्मर:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के दायरे में बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यधिक गरीब और पिछड़े निवासियों वाले अनेकों गांवों को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी वर्ष के दौरान कुल आई.ए.वाई. आबंटन की अधिकतम 40 प्रतिशत धनराशि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. ग्रामीण परिवारों और कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए उपयोग की जा सकती है। राज्य स्तर

पर मकानों की कमी एवं निर्धनता अनुपात और जिला स्तर पर मकानों की कमी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को उचित महत्व देते हुए राज्यों/जिलों को निधियां आबंटित की जाती हैं। जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां किए गए आबंटन एवं निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किसी विशेष वित्तीय वर्ष में आई.ए.वाई. के अंतर्गत बनाए/उन्नयन किए जाने वाले मकानों की संख्या तय करती हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए उपयोग की गई राज्य-वार निधियों और निर्मित मकानों की संख्या को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए राज्य-वार उपयोग की गई निधियां और निर्मित मकानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07	
		गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग की गई निधियां	गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्मित मकानों की सं.	गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग की गई निधियां	गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्मित मकानों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13375.00	56746	7621.88	31537
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0
3.	असम	10003.38	44307	10309.25	32503
4.	बिहार	38655.11	144949	33982.81	104081
5.	छत्तीसगढ़	1747.61	8848	265.83	877
6.	गोवा	152.51	555	74.42	595
7.	गुजरात	6121.07	23831	3582.44	11586
8.	हरियाणा	910.50	3653	481.45	1314
9.	हिमाचल प्रदेश	352.27	1284	253.48	487

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू-कश्मीर	1834.88	8231	1637.49	6029
11.	झारखण्ड	4065.65	22979	2632.87	10791
12.	कर्नाटक	5245.29	23165	3831.19	15582
13.	केरल	3081.82	15615	1789.18	7005
14.	मध्य प्रदेश	3842.81	19171	3065.50	8437
15.	महाराष्ट्र	8365.33	36601	4866.62	13344
16.	मणिपुर	134.04	473	0.00	0
17.	मेघालय	21.47	151	0.00	0
18.	मिजोरम	0.00	0	0.80	0
19.	नागालैण्ड	0.00	0	0.00	0
20.	उड़ीसा	8508.82	33217	3563.56	12887
21.	पंजाब	297.38	1138	152.53	795
22.	राजस्थान	2878.56	13129	1425.94	2883
23.	सिक्किम	146.13	678	126.68	446
24.	तमिलनाडु	6968.01	26018	3561.80	803
25.	त्रिपुरा	1148.36	4327	553.42	1155
26.	उत्तर प्रदेश	17887.55	73017	12328.34	47591
27.	उत्तरांचल	1974.28	12916	1086.03	7464
28.	पश्चिम बंगाल	7537.64	37130	7539.54	32571
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.18	90	12.29	50
30.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0
31.	दमन व दीव	0.14	1	0.23	1
32.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0
33.	पांडिचेरी	56.07	162	26.17	157
कुल		145321.86	612382	105471.54	350971

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी बाजार से प्रोत्साहन

2678. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैव प्रौद्योगिकी बाजार के क्षेत्र में विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की क्षमता के मद्देनजर इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान देश में जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्योरा क्या है;

(घ) इस सहायता के आबंटन के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ङ) देश में जैव प्रौद्योगिकी व्यवस्था के विनियमन के लिए क्या प्रणाली विकसित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिन्हा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश के जैवप्रौद्योगिकी उद्योग की सुदृढ़ता तथा संभावनाओं को ध्यान रखते हुए जैवप्रौद्योगिकी विपणन के संवर्धन के लिए अति अनुकूल सक्रिय विचार अपनाया है। सरकार ने राजस्व प्रोत्साहन, कर हितों, जैवप्रौद्योगिकी विपणन के संवर्धन के लिए सीमाशुल्क औचित्य स्थापन के संदर्भ में अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों के संवर्धन के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2005-2006 के दौरान लघु व्यवसाय प्रवर्तन अनुसंधान सुक्रांत (एस.बी.आई.आर.आई.) के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है।

(ग) और (घ) विभाग ने जैवप्रौद्योगिकी उद्योग तथा जैवप्रौद्योगिकी उत्पाद विपणन के संवर्धन के लिए एस.बी.आई.आर.आई. कार्यक्रम की वर्ष 2005-2006 के दौरान शुरुआत की है। वर्ष 2005-06 के लिए 1648 लाख रुपये की सहायता उद्दिष्ट की गई है और वर्ष 2006-07 के दौरान 1100 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। इस वित्त-पोषण के बंटवारे के लिए मानदंड योजना आयोग की अनुशंसाओं तथा अनुमोदन पर आधारित है और <http://www.dbtindia.nic.in/> या www.dbtindia.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

(ङ) देश में जैवप्रौद्योगिकी शासन विनियमित किए जाने के

लिए सरकार ने पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम 1996 के अंतर्गत जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्रणाली विकसित की है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जैवप्रौद्योगिकी उत्पादों का विनियामक संस्थागत जैव संरक्षा समिति (आई.बी.एस.सी.), अनुवांशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर.सी.जी.एम.) और आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) के माध्यम से किया जाता है। आई.बी.एस.सी. और आर.सी.जी.एम. की सेवा व्यवस्था जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाती है जबकि जी.ई.ए.सी. की सेवा व्यवस्था पर्यावरण एवं वन संज्ञासूचक द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना कोष

2679. श्री एल. राजगोपाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत देश के दिवालिया हो चुके शहरी स्थानीय निकायों के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए एक राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने नगर पालिकाओं को धन उगाहने की अनुमति देने अथवा इस भूमिका के निष्पादन में हड़को (एच.यू.डी.सी.ओ.) जैसी निजी वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी पर आपत्ति उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन माकन): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, प्रस्ताव की प्रगति को जानने के बाद ही इसके ब्योरे के बारे में जाना जा सकेगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जिन कार्यों को हड़को जैसे पहले से मौजूद संगठन को उचित प्रकार से सौंपा जा सकता है, उन कार्यों के निष्पादन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना कोष और इसकी परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी जैसे नए वित्तीय संस्थान स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पेट्रोलियम कम्पनियों की लेखा परीक्षा

2680. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.ओ.सी., ओ.एन.जी.सी. इत्यादि जैसी सरकारी क्षेत्र की 12 बड़ी तेल कम्पनियों के अभिलेखों

की लेखा परीक्षा के आदेश दिये हैं जिससे कि उद्योगों के मूल्य निर्धारण एवं इन्हें प्रदान की जाने वाली राजसहायता की गुणवत्ता के बेहतर मानदण्ड बनाए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम एवं गैस क्रियाकलापों की निगरानी के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है कि विवरण में दर्शायी गई कम्पनियों की 31-3-2007 को समाप्त वर्ष तथा उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागत रिकार्डों की लेखा परीक्षा करनी चाहिए जैसा कि लागत लेखाकारिता रिकार्डों (पेट्रोलियम, इंडस्ट्री) नियम, 2002 में है।

(ग) तेल को लोक उपक्रमों की भौतिक तथा वित्तीय गतिविधियों की पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियमित तिमाही निष्पादन पुनरीक्षा बैठकों के द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त तेल तथा गैस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन
2.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
4.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6.	आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड
7.	बाल्मेर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
8.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड
9.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
10.	बोंगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
11.	मैंगलीर रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड
12.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

ए.डी.बी. द्वारा सहायता पैकेज

2681. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन विकास बैंक (एडीबी) का विचार आगामी तीन वर्षों में देश के लिए अपने सहायता पैकेज को दुगुना कर 2.5 बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक से भी ज्यादा करने और भारत निर्माण और विद्युत सहित ऊर्जा, रेल भाड़ा, गलियारा, सड़क और राजमार्ग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को भी सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एडीबी और संबंधित मंत्रालयों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए एडीबी द्वारा परियोजना-वार कितनी सहायता राशि प्रदान की जायेगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने अनन्तिम तौर पर वर्ष 2007-09 के लिए एडीबी के "कन्ट्री स्ट्रेटजी कार्यक्रम" को अन्तिम रूप दे दिया है। एडीबी भारत को दिए जाने वाले उधार को वर्ष 2007 के 2.45 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2008 में 2.65 बिलियन अमरीकी डालर और 2009 में 2.85 बिलियन अमरीकी डालर करने का प्रयास करेगा। ये ऋण अवसंरचना से प्रेरित विकास के जरिए गरीबी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों के लिए हैं। इस तीन वर्षीय कार्यक्रम का लगभग 77% हिस्सा प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर केन्द्रित है, जिनमें ये शामिल हैं - परिवहन (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें, रेलवे और शहरी परिवहन); शहरी (जल एवं स्वच्छता, नगर-विकास, नगरपालिका सुधार); और ऊर्जा (विद्युत क्षेत्र के सुधार, पारेषण और वितरण, जल विद्युत) ग्रामीण सड़कों से संबंधित घटक सरकार के "भारत निर्माण" का हिस्सा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एडीबी के वार्षिक ऋण पोर्टफोलियो

को संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रत्येक कैलण्डर वर्ष (2007, 2008 और 2009) में अंतिम रूप दिया जाता है।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. और टी.एस.सी. के
अन्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

2682. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से राज्य-वार कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गई है;

(घ) सभी प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू):

(क) से (ङ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राज्यों को निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्य अपने स्तर पर प्रस्तावों की आयोजना, मंजूर तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम हैं। केन्द्र स्तर पर परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत केंद्र स्तर पर जिलावार प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ गठित राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एन.एस.एस.सी.) द्वारा मंजूर किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त तथा मंजूर परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। लंबित परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए वर्ष में यथापेक्षित अनेक बार एन.एस.एस.सी. की बैठक बुलाई जाती है।

विवरण

टी.एस.सी. परियोजना प्रस्तावों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	
		प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित	बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	0	0	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	10	0	
3.	असम	3	1	5	2	1
4.	बिहार	0	0	22	0	
5.	छत्तीसगढ़	2	1	8	1	
6.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	
7.	गोवा	1	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
8.	गुजरात	0	20	0	0	
9.	हरियाणा	12	0	0	1	
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	5	0	
11.	जम्मू-कश्मीर	10	0	0	0	
12.	झारखण्ड	0	16	0	0	
13.	कर्नाटक	0	15	9	0	
14.	केरल	0	0	1	0	
15.	मध्य प्रदेश	30	0	0	0	
16.	महाराष्ट्र	13	0	0	0	
17.	मणिपुर	0	0	0	1	4
18.	मेघालय	2	0	1	3	
19.	मिजोरम	1	0	6	0	
20.	नागालैण्ड	0	0	1	4	
21.	उड़ीसा	0	15	0	0	
22.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	
23.	पंजाब	9	0	2	0	
24.	राजस्थान	0	11	11	0	
25.	सिक्किम	0	0	0	0	
26.	तमिलनाडु	6	1	0	0	
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	
28.	उत्तर प्रदेश	29	0	0	0	
29.	उत्तराखण्ड	7	0	0	0	
30.	पश्चिम बंगाल	3	0	0	1	
कुल		132	80	81	13	5

[अनुवाद]

बैंक का कार्य-निष्पादन**2683. श्री सुप्रीव सिंह:****डा. एम. जगन्नाथ:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आर.बी.आई. ने बैंकों को विभिन्न व्यापारिक खण्डों के लिए लाभ और हानि की अलग-अलग रिपोर्ट देने के अनुदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) इन अनुदेशों को जारी करने के क्या कारण हैं; और

(च) ये अनुदेश बैंकों में पारदर्शिता लाने में किस सीमा तक प्रभावी होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति" के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है तथा इसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली के कार्यनिष्पादन की एक व्यापक समीक्षा शामिल होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005-06 की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है तथा इसे अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया है।

(ग) से (च) सूचना (रिपोर्टिंग) घटक के अंतर्गत लेखा मानक (ए.एल.)-17 के अनुसार वर्धित पारदर्शिता हेतु अधिक प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2003 में जारी किए गए अपने पिछले परिपत्र में संशोधन करते हुए, सभी वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रारूप दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसमें रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु विभिन्न कारबार घटकों को पुनः श्रेणीकृत किया गया है। प्रारूप दिशानिर्देशों में, घटक "अन्य बैंकिंग कारबार" को तीन घटकों अर्थात् कारपोरेट/स्मृतिगत बैंकिंग, व्यक्तिगत बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग परिचालन से विभक्त कर दिया गया है, और इस प्रकार घटकों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी गई है।

कूड़े-कचरे पर आधारित विद्युत परियोजना**2684. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश तकनीकी विकास निगम तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई.एल. एंड एफ.एस.एल.) का संयुक्त विचार दिल्ली में कूड़े-कचरे पर आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य कदम क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दिल्ली में संयुक्त रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में कार्यान्वयन हेतु म्युनिसिपल ठोस अपशिष्टों की प्रोसेसिंग हेतु दो परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में तिमारपुर तथा ओखला में लगभग 2000 टन प्रतिदिन कचरे से लगभग 16 मेगावाट और गाजीपुर में प्रतिदिन लगभग 1200-1500 टन कचरे से लगभग 12-15 मेगावाट के विद्युत उत्पादन संघटक शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु प्रोसेसिंग तथा उपचार और शहरी केन्द्रों में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी एक त्वरित कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कचरे सहित शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6 मई, 2005 को रिट याचिका सं. 888 पर सुनवाई के दौरान म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा आगे किसी भी सब्सिडी को देने पर रोक लगा दी है।

शेयर ट्रेडिंग के लिए पैन कार्ड**2685. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीमैट खाते और शेयरों तथा प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए अब पैन-कार्ड अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके द्वारा धारित शेरों और प्रतिभूतियों के निपटान हेतु क्या प्रक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) "अपने ग्राहक को जाने" मानदंडों का संवर्धन करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पहली अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् डीमैट खाते खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का होना अनिवार्य बना दिया है। पहली अप्रैल, 2006 से पूर्व खोले गए डीमैट खातों के खाता धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि 31 दिसम्बर, 2006 तक निक्षेपागारों को स्थायी खाता संख्या उपलब्ध करा दें। इसी प्रकार, सेबी ने पहली जनवरी, 2007 से एक्सचेंजों के नकद खंडों में कारोबार के लिए स्थायी खाता संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। एक्सचेंजों के फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स खंड में कारोबार के लिए यह पहले ही अनिवार्य था।

(ख) जहां किसी व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, वहां उसके उपलब्ध कराए जाने तक 31 दिसम्बर, 2006 के पश्चात् डीमैट खाते को "डेबिट के लिए निलम्बित" कर दिया गया है। लाभानुभोगी स्वामी के एक बार स्थायी खाता संख्या की आवश्यकता का अनुपालन कर लिए जाने पर डीमैट खाते को निक्षेपागार भागीदार द्वारा खोल दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् लाभानुभोगी स्वामी अपने खाते में पड़ी प्रतिभूतियों को बेच सकता है।

राष्ट्रों तथा उनकी संपत्ति की अधिकारिता उन्मुक्ति

2686. श्री इकबाल अहमद सरङ्गी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत राष्ट्रों तथा उनकी संपत्ति की अधिकारिता उन्मुक्ति संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के द्वारा समर्थित उन्मुक्ति की उपधारणा प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत की गई थी;

(ग) क्या भारत उन 18 राष्ट्रों में सम्मिलित हो जाएगा जिन्होंने इस अभिसमय पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इससे भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां, भारत ने 12 जनवरी, 2007 को राष्ट्रों की अधिकारिता संबंधी उन्मुक्तियां और उनकी संपत्ति संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी हां, इस अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा द्वारा 2 दिसंबर, 2004 को संकल्प ए/59/38 द्वारा अंगीकार किया गया था।

(ग) जी हां, भारत अभिसमय के हस्ताक्षरियों में से एक है। 28 देशों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 4 देश इस अभिसमय का अनुसमर्थन करके इसके पक्षकार बन गए हैं।

(घ) अभिसमय में भागीदारी राज्य व्यवहार में एकसमानता का संवर्धन करेगी क्योंकि इसमें सभी देशों द्वारा चर्चा किए गए और स्वीकृत नियम सम्मिलित हैं। यह विधि की और अधिक स्पष्टता और निश्चितता के लिए उपबंध करेगी और ऐसे व्यक्ति, जो विदेशों या उनके राजदूतावासों के साथ कोई व्यवहार करते हैं, किन्हीं विवादों के उद्भूत होने की दशा में अपने विधिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगे।

रिलायंस ग्रुप के विरुद्ध आपराधिक मामले

2687. श्री गिरिधारी यादव: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विरुद्ध आपराधिक मामलों पर कानूनी राय हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों से कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि और न्याय मंत्रालय के पास कई मामले कई वर्षों से लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विरुद्ध कानूनी राय कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

करों का भुगतान न करने वाली विदेशी कंपनियां

[हिन्दी]

2688. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपना पूरा व्यवसाय चला रही विदेशी कंपनियां 'नो डायरेक्ट प्रेसेंस इन द कंट्री' घोषित कर तथा भारत में 'नो परमानेंट एस्टाब्लिशमेंट सर्टिफिकेट' (पी.ई.) प्राप्त करने के पश्चात् करों का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या आयकर विभाग अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा ऐसी वैश्विक कंपनियों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण/जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्योरा क्या है;

(घ) दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) दोहरे कर के परिहार संबंधी करारों (डी.टी.ए.ए.) के अंतर्गत भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को कर की अदायगी करनी पड़ती है यदि वे भारत में स्थाई संस्थापन के माध्यम से कार्य कर रही हैं। अनेक मामलों में भारत में स्थाई संस्थापन के अस्तित्व के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। तथापि, विभाग द्वारा स्थाई संस्थापन के अस्तित्व में होने या न होने के बारे में कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी कंपनियों को संपर्क/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करता है जिन्हें व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होती है। जहां संपर्क कार्यालय कारोबार करते पाए जाते हैं वहां कर का भुगतान करना अपेक्षित होगा तथा विभाग को जब कभी इस तरह की कोई सूचना मिलती है, तब वह उचित कदम उठाता है।

(ख) से (घ) समय-समय पर सर्वेक्षण/जांच की जाती है तथा जिन मामलों में घरेलू कानून के उल्लंघन का पता चलता है, वहां कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कार्यालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय ऐसे मामलों की निरंतर जांच एवं कर-निर्धारण कर रहा है तथा संबंधित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के साथ पठित घरेलू कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी

2689. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्री मनसुखभाई डी. बसावा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी तटों से पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी तट के माध्यम से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी को रोकने और निष्फल करने के प्रति सचेत और सतर्क हैं।

[अनुवाद]

हथियारों की बरामदगी

2690. श्री पी.सी. धामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में दुबई से आ रहे एक कंटेनर में से 47 पिस्तौलें और 37 गनों बरामद की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम):

(क) और (ख) जी, हां। उक्त ब्योरा निम्नानुसार है:-

दिनांक 9-1-2007 को मैसर्स प्रीमियर एक्सपोर्ट्स कोचीन द्वारा आयातित खेप की जांच के दौरान टी.वी. स्टैंड के ग्यारह कार्टनों और लाइटिंग फिक्चर के लिए कार्टन के अंदर छुपाये गये 49 एयर पिस्तौल और 37 एयर राइफलें पाई गई थीं।

(ग) एयर राइफलों और एयर पिस्तौलों को जब्त कर लिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत जोनल प्लान

2691. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत जोनल प्लान तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे जोनल प्लानों को तैयार करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन):

(क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2021, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 7-2-2007 को अधिसूचित किया गया था, में इसके अनुमोदन के 12 महीने के भीतर संरचनात्मक योजनाओं के रूप में जोनल प्लान तैयार करने का प्रावधान है। जोनल प्लान तैयार करना भी दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत शासित होता है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को ऋण

2692. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में लघु उद्योगों को कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया गया है; और

(घ) लघु उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च, 2005 तथा मार्च, 2006 को समाप्त वर्षों के दौरान लघु उद्योग को दिए गए बकाया ऋणों की राशि क्रमशः 67,800 करोड़ रुपए तथा 82,492 करोड़ रुपए है।

(घ) सरकार की "छोटे एवं मझोले उद्यम" (एस.एम.ई.) क्षेत्र को ऋण बढ़ाने संबंधी नीतिगत पैकेज, जिसमें एस.एम.ई. के लिए ऋण में वर्षानुवर्ष 20% की वृद्धि का प्रावधान करने के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को अपनी शाखाओं तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की उन शाखाओं में बेहतर समन्वयन हेतु तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना तैयार की है जो लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा परस्पर सहमति के परिचालनात्मक तौर-तरीकों पर एस.एम.ई. के सह-वित्तपोषण हेतु पहचाने गए समूहों में स्थित है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए अन्य कुछ उपाय हैं - एस.एस.आई. क्षेत्र के उन्नयन हेतु ऋण सम्बद्ध पूंजी सक्षिप्ती योजना में संशोधन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण रेटिंग योजना का प्रारंभ तथा सिडबी द्वारा एस.एम.ई. रेटिंग एजेन्सी की स्थापना। इसके अतिरिक्त एस.एम.ई. क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित कर दिया गया है।

खुले बाजार से उधार

2693. श्री इकबाल अहमद सरङ्गी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वित्त सचिवों के 18वें सम्मेलन में बकाया राज्य खुला बाजार उधार (ओ.एम.बी.) के पूर्व भुगतान के मुद्दे पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी हां। राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच परामर्श के जरिए राज्य विकास ऋणों की नीलामी मार्ग के माध्यम से

वापसी खरीद की एक सामान्य योजना तैयार की गई है। भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार और उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान के भी वापसी खरीद के प्रस्तावों के संबंध में अपनी सहमति की सूचना दिनांक 2 फरवरी, 2007 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेज दी है।

[हिन्दी]

स्वच्छता अभियान

2694. श्री राजनरायन बुधोलिया:

श्री गणेश सिंह:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्वच्छता अभियान के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस अभियान में किन राज्यों को शामिल किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली बीमा व्यवसाय

2695. श्री काशीराम राणा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में चल रहे फर्जी बीमा व्यवसाय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे जाली बीमा व्यवसाय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.)

ने सूचित किया है कि उसे देश के किसी भाग में किए जा रहे फर्जी बीमा कारोबार की जानकारी नहीं थी। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 28-02-2007 तक एल.आई.सी. द्वारा प्राप्त की गई 2.51 करोड़ पॉलिसियों में से चार फर्जी मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें अस्तित्वहीन व्यक्तियों के जीवन पर बीमा लिया गया था।

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) अधिनियम, 1999 के प्रावधान फर्जी बीमा कारोबार को रोकने के लिए समर्थकारी हैं, जो प्रभावी पाए गए हैं।

चिकित्सा उपकरण

2696. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का देश में विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उपकरण देशी तकनीक से विनिर्मित किए जाते हैं;

(ग) देश के चिकित्सा क्षेत्र में आपूर्ति किए जा रहे देश में निर्मित तथा आयातित उपकरणों की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का चिकित्सा क्षेत्र के मानकों के अनुसार विपणन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) भारत में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण स्वदेशी और आयातित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके किया जाता है।

(ग) स्वास्थ्य देख-रेख पर हालिया अन्वर्ट एंड यंग अध्ययन के अनुसार देश में चिकित्सा क्षेत्र में सप्लाई किए जा रहे लगभग 30% चिकित्सा उपकरण देश में निर्मित किए जाते हैं तथा शेष 70% उपकरण आयात किए जाते हैं।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) देश में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के लिए मानकों का विकास एवं अनुरक्षण कर रहा है। जहां तक न्यूकलीय चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा उपकरणों का संबंध है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) प्रमाणित करता है कि उपकरण अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य चिकित्सा सुरक्षा मापदंडों को पूरा करते हैं। चिकित्सा उपकरण

की बिक्री के लिए देश में इन मानकों और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, जैसे एफ.डी.ए./सी.ई. आदि का अनुपालन किया जा रहा है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एस.सी.बी.)

2697. श्री पी.सी. थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया धनराशि वाले रुग्ण तथा बन्द हो चुके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इन बातों का बिना ब्याज तथा आसान शर्तों पर एकमुश्त निपटान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और विजया बैंक को कुछ राज्य की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा देय राशि के एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.)/पुनर्गठन किए जाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार का अनुरोध उन संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है, जिन्हें अपनी वसूली नीतियों, संबंधित खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों और प्रत्येक मामले के महत्व पर विचार करते हुए उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

2698. श्री हिलेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को स्वापक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में संलग्न देशों की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले में अमरीकी सरकार के समक्ष अपना विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पत्तानीमनिकम):

(क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य घरेलू कानून [विदेशी संबंध प्राधिकरण अधिनियम की धारा 706 (1)] में यह अपेक्षित है कि संयुक्त राज्य

के राष्ट्रपति "बड़े देशों की सूची" के रूप में उल्लेखित "वृहत औषधि कारोबारी अथवा वृहत अवैध औषधि उत्पादक देशों" के रूप में उल्लिखित देशों की पहचान करें। भारत को इस सूची में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 706 (2) (क) के अंतर्गत संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा यह भी अपेक्षित है कि वह "बड़े देशों की सूची" में ऐसे देश की पहचान करें जो पिछले 12 महीनों में संयुक्त राज्य कानून में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रति व्यापक करार का पालन करने अथवा संयुक्त राज्य कानून में उल्लिखित प्रति स्वापक उपाय करने में "प्रत्यक्ष रूप से असफल" हुआ। भारत को कभी भी ऐसे देश के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है जो "प्रत्यक्ष रूप से असफल" हुआ हो।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मामले को संयुक्त राज्य सरकार के साथ उठाया है। संयुक्त राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि "बड़े देशों की सूची" में भारत का शामिल किया जाना मुख्य रूप से "वैध अफीम उत्पादन से अवैध बाजार में बड़े पैमाने पर इसके अपवर्तन" के कारण है। संयुक्त राज्य ने काफी समय से सूचना मांगी है कि वैध उत्पादन से इसका अपवर्तन एक मामूली समस्या बन कर रह गई है।

विद्युत परियोजनाओं संबंधी उच्चस्तरीय समिति

2699. श्री इकबाल अहमद सरङ्गी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के थोक क्रयदेशों के गुणावगुण की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री गुरील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित विकल्पों के लिए थोक क्रय आदेशों के गुणावगुण की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसमें: अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., सदस्य (बर्मल), के.वि.प्रा. और निदेशक (तकनीकी) एन.टी.पी.सी. शामिल हैं-

(i) भेल के साथ सहमत ठेका

(ii) भारत में निर्माण आधार की अनिवार्य आवश्यकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2006 में पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है।

मुंबई से टी.डी.एस.

2700. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान आयकर विभाग द्वारा स्रोत पर कितना कर संग्रहीत किया गया;

(ख) क्या मुंबई के आयकर प्राधिकारियों ने वर्ष 2006-07 के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार इसमें क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान स्रोत पर कर कटौती के रूप में 58606.02 करोड़ रुपए की धनराशि वसूली गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) मुम्बई में स्रोत पर कर कटौती की वसूली के लिए 13,840 करोड़ रुपए की राशि का लक्ष्य रखा गया है जिसकी तुलना में 12 मार्च, 2007 तक 14,160.93 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है।

डी.जी. परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण

2701. श्री कैलाश मेघवाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. लि. और टाटा एनर्जी रिसोर्स संस्थान (टी.ई.आर.आई.) के बीच आर्बिट्रित उत्पादन (डी.जी.) और ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई पायलट परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस योजना के दायरे में अब तक शामिल किये गए गांवों की सूची क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार एन.टी.पी.सी. एवं टी.ई.आर.आई. ने वितरित उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के संयुक्त कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर 15-3-2006 को हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित उत्पादन परियोजना के लिए 22 संभाव्य गांवों की पहचान कर ली गई है तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा 22 परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी तक कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं हुई है।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत मामले

2702. श्री बरकला राधाकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले हैं और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार इसमें दोष सिद्ध करने की दर कितनी रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): वर्ष 2003, 2004 और वर्ष 2005 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या और इसमें दोष सिद्ध करने की दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिसूचना 1985 के अंतर्गत राज्यवार पंजीकृत मामलों (सी.आर.) की संख्या और इसमें दोष सिद्ध करने की दर (सी.एन.आर.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005	
		सी.आर.	सी.एन.आर.	सी.आर.	सी.एन.आर.	सी.आर.	सी.एन.आर.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	461	7.5	441	13.3	563	11.8

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	—	30	—	39	100.0
3.	असम	121	57.1	129	52.8	125	59.8
4.	बिहार	287	43.2	240	38.6	319	55.9
5.	छत्तीसगढ़	365	63.4	403	51.2	344	63.0
6.	गोवा	26	73.7	30	75.0	31	81.8
7.	गुजरात	133	35.2	108	39.8	101	34.6
8.	हरियाणा	1686	39.2	1391	40.6	1427	49.4
9.	हिमाचल प्रदेश	310	18.2	319	34.9	242	29.5
10.	जम्मू-कश्मीर	176	2.2	162	5.5	192	11.8
11.	झारखण्ड	49	68.3	48	68.3	53	31.4
12.	कर्नाटक	298	3.9	242	9.8	292	10.6
13.	केरल	435	65.3	451	61.7	409	49.2
14.	मध्य प्रदेश	759	63.3	900	57.0	869	54.5
15.	महाराष्ट्र	470	14.7	804	34.9	1365	64.1
16.	मणिपुर	115	76.5	75	30.8	65	47.6
17.	मेघालय	11	40.0	14	—	24	—
18.	मिजोरम	122	97.0	212	71.4	89	72.2
19.	नागालैण्ड	117	100.0	142	99.7	143	89.9
20.	उड़ीसा	111	23.1	123	26.9	97	22.9
21.	पंजाब	3545	57.6	3226	53.3	4464	60.2
22.	राजस्थान	712	41.6	856	47.5	973	44.4
23.	सिक्किम	4	25.0	3	33.3	6	—
24.	तमिलनाडु	4227	74.3	5916	71.0	4390	71.3
25.	त्रिपुरा	17	50.0	23	—	81	3.8
26.	उत्तर प्रदेश	11320	69.4	9330	70.1	10283	70.3

1	2	3	4	5	6	7	8
27. उत्तरांचल		346	87.5	258	69.2	367	82.1
28. पश्चिम बंगाल		452	13.6	399	20.9	485	9.9
29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		1	25.0	2	100.0	3	—
30. चण्डीगढ़		65	100.0	89	61.1	164	84.3
31. दादरा व नागर हवेली		0	—	1	—	0	100.0
32. दमन व दीव		0	—	3	—	2	—
33. दिल्ली		1150	85.9	1237	66.2	1410	64.2
34. लक्षद्वीप		0	—	0	—	2	—
35. पाण्डिचेरी		0	100.0	1	100.0	2	—
जोड़ (अखिल भारत)		27913	61.2	27608	60.1	29421	60.9

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां एवं आर्थिक अपराध

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

2703. श्री निखिल कुमार:

एड्स कर लगाना

श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

2704. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के आकार में वृद्धि और बार-बार होने वाले आर्थिक अपराधों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त घटनाओं से निपटने के लिए एक स्वतंत्र एवं बाहरी प्रभाव से मुक्त सीरियस फ्रॉड ऑफिस के गठन हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(क) क्या विश्व में कोई देश एड्स कर लगाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वायु यात्रा पर एड्स टैक्स लगाने हेतु फ्रांस से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्रवाई पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क)

सोना जब्त किया जाना

अनुपयोज्य आस्तियों के आकार में वृद्धि और बार-बार होने वाले आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये एक स्वतंत्र और बाहरी प्रभाव से मुक्त सीरियस फ्रॉड ऑफिस बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

2705. श्री बरकला राधाकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितनी मात्रा में सोना जब्त किया गया;

(ख) सोना जब्त किए जाने के समय इसका बाजार मूल्य कितना था; और

(ग) इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जब्त स्वर्ण की मात्रा और जब्त के समय इसके बाजार मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2003-04	26.29	2.48
2004-05	17.189	1.61
2005-06	18	1.77

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश में स्वर्ण तस्करी को रोकने और निष्फल करने के लिए सचेत और सतर्क हैं।

समाचार-पत्रों में विज्ञापन स्पेस पर सेवा कर

2706. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कभी समाचार पत्रों में विज्ञापन स्पेस पर सेवा कर के लागू न होने के बारे में आम जनता को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे आश्वासन को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):

(क) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (य य य ड) के अंतर्गत स्पेस के विक्रय अथवा विज्ञापन के लिए समय के संबंध दी गई किसी सेवा को कराघेय सेवा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्पेस का विक्रय को उक्त कराघेय सेवा के दायरे से विशेषतौर पर अलग रखा गया है। प्रिंट मीडिया में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 में यथा-परिभाषित समाचार पत्र शामिल हैं। छूट के प्रावधानों के दृष्टिगत समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए स्पेस के विक्रय के लिए सेवाकर उद्ग्रहणीय नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर रोगियों के लिए आयुर्वेदिक मॉड्युलेशन

2707. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकिरण संबंधी म्यूकोसाइटिस से पीड़ित मुंह के कैंसर के रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक मॉड्युलेशन विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके लिए किए गए क्लिनिकल स्टडी के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सी.एस.आई.आर. का विचार उक्त मॉड्युलेशन के लिए ग्लोबल पेटेंट फाइल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) उक्त मॉड्युलेशन के बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे, श्री सुशील कुमार शिन्दे।

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मुख्य विद्युत निरीक्षक की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य तथा विद्युत निरीक्षक नियम, 2006 जो 17 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 13 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(8)/2004/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (दूसरा संशोधन), 2006 जो 13 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(6)/2004/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 13 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(6)/2004/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के

अवधारण के लिए आवेदन करने, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 13 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(7)/2004/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विद्युत के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्रारूप, फीस तथा कार्यवाहियों का रिकार्ड) नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5979/07)

3. (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5980/07)

(5) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5981/07)

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5982/07)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं संसद, राष्ट्रपति

तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5983/07)

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5984/07)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय मैं, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।... (व्यवधान)

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5985/07)

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): उपाध्यक्ष जी, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5986/07)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन बासुमोहनी): महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5987/07)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5988/07)

(2) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5989/07)

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5990/07)

(4) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5991/07)

(5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5992/07)

(6) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5993/07)

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

(1) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेंट (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

एक शुद्धिपत्र जो 13 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5994/07)

- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत विश्वेश्वरैया विद्युत निगम लिमिटेड तथा कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड अमलगेमेशन आदेश 2006 जो 15 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2100(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5995/07)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूँ:-

- (1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5996/07)

- (2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5997/07)

क्षेत्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पल्लनीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:-

- (1) राजवितीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत राजवितीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2007 जो 23 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5998/07)

- (2) बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 जो 27 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ. ओ.एस.आर./1/2006 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5999/07)

- (4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 95(अ) जो 21 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 53/2003-सी.शु. (गै.टे.) को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 96(अ) जो 21 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. (गै.टे.) को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 98(अ) जो 21 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) का.आ. 281(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 282(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 117(अ) से सा.का.नि. 131(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2007 को लोक सभा में घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में परिवर्तन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 168(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 172(अ) जो 2 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 179(अ) जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 110(अ) जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 45/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 105(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 75/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 106(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6000/07)
- (5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि. 99(अ) जो 21 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 132(अ) से सा.का.नि. 154(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2007 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 178(अ) जो 7 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 9 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री एस.एस. पलानीमनिकम]

(पांच) सा.का.नि. 167(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के.उ.शु. (गैटे) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6001/07)

(6) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107(अ) जो 23 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 25 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 178(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 6002/07)

(7) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सा.का.नि. 155(अ) से सा.का.नि. 166(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2007 को लोक सभा में घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सेवा कर में किए गए कतिपय परिवर्तनों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 6003/07)

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1974 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 128(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 46/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 186(अ) से सा.का.नि. 187(अ) जो 9 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पार्टियों द्वारा उत्पादित और निर्यातित विट्रिफाइड और पोर्सलेन टाइल्स, औद्योगिक विट्रिफाइड टाइल्स को छोड़कर, के आयात पर अर्न्तम छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 6004/07)

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 102(अ) जो 22 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 6005/07)

अपराह्न 12.02 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

चीदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (बराड़): महोदय, मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) का चीदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

तेईसवें से छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हनान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन;

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यावही संबंधी 25वां प्रतिवेदन;

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यावही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन, ओजार, (नासिक) द्वारा नियोजित नैमित्तिक कर्मचारियों को हैदराबाद के पैटर्न पर अर्थात्, हैदराबाद डिवीजन में समान दशाओं में कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाएं दिए जाने के बारे में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के श्री दिलीप बामन पगारे और अन्य नैमित्तिक कर्मचारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 6006/07)

अपराह्न 12.03½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 12वें, 14वें, 15वें और 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*विद्युत मंत्री (श्री सुरील कुमार शिंदे): महोदय, मैं, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 में दिए गए माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश 73 'क' के अनुसरण में, ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बारहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और अठारहवीं रिपोर्टों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर एक वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6007/07।

12वीं रिपोर्ट वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों से संबंधित है। इसमें सत्रह सिफारिशें शामिल हैं और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

14वीं रिपोर्ट विद्युत (संशोधन) विधेयक 2005 से संबंधित है। इसमें आठ सिफारिशें शामिल हैं जिनमें से तीन स्वीकार कर ली गई हैं और दो को स्वीकार नहीं किया गया है। शेष तीन सिफारिशों की वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है क्योंकि समिति ने इन सिफारिशों पर किसी विशेष कार्रवाई का संकेत नहीं दिया है।

15वीं रिपोर्ट "त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन" से संबंधित है। इसमें 6 सिफारिशें शामिल हैं, सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

जहां तक 18वीं रिपोर्ट, जोकि विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों पर आधारित है, का संबंध है, मुझे यह कहना है कि मंत्रालय में यह रिपोर्ट 19-12-2006 को प्राप्त हुई है और 18वीं रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्टों में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में इंगित है, जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की समस्त विषय वस्तु को पढ़कर सदन का कीमती समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन बासगुंरी): महोदय, आपकी अनुमति हो, मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि बजट सत्र के पहले भाग के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

1. आज की कार्य सूची में से शेष सरकारी कार्य की, किसी मद पर विचार।
2. राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के निरनुमोदन के आशय वाले सांविधिक संकल्प पर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

विचार और राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार तथा पारित करना:-

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:-

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2007; और

(ग) संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि बजट पारित किए जाने के पश्चात्, संबंधित दिन के लिए सूचीबद्ध अध्यादेश को बदलने वाले विधेयकों को लिया जाए, और उनका निपटान होने तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित रखा जाए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

*श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. सलेमपुर से मंछोली प्रतापपुर तथा सोनूघाउ से रामजानकी मार्ग होते हुए मेहरौना बिहार सीमा तक वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य।
2. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार के वायदे के मुताबिक बलिया जिले के सुल्तानपुरी के 64 गांवों में अग्नि पीड़ित परिवार को इन्द्रा आवास उपलब्ध का कार्य।

*श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. पूरे देश में भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती को धूमधाम के साथ मनाये जाने के साथ-साथ भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर उनकी याद में राजधानी दिल्ली में बुद्धिस्त विश्वविद्यालय के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से सम्बन्धित विषय।
2. राजधानी दिल्ली स्थित 26-अलीपुर रोड स्थित बाबा

साहेब भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित विषय।

*श्री बची सिंह रावत 'बघवा' (अल्मोड़ा): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. उत्तराखण्ड के जिला अल्मोड़ा विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत स्थान देघाउ में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना किये जाने की आवश्यकता।
2. देश के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखण्ड के पर्वतीय भू-भाग में हाल की भारी बर्फबारी व ओलावृष्टि से हुई खेती व बागवानी की भारी क्षति के कारण किसानों को तत्काल राहत दिये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

*श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद-विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 को चौड़ा करके चार लेन/छह लेन वाला बनाना।
2. गुटका, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, पर प्रतिबंध लगाना।

*श्री सुनील खाँ (दुर्गापुर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. सिलचर, असम के बेईमान व्यापारियों की संलिप्तता के मद्देनजर हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के कार्यकरण को सुचारु बनाए जाने की आवश्यकता है। पता चला है कि इन व्यापारियों द्वारा बेतहाशा लाभ कमाना सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन इनका पक्ष ले रही है जबकि अन्य स्टाकिस्टों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देने के लिए उन्हें वंचित रखा गया है।
2. मंत्रिमण्डल द्वारा बी.सी.पी.एल. के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है लेकिन कंपनी अभी बची रह सकती है जब शीर्ष प्रबंधन को फैक्टरी से हटा लिया जाता है जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में

आयरन फोलिक एसिड टेबलेट की निविदा जिसका मूल्य 12 करोड़ रुपए है जिसमें जी.एम.पी. प्रमाणपत्र के साथ संविदाकार द्वारा 3-4 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। निविदा खोलने के पश्चात् सहायक औषध नियंत्रक ने संदेह किया कि कानपुर से आए दस्तावेज वास्तविक नहीं हैं। प्रमाणपत्र विपणन विभाग से देशभर में परिचालित किए गए हैं और इस परिचालन के आधार पर, डिपोर्ट ने निविदा भरी है। प्रतिस्पर्धियों ने भी औषध नियंत्रक द्वारा जारी पत्र की प्रति प्राप्त की है। डी.एफ. ने 22 फरवरी, 2007 को डब्ल्यू.एम.के. को एक पत्र भेजा है और सतर्कता जांच का आग्रह किया है।

[हिन्दी]

*श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. देश में विशेषकर सोलापुर रेलवे डिविजन में ऐसे रेलवे गेट जिन पर रेलवे का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है, पर विशेषतः रात्रि में रेलवे कर्मचारी तैनात किए जाने से सम्बन्धित विषय।
2. सोलापुर-पूना-सोलापुर इंटरसिटी रेलगाड़ी को दोनों तरफ से एक साथ और सोलापुर-नागपुर के बीच वाया हैदराबाद होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने से सम्बन्धित विषय।

[अनुवाद]

*डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. कोचीन विमानपत्तन पर कार्यरत एयर इंडिया के नैमित्तिक कर्मचारियों की दैनिक परिलब्धियों को बढ़ाकर मुंबई विमानपत्तन पर कार्यरत उनके जैसे कर्मचारियों के स्तर तक किए जाने की आवश्यकता।
2. अलप्पुझा जिले में कृषि संकट का अध्ययन करने के लिए डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति के विचारार्थ विषयों को बदले जाने की आवश्यकता ताकि समस्त कुट्टानाड, औनदुकारा, कारी-भूमि और पोक्कली-भूमि तथा मात्स्यिकी क्षेत्र को अलप्पुझा जिलों में शामिल किया जा सके।

*सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

*श्री मनसुखभाई डी. बसाबा (भरुच): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. भरुच से जबोसर नेरो गेज रेलवे लाईन पर आधुनिक एवं नई तकनीकी रेल सेवा चलाने के लिए इस रेलवे खंड को ब्रोड गेज में बदलने का करने का कार्य।
2. अंकलेश्वर से नेत्रत्र तक बन्द पड़ी नेरो गेज रेलवे लाईन को ब्राड गेज लाईन में बदलकर इसे डेडिया पारा सागाबारा सैलम्बा होते महाराष्ट्र के नंदूरबार तक ले जाने का कार्य जिससे इन रेलवे खंडों के आस पास के गांवों के आदिवासी लोगों को विकास हो सके।

*डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जायें:-

1. अतिवृष्टि एवम् ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरन्त अन्तरिम सहायता दिये जाने के काम में।
2. राजधानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक पर चर्चा।

[अनुवाद]

*श्री बरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिली): साइंटिफिक एडवेंचर कार्डसिल ने योजना आयोग के अनुमोदन से तिरुवनंतपुरम में भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है। इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए। तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थापित क्षेत्रीय कैंसर केंद्र ने आधुनिक सुविधाएं विकसित की हैं। इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आबंटित निधियां तत्काल जारी की जाएं। इसे कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

सामान्य बजट, 2007-2008 - सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-2008

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2006-2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद सं. 18 से 20।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): सभापति महोदय, मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने वर्ष 2007-08 के बजट पर वाद-विवाद में भाग लिया है। ...(व्यवधान) मैंने अधिकतर अंतराक्षेपणों को सुना है और अन्य अंतराक्षेपणों पर बनाए गए टिप्पणों का भी अध्ययन किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर सदस्यों की मिश्रित राय है: जबकि वे अर्थव्यवस्था के शानदार विकास के बारे में वस्तुतः प्रसन्न हैं, वे उचित रूप से विकास के ऐसे कुछ पहलुओं के बारे में यथार्थ रूप से चिन्तित हैं जिनका प्रभाव विभिन्न वर्गों के लोगों पर पड़ता है।...(व्यवधान) वास्तव में, मैं इन भावनाओं को समझता हूँ तथा मैंने बजट भाषण में उन्हें अभिव्यक्त किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमने अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त की है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह विकास सम्मिलित करने योग्य है? निस्संदेह, देश में निवेश बढ़ा है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह निवेश सभी क्षेत्रों विशेषकर कृषि में हुआ है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि और अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या नौकरियाँ सभी के लिए उपलब्ध हैं? मैं अपने उत्तर के क्रम में मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ...(व्यवधान) मैं प्रो. मल्होत्रा को नहीं देख पा रहा हूँ। प्रो. मल्होत्रा कहाँ हैं। जिन्होंने वाद-विवाद

उठाया था? क्या वे विपक्ष के उप-नेता हैं?... (व्यवधान) क्या वे भा.ज.पा. के सदस्य हैं?... (व्यवधान)

मैं माननीय प्रो. मल्होत्रा का आभारी हूँ जिन्होंने सामान्य बजट पर वाद-विवाद उठाया। उन्होंने वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 में भी ऐसा किया था। यद्यपि वे खेल-प्रेमी हैं, संभवतः वे संसद के बजाय मैदान पर ही खेल-कूद की भावना में विश्वास करते हों। उन्होंने तब भी और अब भी किसी अच्छे कार्यक्रम की कभी प्रशंसा नहीं की है। उन्होंने 2004-05 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले बजट को "गरीबों को किक दिया जाना" बताया। उस वर्ष 7.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई। वर्ष 2005-06 में, उन्होंने दूसरे बजट को "गरीब-विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, महिला-विरोधी, किसान-विरोधी" के रूप में बताया। उस वर्ष नी प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई। ...(व्यवधान) वर्ष 2006-07 के बजट पर प्रथम वक्ता - जो प्रो. मल्होत्रा नहीं थे - ने भी बजट के बारे में अत्यंत कठोर बातें कही थीं। तथापि, 2006-07 के लिए, विकास का अनुमान 9.2 प्रतिशत है। इसलिए, एक प्रकार से, भा.ज.पा. द्वारा बजट की कठोर आलोचना का स्वागत है। ऐसी आलोचना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है...(व्यवधान) आलोचना जितनी अधिक होगी, विकास की दर उतनी अधिक बेहतर होगी। अतः, क्या मैं प्रो. मल्होत्रा को इस बात के लिए शुभकामनाएं दे दूँ कि उन्होंने इस वर्ष के बजट वाद-विवाद में आरंभिक गेंदबाज के रूप में वापसी की है? देश के सुदृढ़ और सतत् आर्थिक विकास के हित में, मैं उनके लम्बे जीवन, विपक्ष में और अधिक वर्ष तक रहने तथा बजट के विरोध में और अधिक भाषण देने की कामना करता हूँ।...(व्यवधान)

बजट से सबको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु निश्चित रूप से इस बजट के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी सर्वत्र सराहना हुई है। इन पर श्री मल्होत्रा और उनके मित्रों का ध्यान क्यों नहीं गया है?... (व्यवधान) श्री मल्होत्रा के लिए सर्वोत्तम उत्तर है उनके सहयोगी श्री स्वाई के भाषण का एक भाग जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ:-

"मैं इस बिन्दु पर सहमत हूँ कि जी.डी.पी. की दर अत्यंत उच्च है। कर राजस्व दुगुना हो गया है। राजकोषीय घाटा रिकार्ड रूप से कम है। जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में व्यय अत्यधिक कम है। विकास अभूतपूर्व रहा है।"

धन्यवाद, श्री स्वाई।...(व्यवधान) अब, मुझे आश्चर्य है कि श्री मल्होत्रा को इस संबंध में क्या कहना है। मैं समझता हूँ कि कोई अत्यधिक अशिष्ट विपक्ष ही इस बजट में कोई बुराई देख सकता है।...(व्यवधान)

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि सुदृढ़ मौलिकताओं और तीव्र विकास के फलस्वरूप हमें यह अवसर मिला है कि हम अपनी नैया को खोते हुये उसे खोल दें और बहती हुई हवा के बहाव में बहें।... (व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया बजट को स्वीकार करें।... (व्यवधान)

महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभापटल पर रखना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

"मुझे उस मुद्दे का निपटान करना है जो अधिकतर माननीय सदस्यों के लिए एक प्रमुख मुद्दा है और वह है मुद्रास्फीति। यदि आप अधिकतर अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं, तो मुद्रास्फीति एक मौद्रिक परिदृश्य है। धन-संबंधी योगफल पर ध्यान दें, तो स्पष्ट होता है कि धनापूर्ति में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। गैर-खाद्य ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2005-06 में, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम का अनुमान 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लगाया गया है। अब तक इस वर्ष हमने अपनी जमा पूंजी में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मूल्य निर्धारण परिवर्तन सहित) की वृद्धि की है। इसके अलावा, तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप मांग में बढ़ोतरी हो रही है तथा अनेक मंदों की आपूर्ति की रफ्तार मांग के अनुरूप नहीं रही है।

वर्तमान मुद्रास्फीति मुख्यतः प्राथमिक वस्तुओं के कारण उत्पन्न हुई है। पिछले कुछ सप्ताहों में, मुद्रास्फीति के कारकों में मकई, वनस्पति तेल, मछली, मूंगफली, आटा राइस ब्रान ऑयल, सीमेंट तथा इस्पात के कुछ मद बिजली के कुछ उपकरण और तार एवं केबिल सम्मिलित हैं। हमारे समक्ष 1990-91, 1998-99 और 2002-03 में मुद्रास्फीति के दबावों की ऐसी ही स्थिति थी। प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार के साथ, बाद में मुद्रास्फीति सामान्य हो गई। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्ति पक्ष की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ, 1999-2000 के सिवाय, विगत 10 वर्षों के दौरान गेहूँ का उत्पादन 66 मिलियन और 72 मिलियन टन के बीच स्थिर हो गया है। दस वर्ष की अधिकांश अवधि के बीच चावल का उत्पादन 81 मिलियन और 90 मिलियन टन के बीच रहा है। दालों का उत्पादन 14.9 मिलियन टन से अधिक नहीं बढ़ा है। इन प्रत्येक मंदों की मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसका एकमात्र दीर्घावधिक समाधान उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।

... भाषण के इस भाग को सभा पटल पर रखा गया।

चूंकि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक स्थिति है, इसलिए मूल्य स्थिर रखना भारतीय रिजर्व बैंक का सीधा उत्तरदायित्व है। हाल ही में जब मैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड से मिला तो मैंने बताया कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के उन उपायों के लिए पूरी तरह समर्थनकारी रही है जो बैंक ने किए हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया कि वह सतर्क रहे और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करता रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा की सामान्य आपूर्ति के लिए अनेक कदम पहले ही उठाए हैं। इसने रेपो दर, एम.एस.एस. और सी.आर.आर. जैसे उपायों का प्रयोग किया है। इन मौद्रिक उपायों से समय के साथ-साथ बड़ी मुद्रास्फीति को रोका जा सकेगा।

तथापि, मैंने यह भी देखा कि मौद्रिक उपायों का ईंधन और खाद्य मंदों पर वही प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, जब कच्चे तेल की कीमतें 75 अमरीकी डालर प्रति बैरल हुईं तो हम लोगों को यही राहत प्रदान कर सकते थे कि मूल्य वृद्धि के बड़े भाग को बजट में तथा तेल कंपनियों के तुलन-पत्रों में समाहित कर लिया जाये। तदन्तर, चीनी में आपूर्ति-मांग का तालमेल नहीं है। इसके पश्चात्, गेहूँ और वालों में आपूर्ति की कमी रही। इसका दीर्घावधिक समाधान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक उत्पादन करना है। अल्प अवधि में, हम इन मंदों पर विश्व बाजार में उनकी उपलब्धता की सीमा तक सीमाशुल्क और आयात शुल्क को ही कम कर सकते हैं। और हमने यही किया। सीमाशुल्क में तीव्र कटौती की गई। हमने घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 55 लाख टन गेहूँ का आयात किया। हमने दालों, खाद्य तेलों आदि का शून्य या कम शुल्क पर आयात की अनुमति दी है। हमने कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में भी कटौती की है। इसी तरह के कदमों को उठाए जाने के कारण मुद्रास्फीति को वर्तमान स्तर तक रोका गया है। वर्ष 2006-07 के लिए मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग 5.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

मैं, हाल के समय में उच्च मुद्रास्फीति की दूसरी अवधि की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह वर्ष 2000-2001 में हुआ था। उस वर्ष 52 सप्ताह में से 48 सप्ताह तक मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से अधिक रही थी, उनमें से 22 सप्ताह में, मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत से अधिक थी और बारह सप्ताहों में, यह 8 प्रतिशत से अधिक था। उस वर्ष मुद्रास्फीति बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और विद्युत थी। 3 जनवरी, 2001 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति 8.8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और वर्ष 2000-01 में औसत मुद्रास्फीति 7.2 प्रतिशत थी। अगले छः से बारह महीने में सरकार ने मुद्रास्फीति पर कुछ हद तक काबू पा लिया था।

[श्री पी. चिदम्बरम]

वर्ष 2000-01 और 2006-07 के बीच अंतर यह है कि वर्ष 2000-01 में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी किन्तु औसत मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। उस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद केवल 4.4 प्रतिशत बढ़ा था। वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ सप्ताह पहले बताया था, "हम वृद्धि को प्रभावित किए बिना मुद्रास्फीति पर काबू पाना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार राजकोषीय, मौद्रिक और आपूर्ति संबंधी उपाय कर मुद्रास्फीति पर काबू पाएगी। मैं लोगों पर पड़ने वाले बोझ को समझता हूँ किन्तु आगामी सप्ताहों और महीनों में यह बोझ हल्का हो जाएगा।"

आम आदमी के मामले में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। हम आम आदमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरतापूर्वक लेते हैं। प्रतिपक्ष में बैठे मेरे साथी घबरा जाएंगे यदि वे समझते हैं कि वे आम आदमी का मजाक उड़ाकर अथवा आम आदमी के लिए बने कार्यक्रमों की परवाह न कर बच सकते हैं। मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग एक लाख व्यक्तियों को नौकरी देने का समर्थन करेंगे अथवा नहीं? आप साधन-सह-प्रतिभा राष्ट्रीय जांच परीक्षा के माध्यम से 1 लाख छात्रवृत्ति दिए जाने संबंधी आश्वासन का समर्थन नहीं करते हैं अथवा नहीं? क्या आप आम आदमी बीमा योजना का समर्थन करेंगे या नहीं जिसका उद्देश्य एक करोड़ ग्रामीण भूमिहीन लोगों को शामिल करना है? यदि आप इनमें से किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं, तो आप में खड़े होकर इनकी निन्दा करने का साहस होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आदरपूर्वक पूछता हूँ - आप चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी का क्या अभिप्राय है? क्या आप अचंचित हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है या आपको ईर्ष्या हो रही है? इनमें से प्रत्येक योजना वृद्धि और राजकोष में राजस्व की वृद्धि के कारण संभव हो पाई है। इनमें से प्रत्येक योजनाएं संभव हो पाई हैं क्योंकि हमें-हमारी संग्रह सरकार को विश्वास है कि हम इस दिशा में पहल कर सकते हैं, उन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं और परिणाम दे सकते हैं। मैं श्री मल्होत्रा और उनके मित्रों से पूछता हूँ, "क्या आप खुलकर सच बयान नहीं कर रहे हैं कि आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये योजनाएं आम आदमी के हित में हैं?"

मैं बजट में कई अन्य विशेषताओं की सूची बना सकता हूँ जिसका स्पष्ट लक्ष्य आम आदमी को फायदा पहुंचाना है।

वस्तुतः मैं इन विशेषताओं की सूची वाला 4 पृष्ठ का दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूँ क्या माननीय श्री मल्होत्रा और उनके मित्र इस दस्तावेज को पढ़कर मेरी मदद करेंगे। इस सूची में कृषि सर्वोपरि है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किए जाने संबंधी अन्य मदें हैं। वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। दक्षता बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम है। लघु उद्योग, छोटे प्रतिष्ठान, छोटी कंपनी और छोटे सेवा प्रदाता के लिए भी कर में राहत दी गई है। आमतौर पर आम आदमी छोटा व्यक्ति होता है। छोटे व्यक्ति के लिए घोषित विभिन्न कार्यक्रमों की उपेक्षा करके विपक्ष वस्तुतः आम आदमी की उपेक्षा कर रहा है।

कृषि इस सूची में शीर्ष पर है क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जो अन्य दो क्षेत्रों अर्थात् उद्योग और सेवा से काफी पीछे चल रहा है। वर्ष 2000-01 की पहली तिमाही और वर्ष 2006-07 की तीसरी तिमाही के बीच 27 तिमाहियों में वर्ष-दल-वर्ष कृषि क्षेत्र में औसतन त्रैमासिक वृद्धि मात्र 2.3 प्रतिशत रहा है जबकि उद्योग और सेवाओं में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार हाल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर डाला गया है। हमने कृषि को प्रभावित करने वाले पांच महत्वपूर्ण मुद्दों का निवारण किया है:-साख, जल, बीज, उर्वरक और बिजली। कृषि-ऋण के संबंध में हमने कृषि ऋण को दोगुनी करने संबंधी अपना वादा निभाया है, वस्तुतः जहां हमने इसे तीन साल में करने का आश्वासन दिया था, वहीं हमने दो वर्ष में ही कर दिखाया है। जल के मामले में इस बजट में पिछली बजट की अपेक्षा अधिक कार्यक्रम हैं। हमने जल निकायों को पुनः सक्रिय बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है, हमारे पास भूजल रिचार्ज के लिए नया कार्यक्रम है और किसानों को जल प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए नई योजना है। हमने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.वी.पी.) के परिचय में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की है। जैसा कि वजह-भाषण में उल्लेख किया गया है, वर्ष 2006-07 में 35 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और संभवतः 900,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हम आगामी वर्षों में भी इस गति को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। बीज के मामले में, हमने महत्वपूर्ण कमी की पहचान की है। प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु विद्यमान कार्यक्रमों के पूरक के रूप में हम तीन वर्ष में अलग-अलग तरह के दलहनों की प्रमाणित बीज का उत्पादन दोगुनी करने के लिए एक मिशन चलाना चाहते हैं। उर्वरक के मामले में, हम उर्वरक के लिए राजसहायता देने

हेतु धन उपलब्ध कराने में उदार रहे हैं और हमने यह भी आश्वासन दिया है कि हम किसानों को उर्वरक पर राजसहायता सीधे देने के लिए उपाय करना चाहते हैं। विद्युत के मामले में 8वीं, 9वीं और 10वीं योजनाएं निरंतर उम्मीद से नीचे रही हैं। 9वीं योजनावधि में अर्थात् 1997-2002 में 40,200 मेगावाट की नियोजित अतिरिक्त क्षमता के स्थान पर देश में केवल 19,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो पाया। माननीय सदस्यों को मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि उस अवधि में सरकार में कौन था। 10वीं योजनावधि में अर्थात् 2002-2007 में 41,110 मेगावाट की नियोजित अतिरिक्त क्षमता के स्थान पर देश में केवल 23,163 मेगावाट की अनुमानित क्षमता ही जोड़ा जा सका। खराब निष्पादन के लिए राजग और संग्रह दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि विद्युत की आपूर्ति और मांग में संतुलन बिठाने की दौड़ में हम बहुत पीछे हैं, संग्रह सरकार ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स स्कीम (यू.एम.पी.पी.) की संकल्पना तैयार कर इसे कार्यान्वित कर रही है। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली दो यू.एम.पी.पी. का कार्य सौंपा जा चुका है और जुलाई, 2007 तक ऐसी दो और स्कीमों को स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके अलावा, हम लोग त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना (ए.पी.डी.आर.पी.) का विस्तार कर रहे हैं। हम लोग राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, इनमें से प्रत्येक हस्तक्षेप का आशय कृषि और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। मैंने बार-बार उल्लेख किया है कि 115 मिलियन परिवारों को खेतिहर परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 55 प्रतिशत कामगार कृषि पर आश्रित हैं और यह कि कुल आबादी के लगभग 3/5 गुना हिस्से के पास सकल घरेलू उत्पाद का मात्र पांचवें से भी कम हिस्सा उपलब्ध है। अतएव कृषि-विकास की वृद्धि समग्र विकास के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के संकट से निपटने का सर्वोत्तम हथियार ग्रामीण निर्धनता व ग्रामीण बेरोजगारी है जो टिकाऊ आधार पर चल सकता है। मेरा विश्वास है कि इस बजट में हमने जो पहल किए हैं, इससे कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी और हम उस क्षेत्र में वृद्धि की दर 4 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक ले जा सकते हैं।

कृषि ऋण पर ब्याज दर के बारे में काफी कुछ कहा गया था। जैसा मुझे स्मरण है, केवल 2003-04 में ऐसा हुआ था कि कृषि-ऋण पर ब्याज दर कम करने का प्रयास किया गया था। पी.एल.आर. के ऊपर 2 प्रतिशत अधिक या कम की सीमा निर्धारित की गई थी। उस वर्ष पांच मुख्य बैंकों का पी.एल.आर.

10.25 प्रतिशत और 11 प्रतिशत के बीच था। अतः कृषि ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 8.25 प्रतिशत हो सकता था, किन्तु यह सभी व्यक्ति जानते हैं कि किसी को भी 8.25 प्रतिशत की दर पर कृषि-ऋण नहीं दिया गया।

जुलाई, 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने घोषणा की थी कि फसल ऋण 9 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा।

जब संग्रह सरकार सत्ता में आई तो ब्याज दर 9 प्रतिशत था। वर्ष 2003-04 में कृषि ऋण की रकम 86,981 करोड़ रुपए थी। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से 7 प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार 2 प्रतिशत की दर से राजसहायता देती है। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी राजसहायता को बढ़ाया है और ब्याज दर घटाकर 6 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत कर दिया है। उल्लेखनीय है कि न्यून दर पर वर्ष 2005-06 में कृषि ऋण की कुल रकम 190,000 तक पहुंचने की प्रत्याशा है और वर्ष 2007-08 के लिए हमने 225,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दर्शाया है। हमने तीन वर्षों में कृषि ऋण को दोगुनी करने संबंधी अपने वायदे को पूरा किया है; वस्तुतः हमने दो वर्षों में ही ऐसा किया है। अधिक से अधिक किसानों को संस्थागत ऋण की परिधि में लाया जा रहा है। प्रतिवर्ष बैंकों के उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 60 लाख किसान जुड़ते जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा तैयार की गई संशोधित प्रारूप राष्ट्रीय कृषक नीति जो 'साख' संबंधी पैरा 1.56 में दी गई है, उसमें उल्लेख है कि:-

"ब्याज दर यथासंभव न्यूनतम होना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में सभी प्रकार के अपव्यय और अक्षमता को दूर कर कारोबार लागत व्यय में कटौती करने की संभावना होनी चाहिए। प्रदायगी प्रणाली की अक्षमता का बोझ प्रभारित ब्याज पर नहीं पड़ना चाहिए।"

कृषक संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देते समय हम इस सिफारिश को ध्यान में रखेंगे।

अनेक सदस्यों ने एन.आर.ई.जी.एस. के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, श्री सिंह देव ने राज्यों के कार्यनिष्पादन की तुलना की, सदस्यों को ध्यान होगा कि एन.आर.ई.जी.एस. को औपचारिक रूप से 2 फरवरी, 2006 को आरंभ किया गया था, इसलिए कार्यक्रम का एक वर्ष 2006-07 में पूरा होगा, लेकिन यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। योजना की प्रभाविता या व्यय की गुणवत्ता या राज्य सरकारों द्वारा योजना के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य-वार उपलब्ध आंकड़ों का अंतर-राज्यीय तुलना नहीं की जा सकती है। 200 जिले राज्यों में बराबर संख्या में नहीं हैं। इसीलिए राज्यों को

[श्री पी. चिदम्बरम]

बराबर राशि का आवंटन नहीं किया गया है। एन.आर.ई.जी.एस. के तहत शामिल किए गए अधिक जिलों वाले राज्यों को अधिक आवंटन किया गया है। हमारे प्रारंभिक आकलन के अनुसार कुछ राज्य अच्छा कार्य कर रहे हैं जबकि कुछ राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से अंतिम निष्कर्ष लेने से पूर्व हमें राज्यों को और समय देना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों में एन.आर.ई.जी.एस. की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

एन.आर.ई.जी.एस. आवंटन के बारे में कतिपय शिकायतें थीं। वर्ष 2006-07 हेतु हमने 11,300 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। संशोधित अनुमान के अनुसार 11,300 करोड़ व्यय किए जाएंगे। तथापि, ऐसे संकेत हैं कि शायद समस्त आवंटित राशि उपयोग नहीं हो पाएगी। इसलिए 2007-08 हेतु हमने प्रारंभिक आवंटन, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ - प्रारंभिक आवंटन 12,000 करोड़ रुपये का किया है। चूंकि यह एक विधिक गारंटी संबंधी मांग आधारित योजना है इसलिए हम मांग तथा आवश्यकता के अनुरूप इस राशि में वृद्धि करेंगे। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि एन.आर.ई.जी.एस. एक "फॉल बैक" योजना है। विशेषकर कृषि में यदि अन्य रोजगार अवसर उपलब्ध हैं तो एन.आर.ई.जी.एस. के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के अवसर प्राप्त करने की संभावना कम होगी। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा एन.आर.ई.जी.एस. के तहत रोजगार प्राप्त कर भी लिया जाता है तो वह अधिकतम 100 रोजगार दिवसों तक शायद कार्य न करे। वास्तविक परीक्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या एन.आर.ई.जी.एस. के तहत पात्र व्यक्ति को मांगे जाने पर रोजगार दिया गया है या नहीं, योजना राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कार्य है कि एन.आर.ई.जी.एस. के तहत पात्र किसी भी व्यक्ति को न तो रोजगार से वंचित रखा जाए और न ही संपूर्ण मजदूरी से। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने-अपने जिलों या निर्वाचन क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा अपना आकलन ग्रामीण रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करें।

'आम आदमी बीमा योजना' का उल्लेख किया गया था। मैं विनम्रता से यह बताना चाहूंगा कि देश के असंगठित मजदूरों के एक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसी भी सरकार द्वारा यह प्रथम व्यापक प्रयास है। अर्जुन सेन गुप्त समिति ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। असंगठित क्षेत्र में यह संख्या 34 करोड़ है। स्पष्टतः इसमें कृषि एवं गैर-कृषि

क्षेत्र के मजदूरों को शामिल किया गया है। इसमें भू-स्वामी तथा भूमिहीन मजदूर शामिल हैं। इसमें स्व-रोजगार प्राप्त कारीगर भी शामिल हैं। मेरे पास वर्ष 2003 की एन.एस.एस. रिपोर्ट सं. 491 है। इस रिपोर्ट के अनुसार भूमिहीन परिवारों की अनुमानित संख्या 1.5 करोड़ है। मैं सहमत हूँ कि यह संख्या और अधिक भी हो सकती है। मैंने बजट भाषण में भी यही कहा था। परन्तु हमें एक शुरुआत करनी है। मुझे एल.आई.सी. ने जानकारी दी है कि मार्च, 2007 के अंत तक एल.आई.सी. की वर्तमान नीतियों के अन्तर्गत 70 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। जैसा कि सदस्यों को पता है कि वर्तमान योजना राज्य सरकारों तथा एल.आई.सी. की सामाजिक सुरक्षा नीति द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है। राज्य सरकार तथा सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा प्रीमियम देयता राशि बराबर-बराबर दी जाती है। कतिपय मामलों में लाभार्थियों की ओर से प्रीमियम की भुगतान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की किसी न किसी योजना के तहत किया जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की है तथा 2007-08 में करीब एक करोड़ परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। एल.आई.सी. योजना का ब्योरा तैयार कर रहा है। इसके तहत मृत्यु और अपंगता का 'कवर' किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि योजना में शामिल होने तथा संयुक्त रूप से योजना के वित्तपोषण हेतु राज्यों को मना लिया जाएगा। अनुभव के साथ ही हम योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अधिक श्रेणियों को शामिल कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों ने अनेक विशिष्ट विषय उठाए हैं। कर संबंधी विषयों का उत्तर देने का सही समय वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान होगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर संबंधी किसी भी विषय का उत्तर नहीं दूंगा। परन्तु दो मुद्दों का मैं संक्षिप्त उल्लेख करूंगा। पहला लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इस बारे में दो मत हैं। इस्पात उद्योग ने निर्यात शुल्क का समर्थन किया है परन्तु लौह अयस्क निर्यातकों ने 'आयरन ओर फाइन्स' पर शुल्क पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। हमने काफी जानकारी प्राप्त कर ली है तथा संबंधित पक्षों से कहा है कि यदि वे और जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। हम सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद उपयुक्त निर्णय लेंगे। दूसरा विषय सीमेंट पर दोहरा उत्पाद शुल्क तथा इसकी कीमतों में वृद्धि है। अधिकतर सामान पर उत्पाद शुल्क मूलानुसार है जिसके तहत सामान के मूल्य के अनुसार रुपये में शुल्क में वृद्धि होती है। इसके विपरीत सीमेंट उद्योग के अनुरोध पर अनेक वर्षों से सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को निर्धारित दरों पर रखी गई है। इसके अतिरिक्त

दोहरी दर कोई नई बात नहीं है। दोहरी विक्रय कर तथा दोहरे उत्पाद शुल्क की दरों में अनेक उदाहरण हैं। फरवरी 2006 में सीमेंट के प्रति बैग की कीमत लगभग 136-180 रुपये थी। अक्टूबर-नवम्बर 2006 तक ही प्रति बैग मूल्य 178-218 रुपये था। बजट के ठीक कुछ समय पूर्व कुछ स्थानों पर प्रति बैग की कीमत करीब 224 रुपये प्रति बैग थी। जब सीमेंट जैसी वस्तु की कीमत बहुत तेजी से अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगे तो सरकार लाघार या मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। सरकार को अभी भी आशा है कि सीमेंट उत्पादक अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तथा मूल्यों को स्थिर करेंगे। यदि उन्हें क्षमता बढ़ाने में या कोयला या कच्चा माल प्राप्त करने में परेशानी आ रही है तो सरकार निश्चय ही सहायता करेगी। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं तथा सीमेंट उत्पादकों को तदनुसार निर्णय लेने के लिए राजी करने हेतु उपयुक्त उपाय करेंगे।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कतिपय गैर-कर विषयों का संक्षेप में उत्तर दूंगा। श्री मल्होत्रा सहित अनेक सदस्यों ने पूछा कि हमने खाद्य पदार्थों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है। मुझे श्री मल्होत्रा के प्रश्न से थोड़ा आश्चर्य हुआ है। खाद्य पदार्थों का वायदा बाजार एम.सी.एक्स. में नवम्बर 2003 तथा एन.सी.डी.ई.एक्स. में दिसम्बर, 2003 में आरंभ हुआ था। वायदा कारोबार के बारे में दो राय हैं। स्थाई समिति की सिफारिश के अनुसार वायदा बाजार विनियामक ने तुर, उड़द, गेहूं और चावल में कारोबार स्थगित कर दिया है। सरकार ने मामले को विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया है तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस पर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री पी. करुणाकरण ऐम्स की तरह छः संस्थाएं स्थापित किए जाने के बारे में जानना चाहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुझे जानकारी दी है कि 2006-07 हेतु 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु परियोजना परामर्शदाता के चयन तथा वास्तु शिल्प अवधारणा डिजाइन हेतु बोली अस्वीकार किए जाने से अप्रत्याशित समस्याएं आ गई हैं। निविदा के पुनः आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा स्थान संबंधी पर्यावरणीय परिणाम आकलन अध्ययन एवं निर्माण पूर्व सर्वेक्षण आरंभ हो गया है।

श्री देवेन्द्र यादव जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानना चाह रहे थे। मैंने बजट भाषण में प्रधान मंत्री के पत्र का उल्लेख किया था, हमें जानकारी दी गई है कि पांच राज्यों ने गेहूं और दलहनों के स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी है तथा सीमा से अधिक स्टॉक रखे जाने के कारण कार्यवाही भी

की गई है। मेरा अन्य राज्यों से भी अनुरोध है कि प्रधान मंत्री के सुझाव के अनुसार स्टॉक की सीमा निर्धारित करें तथा जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाएं।

श्री सुरेश प्रभु ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2002-2007 के दौरान उत्पादन क्षमता में की गई वृद्धि का आंकड़ा पहले ही दे दिया है। हम आधारशिला रखे जाने तथा विद्युत उत्पादन आरंभ होने पर बहस कर सकते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि 2004-05 में 6100 मेगावाट तथा 2005-06 में 6300 मेगावाट क्षमता का सृजन किया गया था। यह 1998-99 और 2003-04 के दौरान सृजित की गई क्षमता से अधिक है। तथापि, विशेषकर विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु हमें अधिक सक्रिय होना पड़ेगा तथा इस पर ध्यान देना होगा।

श्री सत्यनारायण जटिया ने शिकायत की कि आई.टी.आई. के उन्नयन करने, या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए या छात्रवृत्ति देने के लिए जो कुछ भी किया गया है वह "ऊंट के मुंह में जीरा के समान" है। मुझे समझ नहीं आता कि वे इतने दोषदर्शी क्यों हैं? कुछ वर्ष पूर्व "ऊंट के मुंह में जीरा" भी नहीं था न ही शारीरिक रूप से विकलांग या छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की ही व्यवस्था थी। परन्तु मुझे ध्यान नहीं है कि श्री जटिया ने उसके लिए कभी शिकायत की हो। मैं तब निवेदन करता हूँ कि हमें प्रत्येक नयी पहल का छिद्रान्वेषण करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं होने से कहीं बेहतर है - यह अच्छा है।

श्री स्वाई ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के बारे में कुछ प्रश्न पूछा था। जैसाकि सदस्य जानते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी। यह खरीफ और रबी दोनों फसलों पर लागू होता है और इसके आरंभिक दिनों से ही, बीमा के दावे प्रीमियम की तुलना में काफी अधिक रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2005 की खरीफ फसल में जबकि प्रीमियम 450 करोड़ था, बीमा का दावा लगभग 1,060 करोड़ के आस-पास था। रबी 2005-06 के लिए प्रीमियम की राशि 105 करोड़ रुपए थी और 338 करोड़ रु. का दावा किया गया था। योजना के आरम्भ से ही सरकार के सामने यह समस्या थी। एक पुनर्संरचना-योजना की जांच की जा रही है। तत्क्षण, मैंने प्रस्ताव दिया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के विकल्प के तौर पर हम दो या तीन राज्यों में मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना शुरू कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह ने शिकायत की थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग

[श्री पी. चिदम्बरम]

विकास कार्यक्रम बाधित हो गया है। मुझे आशंका है यह सही नहीं है। 12 दिसम्बर, 2000 से 21 मई, 2004 तक के 1,257 दिनों में 2,342 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का कार्य पूरा हुआ था। इसके अलावा, इस अवधि में, 23,126 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 5,053 किलोमीटर के लिए 122 संविदाएं सौंपी गई थीं। इसके विपरीत 22 मई, 2004 से 28 फरवरी, 2007 के बीच 1,013 दिन की समयावधि के दौरान रिकार्ड काम हुआ है। इस समयावधि में 3,473 किलोमीटर राजमार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। 7,369 किलोमीटर के लिए 174 संविदाएं सौंपी गई हैं; और इस पर 46,561 करोड़ रु. का अनुमानित व्यय हुआ है। हम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हैं; वस्तुतः संप्रग सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण, पूर्व पश्चिमी कोरिडोर से काफी आगे जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में नए चरण जुड़ चुके हैं और यह अवसरचतानामक क्षेत्र में सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से है।

श्री किशोर सिंह सांगवान, श्री जसवंत सिंह बिश्नोई और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मुझे किसानों के लिए लाभकारी कीमत के बारे में कहा था। संप्रग सरकार ने गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त बढ़ोतरी की है। वर्ष 1997-98 में, छ. वर्षों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रु. प्रति क्विंटल था, वर्ष 2003-04 तक यह बढ़कर 630 रु. प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। संप्रग सरकार के केवल तीन वर्ष में ही हमने इसे बढ़ाकर बुआई सीजन के आरंभ में 640 रु., 700 रु. (बोनस सहित) और 750 रु. प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया है। कल मंत्रिमंडल में गेहूं के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे, और मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। इसी तरह, सामान्य किस्म के धान के लिए वर्ष 2006-07 में, खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रु. प्रति क्विंटल (40 रु. बोनस सहित) निर्धारित किया गया था। संप्रग सरकार ने ठोस तौर पर किसान का साथ दिया और कृषि/खेती को अर्थक्षम बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है।

मैं आर्थिक सर्वेक्षण का एक अनुच्छेद उद्धृत करना चाहता हूँ:-

"अल्पावधि में किसानों के लिए 'लाभकारी' मूल्य और उपभोक्ता के लिए 'उचित' कीमत के बीच संभाव्य विरोधाभास हो सकता है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण के मामले में भी यही विरोधाभास उत्पन्न होता है। ऐसे विरोधाभास का सामंजस्य राजकोषीय ईमानदारी के साथ महंगा समझौता के मामले में नहीं किया जाना चाहिए।"

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट की मुख्य विशेषताओं पर वापस आता हूँ। सर्वप्रथम बजट राजस्व प्राप्ति और व्यय का विवरण-पत्र है। वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय सरकार का सकल कर राजस्व 252,499 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-05 में हमने इसमें 19.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की; वर्ष 2005-06 में हमने इसे 20.0 प्रतिशत बढ़ाया और वर्ष 2006-07 में हमने संशोधित अनुमान के अनुसार 27.8 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2007-08 में बजटीय अनुमान के अनुसार सकल कर राजस्व में 24 प्रतिशत की और अधिक वृद्धि करने की हमारी योजना है।

केन्द्रीय सरकार के सकल कर राजस्व में वृद्धि होने का मुख्य फायदा राज्य सरकारों को हुआ है। वर्ष-दर-वर्ष हमने साझा कर राजस्व के माध्यम से तथा अनुदान व ऋण के जरिए राज्य सरकारों को और अधिक धन दिया है। वर्ष 2004-05 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित संसाधन 157,567 करोड़ रु. था। वर्ष 2005-06 में यह 173,142 करोड़ रु. और वर्ष 2006-07 में यह राशि 214,935 करोड़ रु. था। और वर्ष 2007-08 में यह बढ़कर 249,437 करोड़ रु. हो जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि राज्य की योजनाओं और कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रत्यक्ष तौर पर दी जाती है; साथ ही, केन्द्रीय योजना के अधीन राज्य व जिला स्तर तक तथा कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से धनराशि जारी की जाती है। ये राशियां भी काफी बड़ी हैं और प्रति वर्ष लगभग 50,000 करोड़ रु. हैं।

इसके परिणामस्वरूप, गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में काफी अधिक सुधार हुआ है। हम राज्यों के पास उपलब्ध कर राजस्व (केन्द्रीय करों में हिस्सा और स्वयं का कर राजस्व) की तुलना केन्द्र के पास उपलब्ध निबल कर राजस्व से करें। उदाहरण के लिए वर्ष 2006-07 में केन्द्र के पास 345,971 करोड़ रु. का कर संसाधन उपलब्ध था और राज्यों को उपलब्ध कर राजस्व की राशि 377,580 करोड़ रु. थी। अब कई वर्षों से कर राजस्व की उपलब्धता के मामले में राज्य की स्थिति केन्द्र से ऊपर रही है। इसलिए हमारा कहना है कि राज्यों में कार्यान्वित की जा रही बहुत सी योजनाओं और कार्यक्रमों में राज्यों को समान दायित्व के निर्वहन हेतु निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। केन्द्रीय योजनागत स्कीमों केन्द्र प्रायोजित योजनाएं अथवा राज्य की योजनागत स्कीमों जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता मिली हो के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ समान रूप से दायित्व का निर्वाह करें। राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से

संप्रग सरकार द्वारा की गई अन्य मुख्य पहलों में वेट की सफल शुरुआत, 1 अप्रैल, 2007 से घरणबद्ध तरीके से केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने की शुरुआत, और 1 अप्रैल, 2010 से जी.एस.टी. शुरू करने का मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के कार्य को आरंभ करना शामिल है। मेरे विचार से ये इस देश में अब तक किए गए सर्वाधिक व्यापक कर सुधार हैं।

किसी भी बजट की दूसरी प्रमुख विशेषता व्यय के विभिन्न शीर्षों में संसाधनों का आवंटन है। ऐसे संसाधनों के आवंटन का तर्क सरकार की प्राथमिकताओं का द्योतक है। हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कई वर्षों में किए गए आवंटन को देखें। हम ग्रामीण नियोजन और गरीबी उपशमन को लें। जवाहर रोजगार योजना से आरंभ कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक मोटे तौर पर इस शीर्ष के अधीन आठ योजनाएं हैं। इस क्षेत्र को यदि समग्र रूप से देखें तो वर्ष 1997-98 में कुल आवंटन लगभग 5,850 करोड़ रुपए का था। जब राजग सरकार ने एक और पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया, तो वर्ष 2003-04 में लगभग कुल 9,924 करोड़ रु. (जो लगभग 70 प्रतिशत बढ़ा हुआ है) का कुल आवंटन किया गया। संप्रग सरकार की चार बजट के पश्चात् वर्ष 2007-08 में इस क्षेत्र का आवंटन निरंतर बढ़कर लगभग 27,140 करोड़ रु. हो गया है (अर्थात् वर्ष 2003-04 की तुलना में 275 प्रतिशत की वृद्धि हुई है)।

इसी प्रकार, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1997-98 में लगभग 1,300 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे। वर्ष 2003-04 तक यह बढ़कर 2,585 करोड़ रु. हो गया और वर्ष 2007-08 तक संप्रग सरकार ने इसे बढ़ाकर 6,500 करोड़ रु. तक कर दिया है।

शिक्षा क्षेत्र की स्थिति भी हू-बहू है। वर्ष 1997-98 के 1,800 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2003-04 में यह 4,650 करोड़ रु. हो गया जबकि वर्ष 2007-08 में शिक्षा क्षेत्र का आवंटन 25,081 करोड़ रु. है। स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसा ही है।

यदि आप केन्द्रीय योजना परिव्यय पर क्षेत्र-वार विचार करें तो माननीय सदस्य पाएंगे कि संप्रग सरकार के तीन वर्षों के शासनकाल में परिव्यय में नाटकीय वृद्धि हुई है। ये आंकड़े संबंधित वर्षों के लिये बजट एक दृष्टि में शीर्षक वाले दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। अब मैं वर्ष 1997-98 के परिव्यय का कुछ उदाहरण उद्धृत करूंगा। जिस वर्ष से पहले राजग सत्ता में आई थी और वर्ष 2003-04 के लिए जो राजग सरकार का अंतिम वर्ष था और वर्ष 2007-08 के लिए जिसका बजट मैंने 16 दिन पहले प्रस्तुत किया था। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए

परिव्यय राजग सरकार के दौरान 2,756 करोड़ रु. से बढ़कर 3,671 करोड़ रु. हो गया है और संप्रग सरकार के अन्तर्गत अब यह 8,588 करोड़ रु. है। ग्रामीण विकास के आंकड़े 6,949 करोड़ रु. से 13,238 करोड़ रु. और 13,238 करोड़ रु. से 20,342 करोड़ रु. तक हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए संख्या 21,129 करोड़ रु. से 42,240 करोड़ रु. तथा 42,240 करोड़ रु. से 79,158 करोड़ रु. तक हैं। समाज सेवा के आंकड़े 12,115 करोड़ रु. से 31,102 करोड़ रु. और 31,102 करोड़ रु. से 80,315 करोड़ रु. तक हैं।

मैं आगे भी बोल सकता हूँ। यू.पी.ए. सरकार ने तीन सालों के अंत तक और चौथे साल के प्रारम्भ में प्रत्येक क्षेत्र में एन.डी.ए. सरकार के छह सालों के शासन के दौरान किए गए आवंटनों से कहीं अधिक आवंटन किए हैं। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए। आपको पता चलेगा कि ज्यादा राशि आवंटित की गई है। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त आवंटन नहीं हुआ है। सदस्यों ने अधिक मांग की है। सदस्यों की मांग सही है। अनेक क्षेत्रों में ज्यादा राशि की जरूरत है। लेकिन, सदस्यों को यह समझना चाहिए कि जहां हम ज्यादा संसाधन जुटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं वहीं संसाधनों की भी अपनी एक सीमा है। उपलब्ध समस्त संसाधनों को देखते हुए, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है।

जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि न तो निधियों की कमी है, न स्कीमों की कमी है, जरूरत इस बात की है कि वांछित परिणाम लाए जाएं।

मुझे यह कहते हुए गर्व है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व से दूर हुए बिना यह सब संभव हो पाया है। हमने जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से राजस्व की उगाही की है और हमने संवेदनशीलता के साथ निधियों का आवंटन किया है। ऐसा करते समय, हमने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अधीन देयताओं का पालन किया है। मैं जानता हूँ कि श्री मल्होत्रा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं और मैं यह सोच सकता था कि वे किसी और चीज की नहीं तो कम से कम सरकार की राजकोषीय निशानेबाजी की तो प्रशंसा करेंगे। हमने राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे दोनों ही मामले में लक्ष्य से बेहतर कार्य किया है। यही वह बात है जो भारत के विकास की कहानी को विश्वसनीय और सराहनीय बनाती है। यही वह चीज है जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों को प्रोत्साहित करती है। इसी से हमें सामाजिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस मिलता है।

मेरे बजट भाषण में 12,800 से कुछ ज्यादा शब्द थे। यह

[श्री पी. चिदम्बरम]

कुछ संतोष की बात है कि 25 शब्दों ने श्री मल्होत्रा और उनके कुछ मित्रों पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं कहना चाहूंगा: मुझे समुद्र से प्यार है, मुझे वृक्षों से प्यार है, मुझे पक्षियों से प्यार है और मुझे पशुओं से प्यार है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पूर्ववर्तियों में से कम से कम एक पूर्ववर्ती मेरी ही तरह पशुओं से प्यार करते हैं। हमारे बीच फर्क यह है कि मैंने कुत्तों और बल्लियों के प्रति अपनी घिंता को खुले तौर पर स्वीकार किया जबकि मेरे पूर्ववर्ती, वित्त विधेयक के टिप्पण में अपना प्रेम छिपा गए। सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 23 में एक प्रविष्टि है 2309.10। शुल्क दर 40 प्रतिशत थी। मेरे एक पूर्ववर्ती ने शुल्क दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी। दो वर्ष, पश्चात् उन्होंने इसे दोबारा 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दी। श्री मल्होत्रा आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं किसका उल्लेख कर रहा हूँ। जिन दो वर्षों में पालतू जानवरों के भोजन पर सीमा शुल्क घटाया गया था वे वर्ष थे 2000-01 और 2002-03 और जिस प्रतिष्ठित वित्त मंत्री ने यह कार्य किया वह थे श्री यशवंत सिन्हा।

जब मैंने अनजाने में वही रास्ता अपनाया तो मैं अपने भोलेपन में यह आशा कर रहा था कि हम सब हंसी मजाक पसंद करते हैं। मैं श्री मल्होत्रा को न केवल दीर्घायु और विपक्ष में लम्बी अवधि की बल्कि विनोदप्रियता की भी शुभकामनाएं देता हूँ।

माननीय सभापति: अब मैं वर्ष 2007-08 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 61, 63 से 72, 74, 75 तथा 77 से 104 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संघित निधि में से, लेखे पर, भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 की लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

क्र.सं.	मांग संख्या और मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	1287,40,00,000	13,60,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	403,32,00,000	-
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग	190,70,00,000	2,97,00,000
एग्री और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	एग्री और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	184,39,00,000	89,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
5.	परमाणु ऊर्जा	356,44,00,000	265,15,00,000
6.	नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	237,86,00,000	390,87,00,000

1	2	3	4
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय			
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	33,08,00,000	9,75,00,000
8.	उर्वरक विभाग	4090,60,00,000	9,45,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	79,26,00,000	10,33,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	48,00,00,000	5,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	314,62,00,000	117,83,00,000
12.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	80,58,00,000	—
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	1206,22,00,000	38,70,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	907,50,00,000	29,00,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	242,66,00,000	13,17,00,000
कंपनी कार्य मंत्रालय			
16.	कंपनी कार्य मंत्रालय	23,17,00,000	2,50,00,000
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	39,29,00,000	5,75,00,000
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4352,50,00,000	62,70,00,000
संस्कृति मंत्रालय			
19.	संस्कृति मंत्रालय	146,61,00,000	8,33,00,000
रक्षा मंत्रालय			
20.	रक्षा मंत्रालय	1144,18,00,000	130,25,00,000
21.	रक्षा पेंशन	2441,46,00,000	—
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	5862,98,00,000	—

1	2	3	4
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	1174,79,00,000	-
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1738,14,00,000	-
25.	रक्षा आयुध-फैक्टरी	1191,52,00,000	-
26.	रक्षा सेवा-अनुसंधान और विकास	533,70,00,000	-
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	6976,27,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	206,45,00,000	25,73,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	97,70,00,000	6,64,00,000
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
30.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	252,99,00,000	3,51,00,000
विदेश मंत्रालय			
31.	विदेश मंत्रालय	671,28,00,000	126,54,00,000
वित्त मंत्रालय			
32.	आर्थिक कार्य विभाग	581,04,00,000	75,87,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	953,80,00,000	6725,63,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का अन्तरण	6262,37,00,000	-
36.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	-	60,00,00,000
38.	व्यय विभाग	24,00,00,000	-
39.	पेंशन	1217,92,00,000	-
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	203,08,00,000	35,00,000
41.	राजस्व विभाग	750,49,00,000	25,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	312,00,00,000	1,75,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	281,63,00,000	23,37,00,000
44.	विनिवेश विभाग	67,00,000	550,33,00,000

1	2	3	4
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	38,05,00,000	5,00,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2640,26,00,000	85,27,00,000
47.	आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष)	85,48,00,000	-
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
48.	भारी उद्योग विभाग	47,58,00,000	104,76,00,000
49.	सरकारी उद्यम विभाग	2,41,00,000	-
गृह मंत्रालय			
50.	गृह मंत्रालय	128,05,00,000	11,78,00,000
51.	मंत्रिमंडल	34,21,00,000	5,56,00,000
52.	पुलिस	2411,59,00,000	754,97,00,000
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	169,26,00,000	3,24,00,000
54.	संघ राज्य क्षेत्र का सरकारों को अंतरण	259,12,00,000	12,00,00,000
आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
55.	आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	78,86,00,000	94,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
56.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	5305,70,00,000	-
57.	उच्च शिक्षा विभाग	1534,75,00,000	17,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
58.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	230,99,00,000	40,31,00,000
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
59.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	314,96,00,000	1,16,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
60.	निर्वाचन आयोग	2,42,00,000	-

1	2	3	4
61.	विधि और न्याय	136,00,00,000	1,00,000
खान मंत्रालय			
63.	खान मंत्रालय	55,70,00,000	9,24,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
64.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	22,80,00,000	11,67,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
65.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	94,78,00,000	10,71,00,000
अनिवासी भारतीय मंत्रालय			
66.	अनिवासी भारतीय मंत्रालय	6,67,00,000	1,67,00,000
पंचायती राज मंत्रालय			
67.	पंचायती राज मंत्रालय	795,08,00,000	-
संसदीय कार्य मंत्रालय			
68.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,02,00,000	-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
69.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	55,96,00,000	4,75,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	478,56,00,000	-
योजना मंत्रालय			
71.	योजना मंत्रालय	20,30,00,000	1,25,00,000
विद्युत मंत्रालय			
72.	विद्युत मंत्रालय	813,99,00,000	168,37,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
74.	लोक सभा	45,20,00,000	-
75.	राज्य सभा	18,16,00,000	-
77.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	26,00,000	-

1	2	3	4
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
78. ग्रामीण विकास विभाग	7224,64,00,000	-	
79. भूमि संसाधन विभाग	250,63,00,000	-	
80. पेय जलापूर्ति विभाग	1260,29,00,000	-	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
81. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	285,56,00,000	12,32,00,000	
82. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	316,98,00,000	2,00,000	
83. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	115,78,00,000	-	
नीवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
84. नीवहन विभाग	185,25,00,000	98,25,00,000	
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2000,15,00,000	2112,40,00,000	
लघु उद्योग मंत्रालय			
86. लघु उद्योग मंत्रालय	98,07,00,000	-	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	322,36,00,000	20,83,00,000	
अंतरिक्ष विभाग			
88. अंतरिक्ष विभाग	379,52,00,000	263,48,00,000	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
89. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	305,82,00,000	3,10,00,000	
इस्पात मंत्रालय			
90. इस्पात मंत्रालय	14,08,00,000	-	
कपड़ा मंत्रालय			
91. कपड़ा मंत्रालय	468,53,00,000	54,25,00,000	
पर्यटन मंत्रालय			
92. पर्यटन मंत्रालय	65,10,00,000	85,50,00,000	

1	2	3	4
जनजाति कार्य मंत्रालय			
93.	जनजाति कार्य मंत्रालय	32,62,00,000	5,84,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
94.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	187,84,00,000	136,14,00,000
95.	चण्डीगढ़	198,39,00,000	31,96,00,000
96.	दादर और नागर हवेली	153,02,00,000	6,52,00,000
97.	दमन और दीव	59,81,00,000	7,60,00,000
98.	लक्षद्वीप	53,66,00,000	27,58,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
99.	शहरी विकास विभाग	167,36,00,000	757,74,00,000
100.	लोक निर्माण कार्य	132,29,00,000	59,67,00,000
101.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	29,42,00,000	11,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
102.	जल संसाधन मंत्रालय	123,34,00,000	6,86,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय			
103.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	975,50,00,000	-
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	125,54,00,000	4,46,00,000
जोड़-राजस्व/पूंजी		71486,11,00,000	20619,94,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 1 से 3, 5, 7 से 11, 13 से 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 से 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45 से 48, 50 से 60, 63, 66, 70, 72, 75,

78, 80 से 87, 89 से 101 तथा 104 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियाँ से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संघित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2006-2007 के अनुदानों की
प्रक मांगों के तीसरे बेंच (सामान्य की सूची)

क्र.सं.	संख्या और मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	265,02,00,000	-
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	65,99,00,000	-
3.	पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3,00,000	-
5.	परमाणु ऊर्जा	2,00,000	-
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	732,57,00,000	72,50,00,000
8.	उर्वरक विभाग	3533,79,00,000	12,18,00,000
9.	नागर विमानन मंत्रालय	84,91,00,000	-
10.	कोयला मंत्रालय	8,00,000	-
11.	वाणिज्य विभाग	381,32,00,000	1,00,000
13.	डाक विभाग	365,24,00,000	1,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	60,59,00,000	-
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	4,40,00,000
16.	कंपनी कार्य मंत्रालय	-	26,80,00,000
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1,00,000	1,00,000
19.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	-
21.	रक्षा पेंशन	582,00,00,000	-
23.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	98,86,00,000	-
24.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	34,46,00,000	-
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसाधान और विकास	10,68,00,000	-
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	50,00,000	-

1	2	3	4
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,04,00,000	-
30.	विदेश मंत्रालय	185,81,00,000	-
31.	आर्थिक कार्य विभाग	445,99,00,000	6000,00,00,000
32.	करेंसी, सिक्का, निर्माण और स्टाम्प	-	96,37,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1,00,000	-
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अन्तरण	8947,39,00,000	-
38.	व्यय विभाग	3,46,00,000	5,00,00,000
39.	पेंशन	235,56,00,000	-
41.	राजस्व विभाग	1,00,000	-
42.	प्रत्यक्ष कर	65,05,00,000	-
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	16,80,00,000
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	4,00,000	25,35,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	-
48.	भारी उद्योग विभाग	188,31,00,000	613,38,00,000
50.	गृह मंत्रालय	9,22,00,000	-
51.	मंत्रिमंडल	72,41,00,000	-
52.	पुलिस	1,00,000	1,00,000
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	283,16,00,000	-
54.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण	120,49,00,000	-
55.	कुली शिक्षा और साक्षरता विभाग (पूर्वानाम-बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग)	189,28,00,000	-
56.	उच्च शिक्षा विभाग (पूर्वानाम-माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा)	133,73,00,000	-
57.	महिला और बाल विकास मंत्रालय (पूर्वानाम-महिला तथा बाल विकास विभाग)	3,00,000	-
58.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,00,000	1,00,000

1	2	3	4
59.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	500,01,00,000	-
60.	निर्वाचन आयोग	1,36,00,000	-
63.	खान मंत्रालय	66,14,00,000	-
66.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्वानाम-महासागर विकास विभाग)	56,05,00,000	59,10,00,000
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5000,01,00,000	528,58,00,000
72.	विद्युत मंत्रालय	2,00,000	-
75.	राज्य समा	93,00,000	-
78.	ग्रामीण विकास विभाग	20,00,000	-
80.	पेयजल आपूर्ति विभाग	1,00,000	-
81.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	-
82.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	-
83.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	-
84.	नौवहन विभाग	105,70,00,000	1,00,000
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1,00,000	-
86.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	-
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	60,52,00,000	-
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	12,62,00,000	-
90.	इस्पात मंत्रालय	165,80,00,000	1,73,00,000
91.	कपड़ा मंत्रालय	297,52,00,000	2,00,000
92.	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	-
93.	जनजाति कार्य मंत्रालय	2,00,000	-
94.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40,17,00,000	-
95.	चंडीगढ़	55,59,00,000	25,34,00,000
96.	दादरा और नगर हवेली	1,00,00,000	-
97.	दमन और दीव	50,70,00,000	-

1	2	3	4
98.	लक्षद्वीप	43,01,00,000	7,30,00,000
99.	शहरी विकास विभाग	24,26,00,000	12,43,00,000
100.	लोक निर्माण कार्य	-	25,71,00,000
101.	लेखन सामग्री और मुद्रण	7,98,00,000	-
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,00,000	-
जोड़		23588,85,00,000	7533,05,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.38 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्ती मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और मैं से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और मैं से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

सभापति महोदय: अब, सभा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव लेगी।

...(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 18-3-07 में प्रकाशित।

**सभापति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और मैं से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और मैं से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.41 बजे

(बो) विनियोग विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्ती मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 18-3-07 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: समा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.44 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन और

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007 का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री प्रबोध पांडा, क्या आप सांविधिक संकल्प पेश कर रहे हैं?

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, मैं पेश नहीं कर रहा हूँ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, श्री बंधी सिंह रावत, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री संतोष गंगवार, श्री मोहन सिंह, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री सुरेश प्रभु - पेश नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आर्थिक नीति के संचालन में अधिक कार्यचालन संबंधी लचीलापन लाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने 23 जनवरी, 2007 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक को बिना किसी स्तर के कानूनी द्रवता अनुपात को विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाने हेतु धारा 24 में संशोधन करने का उपबंध किया गया है। बैंककारी और वित्त क्षेत्र में विकास तथा ऋण की बढ़ती मांग के संदर्भ में परिनियम में 25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है चूंकि विनियामक को पद्धति में द्रवता बनाए रखने के लिए इस संबंध में लचीलापन रखने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे विनियामक और प्राधिकारी के रूप में आर्थिक नीति का संचालन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा उसके पास बैंकों द्वारा द्रव लिखत धारण करने के अनुबंध के संबंध में आवश्यक लचीलापन हो। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा बनाए रखते हुए 25 प्रतिशत की निम्न सीमा को हटाना आवश्यक है। एस.एल.आर. की निम्न सीमा हटाने के सरकार के प्रस्ताव पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की एकमत सिफारिश प्राप्त हुई और इससे मौद्रिक नीति चलाने में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रचालनात्मक लचीलापन मिलेगा।

अन्य संशोधन विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 53 के संशोधन से संबंधित है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों सहित किसी भी बैंककारी कंपनी को अधिनियम के किसी अथवा सभी उपबंधों की प्रयोज्यता से सामान्यतया या फिर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना

के माध्यम से कतिपय अवधि के लिए रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार को छूट की शक्ति प्रदान करता है। हाल में, बैंकों को अधिनियम की कतिपय धाराओं के प्रयोग से छूट प्रदान की गई है। इसलिए, अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह उपबंध करने के लिए कि यह अपेक्षा विशेष आर्थिक जोनों में स्थित संस्थाओं/बैंकों/शाखाओं को प्रदान की जाने वाली छूटों के मामलों में लागू होगी, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा यथासंशोधित धारा 53 की उप-धारा 2 को संशोधित किया जाए।... (व्यवधान)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में शीघ्र अपेक्षित संशोधन करना आवश्यक हो गया था। यदि ये संशोधन तत्काल न किए गए होते तो बदलते वर्तमान परिदृश्य में बैंककारी व्यवस्था के सुचारु कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी।

मैं अब सिफारिश करता हूँ कि विधेयक को सम्माननीय सभा द्वारा विचार तथा पारित किए जाने हेतु लिया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.47 बजे

**राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन)
अध्यादेश का निरनुमोदन**

और

**राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक,
2007 का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 27 और 28 पर एक साथ विचार करेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: एक सांविधिक संकल्प है, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री प्रबोध पाण्डा, श्री बची सिंह रावत, श्री मोहन सिंह, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री सुरेश प्रभु - पेश नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राष्ट्रीय औद्योगिक-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय औद्योगिक-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 को विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अपराहन 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराहन 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराहन 3.41 बजे

लोक सभा अपराहन 3.41 बजे पुनः समवेत हुई

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुई)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील एक वक्तव्य देंगे।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - जारी

(वो) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 15-3-2007 को पुलिस बल पर हुए नक्सली हमले की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज बि. पाटील): महोदय, अत्यंत तीव्र

[श्री शिवराज वि. पाटील]

वेदना और भरे हुए मन से मैं, इस सदन को छत्तीसगढ़ में बीजापुर के पास 15 मार्च, 2007 को प्रातःकाल को हुई घटना की सभा को सूचना दे रहा हूँ।

दिनांक 14/15 मार्च, 2007 की मध्य रात्रि को प्रातः 2 और 3 बजे के बीच बीजापुर जिले के रानी बोडली ग्राम में स्थित आश्रम शाला के खाली भवन में शिविर डाल कर ठहरे हुए पुलिस बल पर नक्सलियों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस हमले के समय उक्त स्थान पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए करीब 70 विशेष पुलिस अधिकारी और राज्य सशस्त्र पुलिस के कार्मिक एक शिविर में ठहरे हुए थे। इस हमले में राज्य सशस्त्र पुलिस के 16 कार्मिक और 39 विशेष पुलिस अधिकारियों के मारे जाने और 12 पुलिस कार्मिकों के घायल होने की सूचना है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है। नक्सलियों द्वारा 39 पुलिस हथियारों को लूट लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह भी सूचित किया है कि इस घटना में लगभग 10-12 नक्सलवादी मारे गए।

राज्य सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वे वहां पर राहत और खोज कार्यों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक के साथ राज्य के गृह मंत्री भी हमले वाले स्थान का दौरा कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग बिछाये जाने की संभावना को ध्यान में रखकर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ में नक्सली स्थिति की समीक्षा लगातार करती रही है। नक्सली हिंसा को नियंत्रित करने में राज्य पुलिस बल के प्रयासों में सहायता करने के लिए राज्य में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की 13 बटालियनें तैनात की गई हैं। राज्य के लिए 4 इंडिया रिजर्व बटालियनें भी मंजूर कर दी गई हैं जबकि ऐसी 2 बटालियनों का गठन राज्य द्वारा कर लिया गया है एवं 2 अन्य बटालियनों का गठन किया जा रहा है। राज्य सरकार को यू.ए.वी. भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह एकमात्र राज्य ऐसा है जिसे यह दी गई है। सुरक्षा बलों और सिविलियनों के लिए नक्सलियों द्वारा आई.ई.डी./बारूदी सुरंग बिछाकर पैदा किए जा रहे खतरे का शमन करने के लिए राज्य को 17 सशस्त्र वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्रमुख रूप से बारूदी सुरंग निष्क्रिय करने वाली युनिटों को अद्यतन उपकरणों से युक्त करने में राज्य की सहायता करने हेतु 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जा रही है। यह राशि, पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम और सुरक्षा संबंधी व्यय की स्कीम के अंतर्गत राज्य को प्रति वर्ष सामान्य रूप से दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त है।

इसके अलावा, विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के तीन विशेषज्ञ दल भी उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। हताहतों को घटना स्थल से ले जाने और पुलिस कार्मिकों की आवाजाही के लिए राज्य सरकार को आवश्यकतानुरूप हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करायी गयी है। बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता के लिए दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है।

गृह मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से वायदा किया है यदि उसे और सहायता की जरूरत होगी तो वह उसे प्रदान की जाएगी। सरकार का मत है कि नक्सलवाद गंभीर चिंता का विषय है और सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

महोदया, मुझे दो घटनाओं के बारे में अपना वक्तव्य देने के लिए कहा गया था:- एक छत्तीसगढ़ की दुर्घटना के बारे में दूसरा नन्दीग्राम की घटना के बारे में, राज्य सभा में, मैं नन्दीग्राम की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दे पाया किन्तु छत्तीसगढ़ की घटना के बारे में वक्तव्य नहीं दे पाया। यही कारण है कि मैंने यहां यह वक्तव्य दिया है। यदि आवश्यक हो और यदि मांग की जा रही है, मेरे पास नन्दीग्राम की घटना के बारे में भी वक्तव्य है, मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, उन्होंने कहा कि दूरभाष पर प्राप्त संदेश के आधार पर उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री आज यहां भी वक्तव्य दें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदया, यदि अनुमति हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ।

सभापति महोदया: ठीक है।

अपराहन 3.48 बजे

(तीन) पश्चिम बंगाल के नन्दीग्राम पुलिस थाना क्षेत्र में
14-3-2007 की घटनाएं

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं, इस सदन को पश्चिम बंगाल के नन्दीग्राम पुलिस थाना क्षेत्र में 14-3-2007 को घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण एवं त्रासदीपूर्ण घटना की सूचना दे रहा हूँ।

गृह मंत्रालय को 14 मार्च, 2007 की सायं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट इस प्रकार है:-

"पूर्वी मिदिनापुर जिले के नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में लगभग 10000 एकड़ से अधिक जमीन पर मेगा-कैमिकल हब और बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन (सेज) स्थापित किए जाने का एक प्रस्ताव, राज्य सरकार के विचाराधीन था। यद्यपि परियोजनाओं के सही-सही स्थान के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था, फिर भी हल्दिया विकास प्राधिकरण ने 28 दिसम्बर, 2006 को क्षेत्र के सभी खंडों और ग्राम पंचायत कार्यालयों को इस परियोजना के संभावित स्थान के बारे में सार्वजनिक सूचना के लिए अनौपचारिक नोटिस परिचालित किया था। यह नोटिस केवल सूचनार्थ परिचालित किया गया था। राज्य सरकार ने परियोजनाओं के विशिष्ट स्थान का निर्णय नहीं लिया था। एक बार जब यह नोटिस विभिन्न खंड कार्यालयों में पहुंच गया तो जिन लोगों को यह भय था कि उनकी जमीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी उनमें व्यापक असंतोष फैल गया। कई राजनीतिक संगठनों और दलों ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का गठन कर लिया। 3 जनवरी, 2007 को लगभग 3,000 लोगों की एक अनियंत्रित भीड़ ने प्रभारी, नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के नियंत्रण वाली एक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक पुलिस जीप पर आग लगा दी। उसी दिन एक अन्य घटना में गढ़चक्रबेरिया बाजार में एक और जीप में आग लगा दी गई। इन झड़पों में 23 पुलिसकर्मी घायल हुए। इन घटनाओं के संबंध में नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मुझे बताया गया था कि उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है कि किसानों तथा सरकार के बीच किसी प्रकार का करार किए बिना अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इन घटनाओं के बाद प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच कई बैठकें हुईं जिनमें जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बावजूद, स्थानीय लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने 4 जनवरी, 2007 को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बंद की घोषणा कर दी। इसके बाद, 6 जनवरी, 2007 को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के कई स्थानों पर शांति बैठकें आयोजित की गईं लेकिन इन बैठकों के बावजूद स्थिति बिगड़ गई। 06/07 जनवरी, 2007 की रात में दो ग्रुपों के बीच गंभीर झड़पें हुईं। उनमें से एक ग्रुप भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के प्रति निष्ठावान था तथा दूसरा ग्रुप शासक दल वाम मोर्चे के प्रति निष्ठावान था। इन झड़पों में, नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के विभिन्न गांवों के निवासी चार लोग मारे गए। इस घटना के संबंध में

अलग-अलग दो मामले शुरू किए गए। इस घटना के बाद सी.पी.आई. (एम) पार्टी के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों में लूट-पाट की गई और सी.पी.आई. (एम) के कई स्थानीय नेताओं के निवास स्थानों पर हिंसा और आगजनी की घटनायें घटीं। आंदोलनकारियों ने कई पुलों और पुलिसों को भी क्षति पहुंचाई और कई सड़कों को खोद दिया जिसके परिणामस्वरूप 7 जनवरी, 2007 के बाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई।

इस समस्या के बारे में 8 जनवरी, 2007 से शुरू हुई जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी मिदिनापुर द्वारा संयोजित कई शान्तिपूर्ण बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र में शान्ति बहाल करने के लिए सभी पार्टियां आवश्यक कदम उठावेंगी तथा अशान्त स्थानों में पुलिस शिविर स्थापित किए जाएंगे। तथापि, इन संकल्पों के बावजूद क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलिसों और पुलों की मरम्मत करना सम्भव नहीं था तथा नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के प्रभावित हिस्सों में राज्य पुलिस तैनात करना भी सम्भव नहीं था। शान्ति बहाल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद सभी सरकारी परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन रुक गया क्योंकि किसी भी सरकारी अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। सी.पी.आई. (एम) से निष्ठा रखने वाले कई लोगों को धीरे-धीरे नंदीग्राम पुलिस स्टेशन स्थित अपना सामान्य आवास छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा और खेजुरी स्थित विभिन्न अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। दोनों प्रतिद्वन्दी ग्रुपों के बीच तनाव बढ़ता गया। 03 फरवरी, और 06 फरवरी, 2007 के बीच हिंसा की अनेक घटनायें हुईं जिसमें दोनों प्रतिद्वन्दी ग्रुपों के बीच आगजनी हुई अथवा बम विस्फोट किए गए। 7 फरवरी, 2007 को पुलिस उप निरीक्षक श्री साधु चैटर्जी सड़क संचार के नष्ट होने के बारे में प्राप्त रिपोर्ट की जांच करने गए थे। उपद्रवी भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें मार दिया। उनका शव 10 फरवरी, 2007 को ही बरामद हो सका। इस घटना के संबंध में भी, एक मामला शुरू किया गया परन्तु इन सभी मामलों की उचित रूप से जांच नहीं की जा सकी क्योंकि पुलिस प्रभावित क्षेत्र में घुसने में असमर्थ थी।

11 फरवरी, 2007 को प्रभावित क्षेत्र के निकट एक स्थान पर एक सार्वजनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट वचन दिया कि यदि नंदीग्राम के लोग अधिग्रहण के विरुद्ध हैं तो नंदीग्राम में कैमिकल हब और विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने के लिए कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की जाएगी।

तथापि खेजुरी स्थित शिविरों में विस्थापित लोगों और नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के भोगाबेरिया और सोनाचुरा क्षेत्र

[श्री शिवराज वि. पाटील]

स्थित लोगों के साथ हिंसा की छिट-पुट घटनायें होती रहीं। शान्ति हेतु की गई बैठक में यह संकल्प लिया गया कि इस समय चल रही माध्यमिक परीक्षा (कक्षा-X) के दौरान शान्ति बनाए रखी जाएगी। माध्यमिक परीक्षा 5 मार्च, 2007 को समाप्त हो गई। जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी मिदिनापुर ने पुनः सर्वदलीय शान्ति बैठक संयोजित की। इस बैठक में उन्होंने प्रस्ताव किया कि शान्ति पुनः बहाल की जानी चाहिए, पुलिस को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन को प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए तथा संपूर्ण प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए। तथापि, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया।

यह निर्णय लिया गया कि नंदीग्राम और उसके आसपास में अराजकता की स्थिति जारी नहीं रखी जाएगी, क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और पुलियों की अविलंब मरम्मत की जाएगी और हत्या के मामलों में पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल शुरू की जाएगी। इसके पश्चात्, पुलिस बल को संगठित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तीन अलग-अलग मार्गों से पुलिस बल नंदीग्राम में प्रवेश करेगा। पुलिस बल से अत्यंत संयम बरतने के लिए कहा गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र के लोगों को पुलिस पार्टियों की आवाजाही के प्रयोजन को स्पष्ट करने हेतु ऊंचे स्वर में संबोधित करें और कहें कि वे वहां पर शांति की स्थापना करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से आए हैं। अंत में पुलिस ने 14 मार्च, 2007 की प्रातः 10.00 बजे अपनी हलचल शुरू की। जब एक पुलिस पार्टी बगैर किसी प्रतिरोध के नंदीग्राम में प्रवेश कर गई तभी दो अन्य पुलिस पार्टियों का काफी संख्या में एकत्रित उग्र भीड़ से सामना हो गया।

जब उन्होंने लोगों से तितर-बितर होने को कहा तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और भारी पथराव शुरू कर दिया जिससे कुछ पुलिसकर्मी जखमी हो गए। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके। तब भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और उन्होंने बम फेंकने शुरू कर दिए और उसके पश्चात् गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ पुलिस कार्मिक किरचों से घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रारंभ में पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई लेकिन इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। यह घटना भागबेरिया पुल के नजदीक घटी। एक दूसरी पुलिस पार्टी को भी अधिकारीपाड़ा, में हिंसा का सामना करना पड़ा जहां भारी पथराव और बम फेंकने की घटनाएं हुईं। इसके परिणामस्वरूप, कुछ पुलिस कार्मिक घायल हो गए। इन दोनों

घटनाओं में, अपर पुलिस उपाधीक्षक तामलुक और सहायक पुलिस उपाधीक्षक (परिवीक्षाधीन) सहित 12 पुलिस कर्मी किरचें लगने से और पथरावबाजी के कारण जखमी हो गए। पुलिस कर्मियों को गंभीर और ज्यादा चोटें नहीं आईं क्योंकि सभी पुलिस कर्मी रक्षात्मक उपकरणों से लैस थे। तथापि, अनेक लोग पुलिस कर्मियों को गोलीबारी से जखमी हो गए और ऐसा माना जाता है कि कुछ आंदोलनकर्ता भी स्वयं फेंके जाने वाले बमों से जखमी हो गए। राज्य मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 14 मार्च, 2007 को रात 8.00 बजे तक, इस घटना में 14 लोग मारे गए जिनमें गंभीर रूप से घायल वे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने घावों के कारण बाद में दम तोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त, 63 व्यक्ति जखमी हो गए जिनमें से 29 लोगों को उपचार के लिए तामलुक जिला अस्पताल ले जाया गया। मामूली रूप से जखमी हुए 5 लोगों को उपचार के बाद जाने दिया गया और शेष लोग अभी भी उपचार के लिए नंदीग्राम ग्रामीण अस्पताल में थे या तामलुक सब-डिवीजनल अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा में थे। इन सब के अतिरिक्त, 12 पुलिस कार्मिक भी घटना में घायल हुए थे जिनको अलग से चिकित्सा सुविधा दी गयी।

उक्त घटना के पश्चात् वहां पुलिस दल की आवाजाही को किसी संगठित विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है और वे सोनाचुरा तक जाने और वहां अस्थायी कैम्प बना सकने में समर्थ हुए। पुलिस कुछ अन्य पड़ोसी गांवों में तलाशी लेने में भी समर्थ हुयी। पुलिस की तलाशी में 18 अवैध अग्नेयास्त्र बरामद हुए जिन्हें संभवतः पुलिस दल के खिलाफ प्रयोग किया गया था। इस समय क्षेत्र में अत्यधिक तनाव है लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। महोदया, यह रिपोर्ट आज प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि कल प्राप्त हुई थी। अशान्त क्षेत्र में पुलिस कैम्प स्थापित कर दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां डेरा डाले हुए हैं और शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदया, यह सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है और इसमें कुछ भी अतिरिक्त जोड़ा नहीं गया है। राज्य सरकार से और प्राप्त सूचना के अनुसार, 15-3-2007 को कुछ शरारती तत्वों ने सी.पी.आई.-एम पार्टी कार्यालय में तोड़-फोड़ की...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: पहले मंत्री जी का स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: उन्होंने सी.पी.एम. के कार्यालय

में भी आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस हस्तक्षेप के कारण किसी बड़ी क्षति की सूचना नहीं है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े।...*(व्यवधान)* यह भी सूचित किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।...*(व्यवधान)* इस घटना में जहाँ 14 लोगों की मौत हुई वहीं 40 पुलिस कर्मियों सहित 67 व्यक्ति घायल हुए। यह सूचित किया गया है कि कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री स्वाई, यह ठीक बात नहीं है। कृपया आप बैठ जाएं। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। उनसे कहा गया है कि वे यथा संभव आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करें। राज्य सरकार को सभी सम्भव निवारक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थिति नियंत्रण में है। केन्द्र सरकार ने क्षेत्र में पूर्ण अमन-चैन लाने के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता देने का वादा किया है। केन्द्र सरकार ने यह वादा किया है कि इस स्थिति को सामान्य किया जाना चाहिए और उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लोगों की मौत पर तथा लोगों के घायल होने के लिए हमें खेद है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। निर्णय सुनाने के बजाय हमें स्थिति को सामान्य बनाने तथा नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: यदि केन्द्र सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है तो 'एस.ई.जेड.' अधिसूचना पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): पहले एस.ई.जेड. खत्म कीजिए।...*(व्यवधान)* जहाँ-जहाँ एस.ई.जेड जाएगा, वहाँ-वहाँ यह घटनाएं घटेंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई: उन्होंने पुलिस को बचाया। लोगों ने समझा कि पुलिस बल...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कुछ भी रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदयः कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब डा. अखिलेश प्रसाद सिंह गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए बोनस की घोषणा के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डा. अखिलेश प्रसाद सिंह यदि आप चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): जी नहीं, महोदय मैं इसे पढ़ना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय मंत्री के वक्तव्य को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप बोलते रहें; कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः स्वाई जी यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए रिकार्ड में कुछ भी नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः यदि आपको लगता है कि हो हल्ला करने से काम होगा तो चिल्लाते रहिए। श्री स्वाई, श्री लाहिरी और अन्य सदस्य कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः जी हां, डा. अखिलेश आप कृपया अपना वक्तव्य पढ़ें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: स्वाई जी यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह समय प्राइवेट मेम्बर बिजनेस का है। आप इस समय को खराब मत कीजिए। [अनुवाद] मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, जैसा कि हमने सभा से छत्तीसगढ़ और नंदीग्राम की घटनाओं पर अद्यतन जानकारी देने का वचन दिया था, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वतः एक वक्तव्य दिया है।

जैसा कि आप जानते हैं संसदीय परंपरा के अनुसार गृह मंत्री संबंधित राज्य सरकार चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के सिवाय कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि चूंकि मामले को सी.बी.आई. ने अपने हाथ में ले लिया है इसलिए इस सभा को चलने दिया जाए (व्यवधान)। माननीय गृह मंत्री - सभा में वक्तव्य देने के लिए जो वचन दिया था वह उन्होंने पूरा कर दिया है। संघ सरकार के पास सभा को जानकारी देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अलावा कोई अन्य अभिकरण नहीं है। सरकार के रूप में हमारी स्पष्ट राय है कि जो भी अद्यतन जानकारी मिलेगी उससे हम सभा को अवगत कराएंगे। अतः अनुरोध है कि हम अब आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्य की अन्य मदों का निपटान करें...(व्यवधान)

महोदय, मैं खारबेल जी से अपील करता हूँ कि वे देश के किसानों के हितों से संबंधित अभी घोषित किए जाने वाली घोषणा पर ध्यान दें जिसकी किसानों को प्रतीक्षा है; खरीद अभियान जारी है और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस विषय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा डा. अखिलेश को इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब किसी भी साइड से कोई कमेंट्स नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभी लोग इन सभी बातों से धितित हैं। पूरा सदन दोनों घटनाओं से दुःखी और धितित है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जी हां, मंत्री महोदय।

अपराह्न 4.03 बजे

(चार) वर्तमान रबी फसल के लिए गेहूँ उत्पादक किसानों के लिए बोनस की घोषणा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, सरकार देश में खाद्य सुरक्षा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता के बारे में धितित रही है। हम कृषि में व्यापार की बिगड़ी शर्तों के बारे में भी धितित रहे हैं। हम इस बात के प्रति वचनबद्ध हैं कि इस देश में किसानों की स्थिति बेहतर हो और उन्हें बेहतर लाभकारी मूल्य मिले ताकि उनकी खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। गत वर्ष हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं तथा खुले बाजार की मांग को पूरा करने के लिए भी गेहूँ का आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

वर्ष 2000-01 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपये था। वर्ष 2004-05 में यह 630 रुपये था, इस प्रकार इसमें चार वर्षों में 50 रुपये की वृद्धि हुई।

जब यह सरकार सत्ता में आई तब इस अदूरदर्शी नीति ने उत्पादन पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। वर्ष 2004-05 में गेहूँ का उत्पादन 68 मिलियन टन के निचले स्तर तक पहुंच गया था। वर्ष 2005-06 में उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई और यह बढ़कर 69.35 मिलियन टन हो गया। गत वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपये था जिस पर हमने प्रति क्विंटल 50 रुपये का बोनस घोषित किया था। इस वर्ष हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की और उसे प्रति क्विंटल 750 रुपये कर दिया। किसानों ने इस कदम की प्रशंसा की और उन्होंने गेहूँ की बुआई अधिक क्षेत्र में की तथा उत्पादन में वृद्धि हुई।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपके ही मंत्री बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

[अनुवाद]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यदि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि न होती तो हमें बम्पर फसल का लाभ मिलता।

सरकार इस बड़े प्रयास को मानती है। हम किसानों की प्रतिक्रिया के लिए उनके आभारी हैं। किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्तमान रबी मौसम के लिए प्रति किंटल 100 रुपए बोनस की घोषणा करने का निर्णय लिया है। यह पहले से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त है। इसका अर्थ है कि किसानों को गेहूँ में पिछले वर्ष के 700 रुपए की तुलना में प्रति किंटल 850 रुपए मिलेंगे।

मुझे पूरी आशा है कि हमारे किसान इस घोषणा का पूरा जोर स्वागत करेंगे और हमारे खरीद कार्यों में और अधिक सहयोग देंगे। मैं किसानों को आश्वासन देता हूँ कि सरकार किसानों को उनकी भूमि से बेहतर मुनाफा प्राप्त करने में हर संभव समर्थन देगी।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि देश में गेहूँ की कोई कमी न हो। देश में किसी भी कमी को रोकने के लिए सरकार ने 31 दिसम्बर, 2007 तक गेहूँ के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का भी फैसला लिया है।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए समाज के निर्धन वर्गों को, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और मिड-डे मील, आई.सी.डी.एस., अन्य रोजगार और पोषण कार्यक्रमों आदि जैसी अन्य कल्याणकारी स्कीमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ का आयात करेगी। एस.टी.सी. से, आवश्यकता पड़ने पर, 3 मिलियन टन का आयात करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाने के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मेरा विश्वास है कि सरकार प्रोक्योरमेंट के लिए भी हर जगह उत्तनी ही व्यवस्था करेगी।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): किसानों के लिए आप यह रेट दे रहे हैं तो आयात के लिए आप क्या रेट रखेंगे?
...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। केवल माननीय सदस्या, श्रीमती राधिका सेलवी का वक्तव्य ही रिकॉर्ड किया जाएगा।

(व्यवधान)...

अपराह्न 4.07 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्रीमती बी. राधिका सेलवी (तिरुचेन्द्रूर): मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि यह सभा 1 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यक्षीन सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 6 तथा पैरा 7 के उप-पैरा (तीन) का लोप किया जाए और 14 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 26वें प्रतिवेदन से भी सहमत हुई।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 1 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन से इस संशोधन के अध्यक्षीन सहमत हुई कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित इसकी सिफारिशों के पैरा 6 तथा पैरा 7 के उप-पैरा (तीन) का लोप किया जाए और 14 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत समिति के 26वें प्रतिवेदन से भी सहमत हुई।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: स्वाई जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, जबकि कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपराहन 4.09 बजे

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना बनाने और लागू करने के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भुखमरी व कुपोषण को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे।

महोदया, सबसे पहले 15 दिसंबर, 2006 को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाया गया था, मगर कुछ कारणवश इस पर चर्चा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आज इस विषय पर यह चर्चा मैं फिर से आरंभ कर रहा हूँ। आजादी के छः दशक के बाद जब देश के कुछ चुनिंदा लोग नयी दूरसंचार क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, औद्योगिकीकरण आदि की बातें कह रहे हैं, ऐसे में देश के कुछ भागों में हमारे भाई-बहन भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र और हमारी आर्थिक समृद्धि पर यह प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पंचवर्षीय योजना और बीस सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से इससे निजात पाने का प्रयास शुरू से जारी है। आज भी यू.पी.ए. सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारत के दूसरे प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब देश अनाज की कमी से जूझ रहा था, तब उन्होंने एक दिन के उपवास का संकल्प देशवासियों के सामने रखा था। उसके उपरांत हमारी दूरदर्शी प्रधान मंत्री स्वर्गीय प्रियदर्शनी इन्दिरा गांधी जी ने अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए जो कुछ किया, वह इस सदन से छिपा नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर आज राजनैतिक दृढ़ इच्छाशक्ति से इस सदन को भूख और कुपोषण जैसे चिंतनीय विषय पर एकमत होकर उन सुझावों पर गौर फरमाना होगा, ताकि सोने की थिड़िया कहलाने वाले मेरे भारत में कोई मेरा भाई-बहन भूखा न सोए और न ही कोई भूखा रहे। इस विषय पर श्रीमती विजया लक्ष्मी पण्डित जी ने जो शब्द यू.एन.ओ. में कहे थे, वे मुझे याद आ रहे हैं। [अनुवाद] उनके लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं जिनके पास भोजन तक नहीं।

[हिन्दी]

आज यह सदन जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा है, उसका सम्बन्ध देश के सबसे गरीब तबके से है। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज के परिवेश में हर व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती

है। इन सबमें भी दो वक्त की रोटी सबसे जरूरी है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां करीब 85 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। यह भी एक कटु सत्य है कि हमारे देश में लाखों लोग भरपेट भोजन नहीं कर पाते। वास्तव में भूख कैंसर और एड्स से भी ज्यादा गम्भीर बीमारी है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ में से करीब 85 करोड़ लोग रोटी और पौष्टिक आहार से आज भी वंचित हैं। इसमें से 22 करोड़ से अधिक लोग भारत में कुपोषण का शिकार हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा करीब 14 करोड़ का है। विकासशील देशों में कुपोषण और भूख से मरने वालों की संख्या में, 1990 से 1992 तक के मुकाबले, हालांकि आज गिरावट आई है, फिर भी भूख और कुपोषण दुनिया में सबसे अधिक लोगों की जान लेता है। श्री अमर्त्य सेन के अनुसार यदि भूख से निजात दिलानी है तो उसके लिए आवश्यक धन, ठोस राजनैतिक संकल्प और सही नीतियों की जरूरत है। आज हमारे देश के अंदर अन्न की कमी नहीं है, लेकिन गरीबी, त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली तथा पौष्टिक आहार के बारे में लोगों की अज्ञानता के चलते अनेक लोग कुपोषण का शिकार होते हैं।

मैं आगे कुछ कहने से पहले सदन का ध्यान 12 मार्च, 2007 को सदन में हुई चर्चा पर दिलाना चाहूंगा, जिसमें यह बात कही गई थी कि इवेल्यूएशन स्टडी के अनुसार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व अन्त्योदय अन्न योजना में 53 प्रतिशत गेहूं और 40 प्रतिशत चावल बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंचता, जो बहुत ही गम्भीर समस्या है। उसमें एक बात यह भी थी कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में करीब 100 प्रतिशत गेहूं, यानी सारा का सारा गेहूं डाइवर्ट हो जाता है। मेरा सुझाव है कि इन दोनों योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में आमूल परिवर्तन किया जाए। साथ ही राज्य सरकारों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे नम्बर तीन से यह कटु सत्य उभरकर सामने आया है कि 19 प्रांतों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छः से 35 माह की उम्र के 75 प्रतिशत बच्चों में रक्त की कमी पाई गई है। इसी तरह से एक तिहाई बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। वहीं 17 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से काफी दुर्बल पाए गए हैं। हर पांच में से दो बच्चों का वजन उनकी औसत आयु से कम पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि बचपन में जो सेहत का नुकसान हो जाता है, उसकी जीवन भर कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। यू.एन.ओ. की स्पेशल रिपोर्ट और राइट टू फूड के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे गम्भीर कुपोषण के कारण मर जाते हैं। एक

आश्चर्यचकित बात सामने आई है कि जहां 54 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई, वहीं शादी-शुदा महिलाओं में भी खून का प्रतिशत कमोबेश यही रहा है।

हम सभी सदस्यों को यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह का भारत हम चाहते हैं? क्या हम एक कमजोर भारत चाहते हैं जिसमें हमारे बच्चे कमजोर हों या हम एक मजबूत भारत का सपना देखते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समृद्ध और मजबूत हों। यद्यपि देश में अनेकों गरीबी उन्मूलन योजनाएं शुरू की गयीं, फिर भी भूख से अनेक लोग कालग्रस्त हुए। जैसा कि जनजाति बहुल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, 71 बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हुई। अखबारों में आये हुए कुछ आर्टिकल्स का मैं विवरण दे रहा हूँ। राजस्थान के बैरन जिले में, सहरिया जनजाति के 78 व्यक्ति भूख के कारण मौत के मुंह में समा गये। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के, पतालपुर गांव में 6 बच्चे और एक महिला कुपोषण के कारण मर गये। पिछले वर्ष भी इसी गांव में 13 बच्चे कुपोषण से मर गये थे। उड़ीसा के देवगढ़ जिले में भी एक जनजातीय महिला की मृत्यु भूख के कारण हुई। हर हफ्ते अखबारों में जहां भूख के कारण मृत्यु और आत्महत्या के समाचार पढ़ने को मिलते हैं वहां मन पीड़ा से कराह उठता है। जहां हमारे देश में एक तरफ समृद्धि है वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे भाई-बहन भूख के कारण मर रहे हैं।

एक्सप्रेस ग्रुप के साथ एक वार्तालाप के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी यह स्वीकार किया कि देश में भूखमरी को रोकने के लिए और लोगों के खान-पान, रहन-सहन में बदलाव लाने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। गरीबी और भूख की अंधेरी कालीरात को देश से मिटाने के लिए हमारे देश के संविधान-निर्माताओं ने भी संविधान की धारा 39 और 47 में कुछ प्रावधान किये हैं। यू.पी.ए. सरकार ने मई, 2004 में सत्ता में आते ही अपने साझा-न्यूनतम-प्रोग्राम में अनेक बातों के अलावा विशेष तौर पर लोगों के लिए अनाज और पीष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में सशक्त बनाने का वायदा किया था। उसके लिए महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाएं बनायी जाएंगी। लम्बी अवधि से देश के जिन क्षेत्रों में अनाज की उपलब्धता कम है, वहां अनाज बैंक बनाए जाएंगे। जिन लोगों के पास अनाज खरीदने का कोई भी साधन नहीं है उनके लिए तथा अपंग लोगों के लिए अनाज की उपलब्धता के लिए विशेष योजनाएं बनायी जाएंगी। जो लोग भूख के कगार पर हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड्स उपलब्ध कराए जाएंगे, विशेष तौर पर कन्याओं के लिए पीष्टिक आहार की योजनाएं बनायी जाएंगी।

गरीबी उन्मूलन की कई योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद भी देश से, पूर्ण रूप से, भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, पिछड़ापन और रोग दूर नहीं हो सके हैं। मेरा यह मानना है कि शीघ्र ही यू.पी.ए. सरकार की योजनाओं द्वारा व्यापक भूख व कुपोषण पर विजय प्राप्त करने में हम सभी लोग कामयाब होंगे। फिर भी मेरा मत है कि हमें एकजुट होकर इस दिशा में तत्परता से काम करना चाहिए जिससे देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों व लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने आवास, रोजगार, सड़कों, शिक्षा व संचार के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। आवास के लिए इंदिरा आवास योजना, सड़कों के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रोजगार के लिए स्वर्ण-जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत लाखों बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 100 दिन का रोजगार मिलेगा तथा स्वर्ण-जयंती शहरी रोजगार योजना भी हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पीने के पानी के लिए भी अनेक स्कीमें चलाई गयी हैं जैसे कि स्वजलधारा स्कीम, स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

सिंचाई और संचार के लिए भारत निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं बन रही हैं। इनके अतिरिक्त फूड सप्लिडी के लिए भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जैसे [अनुवाद] मिड-डे-मील योजना; गेहूं-आधारित पोषण कार्यक्रम; अन्नपूर्णा स्कीम; संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना; छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्न आपूर्ति योजना; अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग के छात्रावासों को खाद्यान्न आपूर्ति योजना; राष्ट्रीय किशोर बालिका कार्यक्रम; आपात भोजन कार्यक्रम; ग्राम अन्न बैंक योजना; राष्ट्रीय काम-के-बदले भोजन कार्यक्रम; राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता कमी नियंत्रण कार्यक्रम; आयरन और फॉलिक संपूरक कार्यक्रम; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली; अन्त्योदय अन्न योजना।

[हिन्दी]

इस वर्ष से ग्रामीण अनाज बैंक की भी स्थापना की जा रही है तथा इस मद में वर्ष 2007-08 के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि फूड सप्लिडी में पिछले वर्षों से निरंतर वृद्धि की जा रही है और इस वर्ष भी लगभग 26 हजार करोड़ रुपये का इस मद में प्रावधान किया गया है, परंतु

[श्री नवीन जिन्दल]

भुखमरी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना को बनाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश में इस विषय से संबंधित योजनाएं बहुत हैं। हमारे राज्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, वह भी इस बात को मानेंगे कि 26 हजार करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें हर वक्त, हर हफ्ते अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि हमारे भाई-बहन भूख और कुपोषण का शिकार हैं, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। इसे दूर करने के लिए एक व्यापक स्कीम की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जिस तरह यह सरकार बिल लेकर आई, डिजास्टर पहले भी मैनेज होते थे या जो कम्युनल वायलेंस के बारे में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल हम लेकर आ रहे हैं, उसी तरह से इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक कंप्रिहेंसिव स्कीम बनाने की आवश्यकता है ताकि जो अलग-अलग स्कीम्स हैं, उनके अन्तर्गत अगर कोई कमी पाई जाती है तो लोगों के पास न्याय पाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जीरो हंगर एक्ट लाया जाए, जो मैं प्रस्तावित करता हूं। इस पृष्ठभूमि में मेरा मानना है और खासकर माननीय राज्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि संसद में जीरो हंगर लेजिस्लेशन लाया जाए क्योंकि यू.पी.ए. सरकार देश से भुखमरी का उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा कानून लाकर हम देश में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देंगे। इसे न केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बल मिलेगा, बल्कि लोगों में यू.पी.ए. सरकार की एक विशेष छवि बनेगी। प्रस्तावित जीरो हंगर लेजिस्लेशन में निम्नलिखित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए आमदनी नहीं है, उन लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भोजन उपलब्ध करवाना, ताकि भूख से पीड़ित किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो; बाढ़, भूचाल, सूखा, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं तथा आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भोजन उपलब्ध करवाना; केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय इकाइयों, निजी इकाइयों व जनता द्वारा दिए गए दान से खाद्य कोष का निर्माण करना; शिक्षा उपकर की भांति, खाद्य उपकर को लगाना; खाद्य कोष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कोष बनाया जाए तथा राज्य आयोगों को इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना। समय-समय पर इस कानून का पुनरीक्षण करना; लोगों में खाद्य उपलब्धता के बारे में प्रचार करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण करना और जो

भी कमियां पाई जाएं, उन कमियों को दूर करना। हर प्रांत व संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रीय आयोग की सहायतार्थ खाद्य आयोगों को बनाना; हर जिले व ब्लॉक में फूड सेंटर का खोलना; इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना; कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जल्दी न्याय दिलाने के लिए फूड कोर्ट्स का बनाया जाना।

किसी कवि ने कहा है - भूखे पेट भजन न होय गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी और माला। इसका मतलब है कि जब आदमी भूखा होता है तब उसका मन भजन में भी नहीं लगता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिले और यह उसका मौलिक अधिकार हो। उसे हर रोज इस बात का डर न रहे कि उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसे और कुछ नहीं सूझता। मैं अपने स्वयं के अनुभव से बताना चाहता हूं कि जब मैं इस स्पीच की तैयारी कर रहा था और लंच टाइम हो गया, तब सोचा कि पहले खाना खा लें बाद में इसे तैयार करेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को इसकी सुरक्षा प्रदान करें ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और न ही भूख के कारण किसी की मौत हो।

इस तरह का कानून ब्राजील ने लागू किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। यहां माननीय मंत्री अखिलेश प्रसाद जी बैठे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार और सरकारी अफसर इसका जरूर विरोध करेंगे क्योंकि इसे लागू करने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हमारे देश में आज जगह-जगह पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी ने भी स्टेटमेंट दी है कि कैसे डाइवर्जन हो रहा है और मैं समझता हूं कि इतने सालों बाद भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हुई है। इस कानून के बनने के बाद लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। सरकार ने जिस तरह से राइट टू इन्फार्मेशन बिल पास किया है, उससे ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हमारे सिस्टम में आ रही है। जीरो हंगर एक्ट बनने के बाद लोगों को और हक मिलेगा। इस एक्ट की सहायता से जहां गरीबों का हक मारा जाएगा, वहां वे इसके लिए संघर्ष कर सकेंगे, बचाव कर सकेंगे। यह कानून ब्राजील में भी लागू किया गया है, अन्य देश भी इसे लागू करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। हमारे देश की आजादी को साठ साल हो गए हैं, और साठ साल की आजादी के बाद हम इस काम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं।

मैं उम्मीद करूंगा कि हम जीरो हंगर एक्ट के साथ ऐसी स्कीम्स बनाएं जिससे कि भुखमरी दूर हो सके। भुखमरी से

ज्यादा बड़ी समस्या कुपोषण की है। जैसा मैंने पहले कहा कि जिस किसी का बचपन में कुपोषण हो जाता है, उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब तक देश के लोगों को पौष्टिक आहार नहीं देंगे, तब तक उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा देश और हमारे देश के नीजवान मजबूत होंगे। यही बात खेलों के संबंध में भी लागू होती है। हमारे देश के बहुत से एथलीट्स और पहलवानों के साथ भी यह समस्या है कि उन्हें जिस तरह से भरपेट डाइट मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जब हम जीरो हंगर एक्ट लेकर आए तब इसका पुरजोर समर्थन करें। हम सब मिलकर इस तरह के किसी सब्जेक्ट में आम सहमति भी बना सकते हैं क्योंकि इस आम सहमति से देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति को, प्रत्येक देशवासी को लाभ मिलेगा। तब हम यह सोचकर चैन की नींद सो सकेंगे कि हमारे देश में हमारा कोई भी भाई-बहन भूखा नहीं सो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सरकार जल्दी ही ऐसा विधेयक लेकर आए जिसे जीरो हंगर लैजिस्लेशन नाम दिया जाए। जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट और कम्यूनल वॉलेंट्स कानून बना है और इसके बनने से पहले इसे किसी तरह से टैकल किया जा रहा था और कानून बनने के बाद व्यापक रूप से इसे डील कर रहे हैं इसी तरह से जीरो हंगर लैजिस्लेशन के बाद हम व्यापक रूप से लोगों की रक्षा कर सकेंगे। इससे हम भारतीयों को हक दिला सकेंगे, प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिलेगी, पौष्टिक आहार मिलेगा और सपनों के भारत में हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। हर व्यक्ति खुशहाल होगा और हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान दे सकेगा। आइए इस तरह से हम सब मिलकर ऐसे भारत की रचना करें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय समापति महोदया, भाई नवीन ज़िंदल जी के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। उन्होंने भुखमरी मिटाने के लिए व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। यह बात सत्य है कि जब इस सब्जेक्ट पर लाठी पड़ी थी तो इसे मैंने ही निकाला था। इस पर बहस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन संसद में व्यवधान के कारण हम इस पर चर्चा नहीं कर पाये

हैं, जबकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज पूरे भारत की आबादी 110 करोड़ के लगभग है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी यहां की करीब 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। यहां पर ऐसा कानून है कि यदि कोई व्यक्ति पेट भरने के लिए रोटी की चोरी करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। आंकड़ों के अनुसार देखा गया है, दुनिया में भूख से हर पांच सैकड़ में एक बच्चे की मौत हो रही है, जिनमें पांच साल से कम उम्र के मरने वाले लगभग साठ लाख बच्चे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आज भी दुनिया में 85.2 करोड़ लोग भूखे हैं और भूख से होने वाली मौतों के ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। समय-समय पर हम लोगों ने संसद में हमेशा इस बात की चर्चा की है कि बेरोजगारी की समस्या कैसे खत्म हो और सबको रोजगार मिले। देश के संविधान में भी इस बात को दर्शाया गया है कि हिन्दुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, गरीब हों, मध्यम वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यह देश के संविधान में उल्लेखित है। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के साठ वर्ष के बाद भी हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमने देश के अंदर क्या खोया है और क्या पाया है। इस बात पर हमें पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ जीन जेगलेयर ने कहा है कि पूरे विश्व में इस समय 85 करोड़ 20 लाख लोग भूख से पीड़ित हैं। इसमें यदि देखा जाए तो चीन के बाद हिन्दुस्तान की आबादी सबसे अधिक है और हिन्दुस्तान में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आज पूरे विश्व के सामने जो स्थिति है, वह मानवता के लिए एक शर्मनाक विषय है। हमें किस तरह से मानवता को बचाना है, इसके लिए हमें गहन अध्ययन करना होगा।

समापति महोदया, भाई ज़िंदल जी ने अभी कहा कि यदि खाद्य वितरण के सही तरीके अपनाए जाएं तो मेरे ख्याल से इसका समाधान संभव है और भूख से मरने वालों की संख्या भी कम हो सकती है। खाद्य, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। यह देखा गया है कि भूख से होने वाली मौतों का मुख्य कारण निम्न भूमि, बढ़ता बंजरपन, ऊसर और बंजर जमीनें हैं। जिन्हें हम खेती योग्य बना सकते हैं। हमने इसी सदन में चर्चा की थी, उसके आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन देखा गया है कि ऊसर, बंजर, बेकार और परती भूमि हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा है कि अगर उसे सही बनाकर गरीबों को दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से हम भुखमरी को कंट्रोल कर सकते हैं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इस तरह से हम भुखमरी को मिटा सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं और वह बड़े गौर से सुन भी रहे हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है जिसके अन्तर्गत भूमि-संरक्षण से संबंधित बंजर या परती जमीनों को बनाने का काम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो सी दिन का रोजगार देने की बात यू.पी.ए. सरकार ने लागू की है, उससे काफी हद तक हमने इस बीमारी से निजात पाया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हमारे देश के मजदूर या किसान हैं जिन्हें हम सी दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं, लेकिन 265 दिन का क्या होगा, इसके लिए भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा।

आज देखा गया है कि ज्यादातर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूर हैं या मजदूर हैं जो मजदूरी ही करते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनका गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मैं बाकी राज्यों के बारे में नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़े शहर में आप देख लीजिए। कोई भी जो चौराहा होता है, रोजाना वहां 400-500 मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। उस इलाके को लेबर चौराहे का नाम दे दिया जाता है। वहां पर आपके अच्छे से अच्छे मिस्ट्री, बढ़ई, राजगीर और तमाम तरीके के मजदूर मिल जाएंगे। ये लोग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आज उनके सामने भी समस्या है। अगर वे अच्छे तरीके से रोज न कमाएं तो अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जो हमारे रोजमर्रा के मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, किसी कारणवश चाहे वह दैवी आपदा से हो या मौसम की मार से हो, अगर एक दिन वह मजदूर नहीं कमाता है तो उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। ऐसे बहुत से परिवार आज भी देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां पर एक समय लोग भोजन करते हैं। आज हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह देखा गया है कि 60 लाख बच्चे पांच वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही कुपोषण और संबंधित बीमारियों के शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। हमारी सरकार समय-समय पर बहुत सारी योजनाएं - बाल सुधार तथा बाल मजदूर से संबंधित तमाम विधेयक यहां पर लाई है और उसमें सुधार भी किया है। बाल मजदूरों के समापन के लिए भी कानून लाई है लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर कहीं भी आप देखिए, चाहे आप ठाबे पर देख लीजिए या शहरों में देख लीजिए कि घर में काम करने वाले या हर जगह देखिए तो ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही आपको मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। इसे दूर करने के लिए मेरा एक सुझाव होगा।

यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। मैं कहा चाहता हूं कि हमें ग्रामीण स्तर पर लघु सिंचाई और कृषि परियोजनाओं में पर्याप्त रूप से निवेश करने की जरूरत है तब जाकर हम भुखमरी और कुपोषण से निपट सकते हैं और निपटने में हमारी सरकार सक्षम हो सकती है। जहां तक देखा गया है कि आज भी अगर पूरी दुनिया की रिपोर्ट ली जाए तो भूख और कुपोषण से रोज 18,000 बच्चे मरते हैं। यह केवल बच्चों की संख्या है। हर रात अगर देखा जाए तो 85 करोड़ लोग आज भी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। यह पूरी दुनिया की रिपोर्ट है जिसमें ज्यादातर संख्या जो देखी गई है, वह भारतवर्ष की है। दुनिया में सबसे ज्यादा दस करोड़ जो कुपोषित बच्चे हैं, वे भारत में पाये जाते हैं। आज हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। समय-समय पर चाहे वह शिक्षा को लेकर हो या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित परियोजनाएं हों, बेरोजगारी पर भी हमने समय-समय पर सदन में बराबर चर्चा की है और घूम-फिरकर वे सारी समस्याएं इसी पहलू पर आकर निर्भर करती हैं कि ग्रामीण स्तर पर कैसे कृषि को मजबूत करें तथा वहां पर हम कैसे रोजगार देने की व्यवस्था करें? इसके लिए हमेशा हमने चर्चा की है और समय-समय पर जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने प्रयास किया है। आज सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे भारत में हैं, अगर दुनिया की रिपोर्ट ली जाए तो आज हमेशा इस बात को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आज केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार है और खासकर यू.पी.ए. में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने तो 40-45 साल शासन किया है।

अगर आज भी ये सारी समस्याएँ हमारे देश में हैं, तो मेरे ख्याल से यह गलत बात है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है। इसलिये हमें मजबूत कानून बनाकर सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आंकड़े सब से ज्यादा हैं तो इस बात की जरूरत है कि भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अभी 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इसी वर्ष में कर रहे हैं। यह कोशिश करनी चाहिये कि हमें ग्रामीण स्तर पर, खासकर कृषि क्षेत्र में ज्यादा आर्थिक स्तर पर मदद देने की जरूरत है, तभी जाकर हम भुखमरी और कुपोषण के शिकार लोगों से अपने देश में निजात पा सकते हैं।

समापति महोदया, मैं श्री नवीन जिन्दल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुये तथा उसे बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): समापति महोदया, मैं अपने मित्र श्री नवीन जिंदल का पहली बार आने पर इस समा

में यह संकल्प पेश करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशा है कि युवा लोग हमारे देश के निर्धन लोगों को नहीं भूलेंगे। यह एक अच्छा संकेत है कि उन्होंने इस मुद्दे को सभा में उठाया है।

मुझे याद है, जब मैं पहली बार 1980 में सदस्य बनकर आया था तो मैंने युवा विधेयक और काम का अधिकार नामक महत्वपूर्ण विधेयक सभा में पेश किए थे। इस पर चर्चा हुई थी पर आज तक इसे सही मायनों में लागू नहीं किया गया है। श्री रघुवंश प्रसाद ने 'आर.ई.जी.ए.' के रूप में कुछ काम का अधिकार दिया है लेकिन काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाने का सपना हमारी युवा पीढ़ी के लिए अब भी अधूरा है। मेरा एक और विधेयक जो कृषि कर्मकार अधिकारों के बारे में है, अगले सप्ताह चर्चा के लिए लिया जा रहा है। हमने देखा है कि 'गरीबी हटाओ' जैसे अनेक नारे या निर्धन लोगों के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू करने के बावजूद हमारे देश का यह वर्ग हमेशा से उपेक्षित है। हमें अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। श्री नवीन जिन्दल ने कतिपय आंकड़े देकर इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

कुपोषण और खाद्य सुरक्षा का अभाव तीसरे विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश की भी मुख्य समस्या है। यह बताया गया है कि कैसे विश्व के 85 करोड़ लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। हम अनेक बार भूख से हुई मौतों के बारे में सुनते हैं लेकिन इससे कोई सहमत नहीं होता है। यदि हम भूख से हुई मौतों के बारे में इस मुद्दे को सभा में उठाते हैं तो सरकार यह कहकर इसे टालने का प्रयास करेगी कि यह भूख से हुई मौत नहीं बल्कि कुपोषण या किसी अन्य रोग से हुई मौत है। सरकार इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगी कि देश में भूख से मौतें होती हैं। हमने अनेक स्थानों पर ऐसा होते देखा है।

खाद्यान्न की अपर्याप्त उपलब्धता इसके मुख्य कारणों में से एक है। वर्ष 1955 में, हमारे देश की जनसंख्या आज की तुलना में आधी थी। उस समय, हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 440 ग्राम खाद्यान्न मिलता था। दस वर्ष बाद, वर्ष 1965 में, हमें प्रति दिन प्रति व्यक्ति 480 ग्राम खाद्यान्न मिलता था जो वर्ष 1988 में 494.5 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गया। यह मामूली-सी बढ़ोतरी थी। वर्ष 1995 में यह घटकर 475 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गया। वर्ष 2002 में इसमें कुछ वृद्धि हुई और आंकड़ा 494 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गया लेकिन 2005 में यह आंकड़ा 422 ग्राम तक पहुंचा है। इसलिए, वर्तमान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता वर्ष 1955 के मुकाबले कम है। इसलिए आपका यह प्रस्ताव ठीक है कि हमें वर्ष 1955 में आज की तुलना में कहीं अधिक प्रति व्यक्ति

खाद्यान्न मिल रहा था। उत्पादन में वृद्धि हुई है और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। लेकिन घटिया वितरण और अन्य बातों के कारण इस प्रकार की चीजें हो रही हैं।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, वर्ष 2002 में, साल भर में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न वितरण 189.5 किलोग्राम था तथा वर्ष 2005 में यह घटकर 170 किलोग्राम हो गया है। वर्ष 1999 में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल का आंकड़ा 9 किलोग्राम था जो वर्ष 2003 में घटकर 72 किलोग्राम हो गया। चीनी, सब्सिजों, घाय, कॉफी आदि के मामले में भी यही स्थिति है। इसलिए, खाद्यान्नों के इन सभी वस्तुओं में कमी हुई है। इसलिए यह कोई स्वस्थ विकास नहीं है और यह धिता का विषय है जैसा कि संकल्प में उल्लेख किया गया है।

एन.एफ.एच.एस. ने 29 राज्यों में एक सर्वेक्षण किया था जिसने एक धिताजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें बताया गया है कि तीन वर्ष से नीचे की उम्र के 45.9 प्रतिशत बच्चों का वजन या तो सामान्य स्तर से कम है या वे कुपोषण के शिकार हैं। 2005-2006 के दौरान, 57.9 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पायी गई। यदि मां, खून की कमी से ग्रस्त हो तो बच्चा मजबूत नहीं बन सकता। जहां तक 15 से 49 वर्ष की आयु सीमा में आने वाली विवाहित महिलाओं का संबंध है, उनमें से 56.1% महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त हैं। छह माह से 36 माह के आयु वर्ग में आने वाले 79 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। इसका आंकड़ा केरल में सबसे कम तथा मध्य प्रदेश और झारखंड में सबसे ज्यादा है। केरल का आंकड़ा अच्छा है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नहीं एक मिन्न स्थिति का सृजन हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड तथा अन्य राज्यों में पिछड़ापन अधिक है। यह एक गंभीर स्थिति है और संपूर्ण देश को इसकी धिता करनी चाहिए। कभी-कभी हम सभा का तीन से चार घंटे का समय बर्बाद कर देते हैं परन्तु ऐसी गंभीर समस्याओं पर चर्चा नहीं करते। यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो इसका समाधान नहीं ढूँढ पाएंगे। हम इन समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा है, हमें पर्याप्त निधियों, उचित आयोजना, पर्याप्त खाद्यान्नों आदि की जरूरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम गरीब लोगों तक भोजन पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह प्रणाली समुचित ढंग से काम नहीं कर रही है और वर्तमान में यह छिन्न-भिन्न है। केरल राज्य ने कहा है कि वे देश के लिए समप्त नकदी फसलें उपजाता है। इसलिए, उन्हें भोजन उपलब्ध कराना सम्पूर्ण देश की जिम्मेदारी है क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त खाद्यान्न दिया

[श्री हन्नान मोल्लाह]

जाएगा। लेकिन अब इसमें कमी कर दी गई है और उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इन दिनों, हम अपने लोगों, अपने बुद्धिजीवियों की बातें नहीं मानते बल्कि विश्व बैंक पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए हैं। हम अमेरिकी और ब्रिटिश लोगों द्वारा कही गई बातों का ही अनुसरण करते हैं। हम बिल्कुल पशुओं की भांति उनकी बात मानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन हमने इस पुराने विचार को अस्वीकार कर दिया है और हमने केवल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था स्वीकार कर ली है।

पूर्व में, सार्वभौमिक राशन प्रणाली थी। लेकिन अब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण काफी अधिक लोग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए हैं। कोई भी सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह देख सकता है कि किसी गांव में ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से ठीक स्थिति में है और जिसके पास साइकिल अथवा रेडियो है और डाक घर में खाता है, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपना नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची शामिल करवा लेता है जबकि एक मजदूर जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची से हटा दिया जाता है। इसलिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिद्धान्तों को सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। गांव के प्रभावी लोग अपने एजेंटों को ले जाकर अपना नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में शामिल करवा लेते हैं जबकि ऐसे लोग जिन्हें इस काम में सहायता करने वाला कोई नहीं है, वे अपना नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल नहीं करवा पाते। इसलिए, जिन लोगों को वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता की जरूरत है वे इस प्रणाली से बाहर कर दिए जाते हैं। इन लोगों को भोजन कैसे मिलेगा?

भारतीय खाद्य निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। माननीय मंत्री जी ने किसी दिन 14 राज्यों के आंकड़े बताते हुए यह कहा था कि 28 राज्यों में से 14 राज्यों में खाद्यान्न को दूसरी जगह भेज दिया जाता है। 14 राज्यों में यह स्थिति है; शेष राज्यों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से बढ़िया खाद्यान्न बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और ऐसे ही अन्य राज्यों को भेजा जाता है। यह एक विचित्र अनुभव है कि केन्द्रीय खाद्य भाण्डागार के प्रारम्भिक स्थल से लादा गया बढ़िया खाद्यान्न स्थानीय भाण्डागारों में उतारे जाते समय सड़े हुए खाद्यान्न में बदल जाता है। अच्छा खाद्यान्न बाजार में बेच दिया जाता है। यह एक बहुत गंभीर

स्थिति है। इस तरह के गलत काम को रोकने के लिए सारे संबंधित तंत्र को मिलकर काम करना चाहिए। यह विभिन्न स्तरों पर भारी भ्रष्टाचार के कारण ही संभव है। गरीब लोगों के लिए आया खाद्यान्न कालेबाजार में भेज दिया जाता है और गरीब लोगों के बीच वितरण हेतु केवल सड़ा हुआ खाद्यान्न ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार का भोजन खाने वाले लोगों, जिनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबकों के लोग होते हैं, का बीमार हो जाना निश्चित है। हम ऐसी चीजें कैसे होने दे सकते हैं?

इसके अतिरिक्त, हमें देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के समाचार मिले हैं। जैसा कि बताया गया है लगभग 70 से 80 लोगों ने जिन्दा रहने के लिए लगभग 2 से 3 वर्षों तक पेड़ों की जड़ें खाईं और अन्ततः उनकी मौत हो गई। हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में क्या हो रहा है। उन स्थानों पर जाने पर वहां केवल बूढ़े पुरुष और महिलाएं ही मिलेंगे। पुरुष लोग उन स्थानों को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उस क्षेत्र में न तो काम है और न भोजन। जनजातीय क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। उनकी सबसे ज्यादा अपेक्षा की गई है। वे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता।

मेरे मित्र गरीब लोगों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहे थे। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही कार्यक्रम हैं। मैं नहीं समझता कि इतने सारे कार्यक्रमों की कोई जरूरत है। मैं समझता हूं कि केवल दो या तीन कार्यक्रम लेकर उन्हें ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इतने अधिक कार्यक्रमों का मतलब है इतने सारे मंत्रालयों; विभिन्न विभागों, विभिन्न कर्मचारियों और विभिन्न अनुभागों का शामिल होना और विभिन्न प्रकार की लूट। कार्यक्रमों से जुड़े प्रत्येक अनुभाग को लूट करने का मौका मिलेगा। दो से तीन कार्यक्रम होने की स्थिति में, लूट केवल दो से तीन अनुभागों तक सीमित रहेगी; यदि एक प्रतिशत हिस्सा लूट में चला जाएगा तो शेष 99 प्रतिशत हिस्सा तो उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए वह आया है। यदि 100 चैनल होंगे तो प्रत्येक चैनल से लूट होगी। अधिकारी लोग अपने मंत्रियों को खुश करने की जुगत में कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। यही अधिकारी तंत्र का वास्तविक स्वरूप है। उन्हें अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होती है क्योंकि उन्हें तनख्वाह मिलती है। वे एक नया कार्यक्रम बनाएंगे और मंत्री को उस स्कीम या कार्यक्रम की उपयोगिता और महत्व के बारे में संतुष्ट कर देंगे। मंत्री सामान्यतः उनकी बुद्धिमता का विरोध नहीं करते क्योंकि वे बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। वे अधिकारियों द्वारा बताए अनुसार कार्यक्रम की उपयोगिता से संतुष्ट हो जाते हैं और स्कीम का अनुमोदन कर देते हैं और फिर प्रति वर्ष 15

अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री लाल किले की प्राचीर से उन स्कीमों की घोषणा कर देते हैं। विभिन्न दलों के दिवंगत नेताओं को अमर बनाने के लिए उनके नाम पर स्कीमों का नाम रख दिया जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश, घोषित किए गए ऐसे 90 प्रतिशत कार्यक्रम सफल नहीं होते। स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि यदि दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता है तो वास्तविक लाभान्वितों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। बिचीलिए बाकी सारा हिस्सा ले जाते हैं। इसलिए, ये चैनल बंद कर दिए जाने चाहिए और केवल एक या दो चैनल होने चाहिए और केवल दो या तीन मुख्य कार्यक्रमों को ईमानदारी से कार्यान्वित किए जाने के लिए लिया जाना चाहिए।

ऐसे बहुत से गरीबी मिटाओ कार्यक्रम हैं जो वास्तव में गरीबी का उन्मूलन नहीं करते और ये जनता को मूर्ख बनाने का तमाशा मात्र हैं। प्रत्येक सरकार दर्जनों कार्यक्रमों की घोषणा करती है। ये कार्यक्रम जनता की सहायता नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ हमें इन बातों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और इन सभी कार्यक्रमों को मिलाकर पोषण, खाद्यान्न आपूर्ति और पेयजल से संबंधित दो या तीन बड़े कार्यक्रम बनाने होंगे। हमें गरीबी और कुपोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी होगी।

आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि हमें कानूनी समर्थन मिलना चाहिए जो जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि श्री नवीन जिन्दल ने एक विस्तृत कानून का प्रस्ताव किया है। यदि जीरो-हंगर विधान के बारे में सोचा गया है तो इससे जनता को मदद मिलेगी। उन्होंने सामान्य सुझाव दिए हैं। लेकिन हमें अपने योजना आयोग, अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और उनकी सिफारिशों के आधार पर हम 'जीरो-हंगर' पर आधारित एक विस्तृत विधान तैयार कर सकते हैं। हमने अपनी समस्त निधियों को गरीबी मिटाओं निधियों के लिए लक्षित कर दिया है। इन निधियों को जुटाया जाना चाहिए और केवल तभी हमें इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आजादी के 60 वर्ष पश्चात् भी, हम यह अफसोस कर रहे हैं कि हमारे लोगों को उचित पोषण और भोजन नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ, सरकार इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, विशेषज्ञों से सलाह करेगी और एक विस्तृत 'जीरो-हंगर' विधेयक लाएगी और सभी अप्रयुक्त और अनुपयोगी कार्यक्रमों को छोड़ते हुए किसी विशिष्ट कार्यक्रम के साथ इसका कार्यान्वयन करेगी ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हम भूख और गरीबी का उन्मूलन करने में सफल होंगे।

महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय सांसद, श्री नवीन जिन्दल को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सदन में 'सरकार देश में पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और उसे लागू करने के संबंध में' संकल्प प्रस्तुत किया है। देश की आजादी के 60 वर्षों के बाद भी आज देश की 40 से 50 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है। देश में प्रारम्भ से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और अब तक लगभग 45 वर्षों तक उसने ही देश पर राज किया है। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने प्रारम्भ से ही ऐसी योजना बनाई होती, जिससे गांवों में रहने वालों को सही मायने में भोजन मिलता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती।

महोदया, गांवों के लोग और उनके बच्चे ही अधिकांशतः गरीबी और कुपोषण के शिकार हैं। गांवों के बच्चों में कुपोषण के कारण अंधता का प्रतिशत शहरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। कुपोषण के कारण ही वे ज्यादातर विकलांग होते हैं। सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार उन्हीं लोगों को होना पड़ता है। गांवों में पिछड़े, दलित और अकित्यत के लोगों को भुखमरी तथा कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा होना पड़ता है। देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति चाहे फिर वह किसी भी वर्ग या समाज का हो, उसे न खाने को मिलता है, न दवाई मिलती है, न शिक्षा मिलती है और न रहने को घर मिलता है। बी.पी.एल. के लोगों को ही गरीबी और भुखमरी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है। इसलिए सरकार को देश के 40-50 करोड़ गरीब लोगों की भुखमरी को दूर करने पर निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदया, देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य बिहार है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैंने उनसे पहले भी आग्रह किया था और आज फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि गरीबी के मामले में बिहार राज्य को 13 अंक दिए गए हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों को 20 अंक दिए गए हैं। जब तक बिहार में बी.पी.एल. के अंक नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक बिहार की गरीबी और भुखमरी, दूर होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बिहार को बी.पी.एल. के अन्तर्गत 20 से 25 अंक दिए जाएं, तब जाकर बिहार की गरीबी और भुखमरी की समस्या दूर होगी।

[श्री सुकदेव पासवान]

अपराहन 5.00 बजे

सभापति महोदया, अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना के तहत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को लाभ मिलता है। लेकिन असलियत में बड़े-बड़े सेठों, साहूकारों के गोदामों में गरीबों के हिस्से का अन्न चला जाता है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, वे पूरी तरह से इन योजनाओं पर अपना नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं। इस कारण गरीब लोगों को अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना के तहत जो सामान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि गेहूं को विदेश से आयात किया जाता है। अगर किसान को फसल का उचित मूल्य मिले, तो निश्चित रूप से वह अधिक अन्न पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हम जानते हैं कि गांव में किसान किस तरह से गेहूं और अन्य चीजों की खेती करते हैं। साहूकार से पैसा लेकर या बैंकों से ऋण लेकर किसान अपनी फसल उगाता है। ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो वह अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है। अगर फसल अच्छी भी होती है, तो भी उसे फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है। इस बजट में भी सरकार को निश्चित रूप से खाद की कीमत घटानी चाहिए थी। सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए था। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश में भुखमरी की समस्या निश्चित रूप से होगी। मंत्री जी चाहे जितना भी लुभावना बजट बना लें, जनता को जितना भी ठग लें, जब तक सही मायने में किसान के हित की बात नहीं होगी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के हित की बात नहीं होगी, तब तक यह देश खुशहाल नहीं होगा।

सभापति महोदया, रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में चल रही है, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में देखते हैं, तो पाते हैं कि यह योजना हमारे ज्यादातर जिलों में सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति को साल में सौ दिन गारंटीड रोजगार उपलब्ध करवाना है, लेकिन यह व्यवस्था अभी कई राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। एक संकल्प पारित हो कि अगर कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसके लिए एक निश्चित राशि मुआवजे के तौर पर दी जाए।

सभापति महोदया इंदिरा आवास योजना में भी लूट हो रही है। पहले जो राशि 20 हजार रुपये थी, उसे बढ़ा कर 25

हजार कर दिया गया है। अगर कोई एक शौचालय भी बनाता है तो 40 से 50 हजार रुपये खर्च होता है। इंदिरा आवास में सिर्फ 25 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार कम से कम 50 हजार रुपये इंदिरा आवास योजना के माध्यम से दे क्योंकि इस 20-25 हजार रुपये में से 8-10 हजार रुपये घूस ले लेते हैं। गरीब ऐसे में कैसे अपना आवास बना पाएगा? इसमें इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लाभार्थी को सीधा इसका पैसा मिले जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सीधे लाभार्थी के एकाउंट में चला जाता है, उसी तरह से इंदिरा आवास योजना में भी लाभार्थी के अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए ताकि उसे किसी को घूस न देनी पड़े।

महोदया, गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण कपड़ा नहीं ले पाता है, दवाई नहीं खरीद पाता है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाता है। सबसे ज्यादा गरीबी की मार बी.पी.एल. के आदमी पर पड़ती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कोई भी गरीब आदमी शिक्षा से वंचित न रहे। प्रत्येक आदमी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक ब्लॉक में गरीब आदमी के लिए आवासीय विद्यालय खुलना चाहिए जिसमें प्राथमिक से लेकर कम से कम मैट्रिक तक प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जाये।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदया, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, गम्भीर भी है और संवेदनशील विषय भी है। पहली बार सदन में मैं माननीय सदस्य नवीन जिन्दल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नये सदस्य होकर जो बेसिक निडर्स हैं, आज देश के सामने जो बुनियादी जरूरत है, उसमें भी जो लास्ट मैन ऑफ दि सोसायटी है, जो समाज का अन्तिम आदमी है, जो भूख से पीड़ित होता है, जो खासकर के कुपोषण का शिकार होता है। उस तबके के संबंध में सरकारी संकल्प लाए हैं।

आज देश में पता है, जो भी डाटा ये लोग लगा रहे हैं कि दो वक्त रोटी कितने लोग खाते हैं। कई बार एन.एस.एस. (नेशनल सैम्पल सर्वे) द्वारा प्लानिंग कमीशन का सर्वे हो चुका है। 1993 में सर्वे हुआ, 1999 में सर्वे हुआ और 2002 में सर्वे हुआ। सर्वे के मुताबिक एक बार तो बी.पी.एल. को 16 परसेंट कर दिया था कि जो बी.पी.एल. का एस्टीमेट है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का, वह 16 परसेंट है। आखिर भुखमरी से प्रभावित कौन होते हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा,

फोकस ऑन पुअर, इसका एक टारगेटिड एरिया है, एक संवर्ग है, जिसको भुखमरी का शिकार होना पड़ता है। गरीबी की रेखा से जो लोग नीचे हैं, वे ही भुखमरी के शिकार होते हैं। इस गरीबी की रेखा का भी जो समय-समय पर प्लानिंग कमीशन के तहत एस्टीमेट बनाया जाता है, उसमें 1993 से लेकर अभी तक डिफरेंट फीगर्स आई हैं। 1993 में 16 परसेंट था। आपको आश्चर्य होगा कि जब 1996-97 में प्लानिंग कमीशन से इसका एस्टीमेट आया, उस समय में तत्कालीन वाइस चेयरमैन प्रो. मधु दण्डवते थे, जो स्वर्गवासी हो गये, जो इस देश के बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने जब राज्यों में एनेलिसिस कराया, यहां से अधिकारी गये, सैम्पल सर्वे लिया गया कि कितने लोगों को दो वक्त की रोटी दाल मिल पाता है, यह जो भुखमरी का सर्वे किया, मैं अभी जिन्दल जी को धन्यवाद दे रहा था और देख रहा था कि मूवर कहां हैं, मैं उनको खोज रहा था। मैं आज आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्राइवेट संकल्प आपने सदन के सामने रखा है। मैं उनको धन्यवाद देते हुए आज भुखमरी का टारगेटिड जो एक संवर्ग है, जो बी.पी.एल. में है, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मैं आपसे बता रहा था कि 1996-97 में जो बी.पी.एल. का एस्टीमेट बना, उसमें 35.95 हुआ, मतलब 36 प्रतिशत लोग गरीबी के रेखा के नीचे आंके गये। सर्वे होकर एनेलिसिस हुआ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन बी.पी.एल. का एस्टीमेट देती है, फूड मिनिस्ट्री नहीं देती है। हमारे राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, फूड मिनिस्ट्री का यह काम नहीं है, प्लानिंग कमीशन यह सर्वे कराता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑन दि बेसिस ऑफ लकड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप, यह एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत पैरामीटर्स के तहत सर्वे किया गया। आपको ताज्जुब होगा कि 1997 में गरीबी की रेखा के नीचे 35.97 प्रतिशत लोग इस देश के अन्दर थे, मतलब लगभग 35 करोड़ लोग और जब 2002 में एनेलिसिस हुआ तो माफ करेंगे, यहां हमारे एन.डी.ए. के दोस्त भी हैं, अभी माननीय सुखदेव पासवान जी बोले हैं तो उसे 2002 में घटाकर 26 परसेंट कर दिया, गरीबी नहीं घटी, पावर्टी नहीं घटी, पावर्टी उन्मूलन के चलते जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, उनकी संख्या घटा दी गई, इतनी जगलरी इस देश में गरीबों के साथ होती है। एक बड़ा भारी अन्याय डाटा बनाने में भी हो रहा है, एक्सप्लायटेशन हो रहा है। उसमें गरीबों की संख्या कम कर दी गई। 2002 में संख्या कितनी घटा दी गई, कहा कि 26 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और आज वही 26 परसेंट चल रहा है। प्लानिंग कमीशन में 2002 में जो सर्वे हुआ, वही 26 प्रतिशत का सर्वे अभी चल रहा है, लेकिन क्या यह हकीकत है, क्या यह सच्चाई है, क्या यह वास्तविकता है, नहीं। आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर एक तो एनेलिसिस का

जो फार्मूला है, उसमें रियल नहीं हो सकता है, उसमें एप्रोच टू दि रियल हो सकता है, लेकिन 36 परसेंट से 10 परसेंट गरीबी की रेखा घटाकर 26 परसेंट कर दिया और प्लानिंग कमीशन आज 26 प्रतिशत पर पूरे देश की योजना बना रहा है।

अभी मैं टी.पी. में नवीन जिन्दल जी को सुन रहा था कि बहुत से पावर्टी एलिमिनेशन कार्यक्रम देश के अन्दर जो केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं, सही मायने में योजना की इंटेंशन, नीयत यू.पी.ए. सरकार की तो है कि गरीब अपलिफ्ट हो। हमारे देश के गरीब भुखमरी से न मरे और कुपोषण का शिकार न हो। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? इसीलिए मैं इस बात का जिक्र यहां कर रहा हूँ। नवीन जिन्दल जी ने जीरो हंगर एक्ट लाने के सवाल का उठाया है। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। इस महत्वपूर्ण मामले में महात्मा जी ने कहा था कि जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो, जिसका पेट भरने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं हो, उसका जो शासन, व्यक्ति या व्यवस्था पेट भर देगी, वही उसका ईश्वर है, खुदा है, भगवान है और उसके लिए ईश्वर का दर्शन उसी में है। जब पेट की ज्वाला अतृप्त होती है, तो आदमी सबसे ज्यादा जरूरी अपना पेट भरना समझता है। उस समय दुनिया में उसे और कोई काम नहीं सुझता है। इंसान के सामने उस समय अंधकार हो जाता है। आम-आदमी को कितना भोजन चाहिए? एक सर्वे के अनुसार 2700 कैलोरी तापक्रम का भोजन चाहिए। किस गरीब आदमी को 2700 कैलोरी का भोजन मिलता है? बड़े लोगों के पास तो कैलोरी ज्यादा भी हो जाती है। उन्हें शुगर, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर डाक्टर उसे भी मना करता है कि दूध है लेकिन तुम आधा गिलास ही पियोगे, रोटी है, लेकिन सिर्फ एक सादी रोटी खाओगे, घी नहीं खाओगे। प्रकृति ने उनके लिए भी सजा उपलब्ध करा दी है। आज गरीब के पास रोटी है, तो नमक नहीं है। यह सजा बहुत ही गलत है। व्यवस्था को यह देखना है कि उन्हें नमक जरूर मिले। दाल जैसा पोष्टिक आहार उन्हें जरूर मिलना चाहिए। चना या अन्य पोष्टिक चीजें उसे जरूर मिलनी चाहिए, जिससे उसके शरीर में खून बने। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी इंसान के शरीर में खून नहीं बनता है, उस व्यवस्था के खिलाफ देश में गुस्सा नहीं है। यदि खून हो जाए या इंसान कहीं कट जाए, तो कोहराम मच जाता है। हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जहां इंसान कट गया है। आज दो दिनों से हाउस स्टाल है, क्योंकि नंदीग्राम में इंसानों पर गोशियां चली हैं। इससे काफी चिंता है और लोगों को चिंता होनी भी चाहिए। मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि इसके लिए चिंता और गुस्सा होना चाहिए, लेकिन इसके समाधान के लिए

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

उपाय भी खोजना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में 55 पुलिसकर्मी मारे गए, जो व्यवस्था की सिक्योरिटी के लिए थे। वहां आदिवासी लोग भी थे। उनको ट्रेंड किया गया था और हथियार दिया गया था। उन्हें ट्रेंड करके नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाया गया था, लेकिन उनको वहां मार दिया गया। जब सड़क पर खून बहता है और इंसान कट जाता है, तो काफी गुस्सा फैलता है। लेकिन आज जो व्यवस्था और कानून बनाने की मांग की जा रही है, क्या कारण है जिसकी वजह से इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। खून बहे, तो कोहराम मच जाए, किंतु खून शरीर में नहीं बने, तो कुछ न हो। जब तक उस व्यवस्था पर भी गुस्सा नहीं होगा, तब तक जो यह कानून बनने वाला है, इसका कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इस बात को प्राथमिकता देनी होगी। चाहे व्यवस्था हमारे हाथ में हो या उनके हाथ में हो। मैं एक बुनियादी सवाल सदन में उठा रहा हूं। यह ठीक है कि कानून के बारे में उनका सुझाव है। लेकिन गुस्सा कैसे आएगा? सारे भूखे लोग अनआर्गनाइज्ड हैं। उनका कोई संगठन नहीं है। यदि गरीब लोग, सीमांत किसान, असंगठित मजदूर संगठित होते, तो व्यवस्था झुकती। व्यवस्था इसीलिए नहीं झुकती है, क्योंकि पापुलेशन स्कैटर्ड है। जो भूख से पीड़ित लोग हैं, जो आज कुपोषण के शिकार हैं, वे असंगठित हैं। इनकी कोई जमात नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है। इसीलिए उनको ताकत नहीं माना जाता है। लोकतंत्र में जिसके पास समर्थन होता है, उसी के पास सच खड़ा हो जाता है। लोकतंत्र में हरिश्चंद्र का सच नहीं चलता है। मैं यह बात सदन के रिकार्ड में लाना चाहता हूं। हरिश्चंद्र का सच किताबों और लाइब्रेरी में चल सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में, राजनीति में सच वही होगा, जिसके पक्ष में समर्थन होगा। आज गरीब के पक्ष में समर्थन नहीं है, न संगठन है और न ही गरीबों में एकता है। हमारे वामपंथी भाइयों ने बहुत से स्लोगन दिए कि दुनिया के गरीब एक हो जाओ, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। [अनुवाद] माडसे तुंग ने कहा था "शक्ति से सत्ता मिलती है" [हिन्दी] वह एक जमाना था, यहां दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और उनमें बैलेंस करना होगा। भूख मिटाने की व्यवस्था में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस संबंध में कानून बनाना होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा और मॉनिटरिंग करनी होगी। हमारे यहां बहुत सी योजनाएं बनी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना किन लोगों के लिए है? उन गरीब लोगों के लिए है जो भूमिहीन मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं। एक अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। यू.पी.ए. सरकार में बहुत क्रान्तिकारी बिल पास हुआ और एक्ट बना। यदि इस एक्ट के अनुपालन का हिसाब लगाएं तो डेढ़ साल में किसी इलाके में

14-15 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है। इस बजट में 200 से 330 जिलों के लिए प्रावधान किया गया है। यदि किसी जिले में परसैंटेज का एनालेसिस किया जाए तो 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत मिलेगा। इसका क्या मतलब है, 85 प्रतिशत का क्या होगा? इसमें 85 प्रतिशत मजदूर शामिल नहीं हो रहे हैं यानी इस कानून का लाभ 85 प्रतिशत मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। वह कैसे मिलेगा? हन्नान मोल्लाह जी ने ठीक कहा था कि योजना का 15 प्रतिशत लाभ ही मिल पाता है। मैं यहां कह रहा हूं कि अभी जो एक्ट आया है, उसका लाभ भी 15 प्रतिशत से ऊपर नहीं मिल पाया। गरीब व्यक्ति औसत उम्र से पहले मर जाता है और इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन पर पड़ रहा है। आज अनाज का ट्रेंड लो क्यों हुआ? ठीक है, मौसम ठीक हो जाता है तो ट्रेंड ठीक लगता है। हम मौसम पर डिपेंड करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की औसत उम्र 65 वर्ष है तो वह मजबूरी में, खाने के अभाव में, कुपोषण के चलते 40-45 की उम्र में मर जाता है। क्या इससे राष्ट्रीय उत्पादन पर कुप्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति औसत उम्र से पहले मर जाता है?

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी श्रमशक्ति है। आज भी हम दुनिया में अपने हुनर के चलते जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसी कारगरकारी, हुनर दुनिया में और कहीं नहीं है। बड़े-बड़े ठेकेदार यहां से मजदूरों को विदेशों में ले जाते हैं। गांव में एक कहावत है - मन चंगा तो कटीती में गंगा। मन चंगा किसका होगा - रिक्शा, ठेला चलाने वाला व्यक्ति, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर का, जो पूरे देश के महल बनाते हैं, दिल्ली में पुल आदि बनाने के कार्य में कंस्ट्रक्शन लेबर असंगठित मजदूर हैं। पूरे देश की दीलत कौन पैदा करता है? पूरे देश में असंगठित मजदूर दीलत पैदा करता है। वह कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। ईंट-भट्टे में कार्य करता है, रिक्शा चलाता है, पटरी पर फल बेचकर अस्पतालों में पहुंचाता है, अखबार बेचता है, अनाज पैदा करता है, मिट्टी, खेत-खलिहान में मेहनत करके इस देश में दीलत पैदा करता है। जो दीलत पैदा करने वाला व्यक्ति है वही दो वक्त की रोटी नहीं खा पाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए पुरानी कहावत - मन चंगा तो कटीती में गंगा - जब तक पेट चंगा नहीं होगा तब तक इंसान का मन चंगा नहीं हो सकता। कहने में अच्छा लगता है लेकिन जब तक रिक्शा चलाने वाले, हल चलाने वाले व्यक्ति का पेट चंगा नहीं होगा, तब तक मन चंगा हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है।

मैं समझता हूं कि जो सोशल सिक्योरिटी है, आज अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में 93 प्रतिशत वर्कफोर्स है और मात्र 7 प्रतिशत वर्कफोर्स ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में है, मतलब 37 करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं जो भूख के शिकार होते हैं, जिन्हें

कुपोषण है। 37 करोड़ लोगों के लिए कोई सोशल सिव्योरिटी नेटवर्क नहीं है। आज कानून की मांग क्या है? हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा ईशू उठाया है। यू.पी.ए. के सी.एम.पी. में ऐसा कानून बनाने के बारे में लिखा है और आज कहा जा रहा है कि वह विचाराधीन है। जब प्रश्न उठता है तो कहा जाता है कि विचाराधीन है, इस सेशन में लिया जाएगा।

आप देख लीजिए कि इस सेशन यानी 22 मई तक इसके लिए बिल आता है या नहीं? असंगठित मजदूर की सोशल सिव्योरिटी नेटवर्क और उसके वेल्फेयर के लिए अभी तक कितने कमीशन थे? वर्ष 2002 में अम्बरेला फॉर अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए लेबर कमीशन बना। अभी श्री अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक लेबर कमीशन बना जिसने 16 मई, 2006 को अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी के सुपुर्द कर दी। अभी तक वह रिपोर्ट सदन में नहीं आई है और उसके लिए एक्ट भी नहीं बना है। इस संकल्प का ठीक प्रस्ताव है इसलिए इसको उससे जोड़ दिया जाये। कम से कम 37 करोड़ अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए, 93 परसेंट वर्क फोर्स जो इस देश में है, उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन बने। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य की जो मांग है, वह अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। इस संकल्प की मंशा और उद्देश्य उसमें फलीभूत हो जाये क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जो पलायन हो रहा है, वह एक कारण है। आज आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में गरीबी बेरोजगारी के चलते है। आज पावर्टी ऐलीवेशन की बहुत चर्चा चलती है। इस सब के बारे में डिटेल् से बताने का समय नहीं है क्योंकि इस पर अभी और भी माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।

अंत में, मैं एक महत्वपूर्ण बात सदन में रखना चाहूंगा। आज सभी चीजों के दाम बढ़े हैं चाहे लोहा हो।... (व्यवधान) सुकदेव पासवान जी, जब बोल रहे थे, तब मैं टी.वी. पर उनकी बात सुन रहा था। आज समाज का जो अंतिम आदमी है चाहे वह आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग या हिली एरियाज अरुणाचल प्रदेश आदि का रहने वाला हो, उन दुर्गम क्षेत्रों में आज तक उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी है। दाल, सब्जी आदि सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ रही है। आज किसी राज्य में मिनिमम वेजेज 62 रुपये, किसी राज्य में 72 रुपये और किसी राज्य में 75 रुपये है। यह देश के सामने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आज जो लोग अनाज पैदा करके पूरे देश की जनता और देश की सरहद पर तैनात जवानों को खाना खिलाते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ रही है। लोहे, सीमेंट आदि कारखाने

के माल के दाम दस गुणा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी अपना खून और पसीना बहाकर देश की दौलत पैदा करता है, उस आदमी की आज न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ रही है। यहां पर सरकार के लोग बैठे हुए हैं। हम भी सरकार में हैं। आप बताइये कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं? क्या इस बारे में कोई प्रयास हुआ है? हमारा कहना है कि आप राज्यों को इस बारे में सर्कुलर दीजिए। आप राज्यों को अनाज देना बंद करिये। आज फूड सिव्योरिटी बहुत बढ़ा सवाल है। सभी राज्यों में इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। आप भी केन्द्र में इलैक्टेड होकर आए हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास अनाज की कमी है इसलिए यदि आप न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाते तो हम अगले महीने से अनाज की सप्लाई कट कर देंगे। फिर देखिये कि कैसे न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ती। आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 2400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी, तो इस बात पर बवाल मच गया। पूरे कारपोरेट जगत के लोग हड़ताल करने लगे यानी गरीबों की जब न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी, तो हड़ताल हो जायेगी। जब कारखानों के माल का दाम बढ़ेगा, तो उसका स्वागत होगा। बजट में भी विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। मैं बड़े दर्द के साथ इस सवाल को उठा रहा हूँ। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा। मैं दिल से इस बात को बोल रहा हूँ कि गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? अभी जिंदल जी ने कहा कि जीरो हंगर एक्ट बने। गरीबी उन्मूलन के लिए हमने बहुत कार्यक्रम चलाये। आपने स्वर्ण जयंती योजना आदि कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बताया। गरीबी उन्मूलन तभी हो सकता है जब लोगों को रोजगार मिले और क्रयशक्ति बढ़े। आज उनकी क्रयशक्ति घट रही है। यदि महंगाई बढ़ेगी, तो गरीबों की परचेजिंग कैपेसिटी घट जायेगी। यह गरीब पर एक तरह से टैक्स है। जब चीजों महंगी होंगी तो सब लोगों पर एक नये प्रकार का अघोषित टैक्स लग जायेगा क्योंकि जो सामान वह पहले 10 रुपये में खरीदता था, उसे अब पन्द्रह रुपये में खरीदना पड़ेगा। इस तरह उसमें पांच रुपये का टैक्स हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक गरीबों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, रोजगार के अवसर नहीं खुलेंगे तब तक पावर्टी ऐलीवेशन कहना बकवास है।

पावर्टी ऐलिविएशन तब होगा जब हर इंसान की क्रय-शक्ति बढ़े। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, किसी रोजगारोन्मुखी योजना के माध्यम से आदमी रोजगार में लगेंगे तभी गरीबी घटेगी। क्या आज रोजगार बढ़ा है, क्या लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है? लेकिन कहते हैं कि गरीबी का उन्मूलन हो गया है, गरीबों की संख्या घट गयी है, इसे घटा कर 26 प्रतिशत कर दिया जाए।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

गरीबों के मुंह में जुबान नहीं होती है। आज जो बदलता हुआ समय है, उसमें गरीब जो पसीने से दौलत पैदा करता है, जब बोलने लगेगा तो बड़ी से बड़ी सल्लनत भी हिल जाएगी। इसीलिए आज जो विकास हो रहा है, उसमें धीरे-धीरे गरीब अपने अधिकार को समझेगा। मुझे विश्वास है कि गरीब अपनी बात को बोलेंगे। बच्चों और महिलाओं में जो कुपोषण की स्थिति है, मैं अभी उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है। मैं मूल बात कहना चाहता हूँ कि आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत कभी भुखमरी नहीं मिटेगी, न कभी कुपोषण दूर होगा। इसलिए नए सिरे से इस पर विचार करना होगा, इसके लिए कानून लाना होगा और असंगठित मजदूरों के लिए बिल लाना चाहिए। भुखमरी से जिस भी राज्य में मौत हो, वहाँ की राज्य सरकार की इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उस राज्य सरकार को इनएफिसिएंट घोषित कर देना चाहिए। जिस सरकार ने ज्युरिसडिक्शन में भुखमरी हो, उस पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जब हम इसे प्राथमिकता क्षेत्र मानकर चलेंगे तभी हम भुखमरी और कुपोषण पर रोक लगा सकते हैं। ऐक्ट तो हम बनाते हैं लेकिन वह लागू नहीं हो पाता है। ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में मात्र 15 प्रतिशत अमल हुआ है। जो डेमोक्रेटिक फार्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें तो ऐक्ट बनाना ही तरीका है। सदन को इस पर चिन्तन करना चाहिए, यह एक संवेदनशील मामला है। भूख की चिन्ता सभी को होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शन और जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, संत कबीर, संत रविदास से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, सभी दार्शनिकों, हमारे सभी पूर्वजों ने श्रम को प्रतिष्ठित किया। संत रविदास जी को पारसमणि मिली तो उन्होंने उसे छुआ भी नहीं और कहा कि हर इंसान के शरीर में पारसमणि है। इंसान के शरीर का पसीना जिससे वे दौलत कमाता है, वह हर इंसान के पास है। पारसमणि जो किसी महाराजा-महारानी के पास है उससे इस देश और विश्व का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए जिस पसीने से आम आदमी दौलत पैदा करता है, वही असली पारसमणि है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भूख मिटाने के लिए निश्चित रूप से जो यह संकल्प आया है, उसे सरकार को मान लेना चाहिए और इसके बारे में एक केन्द्रीय विधेयक लेकर इस सदन में आना चाहिए और असंगठित क्षेत्र के बारे में जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे भी लागू करना चाहिए क्योंकि यह इसी से जुड़ा हुआ मामला है। यह 37 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तभी हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं। हम जब लोगों

को रोजगार से जोड़ेंगे तभी गरीबी उन्मूलन पर उसका असर होगा। जब भूख मिटेगी, तभी मन चंगा हो सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव विचार आ सकते हैं, नहीं तो नक्सलवाद और सत्या जुद्धम जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए आप चाहे जितनी फोर्स लगा दें, कोई लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जब तक सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक नक्सलवाद की समस्या से देश निजात नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो आज मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर हैं, वे 35,000 फीट ऊपर उड़ते हैं।

गरीबी और अमीरी का फर्क आज कितना हो गया है, यह मैं बताना चाहता हूँ। जनता ने हमें मेनडेट दिया है, सुविधा दी है इसलिए हम सांसद लोग हवाई जहाज से भी सफर करते हैं, लेकिन वह पांच फीट का इंसान जो धरती पर है, उसके पेट में अनाज है या नहीं, इस पर कभी विचार नहीं किया। इसलिए यह एक मौजूं सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। इस कारण हमारे और जनता के बीच में 35,000 फीट का अंतर आ गया है, इकोनॉमिक डिसपैरिटी हो गई है, क्योंकि हम लोग हवाई जहाज से 35,000 फीट ऊंचा उड़ते हैं और आम जनता से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए आज गरीबी और अमीरी के बीच में इतना बड़ा अंतर आ गया है। पहले गरीबी और अमीरी में करीब 17-18 फीट का ही अंतर था, क्योंकि जो धनी लोग थे, वे ज्यादा से ज्यादा हाथी रखते थे और उस पर सवारी करते थे। रावण जैसे लोग अपवाद स्वरूप थे, जिसके पास पुष्पक विमान था। आज के समय में गरीबी और अमीरी के बीच 35,000 फीट का अंतर आने से आर्थिक विषमता बढ़ गई है। इसलिए मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि अगर इसे कम नहीं किया गया तो दुनिया की कोई ताकत गरीब और भूख को ए.के.-47 रखने से रोक नहीं सकते। इसलिए हिंसा तभी रुकेगी, जब आर्थिक असमानता दूर होगी।

डा. राम मनोहर लोहिया ने इसी लोक सभा में 1962 में सम्भव बराबरी के ऊपर लम्बा भाषण दिया था। वे देश के सभी नागरिकों को समान भाव से रखने के पक्ष में थे, जिससे कोई भूखा न रहे। अगर हम चाहें तो गरीबों के लिए खाने का इंतजाम हो सकता है, हम चाहें तो भूख का निदान कर सकते हैं। भूख से इंसान मर जाए, यह व्यवस्था का दोष है, चाहे किसी का भी राज हो। इसलिए जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था की बागडोर है, उन्हें कड़ा संकल्प लेना होगा कि आर्थिक विषमता की खाई को पाट दिया जाएगा। अभी देश के 14 राज्यों में ही नक्सलवाद की समस्या है, मैं रिकार्ड से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के सभी राज्यों में

अराजकता और नक्सलवाद बढ़ेगा, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत होगा।

[अनुवाद]

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): सभापति महोदया, मुझे व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा स्कीम की नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प के बारे में मेरे माननीय दोस्तों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक श्री नवीन जिन्दल का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए और अपने सुझाव दिए। भूख से मुक्ति बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक मुंह को निवाला दिया जाना है। भोजन का अधिकार सबको है।

हमारे संविधान के अनुसार, यह अधिकार है। [हिन्दी] यह संवैधानिक अधिकार है, संविधान में उल्लिखित है कि हर आदमी को खाना मिलना चाहिए। [अनुवाद] जो भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी या कोई गठबंधन यदि उन्हें देश के आम नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने की कला नहीं आती तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अपराहन 5.33 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

बिल्कुल उचित समय पर, मेरे माननीय दोस्त श्री जिन्दल ने यह सुन्दर संकल्प, अर्थात् भोजन का अधिकार, सभा में पेश किया है।

हम अपने देश को भारत वर्ष के नाम से पुकारते हैं। भा का अर्थ है आलोक खंड में रत; या का अर्थ है साधना में रत; या का अर्थ है भात; भात का अर्थ है अर्ण; अर्ण का अर्थ है चावल। अर्ण को बर्बाद मत करो। अर्ण को बर्बाद करके हम अपना रक्त बर्बाद कर रहे हैं। वैज्ञानिक खून को छोड़कर कोई भी चीज बना सकते हैं। खून केवल भोजन के माध्यम से ही बनता है। इसलिए, भोजन का अधिकार मानव मात्र का अधिकार है। [हिन्दी] यह संवैधानिक अधिकार है।

आप लोगों ने अभी कहा, [अनुवाद] नक्सली समस्या के बारे में। [हिन्दी] यह प्राबल्य क्यों होती है? बुभुखिता किन: न: करोति पापम्। [अनुवाद] जो व्यक्ति भूखा है वह भोजन के अभाव के कारण बहुत अपवित्र और कष्टमय जीवन जीता है। [हिन्दी] इसलिए नक्सलवादियों को इतनी सुविधा हो जाती है कि वे इसका फायदा उठाते हैं, चाहे हरिजनों से या गिरिजनों से उठाएं।

[अनुवाद]

अपनी आजादी के 60 वर्षों के पश्चात् भी लगता है कि गरीबी हमारी सम्पत्ति बनी हुई है।

हम भूख की सम्पत्ति के मालिक हैं।

[हिन्दी]

धनी आदमी और गरीब आदमी को भारत वर्ष में रहने का मौका संविधान द्वारा मिला है। [अनुवाद] हम राजनैतिक प्राणी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो खिलाने की कला नहीं जानता वह भी दोस्त है। वह आदमी नहीं है। मानव के लिए यह जीने की कला है अर्थात् जीने का विज्ञान। यह ब्रह्म, ब्राह्मण है। अन्न का अर्थ है आनन्द। वह यह कला जानता है कि जीव की सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त की जाए अर्थात् जीवन का विज्ञान और जीने की कला। हमारा पेट मृत शरीरों से भरा जा रहा है। जो लोग मांसाहारी भोजन खा रहे हैं वे मृत शरीरों के भण्डार गृह हैं। उस मृतक शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है आपको शमशान घाट ले जाना। जो लोग शाकाहारी भोजन, फल और फूल खा रहे हैं वे मंदिर जाएंगे। यह आपका विकल्प है। आप या तो जलते हुए घाट पर जाएं या मन्दिर।

[हिन्दी]

गौड ने हमें माता की गोद में पैदा किया और माता के दूध में स्तन दिया। बच्चे के पैदा होने पर माता के स्तन दूध से भरे होते हैं। जो माता अपने स्तनों से बच्चे को दूध नहीं पिलाती है वह कुमाता कहलाती है। [अनुवाद] यही कारण है कि माता बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। विशेष रूप से मीडिया में दिखाए जाने वाले सुन्दर परिदृश्य को देखकर, जिसका आप लोग और हम सब प्रतिदिन आनन्द ले रहे हैं, न केवल शहरी महिलाएं बल्कि गांव की माताएं भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। माता अपने सौन्दर्य की रक्षा कर रही है और उसे बनाए भी रख रही है। लेकिन सुन्दरता प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। यदि हम जीवन को बनाए रखने की कला जानते हैं, तो जीवन जीने के स्पंदित हो रहा है। मस्तिष्क मस्तिष्क के अन्दर स्पंदित हो रहा है और हम भारत में हमेशा भारत, अतुल्य भारत जैसे नारों का प्रचार करते रहते हैं। लेकिन हम अधिकारों अर्थात् भोजन के अधिकार को भूल गए हैं। [हिन्दी] अर्नमय कोश: [अनुवाद] मुझे पता है कि मेरा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाला राज्य है। [हिन्दी] यह कहावत मेरी नहीं है। यह किसी मनीषी की कहावत है कि जेल में रहने वाले एक कैदी को जितना फूड, पानी, कपड़ा और खाद्य पदार्थ मिलते हैं जेल से बाहर रहने वाले आम व्यक्ति को जब इतना खाना, पानी,

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

कपड़ा और खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो उसका इरादा और इच्छा जेल में रहने की होगी। [अनुवाद] लोकतंत्र के 60 वर्ष पश्चात्, हम गरीबी पर अधिकार जमाए बैठे हैं। महोदय, गरीबी हमारी सम्पत्ति है और हम इस बात की शोखी बधाते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र को बनाए नहीं रखा जा सकता। डेमो का अर्थ है 'जनता', क्रेसी का अर्थ है 'शासन'। [हिन्दी] डेमोक्रेसी हो जाता है। [अनुवाद] ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नक्सलवाद पर नियंत्रण करना नहीं जानते। लोग रोज मर रहे हैं। उनको कौन मार रहा है? आपके तर्क-वितर्क के क्रमानुसार, मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ। यदि प्रत्येक नागरिक को सही ढंग से और सही समय पर भोजन मिल जाए तो नक्सलवाद को आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। श्री जिन्दल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह संसद कानून बनाने वाली संस्था है और हमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक कानून का प्रख्यापित करना है। इसलिए सत्य सत्य होता है। सत्य सरल होता है। सत्य स्पष्ट होता है। सत्य स्वाभाविक होता है। सत्य जीवन का संबद्ध होता है। इसलिए, आइए हम समस्त भारतीयों, जिन्हें जीने के लिए भोजन पाने का अधिकार है, की रक्षा के लिए जीवन का समर्थन करें।

मेरा राज्य विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे वाला राज्य है जहां मां मात्र 5 रुपये, इससे ज्यादा नहीं, के लिए अपने बच्चे को बेच देती है। देश में ऐसा होता है। आपको पता होगा कि अलसेशियन कुत्ता [हिन्दी] इतना मटन खाता है जितनी कि आम आदमी, किसान और मजदूर की मजदूरी नहीं है। [अनुवाद] यह लोकतंत्र की नियति है। इसलिए यह ठीक समय है, उनका भोजन का अधिकार एक अच्छा प्रस्ताव है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और इस सम्मानित सभा में इसका अनुमोदन अवश्य ही किया जाना चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): धन्यवाद, सभापति महोदय। गरीबी के कई स्वरूप हैं। बेरोजगारी और भूख दोनों गरीबी के ही स्वरूप हैं। कुपोषण दूसरा स्वरूप है। मुझे काफी प्रसन्नता है कि हमें सभा में इस समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है क्योंकि मेरे युवा मित्र श्री नवीन जिन्दल ने एक संकल्प पेश किया है जिससे हमें इस समस्या पर चर्चा कर इसका निराकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

अब, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। यहां पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। मैं एक आलेख के कुछ अंश पढ़ता हूँ।

"49.5 प्रतिशत बच्चे औसत से कम वजन के हैं, 38 प्रतिशत बच्चों का विकास अवरुद्ध है और 19.1 प्रतिशत बच्चे तीन वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही अस्तित्वविहीन हो जाते हैं। यदि चीन से तुलना करें तो वहां केवल आठ प्रतिशत बच्चों का वजन औसत वजन से कम है।"

इससे परिलक्षित होता है कि चीन जैसे भिन्न आर्थिक व्यवस्था में, वे कुपोषण की समस्या को कम करने में सफल हो पाए हैं। यहां भारत में मैं यह नहीं कहता हूँ कि हम कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं किन्तु "भारत में उप-सहारा अफ्रीकी बच्चों की तुलना में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जबकि एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते हमारे पास इस समस्या पर काबू पाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि और बेहतर अवसररचना है" - संयुक्त राष्ट्र बाल निधि की ओर से ऐसा वक्तव्य आया है।

यह बजट सत्र है। हम सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का दावा करते हैं। निःसंदेह यह घमत्कारिक उपलब्धि है। किन्तु, साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है, इस देश में अधिकतम बेरोजगारी, अधिकतम गरीबी और प्रचंड भूखमरी है। इसको कैसे पाटा जाना है? यह एक समस्या है। श्री नवीन जिन्दल ने अपने भाषण में शून्य-स्तरीय भूखमरी अधिनियम के बारे में कहा था। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक और विधान लाने से इस समस्या का कोई हल निकल पाएगा।

श्री नवीन जिन्दल: यह एक व्यापक विधान हो सकता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हां, हमारे पास पर्याप्त व्यापक विधायन है। मैं जिस समस्या को देख रहा हूँ वह थोड़ा सा भिन्न है। हमारे माननीय खाद्य मंत्री ने आपके भाषण से ठीक पहले एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि: "हम किसानों के लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा पर काबू पाने के लिए थोड़ा सा सुधार एक तरह का बोनस है।" यह अच्छी चीज है। लेकिन तब श्रीमती सुमित्रा महाजन अध्यक्षपीठ में थी और उन्होंने पूछा कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की खरीद करेंगे और आपने इसका उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खरीद की जाएगी अथवा नहीं। नीति बनी हुई है। किन्तु पहले की भांति अधिप्रापण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

जब आप भूख और कुपोषण की समस्या की बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए। श्री हन्नान मोल्लाह बता रहे थे कि केरल में अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इससे बहुत पहले, जब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में दिए गए अपने किसी भाषण में कहा था कि यह सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक है - और यह कि "मैं देश के सभी मुख्य मंत्रियों को ऐसी प्रणाली अपनाने के लिए लिख रही हूँ।"

यह बहुत समय पहले हुआ था। उन्होंने कृषि कर्मकारों को, केरल में बनाए गए कानून की ही तरह देश के अन्य राज्यों में भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान किए जाने तथा नियोजन-शर्तों के लिए विधान बनाये जाने पर भी बल दिया था। 30 वर्ष पूर्व यह सब उनका सपना था किन्तु आज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा जा सकता है कि यह बिखरी-पड़ी है। मंत्री जी ने अपने आज के वक्तव्य में भी कहा कि यदि दिक्कत है, तो वे आयात करेंगे।... (व्यवधान) उन्हें आयात करना है। वे उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। यही समस्या है। समस्या यह है कि इस खाद्य सुरक्षा के बारे में खूब ढोल पीट रहे थे। वस्तुतः हमने बहुत पहले खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्राप्त कर ली थी किन्तु उसका क्या हुआ? हम उस स्तर से गिर कर इस स्तर तक कैसे पहुंच गए जहां आयात करने की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें आयात करना है, क्यों? वहां उन्हें समस्या को देखना है और विचार करना है कि किसानों से संबंधित समस्या का निपटारा कैसे किया जा सकता है। आज यदि किसान न सिर्फ पांच राज्यों में बल्कि पूरे देश के बहुत से राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं; इसके पीछे कारण यह है कि किसानों की समस्या पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। जब किसानों को उनकी उपज के बदले लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, तो आप उनसे बीजारोपण कर और अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने के लिए कहते हैं किन्तु जब कोई किसान और अधिक उत्पादन करता है, उसकी प्रत्याशा होती है कि उसके पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें उसकी उपज लाभकारी मूल्य पर बाजार में बेची जाएगी किन्तु ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है, उसकी कृषि से अभिरूचि खत्म हो जाएगी और वह किसी दूसरे कार्य की तलाश करेगा। इस कारण से आपका खाद्य उत्पादन घटता जा रहा है। इसलिए जब तक आप इसका समाधान नहीं करते हैं, आप खाद्य सुरक्षा की समस्या हल नहीं कर सकते हैं। आयात कोई हल नहीं है; इससे तात्कालिक मदद मिल सकती है।

मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन की याद आती है। वे उन जीवित अर्थशास्त्रियों में से हैं जिन्हें गरीबी और भूख की समस्या के लिए पूरे विश्व में इनकी सराहना की जाती है। वे ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अकाल और अकाल के कारणों का अध्ययन किया

है। मेरा सुझाव है कि आप पश्चिम बंगाल के अकाल के बारे में उनके अध्ययन को पढ़ें। उन्होंने क्या कहा था? यह सबसे बड़ा अकाल था जिसने उन दिनों खाद्य सुरक्षा के बारे में हमारी सोच को ही झकझोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि उस समय के सभी आंकड़ों से पता चलता है कि उस समय अर्थात् अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में खाद्यान्नों की कमी नहीं थी किन्तु यदि उन खाद्यान्नों को लोगों में समुचित ढंग से वितरित किया जाता, तो फिर भुखमरी और अकाल नहीं पड़ते। फिर उन्होंने बताया कि समस्या यह थी कि वितरण प्रणाली ऐसी थी कि यह भूखे व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता था। फिर उन्होंने पूछा: - यह कहाँ गया? यह जमाखोरों के गोदामों में जाता था। इस तरह यह कृत्रिम अकाल और कृत्रिम भुखमरी थी। अकाल की चपेट में लाखों लोग आ गए थे।

यहां भी स्थिति बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इस देश में भारतीय खाद्य निगम से एक उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था और उद्देश्य यह था कि यह बाजार में प्रविष्ट होकर, अधिप्रापण का कार्य करेगा और किसानों के हितों की रक्षा करेगा। इससे भूखे व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। किन्तु उदारीकरण और वैश्वीकरण के पश्चात्, सरकार समझती है कि जब विश्व-स्तर पर आस्ट्रेलिया चावल का उत्पादन कर रहा है और अमेरिका गेहूं का उत्पादन कर रहा है, वे इनका आयात कर सकते हैं। वैश्वीकरण की इस प्रकार की सोच उभरकर सामने आई। इसका पहला शिकार अधिप्रापण और दूसरा शिकार भारतीय खाद्य निगम हुआ।

इसलिए अध्यक्षपीठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप खरीद करेंगे:-आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप इस चर्चा का उत्तर कब देंगे? यदि लोगों का पेट भरने की राजनीतिक इच्छाशक्ति से उचित तौर पर खरीद की जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होगा। जिसकी खरीद की जा सकती है और लोगों के हित की सिद्धि होगी। यदि ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं हो, तो क्या किया जा सकता है?

हम इसके दूसरे पक्ष पर विचार करें, मैं पोलिटिकल एण्ड इकॉनोमिक रिव्यू का एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा जिसमें उल्लेख है:-

"कुछ मध्यम आय वाले राज्य यथा - केरल और तमिलनाडु में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे उच्च आय वाले राज्यों की अपेक्षा पोषण की स्थिति बेहतर है। पूर्वोत्तर राज्य अपेक्षाकृत बेहतर कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछ जैसे सिक्किम ने तो यहां तक कि केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।"

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

केरल गरीब राज्य है। यदि आप रोजगार-बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, आदि का मापदंड रखें तो केरल सबसे नीचे आता है। दूसरी ओर, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में यह सर्वोत्कृष्ट राज्यों में से एक है क्योंकि उस राज्य की राजनैतिक इच्छाशक्ति है अर्थात् उस राज्य का राजनीतिक नेतृत्व शिक्षा, बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। यह निर्णय राजनीतिक दल विशेष का ध्यान रखे बगैर लिया गया है भले ही वह कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो आदि - हम लोग बदल सकते हैं किन्तु प्रत्येक व्यक्ति इसी इरादा को कायम रखता है, दुर्भाग्यवश आपमें इसकी कमी है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रश्न केवल यह नहीं है कि आपके सकल घरेलू उत्पाद का स्तर अच्छा है या नहीं, उनकी आय आदि है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या आपका ऐसा करने का इरादा है ताकि लोगों को हर रात भूखे नहीं रहना पड़े। इरादा का अभाव है।

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन जी, अपना भाषण समाप्त करने में आप और कितना समय लेंगे?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात पूरी करूंगा, परंतु मुझे लगता है कि हमें इसके लिए समय बढ़ाना पड़ेगा, हमें समय इसलिये बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस विषय पर बोलने वाले काफी वक्ता हैं और जैसा आप जानते हैं यह विषय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

मैं इस समस्या के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। बच्चे में मस्तिष्क का 80% विकास 4 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में होता है, परंतु इस उम्र में हमारे यहां अधिकांश बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। इसका यह अर्थ है हम अपने देश और भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं।

देश में समेकित बाल विकास योजना जैसी योजनाएं भी हैं। मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है अतः मैं इसका स्वागत करता हूं। परंतु जिस ढंग से इसे चलाया जा रहा है - वह शोचनीय है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को दिया जाने वाला भोजन, तथा पोषक तत्व और आंगनवाड़ी आदि में उनको रखने की दशा बहुत अधिक खराब है। मुझे पता नहीं आप गांव जाकर देखते हैं या नहीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश का स्तर घटिया है। ऐसा क्यों होना चाहिये? क्या हम इसके लिए थोड़ा धन और नहीं दे सकते।

मैं यह नहीं कहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट बहुत बड़ा

है मंत्री जी रक्षा के लिए उदारतापूर्वक धन दे रहे हैं। और उन्होंने एक वाक्य और जोड़ दिया जो यहां लिखा नहीं है उन्होंने कहा कि यदि रक्षा क्षेत्र को और अधिक धन की जरूरत होगी तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसे इसी तरह क्यों नहीं लेते? हम उन्हें थोड़ा और धन क्यों नहीं दे सकते हैं। भावी पीढ़ी को स्वस्थ, बुद्धिमान अच्छा बनाने के लिए यदि हमारी तथा देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए थोड़ा सा और धन क्यों प्रदान नहीं कर सकते?

शायद यही कारण है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत के आवंटन की बात कही गई थी किंतु हम अभी उससे कोसों दूर हैं। यदि सकल घरेलू उत्पाद और बजट आवंटन की प्रतिशतता को देखें तो हम जिस धीमी गति से शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं। यदि रोजगार होगा तो गरीब आदमी पैसा कमा सकेगा और अपने बच्चों का पेट भर सकेगा।

रोजगार गारंटी योजना का हम स्वागत करते हैं। जब मंत्री ने इसे सभा में रखा तो वही एक ऐसा अवसर था जब श्रीमती सोनिया गांधी इस सभा में बोली। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिसे वह 200 जिलों में कार्यान्वित करने जा रहे हैं। अब इसमें 130 जिलों को और जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी 600 जिलों को एक साथ शामिल कर लिया जाए? मैं जानता हूं इसके लिए धन की कमी सामने आएगी। इस पर काबू पाने के लिये आपको दूसरे उपाय खोजने होंगे और अपनी कर नीति में परिवर्तन करना होगा। अमीरों पर कर लगाया जाना चाहिए। हम धनाढ्य अरबपतियों के युग में हैं। नरम कर नीति के कारण वे बच निकलते हैं। उन पर और अधिक कर लगाया जाना चाहिए बच्चों के लिये कर लगाये जाने चाहिए या आंगनवाड़ी के सुदृढीकरण या उनमें गुणात्मक सुधार के लिए उपकर लगाया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में मैं केवल बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं उन कर्मचारों और हैल्परों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी दशा वास्तव में दयनीय है।

धन जुटाने के लिए नई कर नीति लाई जानी चाहिए तथा उस धन के वितरण में स्वास्थ्य और शिक्षा तथा बच्चों और उनके पोषण संबंधी मांगों को पूरा करने को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की जानी चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसे पूरे देश में लागू करने के लिए और तीन या चार वर्ष का इंतजार न करें। ऐसा करने से ही हम यह देख सकेंगे कि बच्चे भूखे नहीं हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहूंगा कि कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र और पारंपरिक जहां में भुखमरी, बेरोजगारी

और निर्धनता अधिक है। उद्योग जहां पुनः बेरोजगारी और भूख अधिक है, अल्प संख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बारे में सच्यर समिति की रिपोर्ट आ गई है जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से इस समुदाय के गरीबी से त्रस्त लोग दुख उठा रहे हैं - यहां तक कि इन विशेष क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये और ध्यान देते हुये विशेष कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि राजनीतिक दृढ़ता के साथ यदि आप इसे कार्यान्वित करते हैं तो संभावना आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं पुनः इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नवीन जिन्दल जी का तहेदिल से समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा। मुझे डर है कि सरकार अंत में यही कहेगी कि आप अपना संकल्प वापस ले लें। हम लोग इस मामले में कुछ कदम उठा रहे हैं लेकिन इस बार सारे दल मिलकर इसे बदलकर यह तय कर लें कि इस संकल्प को वापस न लिया जाए और साथ-साथ सरकार भी इसका समर्थन करे क्योंकि अभी-अभी आपने हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा होगा कि इंडिया में, एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनेअर्स हो गये हैं लेकिन साथ-साथ यह भी लिखना चाहिए कि सबसे ज्यादा गरीबी भी हिन्दुस्तान में है।

सायं 6.00 बजे

इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है और इस बात का प्रकाशन नहीं हुआ है, वे लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? क्या वर्ल्ड लेवल पर 36-37 लोग बिलियनेअर्स हो गये, उनका नाम सुन कर गरीब लोगों का पेट भर जायेगा? हमें यह सोचकर अफसोस होता है। हिन्दुस्तान तो अमीर हो रहा है, लेकिन हिन्दुस्तानी लोग गरीब हो रहे हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब छः बज रहे हैं, यह संकल्प अगले सेशन में आयेगा और आपका भाषण अगले सत्र में जारी रहेगा। अब हम स्पेशल सेशन लेंगे।

[अनुवाद]

*श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 500 और 1000 के जाली नोटों की भारी मात्रा

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रचलन में है। जाली नोटों महाराष्ट्र में काफी मात्रा में प्रचलन में थे परंतु अब कर्नाटक और केरल भी इसके केन्द्र बन गए हैं। इन जाली नोटों का उपयोग संपत्ति के और वाहनों के लेने में तथा महाजनों और साहूकारों द्वारा किया जाता है।

महोदय, ये जाली नोट इतनी बारीकी से बनाए गए हैं कि नकली और असली का भेद कर पाना कठिन हो जाता है। महोदय केंद्रीय सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि किस प्रकार विदेशों से जाली नोट भारत में लाया जा रहा है।

केरल में करोड़ों रुपये के लेनदेन जाली नोट में किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र की खबर के अनुसार केरल में बरामद जाली नोटों की छपाई पाकिस्तान में की गई थी।

केरल के कई भागों में जमीन की कीमतें दस गुणा बढ़ी है। गरीब आदमी अपने लिए छोटी सी श्रेणी बनाने के लिए दो सेंट जमीन तक भी नहीं खरीद सकता है। अंडरवर्ल्ड तथा आतंकवादी गतिविधि वालों के साथ सांठगाठ रखने वाले संगठनों द्वारा बेनामी सौदों से हजारों एकड़ भूमि और भवन खरीदे जा रहे हैं। पंजीकरण के नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्रेता और विक्रेता दोनों की पहचान का सत्यापन किया जाना चाहिए।

केरल और महाराष्ट्र के पुलिस बलों के पास उनके संबंधित राज्यों में जाली नोटों के चलन के बारे में अधिक जानकारी है। केरल पुलिस जाली नोटों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर रही है। परंतु महोदय देश के बाहर की ताकतें जाली नोटों को बाजार में धकेलकर कृत्रिम मुद्रास्फीति का माहौल तैयार करके हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए कार्य कर रही है।

समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और देश में जाली नोटों के प्रसार में लगी विदेशी एजेंसियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह सी.बी.आई. जांच के आदेश दे।

श्री के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय दि लार्ड कृष्ण बैंक केरल का पुराना पारंपरिक बैंक है जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में कई शाखाएं हैं। यह कृषि क्षेत्र को तथा पारंपरिक उपयोग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है? केरल की पूरी जनसंख्या की यह सहायता करता है। हाल ही में यह बात सामने आई है, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब नामक नई पीढ़ी का बैंक लार्ड कृष्ण बैंक का अधिग्रहण करने जा रही है। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब की वित्तीय क्षमता इतनी अच्छी नहीं है। हाल में लार्ड कृष्ण बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्हें अपना

[श्री के.एस. मनोज]

मामला रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा। हाल ही में सी.बी.आई. ने यह रिपोर्ट दी कि लार्ड कृष्ण बैंक के प्रबंधन में कुछ वित्तीय कुप्रबंध और भ्रष्टाचार की बात सामने आई है?

सी.पी.आई. ने भारतीय रिजर्व बैंक से भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंध की जांच के लिए अनुरोध किया था इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच करें। हालांकि सी.पी.आई. ने भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री के प्रति संदेह की स्थिति बनी है, अतः मैं भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से इस स्थिति को दूर करने तथा लार्ड कृष्ण बैंक का संचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के साथ गैर कानूनी विलय को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और इन बैंकों में हुए भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंध की जांच करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इस सदन में उठाना चाहूंगा। देश के अनेक राज्यों में चुनाव होते हैं। अभी चुनाव हुए भी हैं। इधर उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो गए हैं और इस सदन से बढ़कर कोई सदन नहीं है जहां से पूरे देश के लिए कानून बनता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए, चाहे वह निजली अदालत हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, यह देखती है कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ तो नहीं है, कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज देखा गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, या जिला अधिकारी हो या पुलिस का कप्तान हो, आई.पी.एस. हो या आई.ए.एस. अधिकारी और राज्य के अधिकारी (व्यवधान)...

सभापति महोदय: इलैक्शन कमीशन के ज्यूरिस्टिक्शन पर आप चर्चा नहीं कर सकते। आप अपनी डिमांड बोलिये। उसके ज्यूरिस्टिक्शन पर चर्चा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं डिमांड ही बता रहा हूँ। उन अधिकारियों को कहा जाता है कि आप पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आपका डिमांड क्या है? आप मुख्य बात पर आइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आपने देखा होगा कि चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको चाहिए कि आप इसका विस्तार में उल्लेख न करें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्जिक): यदि यह सभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो इसे निकाल दिया जाना चाहिए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो इलैक्शन कमीशन की ज्यूरिस्टिक्शन का मामला है, वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनेगा।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: मान्यवर, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। लेकिन इतना कहा जाता है और यह कहावत भी है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, जिसकी सरकार उसकी दुहाई। लेकिन मैं ताजा उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. बुआ सिंह को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है कि वे वी.आर.एस. लेकर अपने गांव को चले गए हैं। इसी प्रकार से चीफ सैक्रेटरी को हटाया गया है। अगर आरोप सिद्ध होता है तो उनको हटाया जाए, (व्यवधान)..." कानून सबके लिए है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा. करण सिंह यादव के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)..."

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, रेल यातायात की बढ़ती हुई सुविधाओं से यात्री संख्या में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र अलवर में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खैरतल, राजगढ़, बहरोड़ जैसे कुछ बड़े कस्बे हैं... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन बड़े कस्बों में कंप्यूटराइज्ड टिकट प्रणाली चालू की जाए। ये बड़े स्टेशन हैं। अलवर सहर भी बहुत बड़ा स्टेशन है। उसमें भी एक अतिरिक्त कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर की जरूरत है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र में अलवर, खैरतल, राजगढ़ और बहरोड़ में अतिरिक्त कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर की मांग करता हूँ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मैं एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। यदि वित्त मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, चांदपोल बाजार, 30 अगस्त, 2005 को बंद कर दिया गया था। उस समय रिजर्व बैंक के अनुसार उनके पास 4 करोड़ 34 लाख रुपये का नेटवर्क कम था। जवाहर नगर स्थित जमीन को बेचकर बैंक को 5 करोड़ 4 लाख रुपये दे दिये गये। बैंक बंद हो जाने के बाद 2 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली और मिली। इस प्रकार बैंक ने सभी प्रकार के जमाकर्ताओं को 12 करोड़ 20 लाख रुपये देने हैं जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपये राज्य सरकार की राशि है और जमाकर्ताओं की राशि 10 करोड़ 60 लाख रुपये ही है। बैंक के पास वर्तमान में 10 करोड़ 90 लाख रुपये जमा हैं। 1 करोड़ रुपये के खातेदार पिछले 20 वर्षों से नहीं आ रहे हैं जो डूबंत खाते में है।

बैंक में कुल आठ हजार जमाकर्ता हैं, इनमें एक लाख के ऊपर मात्र 194 खातेदार ही हैं। यदि एक लाख तक के खातेदारों को भुगतान किया जाता है तो 7551 खातेदारों को मात्र 691.83 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, जो लगभग सात करोड़ हैं। 19 माह में बैंक के कर्मचारियों पर एक करोड़ 50 का खर्चा कर दिया है, जब कि आमदनी कुछ नहीं है। बैंक का पांच करोड़ 50 लाख का लोन है और इसमें से तीन करोड़ रुपया चालू खातेदारों की केश लिमिट है, जो बैंक चालू होते ही रोटेशन में आ जाएगा। खेद है कि 12-3-07 को क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें उपभोक्ताओं से कहा गया कि अभी जब पांच करोड़ रुपया और आ जाएगा तो बैंक तब चालू होगा, वरना नहीं, जबकि आज की तिथि में बैंक के पास सौ प्रतिशत भुगतान करने की राशि मौजूद है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री जी से मांग है कि बैंक को हिदायत दें कि उपभोक्ताओं को, जिनकी इस बैंक में रकम जमा है, जिन गरीब विधवाओं, व्यापारियों और सैनिकों की जमा रकम है, उन्हें रकम लौटाएं और बैंक को वापिस चालू कराएं, यह मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): देश के विभिन्न भागों में नवजात शिशुओं और बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों बच्चे गायब हो जाते हैं। यदि हम अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे हैं तो हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। यह दुख की बात है कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल के होने के बावजूद - मासूम शिशुओं और बच्चों के विरुद्ध हो रहे घिनीने अपराध को रोकने में असफल रहे हैं।

इस शृंखला में सबसे अधिक बर्बरतापूर्ण घटना हाल की नोयडा के निठारी गांव की घटना है जिसमें पिछले वर्ष 40 बच्चों की गुमशुदगी की शिकायतें भी पुलिस को नींद से नहीं जगा सकीं। ऐसी घटनाएं हमारे देश के लिए शर्मनाक है जिसके कारण पूरे विश्व में हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। देश के विभिन्न भागों में बच्चों के गुम होने की इसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जिनकी सूचना नहीं दी जाती है या मामले को पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है।

यदि पुलिस ने फुर्ती से काम किया होता और ऐसे मामलों में लापता बच्चों के बीच एक कड़ी जोड़ने का प्रयास किया होता तो हत्या किये जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती और अनेक लापता बच्चों का पता चल गया होता।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि हमारे कानून को और कठोर बनाने के लिये तत्काल कदम उठाए तथा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन बुलाकर यह सुनिश्चित कराए कि वह हमारे देश में बच्चों के गुम होने की घटनाओं पर आंख मूंद कर न बैठे। धन्यवाद

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं समाचारपत्रों और दृश्य मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन मिलने वाली दुखद समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी-अभी बताया कि हमारे पास 30-35 छोटे बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट है। हमने इन गुमशुदा बच्चों के अस्थि कंकाल और खोपड़ियों को देखा। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी है। हमारे ध्यान में यह बात भी आई कि बंगलौर में दो छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और उन्हें बर्बरतापूर्वक मार डाला। हमें अन्य सूचना यह मिली कि छोटे बच्चे बलात्कार और हमले का शिकार हुए जिसके बाद उन्हें मार डाला गया। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए कठोर कदम उठाए और राज्य सरकारों को समुचित निर्देश जारी करे जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र में बिजली की कमी की वजह से वहां की जनता जो त्रस्त हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में करीब पांच हजार मेगावाट बिजली की कमी है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आठ से 12 घंटे तक बिजली की आपूर्ति नहीं होती, बिजली की कटौती होती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सारी जनता व्यवसायी, सामान्य नागरिक, उद्योग, व्यापारी, कृषि क्षेत्र में किसान भाई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सभी छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाल ही में नागपुर के नजदीक छात्रों ने इस मांग को लेकर आंदोलन किया कि रात के समय बिजली में कटौती मत कीजिए। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और पुलिस फायरिंग में राज्य की पुलिस ने तीन छात्रों को गोली मारी और उन छात्रों की मौत हो गई।

सभापति महोदय, उनमें से करीब नौ छात्र गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। मैं केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत गम्भीर बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम 2010 तक बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि प्रदेश को 4 हजार मेगावाट बिजली दी जाए, लेकिन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने केवल 200 मेगावाट बिजली ही महाराष्ट्र को दी है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि वह तुरन्त महाराष्ट्र राज्य को 4 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध कराए।

श्री हरिभाऊ राठी (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त गम्भीर समस्या सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में रसोई गैस की बहुत शॉर्टेज है। मेरे क्षेत्र यवतमाल में सबसे अधिक शॉर्टेज चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने रसोई गैस की कीमत बहुत बढ़ा दी है। ऊपर से उसकी सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं होती

है। महंगी होने एवं सप्लाई शॉर्ट होने से इसकी खरीद में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्राहकों को कीमत के अतिरिक्त 50 रुपए ऊपर से देने पड़ते हैं तब भी रसोई गैस मुश्किल से मिल पाती है। इसके कारण महिलाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, हमेशा यह देखने को मिला है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, तब भ्रष्टाचार और जमाखोरी की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। महाराष्ट्र में जैसा अभी मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सांसद ने कहा 18-18 घंटे बिजली नहीं आती है। इतनी ज्यादा अवधि तक लोड-शेडिंग होने से जनता बहुत परेशान है।

सभापति महोदय: कृपया डिमांड कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठी: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से डिमांड करता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में रसोई गैस की सप्लाई बढ़ाए। मैं इस बारे में पहले भी अनेक बार मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक न तो कोई रिप्लाई आया है और न सप्लाई बढ़ाई गई है। इसलिए मेरी पुनः मांग है कि केन्द्र सरकार को इस समस्या के समाधान हेतु तत्काल ध्यान देना चाहिए और रसोई गैस की सप्लाई को बढ़ाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा सोमवार, 19 मार्च, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायंकाल 6.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 मार्च, 2007/28 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-1

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. स. सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1 2 3	
1. श्री सज्जन कुमार	261
श्री जे.एम. आरुन रशीद	
2. श्रीमती पी. रातीदेवी	262
3. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	263
श्री दलपत सिंह परस्ते	
4. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	264
5. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	265
6. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	266
7. श्री किन्जरपु येरननायडु	267
8. श्री मनोरंजन भक्त	268
9. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	269
श्री शैलेन्द्र कुमार	
10. श्री गणेश सिंह	170
11. श्री जी. करुणाकर रेड्डी	271
श्री चंद्रकांत खैरे	
12. श्री सुग्रीव सिंह	272
श्री किसनभाई वी. पटेल	
13. श्री एन.एस.वी. चित्तन	273
श्री असादुद्दीन ओवेसी	
14. श्री के.एस. राव	274
15. श्री जी.एम. सिद्दीकुर	275
श्री राजनरायन बुधीलिया	
16. श्री अजय चक्रवर्ती	276
17. श्री ए. साई प्रताप	277
18. श्री वी.के. दुम्बर	278
श्री हरिकेवल प्रसाद	

1	2	3
19. श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण		279
श्री प्रशान्त प्रधान		
20. श्री एन. जनार्दन रेड्डी		280
श्री घरकला राधाकृष्ण		

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. स. सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1 2 3	
1. आचार्य, श्री बसुदेव	2568
2. अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2533, 2603, 2620, 2652, 2666
3. अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2517, 2631, 2636, 2668, 2677
4. अहीर, श्री हंसराज गं.	2592, 2696
5. अजनाला, डा. रतन सिंह	2543
6. अनंत कुमार, श्री	2585, 2643, 2672
7. अप्पादुरई, श्री एम.	2599, 2648
8. अर्गल, श्री अशोक	2526
9. आठवले, श्री रामदास	2547, 2658
10. बैठा, श्री कैलाश	2527, 2552
11. बारड, श्री जसुभाई धानानाई	2649
12. बर्मन, श्री हितेन	2552, 2630, 2698
13. बर्मन, श्री रनेन	2522
14. मडाना, श्री अवतार सिंह	2617
15. बिस्नोई, श्री जसवंत सिंह	2573, 2640
16. बिशनोई, श्री कुलदीप	2514, 2606

1	2	3
17.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2519
18.	बोस, श्री सुब्रत	2552
19.	बुधीलिया, श्री राजनरायन	2694
20.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2589
21.	चावडा, श्री हरिसिंह	2570, 2668
22.	चौधरी, श्री अधीर	2559, 2581, 2590, 2645, 2703
23.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2572
24.	देवरा श्री मिलिन्द	2534, 2545, 2700
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2619, 2657, 2674, 2682
26.	डींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2543
27.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2567
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2658
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2532, 2614, 2664
30.	गंगवार, श्री संतोष	2574
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2620, 2658
32.	गोडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2555
33.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2537
34.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2563
35.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	2598
36.	हुसैन, श्री अनवर	2536
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	2571, 2683
38.	जय प्रकाश, श्री	2513
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	2565
40.	जिन्दल, श्री नवीन	2515

1	2	3
41.	जोगी, श्री अजीत	2547, 2559, 2575
42.	करुणाकर, श्री पी.	2550, 2628
43.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2546, 2651
44.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2609, 2655, 2681, 2706
45.	खां, श्री सुनील	2569
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2521, 2610, 2620, 2656
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2518, 2608, 2635, 2638
48.	कृष्ण, श्री विजय	2692
49.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2576
50.	कुन्तुर, श्री मंजुनाथ	2524, 2540
51.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2541
52.	लाहिरी, श्री समिक	2564
53.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2617
54.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2583
55.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2546
56.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2531
57.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2579
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	2602
59.	महतो, श्री टेक लाल	2658
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	2532, 2614, 2664
61.	मनोज, डा. के.एस.	2591, 2595
62.	मेघवाल, श्री कैलाश	2565, 2567, 2635, 2646, 2701
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2556

1	2	3
64.	मैन्वा, डा. टोकचोम	2587
65.	मिश्रा, डा. राजेश	2617
66.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2586, 2644
67.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2562
68.	मो. ताहिर, श्री	2658
69.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2577, 2651
70.	नन्दी, श्री अमिताभ	2535
71.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2593
72.	नायक, श्री अनन्त	2600
73.	निखिल कुमार, श्री	2588, 2645, 2703
74.	ओराम, श्री जुएल	2544, 2588, 2647
75.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2611, 2666
76.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2525, 2596, 2613, 2643, 2658
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2516, 2607, 2654
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2605
79.	पटेल, श्री जीवामाई ए.	2512, 2548, 2689
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2615, 2616, 2660, 2531
81.	पाठक, श्री ब्रजेश	2658
82.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2607
83.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2553
84.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2658
85.	पिंगले, श्री देविदास	2658
86.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2612, 2649

1	2	3
87.	प्रधान, श्री प्रशान्त	2633
88.	प्रसाद, श्री हरिकेश्वल	2627, 2631, 2662, 2665
89.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2523, 2702, 2705
90.	राई, श्री नकुल दास	2583
91.	राजगोपाल, श्री एल.	2580, 2641, 2670, 2679
92.	रामदास, प्रो. एम.	2538
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2520, 2642, 2671, 2704
94.	राणा, श्री काशीराम	2512, 2695
95.	राव, श्री के.एस.	2565, 2625, 2658
96.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2578
97.	राठीड, श्री हरिभाऊ	2549
98.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2551, 2629, 2663
99.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2584
100.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2624
101.	रेड्डी, श्री के.एस.पी.	2658
102.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2566, 2575
103.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2572
104.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2542, 2626, 2637, 2662
105.	सज्जन कुमार, श्री	2617
106.	सांगवान, श्री किशन सिंह	2530
107.	सरङ्गी, श्री इकबाल अहमद	2686, 2693, 2699
108.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2618

1	2	3
109.	सत्यानारायण, श्री सर्वे	2582
110.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2621, 2659, 2675, 2685
111.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2688
112.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2577, 2691
113.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2649
114.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2547
115.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2603, 2620, 2652, 2666
116.	शिवन्ना, श्री एम.	2597
117.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2658
118.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2604, 2653, 2658
119.	सिकंदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2587
120.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2547, 2636, 2637, 2665
121.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2594
122.	सिंह, श्री चन्द्रमान	2511, 2552
123.	सिंह, श्री गणेश	2603, 2694
124.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2557
125.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2532, 2614, 2664
126.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2528, 2552
127.	सिंह, श्री राकेश	2586
128.	सिंह, श्री सुग्रीव	2615, 2660, 2676, 2683
129.	सिंह, श्री सूरज	2559
130.	सिंह, श्री उदय	2559, 2581, 2637
131.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2540, 2639, 2669

1	2	3
132.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2529
133.	सुमन, श्री रामजीलाल	2617
134.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2622
135.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2546
136.	थामस, श्री पी.सी.	2690, 2697
137.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2626, 2661, 2677
138.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2607
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2539, 2632, 2667, 2678, 2707
140.	वत्सभनेनी, श्री बालासोवरी	2561, 2635
141.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2546
142.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2591, 2689
143.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2601, 2650
144.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2558, 2583, 2603, 2652, 2658
145.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2548, 2626, 2627, 2662
146.	यादव, श्री बालेश्वर	2510
147.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	2565
148.	यादव, श्री गिरिधारी	2687
149.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2658
150.	यादव, श्री मित्रसेन	2554, 2634
151.	यादव, श्री राम कृपाल	2541
152.	यास्खी, श्री मधु गौड	2560
153.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2623, 2673, 2680, 2684

अनुबंध-II**तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका**

कंपनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	261, 265, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 280
आवास और शहरी गरीबी उपशमन		
विधि और न्याय	:	
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	263
विद्युत	:	262, 279
ग्रामीण विकास	:	264, 266, 268, 270
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	273
शहरी विकास		267, 269, 272

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	2640, 2680
पृथ्वी विज्ञान		2522, 2573, 2614, 2615, 2616, 2664
वित्त	:	2510, 2514, 2515, 2516, 2518, 2520, 2525, 2530, 2531, 2532, 2534, 2535, 2537, 2538, 2539, 2543, 2546, 2547, 2548, 2556, 2557, 2559, 2560, 2563, 2564, 2565, 2566, 2570, 2571, 2572, 2575, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2587, 2594, 2599, 2601, 2602, 2603, 2605, 2606, 2607, 2610, 2612, 2613, 2622, 2624, 2627, 2635, 2637, 2641, 2643, 2645, 2648, 2651, 2654, 2655, 2659, 2660, 2661, 2666, 2671, 2672, 2675, 2681, 2683, 2685, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2695, 2697, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2527, 2558, 2593, 2600, 2629, 2656, 2657, 2669, 2694
विधि और न्याय	:	2536, 2545, 2574, 2585, 2590, 2591, 2598, 2618, 2642, 2663, 2686, 2687
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	2552, 2592, 2597, 2684

विद्युत

2526, 2533, 2549, 2555, 2569, 2588, 2619, 2625, 2630,
2631, 2634, 2647, 2658, 2673, 2676, 2699, 2701

ग्रामीण विकास

2517, 2519, 2540, 2541, 2542, 2550, 2562, 2568, 2577,
2584, 2586, 2589, 2608, 2609, 2611, 2628, 2633, 2636,
2639, 2650, 2653, 2665, 2667, 2670, 2674, 2677, 2682

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

2513, 2523, 2529, 2554, 2579, 2596, 2620, 2621, 2638,
2646, 2652, 2678, 2696, 2707

शहरी विकास

: 2511, 2512, 2521, 2524, 2528, 2544, 2551, 2553, 2561,
2567, 2583, 2595, 2604, 2617, 2623, 2626, 2632, 2644,
2649, 2662, 2668, 2679, 2691.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।
